प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(खण्ड-10)

जुलाई 2019 से मार्च 2022 सत्र
के
प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

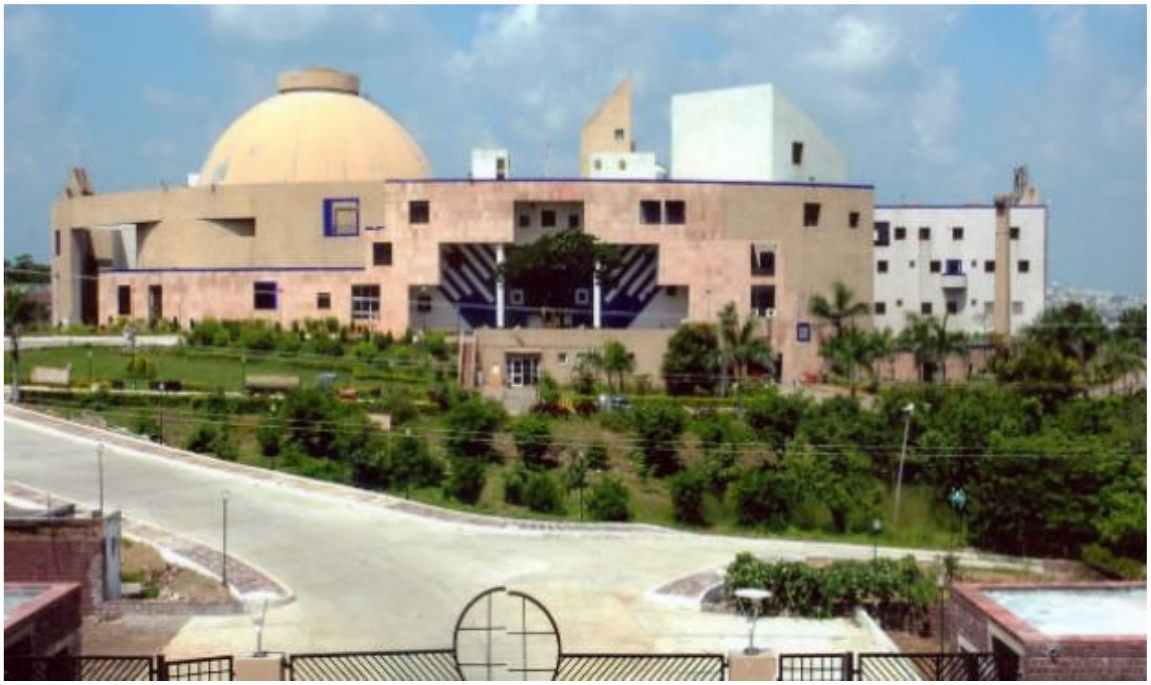

(सितम्बर 2022 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-10

जुलाई 2019 से मार्च 2022 सत्र

के

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2022

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्री रमेश महाजन	--	उप सचिव
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री प्रवीण जैन	--	सहायक ग्रेड-2
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार जुलाई 2019 से मार्च 2022 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 08 सितम्बर, 2022

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	जुलाई, 2019 सत्र	--	--	1-3
2.	दिसम्बर, 2019 सत्र	--	--	4
3.	मार्च-अप्रैल 2020 सत्र	--	--	5
4.	दिसम्बर 2020 सत्र	--	--	6-7
5.	फरवरी-मार्च 2021 सत्र	--	--	8-36
6.	अगस्त 2021 सत्र	--	--	37-51
7.	दिसम्बर 2021 सत्र	--	--	52-83
8.	मार्च 2022 सत्र	--	--	84-243

जुलाई, 2019

दिनांक 17 जुलाई, 2019

परिवाहन कार्यालय से जारी परिमिट के सबंध में

[परिवहन]

1. परि.अता.प्र.सं. 97 (क्र. 2518) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा में वर्ष 2011-12 से 2015 तक हैवी गुड्स व्हीकल जिन वाहनों का पंजीयन निरस्त किया गया उन वाहन मलिकों के नाम, वाहन नम्बर सहित व निरस्ती के कारणों सहित जानकारी देवें। क्या लंबी दूरी प्रदेश के बाहर चलने वाली बसों में अग्निशमक यंत्र, डबल इमरजेन्सी दरवाजे, बसों में परमिट चस्पा है? यदि नहीं, तो उक्त बस मलिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? उसकी जानकारी देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? **(ख)** क्या परिवहन कार्यालय रीवा व परिवहन चेक पोस्ट हनुमना में वर्षों से वही अधिकारी पदस्थ हैं? यदि हाँ तो वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम, पते की जानकारी देवें। क्या उक्त चेक पोस्टों में प्राइवेट आदमी काम पर लगाये गये हैं? उनका भुगतान किस मद से किया जाता है और ऐसे कितने कर्मचारी लगाये गये? क्या यह शासन के नियम के अनुसार है? यदि नहीं, तो ऐसा करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? **(ग)** क्या परिवहन कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा प्रति वर्ष चल-अचल संपत्ति की जानकारी शासन को प्रदान की जाती है? यदि हाँ तो वर्ष 2011 से 2019 तक पदस्थ सभी कर्मचारियों की प्रमाणित प्रति देवें।

राजस्व मंत्री : [**(क)** क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रीवा अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2015 तक जिन हैवी गुड्स व्हीकल का पंजीयन निरस्त किया गया, उनसे संबंधित चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। मोटरयान अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत प्रश्नांकित मानकों की पूर्ति होने पर ही वाहनों की फिटनेस एवं परमिट जारी किये जाते हैं। इसकी पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर जांच की जाती है तथा पूर्ति न पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अप्रैल 2018 से जून 2019 तक 2474 बसों पर कार्यवाही कर विभिन्न अनियमितताओं के विरूद्ध रूपये 84, 99, 010/- मोटरयान कर एवं समझौता शुल्क जमा कराया गया है। **(ख)** जी नहीं। परिवहन कार्यालय एवं परिवहन चैक पोस्ट हनुमना में वर्षों से वही अधिकारी पदस्थ नहीं है। प्रश्नांकित अवधि में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। जी नहीं, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** चल संपत्ति की जानकारी वार्षिक अचल संपत्ति पत्रक में प्रदाय करने या घोषित करने का शासकीय प्रावधान नहीं है। अचल संपत्ति पत्रक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।

दिनांक 19 जुलाई, 2019

रिक्त पदों पर भर्ती/पदोन्नति

[आदिमजाति कल्याण]

2. अता.प्र.सं.34 (क्र. 1524) श्री प्रदीप पटेल : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिम जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं नि:शक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के

लिये विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 30.06-19 तक वृद्धि की गई थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्न तिथि तक उपरोक्त विभागों में किन-किन व कितने रिक्त पदों पर भर्ती की अग्रिम योजना क्या है? म.प्र. शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 जुलाई 2018 को इस बाबत् कोई आदेश जारी किया था? उक्त आदेश की एक प्रति दें। उक्त आदेश के परिपालन में प्रश्न तिथि तक किसी विभाग ने कब व क्या कार्यवाही की, इसकी भी जानकारी दिनांकवार एवं जारी आदेश क्रमांकवार आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराते हुये दें। **(ग)** क्या म.प्र. में उपरोक्त विभागों में एवं अन्य शासकीय विभागों में पदोन्नति पर प्रतिबंध लगाया गया है? यदि नहीं, तो 01.04.2016 से प्रश्न तिथि तक की गई पदोन्नतियों की जानकारी उपलब्ध करायें। **(घ)** क्या माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के याचिका क्र. MA No 1151 of 2018 in (Civil Appeal No. 2368 of 2011) के तहत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को राज्य शासन के शासकीय पदों में पदोन्नति में आरक्षण के लिये राज्य सरकारों को निर्देशित किया था कि यदि राज्य सरकारें चाहें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं पदोन्नति में इन वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है? यदि हाँ तो क्या मध्यप्रदेश सरकार समिति गठित कर कर्नाटक सरकार के Act No-21 of 2018) जैसा पदोन्नति में आरक्षण देगी? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** रिक्त पदों पर भर्ती की **जानकारी संकलित की जा रही है।** जी हाँ, आदेश की प्रति संलग्न है। आदेश के परिपालन में कार्यवाही की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)** एवं **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(ख)** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग में कार्यवाही प्रचलन में है, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पद रिक्त नहीं होने से कार्यवाही संभव नहीं, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग में कार्यवाही प्रचलन में है। जी हाँ, दिनांक 18 जुलाई 2018 की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। बैकलॉग पदों पर की गई नियुक्तियों का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" पर** है। **(ग)** एवं **(घ)** जी नहीं। तथापि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा दिनांक 30.04.2016 को पारित आदेश अनुसार म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के कतिपय प्रावधानों को अवैधानिक घोषित किये जाने के विरूद्ध राज्य शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किये जाने पर दिनांक 12.05.2016 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश दिये जाने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित है।

दिनांक 22 जुलाई, 2019

संविदा नियुक्ति प्रक्रिया, श्वेत-पत्र एवं कृषि केबिनेट के प्रस्ताव

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

3. अता.प्र.सं.39 (क्र. 2482) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत श्योपुर में बच्चों के कुपोषण से हुई मौतों पर तत्कालीन सरकार ने सदन में श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था? यदि हाँ, तो क्या श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया गया? यदि नहीं, तो कब किया जायेगा? **(ख)** क्या पूर्व सरकार के कार्यकाल में कृषि संबंधी और पर्यटन संबंधी निर्णयों के लिए कृषि केबिनेट की बैठक बुलाई गयी थी? यदि हाँ, तो कब, कहाँ, क्यों और किसलिए? उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गए? जानकारी देवें। **(ग)** क्या उक्त निर्णयों पर अमल किया गया? किये गए निर्णयों पर कितना बजट प्रावधान किया गया? कितनी मदों में उसे विभाजित किया? किन उद्देश्यों के लिए, कब, कैसे, किसलिए किया? उपरोक्त सभी बिंदुओं पर प्रमाणित जानकारी के साथ जवाब प्रस्तुत करें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार श्वेत-पत्र जारी करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग में समिति गठित नहीं की गयी है। विभाग द्वारा मामले का परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अब श्वेत-पत्र जारी करने का औचित्य नहीं है। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3-19/ 2011/एक (1) दिनांक 21/06/2011 द्वारा कृषि क्षेत्रक विषयों पर समग्र रूप से योजना बनाने एवं निर्णय लेने हेतु कृषि केबिनेट का गठन किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार कृषि केबिनेट की छः बैठकें यथा दिनांक 03/06/2014, 08/06/2015, 20/10/2015, 07/06/2017, 04/09/2017 एवं 11/09/2017 को मंत्रालय में आयोजित की गई थी, पर्यटन संबंधी दो बैठकें दिनांक 16/09/2016 एवं 14/02/2017 को आयोजित की गई थी। **(ग)** कृषि बजट की मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2** एवं शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।

दिसम्बर, 2019

दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

ओलम्पिक संघ की चुनाव प्रक्रिया

[खेल और युवा कल्याण]

1. अता.प्र.सं.80 (क्र. 1294) श्री रघुराज सिंह कंषाना : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. ओलम्पिक संघ का गठन कब हुआ था? वर्तमान में इसमें कौन-कौन पदाधिकारी हैं और उनका चुनाव कब हुआ था? **(ख)** क्या म.प्र. ओलम्पिक संघ के वर्ष 2017 के चुनाव उनके संविधान के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुए थे? यदि हाँ, तो चुनाव की सूचना संबंधितों को किस प्रक्रिया से दी गई? यदि प्रक्रिया नियमानुसार नहीं थी तो क्या चुनाव वैद्य माने जाएंगे? **(ग)** म.प्र. ओलम्पिक संघ के ऐसे कौन-कौन से राज्य स्तरीय खेल संघ हैं जिन्हें राष्ट्रीय खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें गलत तरह से उनके बगैर आवेदन, बगैर निर्धारित प्रक्रिया किये म.प्र. ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता दी गई है? **(घ)** क्या म.प्र. ओलम्पिक संघ के सचिव द्वारा केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेल का यात्रा भत्ता केरल आयोजन समिति और म.प्र. के खेल विभाग दोनों से लिया गया था तथा जांच में खेल विभाग ने उन्हें दोषी माना था? यदि हाँ, तो क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** म.प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा पत्र क्र. 1504/1371/2019/ब-ग्यारह, दिनांक 11/12/2019 से अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन म.प्र. ओलम्पिक संघ के नाम से संस्था पंजीकृत नहीं है। उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन क्रमांक 45 दिनांक 23/01/1952 पर मध्यप्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन के नाम से जबलपुर में संस्था पंजीकृत है, प्रश्नांकित नाम की संस्था पंजीकृत न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** से **(घ)** प्रश्नोत्तर "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मार्च-अप्रैल, 2020

दिनांक 18 मार्च, 2020

शासकीय विभाग में आउटसोर्सिंग के पदों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

1. अता.प्र.सं.25 (क्र. 392) श्री निलय विनोद डागा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में स्थित समस्त शासकीय विभागों में कितने-कितने आउटसोर्सिंग के पद निर्मित हुए हैं? पदवार एवं श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या है? क्या इन पदों पर भर्ती कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है? भर्ती के नियम उलब्ध कराते हुए वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक की गयी भर्ती की सूची मय चयनित उम्मिदवारों के नाम, पद, शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास का पता एवं देय मासिक वेतन सहित विभागवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** यदि आउटसोर्सिंग पद पर भर्ती का ठेका किसी कम्पनी/फर्म को दिया गया है, तो विज्ञापन की प्रति, टेंडर की राशि एवं पूरी टेण्डर की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराते हुए ठेके वाली कम्पनी/फर्म का नाम, पता और कितनी राशि में ठेका आवंटित किया गया है, आदेश की प्रति सहित उपलब्ध कराते हुए वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक भुगतान की गयी राशि की जानकारी माहवार उपलब्ध करावें। साथ ही उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कितना भुगतान किया जा रहा है, की जानकारी भी माहवार उपलब्ध करावें। **(घ)** यदि विभागों में आउटसोर्सिंग पद पर भर्ती/टेण्डर प्रक्रिया में गड़बड़ी है तो उन अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है।

सामान्य प्रशासन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** से **(घ)** बैतूल जिले में स्थित शासकीय विभागों की विभागवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिसम्बर, 2020

दिनांक 29 दिसम्बर, 2020

मंत्री परिषद् की बैठकों में जिला बनाने के प्रस्ताव

[राजस्व]

1. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 735) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बागली को जिला बनाने की घोषणा की गयी है? यदि हाँ तो जिला बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? बागली नगर की जनसंख्या कितनी है? **(ख)** वर्ष 2004 से 30 नवंबर 2020 तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद् की विभिन्न बैठकों में कौन-कौन से स्थानों को जिला बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है? प्रस्ताव क्रं., प्रस्ताव का विवरण, पृथक-पृथक दिनांकवार, वर्षवार विवरण दें। **(ग)** मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिनांक 26/11/2020 को नागदा आगमन पर क्या-क्या ज्ञापन व मांग-पत्र सौंपे गये हैं?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बागली नगर की जनसंख्या 10311 है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** मुख्यमंत्री जी के दिनांक 26.11.2020 को नागदा आगमन पर प्राप्त मांग पत्र व ज्ञापन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–"ब" अनुसार** है।

प्रदेश में उपचुनाव में की गई घोषणाओं की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

2. परि.अता.प्र.सं. 119 (क्र. 915) श्री जितू पटवारी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में जिनमें हाल ही में उपचुनाव हुये हैं, अप्रैल 2020 से उपचुनाव होने के पूर्व तक, किस-किस दिनांक को क्या-क्या शासकीय आयोजन किये गये, जिसमें मा. मुख्यमंत्री अथवा कोई माननीय केन्द्रीय मंत्री उपस्थिति हों? कार्यक्रम का नाम, दिनांक, कार्यक्रम का समय सहित सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता एवं उपस्थिति के लिये कितनी-कितनी बस लगाई गई? यदि उपस्थित जनता के लिए भोजन, नाश्ता आदि की व्यवस्था की गई तो, व्यक्तियों की संख्या तथा खर्च बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यक्रम पर बस (वाहन) खर्च, डेकोरेशन खर्च, विविध खर्च सहित, प्रत्येक कार्यक्रम अनुसार बतावें। सारे कार्यक्रमों पर कुल खर्च कितना हुआ? **(घ)** मा. मुख्यमंत्री द्वारा 28 उपचुनाव वाली विधानसभा में किस-किस विधानसभा हेतु क्या-क्या घोषणाएं प्रश्नाधीन अवधि में की गई? सूची देवें तथा बतावें कि सब मिलाकर कुल कितनी घोषणाएं की गईं और कब तक पूर्ण कर ली जाएंगी?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** से **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। विभाग द्वारा अपने निहित नियमों/प्रक्रियाओं के तहत कार्यवाही की जाती है, इनकी पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है।

दिनांक 30 दिसम्बर, 2020

अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण

[आदिमजाति कल्याण]

3. परि.अता.प्र.सं. 56 (क्र. 571) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 जनवरी 2007 तथा 01 जनवरी 2020 को विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षक की संख्या बतावें तथा जनवरी 2020 में अतिथि शिक्षकों को दिया गया कुल मानदेय कितना है? प्रति अतिथि शिक्षक औसत मानदेय जनवरी 2020 में कितना है? **(ख)** क्या उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा में अतिथि विद्वान तथा मेहमान प्रवक्ता को निरन्तर किया जाता है, फिर अतिथि शिक्षक को निरंतर क्यों नहीं किया जाता? मार्च-अप्रैल के बाद इन्हें सेवामुक्त क्यों किया जाता है? **(ग)** क्या लॉकडाउन में हमेशा की तरह अतिथि शिक्षक को जुलाई में कार्य पर न रखकर अभी तक कार्य पर नहीं रखा? यदि हाँ तो इसका कारण बतावें तथा बतावें कि भारत शासन के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया कि अस्थायी को कार्य से न हटाया जाये? **(घ)** सरकार अतिथि शिक्षक को नियमित/निरंतर करना चाहती है या नहीं? कारण सहित शासन की मंशा से अवगत करावें।

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में क्रमश: 3144 एवं 29329 अतिथि शिक्षक कार्यरत थे। जनवरी 2020 में अतिथि शिक्षिकों को दिया कुल मानदेय रूपये 18, 88, 13, 286/- है। मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग-तीन 5000/- रूपये और अतिथि शिक्षक वर्ग-दो 7000/- एवं अतिथि शिक्षक वर्ग-एक 9000/- है। **(ख)** तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई. में मेहमान प्रवक्ता के रूप में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिये 11 माह हेतु नियुक्ति दिये जाने के प्रावधान है। नियमित नियुक्ति होने पर मेहमान प्रवक्ताओं की नियुक्ति स्वयं समाप्त हो जाती है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत उनके परिपत्र क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 दिनांक 17-12-2019 को प्रसारित किये गये निर्देश क्रमांक 2.1 एवं 2.4 अनुसार अतिथि विद्वानों का आमंत्रण संपूर्ण वर्ष अर्थात 12 माह के लिये प्राचार्य द्वारा जनभागीदारी समिति के सचिव की हैसियत से किये जाने का प्रावधान है। इस विभाग में भी सत्र के अनुसार एवं विभाग की आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है। विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-4/16/1-25 दिनांक 03.03.2016 उच्च शिक्षा विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ1-42/2017/38-1 दिनांक 17-12-2019 **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। अध्यापन कार्य न होने के कारण। **(घ)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फरवरी-मार्च, 2021

दिनांक 23 फरवरी, 2021

उप संचालक, किसान कल्याण के विरूद्ध कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. अता.प्र.सं.18 (क्र. 151) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के उप संचालक पद पर वर्तमान में पदस्थ अधिकारी का नाम बतावें। उक्त अधिकारी सतना जिले में कब-कब कहाँ-कहाँ किस-किस पद पर पदस्थ रहे हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अधिकारी के सतना जिले में विभिन्न स्थानों पर पदस्थ अवधि में किन-किन स्तरों पर शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण जानकारी शिकायतवार देवें। **(ग)** क्या सतना जिले सहित रैगांव विधानसभा क्षेत्र में समय पर सेवा सहकारी समितियों में उक्त अधिकारी द्वारा खाद्य बीज पर्याप्त मात्रा में समय पर नहीं भेजे जाने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा एवं किसान लाइनें लगाकर सतना मुख्यालय से खाद लेने को मजबूर हो गये, हाँ या नहीं? यदि नहीं, तो बतावें कि किन-किन समितियों में कितनी-कितनी मात्रा खाद्य भेजी गई एवं जिला मुख्यालय से कितनी खाद का वितरण किन-किन क्षेत्रों के किसानों को किया गया? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के प्रकाश में उप संचालक पद पर पदस्थ उक्त अधिकारी की गंभीर शिकायतों के बावजूद नियम विरूद्ध कार्य करने, खाद की कालाबाजारी को बढ़ावा देने आदि पर संबंधित अधिकारी को कब तक निलंबित कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सतना जिले में किसान कल्याण एवं कृषि विकास के उप संचालक पद पर वर्तमान में पदस्थ अधिकारी का नाम श्री बहोरीलाल कुरील है। उक्त अधिकारी सतना जिले में दिनांक 31.8.2006 से 24.9.2007 तक सहायक संचालक कृषि शासकीय कृषि प्रक्षेत्र गहवरा दिनांक 25.9.2007 से 29.5.2012 तक सहायक भूमि सरंक्षण अधिकारी उप संभाग मैहर एवं दिनांक 10.7.2019 से वर्तमान तक किसान कल्याण एवं कृषि विकास, जिला सतना के पद पर पदस्थ हैं। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अधिकारी के सतना जिले में विभिन्न स्थानों पर पदस्थ अवधि में अभिलेख अनुसार कोई शिकायत लंबित नहीं है। **(ग)** सतना जिले में समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं भेजे जाने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा एवं किसान लाइन लगाकर सतना मुख्यालय से खाद लेने को मजबूर नहीं हुए है। जिले के 147 समितियों में 26941.070 मी. टन खाद्य भेजी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** एवं जिला मुख्यालय से कुल 79386.7081 मी. टन उर्वरकों वितरण जिले के समस्त विकासखण्ड के किसानों को किया गया है। **(घ)** उप संचालक पद पर पदस्थ अवधी में गंभीर शिकायतों, खाद को कालाबाजारी को बढ़ावा देने आदि संबंधित कोई भी गंभीर शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। शेष कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

कृषि यंत्रों के क्रय व वितरण में अनियमितता की जांच

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं.25 (क्र. 202) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में 100 करोड़ की कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत कृषि यंत्र के क्रय/वितरण के मामले में अनियमितता सामने आई है? **(ख)** क्या किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि यंत्र की जगह सस्ते और घटिया चीन

के बने उपकरण किसानों को बांट कर घोटाला किया गया है? यदि हाँ, तो इस मामले में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में उक्त मामले में कौन-कौन व्यक्ति दोषी है? उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? **(घ)** क्या शासन द्वारा उक्त मामले की जांच हेतु कोई समिति गठित की गयी थी? यदि हाँ, तो समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत कृषि यंत्र के क्रय/वितरण की 100 करोड़ की कृषि यंत्रीकरण योजना से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया। अत: जानकारी संचालनालय से संबंधित न होने के कारण जानकारी निरंक है। **(ख)** से **(घ)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक।

दिनांक 24 फरवरी, 2021

कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

3. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 746) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं में कलेक्टर दर पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सरकार द्वारा इनके कल्याण की क्या योजनाएं हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 5 या अधिक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को क्या सरकार द्वारा की जा रही भर्तियों में वरीयता प्रदान करने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्यों? तो क्या ऐसे लोगों को सरकार शासकीय कार्य हेतु संलग्न कर इनका शोषण किया जाकर इनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रही है? **(ग)** सीधी जिले में विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं में कितने कलेक्टर दर पर कर्मचारी कार्यरत हैं? कर्मचारियों की सूची सहित जानकारी देवें। क्या इन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** पूर्व में वर्ष 2007 तक के दैनिक वेतन भोगी/कलेक्टर दर कर्मचारियों का विनियमितीकरण का लाभ दिये जाने हेतु लेख किया गया था? उक्त अवधि बढ़ाई जाकर शेष बचे कर्मचारियों का विनियमितीकरण करने के संबंध में आदेश कब तक प्रसारित किये जावेंगे?

मुख्यमंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** शेषांश दिनांक 16मई, 2007 को जारी परिपत्र अनुसार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किये जाने एवं दिनांक 07.10.2016 द्वारा नियमितीकरण से वंचित कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये विनियमितीकरण की योजना लागू की गई है। **(ख)** जी नहीं। उत्तरांश "क" में उल्लेखित योजनाओं के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(घ)** विनियमितीकरण योजना के मापदण्डों की पूर्ति होने पर वर्ष 2007 के पश्चात कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को भी लाभ का पात्र होगा। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** शेषांश - राज्य शासन के विभिन्न 44 विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2870 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

दिनांक 26 फरवरी, 2021

अशासकीय शिक्षण संस्था के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय

[उच्च शिक्षा]

4. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 983) श्री विनय सक्सेना : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निजी महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत

परिनियम क्रमांक 28 (कॉलेज कोड) के तहत की जाती है तथा उक्त परिनियम की धारा 22 (1) में उल्लेख है कि विभिन्न वर्ग के शिक्षकों, प्राचार्य सहित का वेतन वही होगा, जो कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालय के उस वर्ग के शिक्षकों हेतु निर्धारित किया जायेगा? **(ख)** क्या म.प्र. के किसी भी निजी महाविद्यालय में, संशोधित अधिनियम 2000 का 26, जिसे म.प्र. अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय) अधिनियम 2000 कहा गया है, जो कि 22/08/2000 से लागू है के पश्चात, शिक्षकों को शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समकक्ष वेतन नहीं दिया जा रहा है? **(ग)** प्रश्नकर्ता की जानकारी में किसी भी अशासकीय महाविद्यालय में औसतन 10000/- रूपये प्रतिमाह से अधिक वेतन नहीं दिया जाता एवं इन महाविद्यालयों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए दिया भी नहीं जा सकता, तो क्या यह परिनियम 28 की धारा 22 (1) का उल्लंघन नहीं है? यदि है तो शासन क्या कार्यवाही करेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** जी हाँ। म.प्र. अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन संदाय) अधिनियम, 2000 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिपालन में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 73-5/2014/38-3, दिनांक 19-20 मार्च, 2015 की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। प्रदेश के अनेक अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापकों को रू. 10, 000/- प्रतिमाह से अधिक वेतन दिया जा रहा है, जिसकी संभागवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।

गृह मंत्रालय में पिस्टल/रिवाल्वर लायसेंस के स्वीकृत प्रकरण

[गृह]

5. अता.प्र.सं.95 (क्र. 1267) श्री राकेश मावई : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने पिस्टल/रिवाल्वर लायसेंस आवेदन कलेक्टर मुरैना एवं अशोकनगर, कमिश्नर एवं जनप्रतिनिधियों वाले आवेदन निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुये प्रमुख सचिव गृह मंत्रालय भोपाल कार्यालय को प्राप्त हुए हैं? उनके नाम सहित सूची उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कितने पिस्टल/रिवाल्वर लायसेंस प्रकरण किस आधार पर मान्य किये गये, कितने लंबित हैं तथा कितने आवेदन किस कारण से अमान्य किये गये हैं? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। **(ग)** क्या कलेक्टर एवं कमिश्नर द्वारा प्रेषित लायसेंस आवेदन प्रकरण पूर्ण प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करते हुये ही गृह विभाग मंत्रालय भोपाल भेजे जाते हैं? तब मंत्रालय द्वारा क्यों अमान्य किये जाते हैं? बिना कारण के आवेदनों को लम्बे समय तक लंबित रखने से क्या यह नहीं माना जायेगा कि दुर्भावना अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये उक्त आवेदनों को स्वीकृत नहीं किया गया है? **(घ)** यदि प्रश्नांश (ग) हाँ तो कलेक्टर/कमिश्नर से अनुशंसित आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो कारण बतायें।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** 01 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना एवं अशोकनगर से 469 शस्त्र लायसेंस आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, सूची संलग्न है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** शस्त्र लायसेंस प्रकरण नियमानुसार मान्य/अमान्य किये जाते हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में समाहित** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। प्राप्त प्रस्तावों पर मंत्रालय स्तर पर परीक्षण उपरांत प्रशासकीय अनुमोदन/नियमानुसार मान्य/अमान्य किये जाने के निर्णय लिये जाते हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में घटित अपराधों की जानकारी

[गृह]

6. परि.अता.प्र.सं. 95 (क्र. 1309) श्री जितू पटवारी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक महिलाओं पर हुए अत्याचार (अपराध) की विभिन्न आई.पी.सी. की धाराओं के अनुसार सूची देवें तथा बतावें कि इसी अवधि में 2019 से अपराधों की संख्या में कितनी वृद्धि तथा कमी हुई? **(ख)** अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कितने व्यक्तियों ने बेरोजगारी, व्यापार में कमी होने से, कर्ज से घबराकर आदि कारणों से आत्महत्या की? **(ग)** अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक प्रदेश में हत्याओं के कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा उसमें कुल कितने लोगों की हत्याएं हुईं तथा इसी अवधि में चोरी, लूट के कुल कितने प्रकरण हुए? **(घ)** अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक मिलावट के कुल कितने प्रकरण दर्ज किए गए तथा इसी अवधि में वर्ष 2019 से कितने ज्यादा अथवा कम है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।**

न्यायालय भवन एवं न्यायाधीशों के आवासीय भवन का निर्माण

[विधि और विधायी कार्य]

7. अता.प्र.सं.106 (क्र. 1329) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भिण्ड जिले के माननीय अतिरिक्त जिला न्यायालय तथा अन्य माननीय न्यायाधीशों के न्यायालय भवन एवं आवास हेतु लहार नगर में कितनी भूमि आरक्षित की गई है? रकबा/सर्वे क्रमांक का विवरण दें। **(ख)** वर्तमान में तहसील लहार की भूमि में कितने न्यायालय के कौन-कौन से कार्यालय एवं आवासीय भवन/क्वार्टर स्थापित हैं? **(ग)** भिण्ड जिले की लहार तहसील के कस्बा आलमपुर तहसील प्रांगण की भूमि का रकबा तथा सर्वे क्रमांक बतायें। उक्त सर्वे क्रमांक में किस-किस को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है? **(घ)** माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के भवन व न्यायिक आवास निर्माण की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी?

गृह मंत्री : [**(क)** न्यायालय कलेक्टर भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 0036/2019-20 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2019 के द्वारा न्यायिक अधिकारीगण के आवास गृह निर्माण हेतु भूमि सर्वे क्रमांक 5658/2 मिन-1, रकवा 1.515 हेक्टेयर में से 0.497 हेक्टेयर भूमि तथा प्रकरण क्रमांक-0005/2020-21 में पारित आदेश दिनांक 03.09.2020 के द्वारा सर्वे नं 5658/मिन-1 रकवा 0.830 हेक्टेयर भूमि आवास गृह के निर्माण हेतु आवंटित की गई है। इस प्रकार कुल 1.327 है। भूमि आवंटित की गई है, जिसका आधिपत्य प्राप्त किया जा चुका है। न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश दिनांक 05.10.1996 के द्वारा तहसील लहार में आराजी क्रमांक 5710/1, मिन रकवा 2.00 है, भूमि आठ न्यायालय के कक्षों के निर्माण हेतु आवंटित की गई है, जिसका आधिपत्य प्राप्त किया जा चुका है। **(ख)** वर्तमान में तहसील लहार में सिविल न्यायालय भवन राजस्व भवन में संचालित है, जिसमें दो अपर सत्र न्यायालय दो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक एवं एक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के न्यायालय संचालित है। तहसील लहार में दो आवास अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा एक आवास व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक व एक आवास व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो को लोक निर्माण विभाग द्वारा आवंटित किया गया है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** (घ) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।] **(ग)** मौजा आलमपुर में नवीन उप तहसील प्रांगण सर्वे नम्बर 1.37 रकवा 2.476 हेक्टेयर चरनोई

नजूल पर निर्माणाधीन है। न्यायालय कलेक्टर भिण्ड के प्र.क्र. 14/2018-19/अ-59/आदेश, दिनांक 01.03.2019 से वर्णित सर्वे नंबरान का सम्पूर्ण रकवा उप तहसील आलमपुर हेतु आरक्षित किया गया है।

दिनांक 1 मार्च, 2021

प्राप्त आवंटन एवं व्यय राशि की जानकारी

[जनजातीय कार्य]

8. परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 1240) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश बजट पुस्तिका के भाग – नौ, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये किये गये प्रावधानों में विभाग को राशि आवंटित की गई? **(ख)** यदि हाँ तो वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि कब आवंटित की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राज्य सरकार के बजट भाग नौ में प्रावधानित राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक विभाग को कितना-कितना प्राप्त हुआ? कितनी-कितनी राशि जिलों को योजनावार आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि समर्पण की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है।

अतिथि शिक्षकों की नियम विरूद्ध नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

9. परि.अता.प्र.सं. 27 (क्र. 1264) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरौना, अन्दुवा कन्या चाकघाट मार्तण्ड क्रमांक-2 एवं 3, तथा गहिलवार एवं शासकीय हाईस्कूल खैरा चोरहटा संकुल मार्तण्ड 3 एवं अतरेला संकुल बरहुला की कुल कितनी शिकायतें वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक की गई हैं? प्राप्त शिकायतों पर कब, क्या जांच व कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अवधि एवं प्रश्नांश (क) की शालाओं को शासन, विभाग/जन प्रतिनिधियों/संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से प्राप्त शुल्क के माध्यम से एवं छात्र हितग्राही मूलक योजनाओं के लिये कितनी राशि प्राप्त हुई है? वर्षवार विवरण देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अवधि एवं विद्यालयों में किस-किस विषय के लिये अतिथि शिक्षक रखे गये हैं? उन कक्षाओं में छात्र संख्या क्या थी तथा क्या रखे गये अतिथि शिक्षकों को रखने के लिये एस.एम.सी. में प्रस्ताव पारित किया गया है? यदि हाँ तो कार्यवाही पंजी, सदस्यता पंजी, एजेण्डा रजिस्टर की प्रति देवें। यदि बिना प्रस्ताव व बिना कोरम पूर्ण के अतिथि शिक्षक रखे गये हैं, तो क्या नियम विरूद्ध हैं? यदि हाँ तो देय मानदेय की वसूली संस्था प्रमुखों से की जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क) में अंकित पुरौना विद्यालय के प्राचार्य पद का प्रभार वरिष्ठ व्याख्याता गिरजा प्रसाद शास्त्री को दिया गया है? यदि हाँ तो क्यों? क्या वर्तमान प्रभारी शासन विभाग के आदेश का पालन न करने का आदि है? यदि हाँ तो उसे कब हटा देंगे?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। अतिथि शिक्षक रखने की कार्यवाही की जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत गुण-दोष के

आधार पर कार्यवाही की जाएगी। **(घ)** जी हाँ। शास.उ.मा.वि. पुरौना में सबसे वरिष्ठ श्री राय सुमन त्रिपाठी द्वारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने एवं ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण आदेश क्रमांक स्था.-1/ राज/2019 926 दिनांक 29.10.2019 से श्री गिरिजा प्रसाद तिवारी को प्रभारी प्राचार्य बनाने का आदेश जारी किए गए थे। आदेश का पालन 23.02.2021 को हो चुका है। **जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार।**

आदिम जाति कल्याण की मूल अवधारणा

[जनजातीय कार्य]

10. अता.प्र.सं.87 (क्र. 1839) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सभी विभाग आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसकी सूचना देकर यह राय लेते हैं कि इसे किस-किस विशेष कार्य के लिये खर्च किया जाये ताकि आदिवासी समुदाय उन्नत हो सके? यदि नहीं, तो क्या विभाग अपने स्तर पर अन्य विभागों द्वारा आदिवासी उपयोजना की खर्च की गई राशी की समीक्षा करता है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या विभाग के पास यह जानकारी है कि पिछले पांच वर्षों के बजट में आदिवासी उपयोजना के लिये सभी विभागों की मिलाकर कुल कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था? यदि नहीं, तो विभाग क्या मात्र अपने बजट से आदिम जाति कल्याण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? **(ग)** आदिम जाति कल्याण की मुख्य अवधारणा क्या है? आदिम जाति की आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उनके जिवनांक तथा शिक्षा के स्तर को कैसे उन्नत किया जा सकता है? क्या विभाग के पास जानकारी है कि आदिम जाति में नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, गर्भवती महिला मृत्युदर क्या है? पुरूष महिला औसत आयु क्या है? जन्मदर एवं मृत्यु दर क्या है? यदि हाँ तो जानकारी दें। यदि नहीं, तो बतावें कि यह जानकारी क्यों नहीं है? **(घ)** आदिम जाति का कृषि, पशुपालन, खेती हर मजदूर, कर्मकार आदि व्यवसाय में क्या हिस्सा है? औसत कृषि स्त्रोत क्या है? आदिवासी को आर्थिक रूप से उन ही पारम्परिक कार्यों में स्वावलम्बी बनाने में विभाग कैसी गतिविधियां संचालित कर रहा है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** जी नहीं। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** आदिम जाति कल्याण की मुख्य अवधारणा आदिवासी वर्ग का समग्र विकास किया जाकर, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना एवं समाज के अन्य तबके एवं आदिवासी वर्ग के बीच सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित अन्य सभी कल्याणकारी क्षेत्रों में परिलक्षित गैप फिलिंग करना है। आदिम जाति की आय बढ़ाने, उनका जीवन स्तर एवं शिक्षा स्तर को उन्नत करने हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग सहित अन्य विकास विभागों द्वारा आदिवासी उपयोजना मद की राशि का उपयोग करते हुए कल्याणकारी योजनाएं निरन्तर चलाई जा रही हैं। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। आदिवासियों को उनके पारम्परिक कार्यों में आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना के तहत भारत शासन, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275 (1), विशेष पिछड़ी जनजाति समूह एवं संरक्षण सह विकास कार्यक्रम अंतर्गत दी गई सहायता राशि से विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

पांचवीं अनुसूची कानून एवं पेसा एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन

[जनजातीय कार्य]

11. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 1911) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के 89 ट्राईबल ब्लाकों में संविधान के अनुच्छेद 224 (1) पांचवीं अनुसूची कानून एवं पेसा एक्ट 1996 का अनुपालन नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो विधिसम्मत कारण बताएं। यदि नहीं, तो पांचवी

अनुसूची एवं पेसा एक्ट के किन-किन प्रावधानों का कितना भाग किस क्षेत्र में कब से पालन किया जा रहा है? तत्संबंधी ब्यौरा दें। **(ख)** पेसा अधिनियम 1996 के 4 (ण) के तहत अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान है? इसका अनुपालन नहीं होने का विधिसम्मत कारण बताएं। **(ग)** संविधान के अनुच्छेद 243 (ड.) एवं 243 (यघ) में अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान है? इसका अनुपालन नहीं होने का विधिसम्मत कारण बताएं। **(घ)** विधानसभा प्रश्न क्र. 96 (ख) से (घ) उत्तर दिनांक 22/09/2020 की जानकारी प्रश्न दिनांक तक भी प्रस्तुत नहीं किए जाने का क्या कारण है? कब तक जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं, पेसा एक्ट, 1996 के अनुसार विभिन्न विभागों के यथा संशोधित अधिनियम, नियमों के अनुसार पालन किया जा रहा है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-27/2021/1/4, दिनांक 06 मार्च 2021 एवं आंशिक संशोधन दिनांक 18 जून 2021 से तत्संबंध में समिति का गठन किया गया है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जानकारी वृहद एवं विस्तृत स्वरूप की होने से होने उत्तर तैयार करने में अधिक समय लगने से। पूर्ण उत्तर के साथ जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

पी.व्ही.टी.जी. योजनांतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति

[जनजातीय कार्य]

12. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 2107) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भारत सरकार की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह योजना (पी.व्ही.टी.जी.) के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत सामुदायिक भवन (देवस्थान) निर्माण हेतु प्रदेश के 3 संभाग स्तर, 10 जिला स्तर एवं 37 विकासखण्ड स्तर पर चयन किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन संभाग/जिला/विकासखण्ड स्तर का चयन किया गया है? निर्माण कार्य की लागत/प्रशासकीय स्वीकृति राशि सहित संपूर्ण ब्यौरा पृथक-पृथक बतायें। **(ख)** उपरोक्त के तारतम्य में क्या आदिम जाति कल्याण विभाग ने कलेक्टर जिला गुना को निर्देश/आदेश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो कब-कब और क्या-क्या? पृथक-पृथक बतायें। आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देश/आदेश के अक्षरश: अनुपालन में कलेक्टर, जिला गुना द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? पृथक-पृथक बतायें। **(ग)** उपरोक्त के संबंध में भारत सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं होने की स्थिति में कलेक्टर, जिला गुना कार्यालय में कौन-कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** गुना जिले में किस-किस स्थान पर पी.व्ही.टी.जी. योजना के अंतर्गत कार्य संपादित किये जाने वाले चयनित स्थान पर (देवस्थल) निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है? कार्यपूर्ण होने की निश्चित समयावधि बतायें। **(ड.)** उपरोक्त के संबंध में क्या कार्ययोजना, टेण्डर, लागत, भुगतान के अधिकार, जिले में योजना के हिसाब से प्राप्त राशि, ठेकेदार एवं अन्य कार्य से संबंधित संपूर्ण ब्यौरा किस-किस फेज में क्या-क्या होना है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** "जी हाँ"। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** "जी नहीं"। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** निर्माण कार्य की निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य पूर्ण होने की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। **(ड.)** निर्माण कार्यों की राशि कार्य की निर्माण एजेंसी को विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 23-2/2020/25-3, दिनांक 01-02-2020 द्वारा गुना जिले में (**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**) स्वीकृत 03 सामुदायिक भवन निर्माण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में जिले को लिखा गया है। इस संबंध में जिले द्वारा भूमि का चयन करने हेतु (**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**

'ब' अनुसार) संबधित तहसीलदार को पत्र दिनांक 12-05-2020 को जिले द्वारा जारी किये गये हैं। सामुदायिक भवन विकासखण्ड बम्होरी के ग्राम अकोदा हेतु कलेक्टर जिला गुना द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2020 को भूमि का आंवटन किया गया है। विकासखण्ड गुना के ग्राम सिंघाडी में सामुदायिक भवन हेतु भूमि का आंवटन कलेक्टर जिला गुना द्वारा 29 सितम्बर 2020 को किया गया है तथा सचिव जिला निर्वर्तन समिति जिला गुना के पत्र क्रमांक/117/नजूल/रा.नि./2021-22 गुना, दि. 23-07-2021 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम महादेवपुरा (लक्ष्मणपुरा) तहसील मधुसूदनगढ़ विकासखण्ड राघौगढ़ के लिये आवंटित की गई है। भूमि आवंटन **आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है।

दिनांक 2 मार्च, 2021

पायका योजना अंतर्गत बैंक खातों की जानकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

13. अता.प्र.सं.109 (क्र. 2264) श्री आरिफ अक़ील : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पायका योजना जो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में बंद कर दी गयी थी, उसके जिलों के खाते अभी तक बंद नहीं हुए हैं? **(ख)** क्या इस पर प्रधान महालेखाकर ग्वालियर द्वारा भी बैंक खाते बंद न किए जाने पर आपत्ति उठाई है? यदि हाँ, तो कब? क्या यह राशि उपयोग में न होने के कारण भारत सरकार को वापिस नहीं की जायेगी? **(ग)** क्या कई जिलों में इस राशि का उपयोग भी कर लिया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस जिले ने कितनी राशि किस-किस मद में किस आदेश से व्यय की? **(घ)** अभी तक पायका योजना की शेष बची राशि से विगत सात वर्ष में क्या क्रय किया गया? कितना व्यय किया? इसके लिए क्या सक्षम स्वीकृति ली गई? यदि हाँ, तो कौन सी समिति से? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** जी नहीं। भारत सरकार द्वारा पायका योजना को पत्र क्र. 36-3/MYAS/RGK/2014 दिनांक 16 जुलाई 2014 द्वारा संशोधित कर राजीव गांधी खेल अभियान योजना प्रारंभ की गई तथा वर्ष 2016 में राजीव गांधी खेल अभियान योजना के स्थान पर खेलो इण्डिया योजना प्रारंभ की गई है जो वर्तमान में संचालित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ। प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को पत्र प्रेषित किया है। प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा ली गई आपत्ति के पालन में ही समस्त जिलों से संचालित बैंक खाते व राशि की जानकारी प्राप्त कर राशि संचालनालय में वापस मांगी गई है। समस्त जिलों से जानकारी प्राप्त कर शासन व भारत सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त कर आगामी कार्यवाही की जायेगी। **(ग)** जी हाँ। जिलों द्वारा व्यय की गई राशि व किस आदेश से व्यय की गई है, इसका परीक्षण किया जा रहा हैं। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** जानकारी प्राप्त होने पर शासन नियम/निर्देशों के तहत् परीक्षण कर आगामी कार्यवाही की जावेगी।] **(घ)** प्रश्नोत्तर "ग" अनुसार होशंगाबाद एवं रतलाम जिले द्वारा सामग्री/उपकरण क्रय, व्यय राशि एवं स्वीकृति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। इस संदर्भ में क्रय के औचित्य के संबंध में जांच की जा रही है, जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 3 मार्च, 2021

मध्यप्रदेश शासन के विभागों एवं कार्यालयों में हिन्दी भाषा का उपयोग

[संस्कृति]

14. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 1724) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायेसवाल : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में शासकीय कार्यों हेतु किन-किन भाषा का उपयोग किए जाने के वर्तमान में क्या शासनादेश/निर्देश लागू हैं और विधि, राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा किस-किस भाषा और किन-किन

भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? **(ख)** क्या कटनी जिला सहित मध्यप्रदेश में राजस्व, पुलिस और अन्य शासकीय विभागों द्वारा हिन्दी भाषा से हटकर अन्य भाषाओं के मिश्रित शब्दों का उपयोग प्रतिवेदनों/सूचना पत्रों आदि में लंबे समय से किया जा रहा हैं और वर्तमान में भी प्रचलन में हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) विभागों के शासकीय सेवकों द्वारा अपने प्रतिवेदनों आदि में हिन्दी भाषा से हटकर अन्य भाषा के शब्दों के बहुतायत में उपयोग करने और आम नागरिकों को इनका अर्थ समझ में आने वाली परेशानियों का शासन स्तर पर संज्ञान लिया जाएगा? **(घ)** प्रदेश के शासकीय विभागों/कार्यालयों में हिन्दी भाषा का उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए शासन द्वारा विगत समय में क्या कार्यवाही की गयी और क्या निर्देश दिये गए? **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों को शब्दों का भावार्थ सरलता से ज्ञात हो सके, इसके लिए क्या हिन्दी भाषा और हिन्दी भाषा के शुद्ध और सरल शब्दों का उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु शासन स्तर से समुचित निर्देश जारी किए जायेंगे? हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। शासकीय कार्यों हेतु विधि, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। **(ख)** कटनी जिले में शासकीय कार्यों में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। इससे हटकर जो शब्द अन्य भाषाओं में बोल-चाल की भाषा में घुल-मिल रहे हैं उनका उपयोग किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार उपयोग किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** चूंकि म.प्र. हिन्दी भाषी प्रदेश है। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शासकीय कार्यों में हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा नियुक्ति के संबंध में ।

[सामान्य प्रशासन]

15. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 2611) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभिन्न कारणों से शासन/विभाग द्वारा अपने–अपने आवश्यक विभागीय कार्य किये जाने हेतु संविदा नियुक्तियां प्रदान कर शासकीय कार्यों का निपटान प्रारम्भ किया है? **(ख)** यदि हाँ, तो शासन/विभाग द्वारा विगत किस व किन वर्षों से विभागीय कार्य किये जाने हेतु संविदा नियुक्तियां दी जाना प्रारम्भ की? **(ग)** संविदा द्वारा भर्ती कर्मियों का वेतन निर्धारण, पदोन्नति, नियमितीकरण, भविष्य निधि, दुर्घटना/बीमारी की दशा में सहायता, पेंशन इत्यादि के निर्धारण के संबंध में क्या विचार किया जा रहा है? किन नीति, नियमों के अंतर्गत कब तक किया जा सकेगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** संविदा पर नियुक्त कर्मियों को उनके सेवा शर्तें एवं शासन की संविदा नीति-निर्देश दिनांक 05 जून, 2018 अनुसार सुविधाएं देय हैं।] **(ख)** विभिन्न विभागों द्वारा कार्य अनुसार समय-समय पर अपने सेवा शर्तों के तहत वित्त विभाग की सहमति से भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई है। संविदा नियुक्ति व्यापम के माध्यम से वर्ष 2014, 2017 एवं 2018 में की गयी है।

दिनांक 4 मार्च, 2021

शासकीय एवं नजूल की दर्ज भूमि की जानकारी

[राजस्व]

16. अता.प्र.सं.17 (क्र. 1377) श्री प्रदीप पटेल : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले की तहसीलों में वर्ष 1958-59 की खसरा खतौनी में किन-किन ग्रामों में किस-किस क्रमांकों की आराजियों एवं कितने रकवे पर शासकीय/नजूल की भूमि दर्ज थी? तहसीलवार/ग्रामवार/आराजी क्रमांकवार/रकवेवार भूमियों के प्रकारवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्न तिथि तक रीवा जिले के किन-किन तहसीलों में किन-किन ग्रामों में किस-किस क्रमांकों की आराजियों एवं कितने रकबे पर शासकीय/नजूल की भूमि दर्ज है? **(ग)** प्रश्नांश (क) में जिले में कुल कितने हेक्टेयर

शासकीय/नजूल की भूमि दर्ज थी? प्रश्नांश (ख) के अनुसार जिले में कितने हेक्टेयर शासकीय/नजूल की भूमि दर्ज है या शेष बची है? **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित शासकीय/नजूल की कितने हेक्टेयर भूमि निजी स्वामित्व में बदली गई? तहसीलवार/ग्रामवार/आराजी/ क्रमांकवार/रकवेवार/किस के नाम हस्तान्तरित हुई की पतेवार/वर्षवार जानकारी दें। उक्त भूमियों का निजी स्वामित्व में हुआ हस्तांतरण किस नाम/पदनाम के द्वारा उनके द्वारा जारी किन-किन आदेशों के तहत हुआ? जारी सभी आदेशों का विवरण देवें।

राजस्व मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जिले अन्तर्गत वर्ष 1957-58 की उपलब्ध खतौनी अनुसार शासकीय/नजूल भूमि की जानकारी तहसीलवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	वर्ष 1958-59 में शासकीय भूमि की जानकारी खसरा की संख्या	क्षेत्रफल
1	हुजूर	154	10345	12504.043
2	हुजूर नगर	83	5054	2633.447
3	रायपुर कर्चु.	3	415	399.297
4	गुढ़	120	5795	11819.819
5	मनगवां	143	2831	953.316
6	सिरमौर	131	6234	10528.870
7	सेमरिया	46	1173	3859.256
8	जवा	98	3162	8097.420
9	त्यौंथर	309	13005	17105.857
10	मऊगंज	42	661	2140.533
11	नईगढ़ी	71	678	396.867
12	हनुमना	52	2055	4789.123
योग		**1252**	**51408**	**75227.848**

ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)**

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	वर्ष 2020-21 में शासकीय भूमि की जानकारी खसरा की संख्या	क्षेत्रफल
1	हुजूर	154	10411	11129.876
2	हुजूर नगर	83	7218	2860.266
3	रायपुर कर्चु.	116	4467	1048.602
4	गुढ़	135	7120	11796.312
5	मनगवां	301	9623	2382.265
6	सिरमौर	192	9560	11546.253
7	सेमरिया	192	8093	22146.859
8	जवा	265	11875	32540.656
9	त्यौंथर	309	12477	17108.899
10	मऊगंज	344	8971	9440.519
11	नईगढ़ी	383	7481	2580.989
12	हनुमना	343	15382	22194.220
योग		**2817**	**112678**	**146775.716**

(ग) उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार जिले में वर्ष 1958-59 की उपलब्ध खतौनी अनुसार 51408 किता रकवा 75227.848 हे. शासकीय/नजूल भूमि थी तथा वर्तमान अभिलेख अनुसार 112678 किता कुल रकवा 146775.716 हे. शासकीय/नजूल भूमि दर्ज है। **(घ)** जिले अन्तर्गत तहसील हुजूर में 386.970 हे., तह. हुजूर नगर में 16.684 हे., तह. गुढ़ में 276.251 हे., तह. सेमरिया में 423.433 हे., तह. त्योथर में 289.744 हे. तह. मऊगंज में 49.662 हे., तह. नईगढ़ी में 61.850 हे., हनुमना में 688.824 हे. तह. जवा में 621.465 कुल 2814.883 हे. भूमि निजी स्वामित्व में बदली या अन्तरित हुई है। तहसीलवार/ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 8 मार्च, 2021

अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित होने हेतु आवेदनों पर कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

17. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 3613) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग में किस-किस जाति/समुदाय को किस-किस दिनांक को किन मापदंडों/नियमों के तहत अधिसूचित किया गया? किस-किस जाति/समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर किया गया? **(ख)** संविधान, प्रचलित कानूनों में आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों की क्या-क्या परिभाषा एवं व्याख्या की गई है? वनवासी शब्द का संविधान के किस अनुच्छेद अथवा प्रचलित कानून में उल्लेख किया गया है? तत्संबंधी ब्यौरा दें। **(ग)** अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल होने के लिए किस दिनांक को किस-किस जाति/समुदाय ने आवेदन दिया? उक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जनजाति वर्ग में किस-किस जाति/समुदाय को अधिसूचित करने अथवा निष्कासित करने का मामला लंबित है? मामले लंबित होने का कारण बताएं। **(ड.)** अनुसूचित जनजाति को किस धर्म के कॉलम में रखने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद या प्रचलित कानून के तहत है? **(च)** क्या अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा किसी धर्म में धर्मांतरण करने पर वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से अपात्र होगा? यदि हाँ, तो संविधान के किस अनुच्छेद अथवा प्रचलित कानून के तहत? प्रति सहित ब्यौरा दें। (छ) धर्मांतरण से संबंधित कानून क्या अनुसूचित जनजाति पर भी लागू होंगे? यदि हाँ, तो संविधान के किस अनुच्छेद अथवा प्रचलित कानून के तहत?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश 1950 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां सूची पुनरीक्षण आदेश 1956 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976 एवं अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी भारत सरकार के मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। **(ग)** अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल होने के लिये विभिन्न माध्यमों से मांझी, कीर, मीना, पारधी बहेलिया खैरूआ जाति/समुदाय द्वारा आवेदन किया है। मांझी जाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित करने हेतु समिति की अनुशंसा दिनांक 29/08/2018 को भारत सरकार को भेजी गई है। कीर, मीना, पारधी के संबंध में 24/09/2018 को भारत सरकार को लिखा गया है। बहेलिया, जाति के संबंध में प्रतिवेदन दिनांक 21/12/2020 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। खैरूआ जाति के संबंध में कार्यवाही प्रचलित है। **(घ)** अनुसूचित जनजाति वर्ग में जाति समुदाय को अधिसूचित करने अथवा निष्कासित करने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार के अधीन है। **(ड.)** से **(छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ड.)** अनुसूचित जाति पर धर्म का कोई बंधन नहीं है। **(च)** एवं **(छ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मृत शासकीय सेवक के स्वत्वों का भुगतान

[जनजातीय कार्य]

18. ता.प्र.सं. 10 (क्र. 3797) श्री जालम सिंह पटैल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिवासी विकास विभाग के सतपुड़ा भवन में क्षेत्र संयोजक के पद पर कार्यरत रहते हुए मृत स्व. श्री जे.के. श्रीवास्तव, जिनकी मृत्यु को 10 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, के जी.पी.एफ, 240 दिन के स्वीकृत अवकाश एवं अन्य कौन से स्वत्वों का भुगतान आज दिनांक तक शेष है? **(ख)** कर्मचारी की जी.पी.ए. की पासबुक का संधारण कौन करता है, विभाग या कर्मचारी? मृत शासकीय सेवक का 10 वर्षों के उपरांत भी उनके स्वत्वों का भुगतान न करना और उसका आधार यह लेना कि मृत शासकीय सेवक द्वारा नियमित सेवा में उपस्थित न रहने के कारण सेवा-पुस्तिका/जी.पी.एफ. पासबुक का नियमित संधारण नहीं हुआ, को विभाग किस प्रकार उचित मानता है? **(ग)** शासकीय कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उनकी सेवा-पुस्तिका तथा जी.पी.एफ. संबंधी अभिलेख प्राप्त करने हेतु किन-किन कार्यालयों को कब-कब पत्र लिखा गया? पत्र क्रमांक/दिनांक बताएं तथा छायाप्रतियां भी प्रदाय करें। **(घ)** जी.पी.एफ. के साथ ही 240 दिन के स्वीकृत अवकाश एवं शेष अन्य कौन-कौन से स्वत्वों के भुगतान आज दिनांक तक शेष है? विवरण देवें तथा भुगतान में विलंब के लिए क्या संबंधितों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** मृत शासकीय सेवक के उक्त सभी स्वत्वों के भुगतान की निश्चित समय-सीमा बताएं।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** जी.पी.एफ. पासबुक अपूर्ण होने से पदस्थापना स्थानों से **जानकारी प्राप्त की जा रही है,** जिसमें से 04 जिलों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है, **शेष 02 जिलों से जानकारी अप्राप्त है।** वेतन नियमन उपरांत वेतन अंतर की राशि जिसमें 240 दिवस स्वीकृत अवकाश अवधि का वेतन भी शामिल है। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** जी.पी.एफ. की पासबुक के संधारण का उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख का है, परंतु द्वितीय पासबुक संबंधित शासकीय सेवक के पास रहने संबंधी निर्देश हैं। पासबुक में प्रविष्टियां शासकीस सेवक की सुविधा अनुसार हर महीने या कुछ अंतराल बाद लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य प्रमाणित की जावेगी। **(ग)** कार्यालय द्वारा लिखे गये पत्रों की **प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश "क" एवं "ख" के उत्तर उपरांत शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** निराकरण हेतु प्रक्रिया प्रचलन में है, जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] **(क)** कार्यवाही पूर्ण की जाकर कार्यालय प्रधान महालेखाकार ग्वालियर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/निधि/एफ.पी.सी.2बी/1864, दिनांक 12.08.2021 द्वारा जारी प्राधिकार पत्र में उल्लेखित राशि 430486/- (रूपये चार लाख तीस हजार चार सौ छियासी मात्र) एवं वेतन नियमन उपरांत वेतन एरियर्स की राशि 158578/- (रूपये एक लाख अट्ठावन हजार पांच सौ अठहत्तर) का भुगतान स्व. श्री जे. के. श्रीवास्तव क्षेत्र संयोजक की पत्नी श्रीमति अर्चना श्रीवास्तव को किया जा चुका हैं।

<u>दिनांक 9 मार्च, 2021</u>

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

19. अता.प्र.सं.56 (क्र. 3417) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ) : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को हस्तांतरित 26 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में कार्यरत प्रयोगशाला प्रभारी तथा लैब टेक्नीशियन की सेवायें विभाग के किस संस्थान के अधीन हैं तथा किस संस्था द्वारा उक्त कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जावेगा जो कि अन्तिम

बार 09.05.2013 को बढ़ाया गया था? आगे कब-कब बढ़ाया जायेगा? उक्त कर्मचारियों को महगांई भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है? **(ख)** उक्त प्रयोगशालाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों पर मध्यप्रदेश शासन की 05 जून 2018 की नीति लागू की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो कब तक लागू की जावेगी तथा समकक्ष नियमित पदों का 90 प्रतिशत वेतनमान का लाभ कब तक दिया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त प्रयोगशालाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को ई.पी.एफ./राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 26 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक डी-6-1/2015/14-3, दिनांक 07.01.2016 के तारतम्य में मण्डी बोर्ड के आदेश क्रमांक/मि.परी./7/2/ 68-69, दिनांक 12.02.2016 द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा रखे गये कर्मचारी प्रयोगशाला प्रभारी एवं लैब टेक्नीशियन वर्तमान में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। मण्डी बोर्ड की संविदा सेवा पर 26 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में कार्यरत अमले के मानदेय का भुगतान म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड) द्वारा किया जा रहा है। **(ख)** जी नहीं। मण्डी बोर्ड से प्राप्त उत्तर अनुसार म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 05 जून 2018 में संविदा पर नियुक्त के अवसर प्रदान किए जाने के लिये नीति-निर्देश राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति एवं म.प्र. सर्व शिक्षा अभियान मिशन में संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों हेतु है। मण्डी बोर्ड एक निगमित निकाय है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता हैं। **(ग)** जानकारी उत्तरांश (ख) के अनुसार है। अत: शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

दिनांक 10 मार्च, 2021

मध्यप्रदेश शासन के विभागों एवं कार्यालयों में हिन्दी भाषा का उपयोग

[संस्कृति]

20. परि.अता.प्र.सं. 82 (क्र. 4143) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायेसवाल : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में शासकीय कार्यों हेतु किन-किन भाषाओं का उपयोग किए जाने के वर्तमान में क्या शासनादेश/निर्देश लागू हैं और विधि, राजस्व तथा पुलिस विभाग द्वारा किस-किस भाषा और किन-किन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? **(ख)** क्या कटनी जिला सहित मध्यप्रदेश में राजस्व, पुलिस और अन्य शासकीय विभागों द्वारा हिन्दी भाषा से हटकर अन्य भाषाओं के मिश्रित शब्दों का उपयोग प्रतिवेदनों/सूचना पत्रों आदि में लंबे समय से किया जा रहा हैं और वर्तमान में भी प्रचलन में हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) विभागों के शासकीय सेवकों द्वारा अपने प्रतिवेदनों आदि में हिन्दी भाषा से हटकर अन्य भाषा के शब्दों के बहुतायत में उपयोग करने और आम नागरिकों को इनका अर्थ समझ में आने वाली परेशानियों का शासन स्तर पर संज्ञान लिया जाएगा? **(घ)** प्रदेश के शासकीय विभागों/कार्यालयों में हिन्दी भाषा का उपयोग सुनिश्चित किए जाने के लिए शासन द्वारा विगत समय में क्या कार्यवाही की गयी और क्या निर्देश दिये गए? **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों को शब्दों का भावार्थ सरलता से ज्ञात हो सके, इसके लिए क्या हिन्दी भाषा और हिन्दी भाषा के शुद्ध और सरल शब्दों का उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु शासन स्तर से समुचित निर्देश जारी किए जायेंगे? यदि हाँ, तो किस प्रकार एवं कब तक? नहीं तो क्यों?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है.**] **(क)** जी हाँ। शासकीय कार्यों हेतु विधि, राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। **(ख)** कटनी जिले में शासकीय कार्यों में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। इससे हटकर जो शब्द अन्य भाषाओं में बोल-चाल की भाषा में घुल-मिल रहे हैं उनका उपयोग किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार उपयोग किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** चूंकि म.प्र. हिन्दी भाषी प्रदेश है। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। शासकीय कार्यों में हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

21. अता.प्र.सं.103 (क्र. 4181) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा परिपत्र संख्या क्रमांक एफ/5-3/2006/3/एक भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2008 को जारी किया गया था? **(ख)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के पालन के लिए सचिव कर्नाटक राज्य एवं उमा देवी तथा एच.एस. राजशेखर विरुद्ध स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के मामले में पारित निर्णय को मध्यप्रदेश में लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अस्थाई रूप से 240 दिन से अधिक काम करने वाले कर्मचारियों को स्थाई कर हक दिया जाएगा? क्या अस्थाई कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए जारी किए गए आदेशों पर मध्यप्रदेश शासन के विभाग कब तक अमल करेंगे और कब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय अनुसार कार्यवाही होगी? **(घ)** शासन के अभी तक कितने विभागों को माननीय न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया गया है और निर्णय के पालन के लिए प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है? **(ड.)** क्या माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कराने के लिए शासन कोई कदम बढ़ाएगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक-एफ, 5-3-2006-1-3, दिनांक 6 फरवरी की जगह समसंख्यक परिपत्र दिनांक 8 फरवरी, 2008 जारी किया गया था। **(ख)** सचिव कर्नाटक राज्य एवं उमा देवी एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी/अस्थायी कर्मचारियों के प्रकरण में जारी परिपत्र क्रमांक-एफ, 5-3-2006-1-3 दिनांक 16.5.2007 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 08.2.2008 अनुसार कार्यवाही के निर्देश हैं। **(ग)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** उत्तरांश ''ख'' में उल्लेखित सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक, एफ-5-3/2006/1/3, दिनांक 16 मई, 2007, 08 फरवरी, 2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2008 के परिपालन में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही की गई है। शेष नियमितीकरण से वंचित कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक-एफ, 5-1/2013/1/3, दिनांक 07.10.2016 के पालन में स्थायीकर्मी पदनाम दिया जाकर वेतनमान का लाभ दिया गया है। **(घ)** एवं **(ड.)** उत्तरांश ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 15 मार्च, 2021

ब्लाक नीलामी की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग

[खनिज साधन]

22. परि.अता.प्र.सं. 101 (क्र. 4653) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रैगांव-नागौद विधानसभा के ग्राम लालपुर, डाम्हा, मौहारी, नवस्ता, छींदा, हिलौंधा, कोलाड,

बसुधा, खम्हरिया, पडरिया, पटना, उमरहट, महकोना, रजरवारा, सप्तीदुबे, सप्तींमाफी, झण्डहा, बरकोनिया, सलैया, रेरूआ, बरेठिया, कचनार, विकरा, भुलनी, खैरा, आदि ग्रामों की उपजाऊ भूमियां एम.आई.सी.एल. नागपुर कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण कर नीलामी हेतु प्रस्तावित की गई है? यदि हाँ, तो किन-नियमों के तहत उपजाऊ भूमि के नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है? नियम सहित पूर्ण जानकारी दें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार ग्रामों की बेशकीमती उपजाऊ कृषि भूमियां क्षेत्र के किसानों की जीविका का एकमात्र साधन है, खेती को लाभ का धंधा बनाने हेतु प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है, बावजूद इस क्षेत्र के किसानों की उपजाऊ भूमियों की खनिज हेतु नीलामी किस तरह से उपयुक्त है? **(ग)** क्या उक्त क्षेत्रों के किसानों हेतु बरगी परियोजना का कार्य प्रगतिरत है? प्रभावित कृषकों की भूमि का विवरण दें। क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर भी बहुतायत में हैं, जिनको भी उत्खनन आदि से खतरा होगा? **(घ)** क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के सतना प्रवास दिनांक 26/1/2021 को प्रश्नांश (क) के ग्रामों की आम जनता का ज्ञापन क्रमांक 783 दिनांक 26/1/2021 सौंपा गया था एवं पत्र क्रमांक 828 दिनांक 6/2/2021 के माध्यम से ब्लाक नीलामी की कार्यवाही निरस्त की मांग की गई थी? उपरोक्त पर की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण देवें एवं बतावें कि कब तक में ब्लाक नीलामी की कार्यवाही को निरस्त कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खनिज साधन मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं। जिला सतना, तहसील नागौद के ग्राम बिरहौली, बसुधा, उमरहट, महकोना, रजरवारा, खम्हरिया कलां, छींदा, सप्तीदुबे, सप्तीमाफी, हिलौंधा, पडरिया, डाम्हा, पटना, कोलाड, बरेठिया, कोठार के कुल रकबा 1590 हेक्टेयर क्षेत्र पर एम.ई.सी.एल. नागपुर के द्वारा पूर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है। इस क्षेत्र में 166.05 मिलियन टन चूनापत्थर, सीमेंट निर्माण हेतु प्रमाणित किया गया है। खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत विभाग द्वारा उपरोक्त ब्लॉक को नीलाम किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। उपजाऊ भूमि पर या उसके नीचे पाये जाने वाले खनिज को नीलाम नहीं किये जाने हेतु खनिज नियमों में कोई बाध्यता नहीं है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में दिये गये उत्तर अनुसार। **(ग)** प्रश्नांश (क) में वर्णित ग्रामों में नागौद-सतना शाखा नहर से सिंचाई प्रस्तावित है। वर्तमान में रैगांव-नागौद विधान सभा के ग्राम लालपुर, डाम्हा, मौहारी, नवस्ता, छींदा, हिलौंधा, कोलाड, बसुधा, खम्हरिया, पडरिया पटना, उमरहट, महकोना, रजरवारा, सप्ती दुबे सप्तींमाफी, झण्डहा, बरकोनिया, सलैया, रेरूआ, बरेठिया, कचनार, विकरा, भुलनी, खैरा आदि ग्रामों में नहर का कोई भी निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं है। वर्तमान में उपरोक्त ग्रामों का भू-अर्जन न होने के कारण प्रस्तावित कृषकों की भूमि का विवरण देना संभव नहीं है। जहां तक क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर होने का प्रश्न है, इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल-वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति (ई.सी.) प्राप्त होने के उपरांत ही उत्खनन कार्य संभव हो सकेगा, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ। ब्लॉक नीलामी की कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होने से ब्लॉक को नीलाम किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 16 मार्च, 2021

चिटफंड कंपनी द्वारा लोगों से की गई ठगी

[गृह]

23. अता.प्र.सं.36 (क्र. 3282) श्री पी.सी. शर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कितनी चिटफंड कंपनियों द्वारा ठगी करने और ज्यादा ब्याज का लालच देकर धन हड़पने की शिकायत मिली हैं? **(ख)** उपरोक्त चिटफंड कंपिनयों द्वारा कितने लोगों

से धनराशि हड़पने का अनुमान है? **(ग)** राज्य सरकार आम लोगों को चिटफंड कंपनियों की ठगी से बचाने और उन्हें उनकी रकम वापस दिलाने के लिए क्या कर रही है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रदेश में दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2021 तक 370 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध शिकायतें मिली हैं। **(ख)** करीब 34, 680 लोगों से धनराशी हड़पने का अनुमान है। **(ग)** चिटफंड कंपनियों की ठगी से बचाने के लिये और उन्हें उनकी रकम वापस दिलाने के लिये प्रदेश में "म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000" "दि बैनिंग ऑफ अनरैगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स एक्ट 2019" के अन्तर्गत विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।

दिनांक 17 मार्च, 2021

आदिवासी उपयोजना, माडापाकेट एवं लघु अंचल योजना से वंचित ग्राम

[जनजातीय कार्य]

24. अता.प्र.सं.5 (क्र. 797) श्री रामपाल सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिवासी उपयोजना, माडापाकेट, लघु अंचल में ग्रामों के चयन का आधार क्या है? रायसेन जिले में कितने वर्ष पूर्व ग्रामों का चयन किया गया था? वर्तमान में पात्र वंचित ग्रामों को उक्त योजना में सम्मिलित क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ख)** उक्त आदिवासी उपयोजना, माडापाकेट, लघु अंचल में चयनित ग्रामों में क्या-क्या कार्य किस आधार पर स्वीकृत किये गये हैं? वर्ष 2018-19 से फरवरी 2021 तक रायसेन जिले में क्या-क्या कार्य किस आधार पर कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये हैं? **(ग)** 1 जनवरी 2018 से फरवरी 2021 तक उक्त योजनाओं में रायसेन जिले में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत करने के पत्र माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन सांसद/विधायक के कब-कब प्राप्त हुए? **(घ)** उक्त पत्रों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? आदिवासी उपयोजना के कार्यों के संबंध में कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? उनके नाम, पद तथा मुख्यालय पर निवास की जानकारी दें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार।** रायसेन जिले के ग्रामों का चयन 31 अगस्त, 1990 में किया गया था। पात्र एवं वंचित ग्रामों को सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। प्रश्नांकित दिनांक के समय रायसेन जिले में डॉ श्रीमती पूजा द्विवेदी, जिला संयोजक आ.जा.क. रायसेन के पास अतिरिक्त प्रभार था। श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत सहायक ग्रेड-3, श्री बीर सिंह परिहार भृत्य, श्री पासीराम कुशवाह चौकीदार, एकी, आदि. विकास परि. सिलवानी में पदस्थ थे। परियोजना कार्यालय जिला मुख्यालय में जिला संयोजक कार्यालय में संचालित है। उपरोक्तानुसार मुख्यालय में अधिकारी/कर्मचारी निवासरत थे।

प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

[जनजातीय कार्य]

25. अता.प्र.सं.106 (क्र. 5085) श्री संजय उइके : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 1032, दिनांक 08/12/217 द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की राशि को गैर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में खर्च करने के संबंध में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद कार्यवाही करने निर्देश देने बाबत् पत्र लिखा गया था? **(ख)** यदि हाँ तो पत्रानुसार क्या कार्यवाही की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** संचालनालय, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना में पत्र क्र. 1032 दिनांक 08/12/2017 प्राप्त नहीं हुआ है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदिवासी उपयोजना की राशि

[जनजातीय कार्य]

26. अता.प्र.सं.140 (क्र. 5337) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कारण है कि अनुच्छेद [275 (1)] टी.एस.पी. फंड के समुचित कार्यान्वयन में राज्य सरकार असफल रही है? जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक जिला धार एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र में उक्त फंड-1 के कार्यान्वयन का वर्षवार ब्यौरा दें। **(ख)** जिला धार एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र में मानव सूचकांक में सरकार के किन सर्वे/रिपोर्टों में किन मानकों के आधार पर जनजातीय वर्ग की क्या स्थिति है? प्रति सहित ब्यौरा दें। **(ग)** जिला धार एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 339 (2) के तहत राज्य सरकार को क्या निर्देश प्राप्त हैं? उक्त निर्देशों का कार्यान्वयन सरकार ने किन आदेशों-निर्देशों के तहत किस तरह किया? वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक का वर्षवार ब्यौरा दें। **(घ)** जिला धार एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 का प्रदेश का टी.एस.पी. फंड कितना आवंटित था? उक्त फंड को किन योजनाओं-विभागों के तहत कितना-कितना खर्च किया गया? कितनी राशि अन्य मदों में खर्च की गई? कितनी राशि शेष बची? तत्संबंधी ब्यौरा दें। **(ड.)** जिला धार एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र में क्या टी.एस.पी. फंड के तहत वर्ष 2020-21 की बस्ती विकास योजना की राशि खर्च नहीं की गई? इसके लिए कौन दोषी है? **(च)** प्रश्नांश (घ) फंड से कितनी राशि जिला धार एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई? उक्त राशि से किए गए कार्यों का जिला धार एवं मनावर विधानसभा का पृथक-पृथक ब्यौरा दें। (छ) जिला धार एवं मनावर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के लिए टी.एस.पी. फंड के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? राशि के कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत समस्त ब्यौरा दें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 275 (1) टी.एस.पी. फंड का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार** है। **(ख)** जिला धार एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र हेतु मानव सूचकांक के संबंध में पृथक से कोई सर्वे/रिपोर्ट नहीं है। अपितु भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक अनुसार, मानक सूचकांक के संबंध में संकलित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(ग)** संचालनालय स्तर पर भारत सरकार द्वारा पोषित दो योजनाएं यथा :- आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275 (1) का क्रियान्वयन किया जाता है। उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका/निर्देश अनुसार किया जाता है। जिला धार एवं मनावर विधानसभा क्षेत्र के लिये संविधान के अनुच्छेद 339 (2) के तहत अभिलेख अनुसार भारत सरकार के द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। **(ड.)** बस्ती विकास योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन राशि का व्यय किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। **(छ)** वर्ष 2021-22 के लिये प्रश्नांकित अवधि में, भारत सरकार से प्रस्तावों की स्वीकृति अपेक्षित है। अत: आवंटन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 19 मार्च, 2021

स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

27. परि.अता.प्र.सं. 89 (क्र. 5741) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ.एस.ओ.) एक ही जिले में 6 से अधिक वर्षों से पदस्थ हैं? नाम व जिले सहित इन अधिकारियों का ब्यौरा दें। **(ख)** क्या उक्त अधिकारियों को स्थायी रुप से संबंधित जिलों में पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा दें। यदि नहीं, तो कब अन्यत्र पदस्थापना की जाएगी? **(ग)** प्रदेश के किन-किन प्राईमरी, सामुदायिक एवं सिविल स्वास्थ्य केंद्रों पर कितने डॉक्टरों/विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है? उक्त स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भर्ती कब-कब हुई? कब से क्यों नहीं हुई? जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक कारण सहित ब्यौरा दें। **(घ)** प्राईमरी स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सिविल अस्पताल में उन्नयन के लिए क्या प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है? जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक इंदौर संभाग में स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन का प्रखंडवार/वर्षवार ब्यौरा दें। **(ड.)** मनावर विधानसभा में जनसंख्या (4.5 लाख आबादी) के अनुसार कितने प्राईमरी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक एवं सिविल अस्पताल में उन्नयन किया गया? प्राईमरी, सामुदायिक एवं सिविल अस्पतालों में प्रतिवर्ष किस कंपनी/फर्म की कौन-कौन सी कितनी दवाईयां किसके द्वारा वितरित की गईं? जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक की वर्षवार जानकारी ब्यौरा सहित दें। **(च)** विभाग द्वारा कोरोना-काल में स्वास्थ्य जन-जागरुकता के लिए कौन-कौन से मेलों का आयोजन किस दिनांक को कहाँ-कहाँ किया गया?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुरूप पदस्थापना की जाती है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी के पदों पर पदपूर्ति की कार्यवाही निरंतर की जा रही है, वर्ष 2016-निरंक, वर्ष 2017 में 726 चिकित्सा अधिकारी, वर्ष 2018-निरंक, वर्ष-2019 में 571 चिकित्सा अधिकारी तथा वर्ष 2021 में 374 चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना की गई है। विशेषज्ञ का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है, वर्ष 2016 से पदोन्नति का प्रकरण मान. उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2016 से अप्रैल 2022 तक इन पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसलिए शासन द्वारा विभागीय भर्ती नियमों में दिनांक 18.04.2022 को संशोधन कर विशेषज्ञ के पद पर 75 प्रतिशत विभागीय चिकित्सकों का चयन कर तथा 25 प्रतिशत म.प्र. लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से चयन किये जाने का प्रावधान किया गया है। शासन आदेश दिनांक 05.07.2022 के माध्यम से 480 विभागीय चिकित्सकों को विभिन्न विषय विशेषज्ञ के पद पर चयन किया जाकर प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में पदस्थ किया गया तथा 888 विशेषज्ञ के पदों पर सीधी भर्ती का मांग पत्र म.प्र. लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। **(घ)** जिलो से प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षण कर पात्रता/मापदण्ड अनुसार संस्था का उन्नयन किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। प्राईमरी, सामुदायिक एवं सिविल अस्पतालों में संलग्न सूची अनुसार केंद्रीयकृत दर अनुबंध अनुसार कंपनी/फर्मों की दवाईयां सरदार वल्लभ भाई निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों से फार्मासिस्टों के माध्यम से वितरण किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(च)** निरंक।

दिनांक 22 मार्च, 2021

बस दुर्घटना की जानकारी

[परिवहन]

28. ता.प्र.सं. 10 (क्र. 5798) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सीधी जिले में हाल ही में हुई त्रासदीपूर्ण बस दुर्घटना प्रशासन के अदूर दर्शिता एवं असंवेदन शीलता के कारण हुई है। **(ख)** प्रश्नांश (क) क्या परीक्षार्थियों का केन्द्र रीवा, सीधी सिंगरौली में नहीं बनाया जा सकता था? यदि हाँ, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का प्रकरण क्यों दर्ज नहीं किया गया? **(ग)** क्या संबंधित बस सतना जिले में रजिस्टर्ड है? फिटनेस, परमिट भी वहीं से जारी हुआ होगा? यदि हाँ, तो सीधी जिले के अधिकारियों के निलंबन का क्या औचित्य है? **(घ)** रीवा/सीधी/सिंगरौली मार्ग बंद होने की जवाबदेही किस विभाग की थी? दोषियों के ऊपर की गई कार्यवाही एवं मृत परीक्षार्थियों के परिवार को शासकीय नौकरी दिये जाने की व मुआवजा राशि में वृद्धि की क्या कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं?

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि सीधी जिले में हुई बस दुर्घटना प्रशासन की अदूरदर्शिता एवं असंवेदन शीलता के कारण हुई है। **(ख)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। फिटनेस सतना से एवं परमिट रीवा से जारी हुआ है। घटना सीधी जिले में घटित होने के कारण लापरवाही के कारण सीधी जिले के अधिकारी का निलंबन किया गया है। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(घ)** प्रश्नांश "घ" के संबंध में कलेक्टर जिला-रीवा के अनुसार/अधिकारी, राजस्व हुजूर जिला रीवा से प्राप्त जानकारी अनुसार यह पाया गया कि रीवा/सीधी/सिंगरौली मार्ग में बघवार जिला-सीधी के नहर में बस गिर जाने से घटित बस दुर्घटना जिस दिनांक को हुई थी उस दिनांक को जिला सीधी के थाना रामपुर नैकिन चौकी पिपरॉव क्षेत्रान्तर्गत छुहिया घाटी में बीच रोड में अचानक ट्रक दुर्घटना ग्रस्त होन के कारण रीवा/सीधी/सिंगरौली मार्ग अवरूद्ध हो गया था, जिस कारण से आने जाने वाले चार पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे थे। इस संबंध में श्री शांति प्रकाश दुबे तत्कालीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीधी के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है। मृत परीक्षार्थियों के परिवार को शासकीय नौकरी दिये जाने की व मुआवजा राशि में वृद्धि की कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पंचायत एवं निर्धनों को रेत का प्रदाय

[खनिज साधन]

29. परि.अता.प्र.सं. 130 (क्र. 6317) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल, धार एवं मंडला जिले में मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 अगस्त 2019 को प्रकाशित रेत नियम 2019 के नियम 4 में दी गई छूट के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई? **(ख)** नियम 4 में क्या-क्या छूट किन-किन को दी गई थी? इसके अनुसार जिला पंचायत एवं जिले की जनपद पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम के गरीबों को रेत उपलब्ध कराने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई। **(ग)** यदि नहीं, की गई तो कारण बताएं। **(घ)** ग्राम पंचायतों के द्वारा 30 अगस्त 2019 से प्रश्नांकित दिनांक तक रेत क्रय करने पर कितनी राशि का भुगतान किया गया? इसके लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता है?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** नियम 4 अनुसार नीति निर्धारण करने की प्रक्रिया विचाराधीन है, जिसका किसी जिला विशेष से संबंध न होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नानुसार नियम 4 में प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (ख)

में दिये उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नानुसार प्रावधान न होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना

[राजस्व]

30. परि.अता.प्र.सं. 136 (क्र. 6645) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में कोरोना आपदा काल में प्रदेश के शासकीय कर्मियों हेतु कोविड-19 योद्ध कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त योजना किस दिनांक से प्रारंभ की गई एवं योजना का उद्देश्य क्या था? **(ग)** उक्त योजना के अंतर्गत कोविड-19 की महामारी की रोकथाम/उपचार में कार्यरत किन-किन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितों को कितने-कितने रूपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और कितने शासकीय सेवक हैं जिन्होंने आवेदन किया पर उन्हें आर्थिक सहायता किन कारणों से नहीं की गई? **(घ)** क्या उक्त योजना को बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप विद्यमान नहीं है? यदि है तो उक्त योजना को बंद करने के क्या कारण हैं तथा जो शासकीय सेवक उक्त कार्य में लगे हुये हैं, उनकी मृत्यु हो जाने पर उन्हें क्या आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** उपरोक्त प्रश्नांश के संबंध में क्या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, माननीय श्री कमलनाथ जी ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 251, दिनांक 26 फरवरी 2021 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** उक्त योजना दिनांक 17 अप्रैल 2020 से प्रारंभ की गई थी। योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य के कोविड-19 प्रभावित रोगियों/नागरिकों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे कर्मियों को सुरक्षा कवच के रूप में यह योजना लागू की गई थी। **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।** **(घ)** जी हाँ। योजना की अवधि 31/10/2020 तक थी। जी हाँ। कोरोना पीड़ित मृत शासकीय कर्मचारियों को, दिवंगत शासकीय सेवक को देय समस्त स्वत्वों का भुगतान पात्रता अनुसार, शासन नियमानुसार किया जाता है। **(ड.)** जी हाँ। वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों हेतु बीमा योजना लागू है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ग)** उक्त योजना के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक कोविड-19 की महामारी की रोकथाम/उपचार में कार्यरत 41 शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके निकटमत आश्रितों को 50 लाख रूपये प्रति परिवार के मान से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है तथा प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत 48 आवेदन पत्र योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपात्र होने से निरस्त किये गये हैं।

दिनांक 24 मार्च, 2021

पेंशन का भुगतान

[जनजातीय कार्य]

31. परि.अता.प्र.सं. 47 (क्र. 5765) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या श्रीमती फूलकुंवर बाई पांचाल जिनके पति स्व. मांगीलाल पांचाल निवासी सुसारी तह. कुक्षी, जिला धार में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तलवाड़ा विकासखण्ड, निसरपुर, जिला धार में भृत्य के पद पर पदस्थ थे, की मृत्यु उपरांत दिनांक 28/7/2014 से परिवार पेंशन की पात्रता आती है? इससे संबंधित समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि हाँ, तो फिर प्रश्न

दिनांक तक उनकी पेंशन प्रारंभ क्यों नहीं हो पाई है? क्या कारण है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? नाम, पदनाम सहित बतावें। **(ग)** विलंब के लिए जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** एवं **(ख)** जी हाँ। स्व. श्री मांगीलाल पांचाल की मृत्यु पश्चात इनकी पत्नी श्रीमती फूलकुंवर बाई पांचाल को परिवार पेंशन की पात्रता आती है। **जानकारी/अभिलेख पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" अनुसार** है। पी.पी.ओ. क्रमांक DHA1411P00453, दिनांक 14/11/2014 में जारी होने के पश्चात जिला कोषालय अधिकारी धार के पत्र दिनांक 05/09/2020 अनुसार श्रीमती पांचाल को दिनांक 28/07/20214 से 31/12/2014 तक परिवार पेंशन का भुगतान किया गया है। सहायक आयुक्त धार के पत्र क्रमांक/वि.स./न.क्र.4 (3)/2022/1127, दिनांक 02/02/2022 में उल्लेख अनुसार श्रीमती पांचाल को पेंशन प्रकरण का निराकरण कर पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो ' अनुसार** है। **(ग)** श्रीमती पांचाल के परिवार पेंशन प्रकरण में विलम्ब हेतु तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भैरवनगर शाखा कुक्षी जिला धार उत्तरदायी है तद्नुसार बैंक प्रबंधन को अवगत कराया गया है, विभाग स्तर पर कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है।

परीक्षा केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

32. अता.प्र.सं.56 (क्र. 5917) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजगढ़ द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिये कौन से रोस्टर का उपयोग करके केन्द्राध्यक्ष बनाये जाते रहे हैं? **(ख)** जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय में विगत 6 वर्षों से लिपिकों के स्थानांतरण नहीं हुये हैं। परीक्षा विभाग में विगत 5 वर्षों से एक ही लिपिक नियम विरूद्ध संलग्नीकरण किया गया है। संलग्नीकरण के कोई नियम नहीं है, उसके द्वारा आपसी सांठगांठ तथा भ्रष्टाचार करके सभी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन कर राजगढ़ जिले के परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष बनाने हेतु मनमानी की जाती रही है। रोस्टर का स्पष्ट उल्लंघन किया जाता रहा है। भ्रष्टाचार करके केन्द्राध्यक्ष बनाये जाते रहे हैं। **(ग)** बबीता मिश्रा शिक्षिका सारंगपुर को जो सारंगपुर की निवासी होकर वही कार्यरत है, उसे विगत 6 वर्षों से कौन से रोस्टर का उपयोग करके सारंगपुर में ही परीक्षा केन्द्राध्यक्ष कैसे बनाया जाता रहा है जबकि अन्य को अन्य तहसीलों में केन्द्राध्यक्ष बनाया जाता रहा है? इस प्रकार दोहरा मापदण्ड कैसे और क्यों अपनाया जाता रहा है? **(घ)** आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल इस संबंध में केन्द्राध्यक्ष बनाये जाने संबंधी अनियमितताओं के लिये दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले में पदस्थ उ.मा.वि. एवं हाई स्कूल प्राचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक (उच्च माध्यमिक शिक्षक) में से वरिष्ठता के आधार पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन उपरांत सूची बोर्ड को प्रेषित की जाती है। बोर्ड द्वारा रेंडमाइजेशन से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाते हैं। जिसमें महिलाओं को पदस्थ विकासखण्ड में ही केन्द्राध्यक्ष बनाने का प्रावधान है। **(ख)** यह सही नहीं है कि जिला शिक्षा कार्यालय में 06 वर्षों से लिपिकों के स्थानांतरण नहीं हुए हैं। कार्यालय में वर्ष 2016 एवं 2017 में स्थानांतरण किये गये हैं। वर्तमान परीक्षा प्रभारी के पास विगत वर्ष से ही प्रभार है। शेष आपसी सांठगांठ, भ्रष्टाचार, नियमों का उल्लंघन मनमानी कर, रोस्टर का उल्लंघन कर केन्द्राध्यक्ष बनाने की बात निराधार है। **(ग)** यह सही नहीं है कि बबीता मिश्रा को निकाय नगर सारंगपुर में विगत 06 वर्षों से केन्द्राध्यक्ष बनाया जा रहा है। विगत 05 वर्षों में पचारे, सण्डावता में भी केन्द्राध्यक्ष बनी है।

(घ) केन्द्राध्यक्ष बनाने में अनियमितता नहीं हुई है। अत: दोषियों पर कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित बालक/बालिका छात्रावासों की जानकारी

[अनुसूचित जाति कल्याण]

33. अता.प्र.सं.113 (क्र. 6505) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले में बालक/बालिका छात्रावास/विद्यालय/आश्रम शालायें कहाँ-कहाँ संचालित हैं? सूची उपलब्ध करावें। 1 अप्रैल 2014 से प्रश्नांकित अवधि तक रहवासी छात्र/छात्राओं की सूची एवं छात्रावासों के प्रदत्त सुविधाओं तथा उल्लेखित छात्रावास/विद्यालय/आश्रम शालाओं में पदस्थ शिक्षकों/वार्डनों के नाम, पदस्थी दिनांक सहित सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में छात्रावासों/विद्यालय/आश्रम शालाओं में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आवंटित की गई तथा किस-किस मद में राशि व्यय की गई है? आय-व्यय पत्रक सहित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें। क्या सामग्री क्रय नियमों के अनुसार क्रय की गई? यदि हाँ, तो किन-किन फर्मों के टेण्डर प्राप्त हुये एवं किन-किन फर्मों से सामग्री क्रय की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभागीय शिक्षक/शिक्षिकायें उपलब्ध होने के बाद भी विभाग द्वारा शिक्षक विभाग के शिक्षकों/शिक्षिकाओं को छात्रवासों के प्रभार दिये गये हैं। यदि हाँ, तो बतावें। क्या शिक्षक/शिक्षिकायें कई वर्षों से छात्रवासों का प्रभार संभाले हुए हैं? यदि हाँ, तो इनको कब तक हटा दिया जावेगा? **(घ)** 1 जनवरी 2016 से प्रश्नांकित अवधि तक किन-किन अधिकारियों द्वारा छात्रवासों/विद्यालय/आश्रम शालाओं का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई गई एवं कमियों के लिये दोषी कौन है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो कब तक की जावेगी एवं कमियां दूर करने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? **(ड.)** क्या छात्रवास/विद्यालय निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो भवन मालिकों को कितना-कितना भुगतान किया जा रहा है? भवन मालिक के नाम एवं राशि सहित जानकारी उपलब्ध करावें एवं छात्रावास/विद्यालयों के भवन कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जिले में जनजाति द्वारा संचालित छात्रावासों, विद्यालय, आश्रम, शालायें एवं वार्डनों के नाम पदस्थी दिनांक सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। छात्रावासों में छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय, कम्प्यूटर, खेल सामग्री, टेलीविजन आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। **(ख)** म.प्र शासन आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 13.6.2014 के नियमानुसार सामग्री का क्रय छात्रावास/आश्रमो में निवासरत छात्र/छात्राओं द्वारा किया जाता है जिसके लिए उनके व्यक्तिगत खातो में राशि उपलब्ध कराई जाती है। संस्था संचालन हेतु सामग्री क्रय पालक/शिक्षक समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर से किया जाता है। प्राप्त आंवटन एवं व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, जिले में विभाग अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षिकाओं के 16 पद रिक्त होने से स्कूल शिक्षा विभाग तथा विभागीय शिक्षक/शिक्षिकाओं को अतिरिक्त प्रभार के रूप में रखा गया है। पद पूर्ति होने पर अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया जावेगा। **(घ)** प्रश्नांश अवधि में छात्रावासों का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों के साथ अन्य विभाग के जिला अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर किया गया है तथा जिन संस्थाओं में मांग एवं कमियां आई थीं उनकी पूर्ति कराई गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(ड.)** जिले में कोई भी छात्रावास विद्यालय (आश्रम) निजी भवनों में संचालित न होने से जानकारी निरंक है।

दिनांक 25 मार्च, 2021

अनुबंधित वाहनों की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

34. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 1589) सुश्री चंद्रभागा किराड़े : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला कार्यालय बड़वानी एवं विकासखण्ड मुख्यालय के कार्यालयों में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक वर्षवार अनुबंधित वाहनों की जानकारी वर्षवार, कार्यालयवार, वाहन नंबर सहित देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक से विभाग द्वारा जारी विभागीय निति नियम, निर्देशों की प्रति देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में अनुबधित वाहनों के संबंध में कार्यालय द्वारा जारी प्रकाशित विज्ञप्ति की कार्यालयीन प्रति देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्षवार, वाहनवार, कार्यालयवार अनुबंधित वाहनों के भुगतान की जानकारी देवें। **(ड.)** प्रश्नांश (क) में अनुबधित वाहनों में से कमर्शियल उपयोग के कितने वाहन थे एवं निजि उपयोग के कितने वाहन थे? बिना टेण्डर के कितने वाहन अनुबंधित किए गए, उनकी जानकारी देवें एवं नियम विरूद्ध वाहन अनुबंधित करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभाग क्या कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जिला कार्यालय बड़वानी एवं विकासखण्ड मुख्यालय के कार्यालयों में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक वाहन अनुबंधित नहीं किया गया किन्तु अति आवश्यकतानुसार समय-समय पर किराये पर वाहन लिये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख)** कार्यालयों में वाहन अनुबंधित किये जाने के संबंध में विभागीय नीति घोषित नहीं है। अपितु वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वाहन किराये पर लिये जाते हैं। **(ग)** जानकारी निरंक है। **(घ)** जानकारी निरंक है। अनुबंधित वाहनों के भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। **(ड.)** जानकारी निरंक है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी मेडिकल कॉलेज की फीस एवं यू.जी. कोर्स की जानकारी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

35. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 5909) श्री कुणाल चौधरी : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निजी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 2013-2014 से 2019-20 की फीस एवं यू.जी. कोर्स की जानकारी बतायें। क्या इस अवधि में फीस में तीन गुना से ज्यादा वृद्धि हो गई? क्या विभाग द्वारा उपकृत होकर फीस के नाम पर लूट करने की छूट दी गई? **(ख)** वर्ष 2016-2017 में फीस वृद्धि के लिये निजी मेडिकल कॉलेज द्वारा दिये आवेदन संलग्न दस्तावेज, समिति द्वारा फीस वृद्धि की अनुमति देने की अनुशंसा तथा बैठक का विवरण देवें। **(ग)** वर्ष 2019-20 के अनुसार कौन-कौन से निजी मेडिकल कॉलेज किस-किस ट्रस्ट द्वारा संचालित किये जाते हैं? ट्रस्ट का नाम, ट्रस्टियों का नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, निवास का पता सहित सूची देवें। **(घ)** क्या यह विभाग के संज्ञान में है कि कुछ मेडिकल कॉलेजों पर विभिन्न वर्षों की यू.जी. तथा पी.जी कक्षाओं में प्रवेश को लेकर हुए फर्जीवाड़े पर सी.बी.आई. तथा एस.टी.एफ ने प्रकरण दर्ज किये है? यदि हाँ तो कॉलेज के नाम सहित प्ररकण की सूची देवें तथा बतावें कि विभाग स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा उनकी मान्यता क्यों नहीं रद्द की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। उक्त अवधि में फीस में 1.33 से 3 गुना तक वृद्धि हुई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(घ)** जी हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका क्रमांक 372/15 में दिनांक 09.07.2015 को पारित निर्णय के परिपालन में व्यापम परीक्षाओं से संबंधित दर्ज समस्त प्रकरण अग्रिम विवेचना हेतु सी.बी.आई. को सुपुर्द किये जा चुके है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ आर्थिक अपराध के प्रकरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

36. अता.प्र.सं.62 (क्र. 6193) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन एवं इंदौर संभाग में 1 जनवरी 18 के पश्चात कृषि विभाग के किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें कहाँ-कहाँ प्राप्त हुई? **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित बतायें कि किन-किन शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी-कितनी राशि की अनियमिततायें कर्मचारी के खिलाफ पाई गई? शिकायतकर्ता का नाम सहित जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) और **(ख)** संदर्भित कितने प्रकरणों को पुलिस को सौंपा गया तथा कितनों में कार्यवाही न्यायालय में प्रचलन में है तथा कितने में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई तथा कितनों को दोष मुक्त किया गया?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** उज्जैन एवं इन्दौर संभाग में 1 जनवरी 2018 के पश्चात विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उतरांश (क) एवं (ख) अनुसार शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता हैं।

समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

37. अता.प्र.सं.95 (क्र. 6441) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वित्तीय वर्ष 2017 से प्रश्न तिथि के दौरान के.के. पाण्डेय, उप संचालक, कृषि के विरूद्ध पांच शिकायतें, आर.एस. शर्मा के विरूद्ध दो शिकायतें, उत्तम सिहं बागरी के विरूद्ध दो शिकायतों पर किसान कल्याण विभाग के दौरान प्रश्न तिथि तक शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं किया है? यह सभी जांचें किन तिथियों से चल रही हैं? जांचकर्ता अधिकारियों का नाम, पदनाम देते हुए बतायें कि उपरोक्त जांचें तयशुदा समय-सीमा में जांच पूर्ण न करने वाले जांच अधिकारी के विरूद्ध राज्य शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जिन अधिकारियों ने पद का दुरूपयोग कर आर्थिक अनियमितताएं की हैं, उन पर विभाग दोष सिद्ध होने के बाद भी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्रकरण पंजीबद्ध क्यों नहीं करवा रहा है? **(ग)** क्या कठोर दण्डनीय कार्यवाही न होने पर प्रश्नांश (क) में वर्णित अधिकारियों के द्वारा एक के बाद एक आर्थिक अनियमितताएं पद का दुरूपयोग कर की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापना करा ली जाती है? अगर नहीं तो क्यों राज्य शासन के द्वारा उक्त अधिकारियों को जांच लंबित रहने पर मुख्यालय से अटैच नहीं किया है?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वित्तीय वर्ष 2017 से प्रश्न तिथि के दौरान के.के. पाण्डेय, उप संचालक कृषि के विरूद्ध (पांच) शिकायतें, श्री आर.एस. शर्मा के विरूद्ध (दो) शिकायतें, उत्तम सिंह बागरी के विरूद्ध (दो) शिकायतों की जांच प्रारंभ होने, जांच अधिकारी का पदनाम तथा निराकरण संबधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त शिकायतों की जांच विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराया जाकर गुण-दोष के आधार पर शिकायतों में कार्यवाही की जाती है। वित्तीय अनियमितताएं प्रमाणित होने पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने

की कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं, विभाग को प्राप्त शिकायतों की जांच विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराया जाकर गुण-दोष के आधार पर शिकायतों में कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 26 मार्च, 2021

स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

38. परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 4238) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 03 वर्षों में प्रदेश के जिलों में कितनी नवीन स्वास्थ्य संस्था स्वीकृत तथा उन्नयन की गईं, तथा इनमें कितने पद स्वीकृत किये गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार नवीन संस्था स्वीकृत करने, संस्था उन्नयन करने, तथा जिलों में पद स्वीकृत करने के उपरांत क्या इन संस्थाओं के क्रियान्वयन से संचालनालय (मुख्यालय) में पदस्थ अमले (तृतीय श्रेणी) का कार्य बढ़ता है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि हाँ, तो वर्ष 2019 से आज तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में कितना अमला स्वीकृत किया गया है? नहीं तो क्यों? कब तक स्वीकृत किया जावेगा? **(घ)** वर्ष 2015 की स्थिति में प्रदेश में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्या एवं स्वीकृत पद संख्या एवं प्रश्न दिनांक की स्थिति में स्वीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं स्वीकृत पद संख्या की जानकारी उपलब्ध करावें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** विगत 03 वर्षों में प्रदेश में 150 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत तथा उन्नयन की गई, इनमें 4345 पद स्वीकृत किये गये हैं। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2015 की स्थिति में प्रदेश में 11099 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं। स्वीकृत पद की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** प्रश्न दिनांक की स्थिति में 11928 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(घ)** वर्ष 2015 की स्थिति में प्रदेश में कुल 9679 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत थीं एवं इनमें 54051 पद स्वीकृत थे। प्रश्न दिनांक की स्थिति में कुल 11629 स्वास्थ्य संस्थायें स्वीकृत हैं एवं इनमें 59108 पद स्वीकृत है।

संविदा कर्मियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

39. परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 5580) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन द्वारा संविदा कर्मियों को उनके समकक्ष नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा विभाग द्वारा कितने-कितने संविदा कर्मियों को नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन दिया जा रहा है? **(ग)** संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी है? **(घ)** किन-किन विभागों में पदस्थ संविदा अमले को ई.पी.एफ. का लाभ दिया जा रहा है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** दिनांक 05 जून, 2018 की संविदा नीति अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के निर्देश हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** ऊर्जा विभाग अंतर्गत कार्यरत विद्युत कंपनियों में पदस्थ 5178 संविदा कार्मिकों को जिनकों समकक्ष नियमित पदों के वेतन का 90 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित जानकारी निरंक है।

(घ) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, पर्यटन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण, ऊर्जा, संस्कृति, नगरीय विकास एवं आवास, गृह, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में पदस्थ संविदा कार्मिकों को ई.पी.एफ. का लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है।

विधायक द्वारा अनुसंशित जनसंपर्क निधि की राशि

[सामान्य प्रशासन]

40. अता.प्र.सं.44 (क्र. 6404) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है की प्रदेश में मंत्री जनसंपर्क निधी में 1 लाख 25 हजार रूपये की राशि प्रतिवर्ष क्षेत्रीय विधायक द्वारा अनुशंसित की जाती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2020-21 में इस संबंध में क्या-क्या आदेश जारी हुये? यदि नहीं तो कितनी राशि की अनुशंसा प्रतिवर्ष विधायक कर सकते हैं? सभी आदेशों की प्रतिलिपि देवें। **(ख)** प्रदेश में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम, मंदसौर एवं नीमच विधान सभाओं में जनसंपर्क निधि का कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा कितना विभाग द्वारा खर्च किया गया? अलग-अलग विधान सभाओं में अलग-अलग राशि के आवंटन के क्या कारण हैं? **(ग)** क्या यह सही है कि वर्ष 2020-21 में मात्र 50 हजार का आवंटन प्रति विधानसभा में विधायकों द्वारा अनुशंसा हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में विधानसभा क्षेत्रों के लिए शेष 75 हजार का आवंटन कब तक प्रदान किया जायेगा? समय सीमा बतायें तथा बतायें कि प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में क्या इसे क्षेत्रीय जिलाधीश द्वारा इसकी स्वीकृति प्रत्याशा में की जा सकती है? यदि हाँ, तो नियमों की प्रतिलिपि देवें। क्या कई जिलों में स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि जिलाधीश द्वारा स्वीकृत की गई? यदि हाँ, तो रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिलों में कलेक्टर की प्रत्याशा के आदेश वर्तमान में क्यों जारी नहीं किये गये?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी नहीं। जनसंपर्क निधि की राशि की अनुशंसा विधायकों द्वारा नहीं की जाती है। जनसंपर्क निधि की राशि प्रभारी मंत्री द्वारा प्रति विधान सभा क्षेत्र के मान से स्वीकृत की जाती है। समस्त निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार**। **(ख)** वर्ष 2020-21 में जनसंपर्क निधि अंतर्गत जारी आवंटन आदेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार**। **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** समस्त विधान सभा क्षेत्रों में समान राशि आवंटित की जाती है। **(ग)** जी नहीं, प्रभारी मंत्री हेतु प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि ₹ 1, 25, 000/- आवंटित की गई है। इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।] **(ख)** प्रदेश में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम, मंदसौर एवं नीमच में जनसंपर्क निधि अंतर्गत जारी आवंटन के विरूद्ध निम्नानुसार खर्च किया गया :-

जिले का नाम	जनसंपर्क निधि अंतर्गत किया गया खर्च
रतलाम	-----
मंदसौर	5, 00, 000/-
नीमच	8, 25, 000/-

स्वास्थ्य केन्द्रों की भवन व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

41. परि.अता.प्र.सं. 57 (क्र. 6553) श्री ओमकार सिंह मरकाम : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** डिण्डौरी जिले के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सभी भवन उपयुक्त हैं तथा वहां उपयुक्त पानी, बिजली,

सड़क, जांच की सुविधा है? अगर हाँ तो बतावें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौराकन्हारी, उप स्वास्थ्य केन्द्र मूषामण्डी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर करंनिया में यह व्यवस्था क्यों नहीं है? **(ख)** अगर नहीं तो उपयुक्त व्यवस्था क्यों नहीं है? उपयुक्त व्यवस्था कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** डिण्डोरी जिले में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों में पर्याप्त व्यवस्था मय पानी, बिजली, सड़क सुविधायुक्त है, उप स्वास्थ्य केन्द्र की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौराकन्हारी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूर्व में दो बार नलकूप खनन कराया गया, किन्तु पानी की मात्रा कम होने के कारण समस्या आ रही है, 15वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत विकास प्लान की बैठक दिनांक 04.02.2021 में प्रस्तावित किया गया है, उप स्वास्थ्य केन्द्र मूषामण्डी में विद्युत कनेक्शन को पुनः जोड़ा जा चुका है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर एवं करंजिया में पूर्व से ही सुविधायें विद्यमान है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" के उत्तर भाग में समाहित है। निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।] **(क)** डिण्डोरी जिले में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों में पर्याप्त व्यवस्था मय पानी, बिजली, सड़क सुविधायुक्त है, परंतु उप स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी जगह शासकीय भवनों में संचालित नहीं है, अनेक स्थानों पर अशासकीय एवं अन्य भवनों में संचालित है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौराकन्हारी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा पूर्व में दो बार नलकूप खनन कराया गया, किन्तु पानी की मात्रा कम होने के कारण समस्या आ रही है, 15वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन हेतु जिला पंचायत विकास प्लान की बैठक दिनांक 04.02.2021 में प्रस्तावित किया गया है, उप स्वास्थ्य केन्द्र मूषामण्डी में विद्युत कनेक्शन को पुनः जोड़ा जा चुका है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर एवं करंजिया में पूर्व से ही सुविधायें विद्यमान है। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

शीघ्रलेखकों के वेतनमानों में वेतन मैट्रिक्स लेवल विसंगति

[सामान्य प्रशासन]

42. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 6630) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन मंत्रालय, विधि विभाग एवं गृह विभाग एवं राज्य सेवाओं के अन्य विभागों में शीघ्र लेखक के पद की भर्ती के लिए अर्हता संबंधी निर्धारित शर्तें क्या हैं? **(ख)** क्या मंत्रालय, विधि विभाग एवं गृह विभाग में वरिष्ठ निज सहायक/निज सचिव का वेतनमान निज सहायक को एवं निज सहायक का वेतनमान शीघ्रलेखक को दिया जा रहा है? उपरोक्त पदों का म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम पांचवा तथा छठवां वेतमान का मैट्रिक लेवल प्रक्रम क्या है? पृथक-पृथक पदवार विवरण दें। **(ग)** राज्य सेवाओं के अन्य विभिन्न विभागों में वरिष्ठ निज सहायक, निज सचिव, निज सहायक एवं शीघ्रलेखक को म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम पांचवा तथा छठवां केन्द्रीय वेतनमान के अनुसार क्या-क्या वेतनमान दिया जा रहा है? बताएं। **(घ)** म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग कार्य आवंटन नियम की प्रतिपादित नीति कंडिका-66 श्रेणी (ग्रेड्स) वेतनमान तथा पदोन्नति के अवसरों में पदोन्नति में युक्तिसंगत सेवा संरचनाओं के तहत शीघ्रलेखक प्रवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती तथा पदोन्नत व्यक्तियों को एकरूप समयमान तथा समान समयमान वेतनमान शीघ्रलेखक प्रवर्ग को दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** राज्य सेवाओं के अन्य विभागों एवं मंत्रालय, विधि विभाग एवं गृह विभाग के बीच पांचवे तथा छठवें वेतनमान के अंतर्गत शीघ्रलेखक प्रवर्ग के वेतन मैट्रिक्स लेवलों में भिन्नता का क्या कारण हैं? यदि उक्त मैट्रिक्स लेवलों में विसंगति है तो उसे कब तक दूर किया जाएगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** विभिन्न विभागों में वित्त विभाग द्वारा लागू समयमान वेतनमान योजना अंतर्गत शीघ्रलेखक संवर्ग को समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** सभी विभागों में भर्ती नियमों के अनुरूप वेतनमानों का निर्धारण किया जाता है। मैट्रिक लेवल में भिन्नता के संबंध में वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है।

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में संशोधन

[सामान्य प्रशासन]

43. अता.प्र.सं.74 (क्र. 6631) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 16-119/98/1-7 (1)/स्था., दिनांक 26 सितंबर 1998 की कंडिका (2) मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में संशोधन संबंधित विभागों द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा, उल्लिखित है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी विभागों द्वारा पृथक से भर्ती नियमों में संशोधन जारी किये गए हैं? यदि नहीं किए गए हैं तो क्यों? **(ग)** क्या राज्य सेवा के समस्त विभागों में सचिवालय/मंत्रालय एवं राजभवन सहित शीघ्रलेखक पद की नियुक्ति के लिए अर्हता संबंधी शर्तें 01 जुलाई 2012 के पूर्व आदर्श थी? यदि हाँ, तो निर्धारित अर्हता से संबंधित आदेश की प्रतियां संलग्न करें। क्या अर्हता संबंधी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की जाती है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-4/1/3/2010 दिनांक 10/09/2010 द्वारा शीघ्रलेखक पद के अहर्ता संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक अभियोजन की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

44. परि.अता.प्र.सं. 94 (क्र. 6662) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक अपराध संबंधी मामलों में लोक अभियोजना की स्वीकृति संबंधी क्या नियम हैं? किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के लिए लोक अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य हैं? विभाग को कितने समय में स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार है? संपूर्ण नियम/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** विभाग में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के लोक अभियोजन की स्वीकृति में मामले वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक आए हैं? उनमें से कितनों को स्वीकृति दी गई? कितने अस्वीकृत किए गए और कितने मामले लंबित हैं? **(ग)** स्वास्थ्य विभाग में खरीदी संबंधी आर्थिक घोटाले में लघु उद्योग निगम के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक बी.एम. सिंह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कब-कब मांगी गई थी? कितने पत्र लिखे गए? उसमें स्वीकृति क्यों नहीं दी गई?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-19 की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। लोक सेवकों को आर्थिक अपराध संबंधी मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम-2018 की धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। सभी लोक सेवक के लिये अनिवार्य है, विभाग 03 माह की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना

विनिश्चय देने का प्रयास करेगा। लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक माह की और अवधि के लिये विस्तारित किया जा सकता है। **(ख)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) म.प्र. द्वारा लोक अभियोजन की स्वीकृति के प्रेषित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब'** एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अभियोजन स्वीकृति के प्रेषित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। **(ग)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) म.प्र. में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 11/2010, धारा 13 (1), 13 (2) भ्र.नि. अधिनियम 1988 एवं 120 बी भा.द.वि. विरूद्ध श्री बिश्वामित्र सिंह मुख्य महाप्रबंधक म.प्र. लघु उद्योग निगम भोपाल एवं अन्य के प्रकरण में दि. 18.03.2014 को प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम भोपाल से अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी, जिसके पश्चात् 03 स्मरण पत्र क्रमश: दि. 29.04.2014, 01.07.2014 एवं 12.08.2014 को लिखे गये। प्रबंधक संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम ने पत्र दि. 08.09.2014 से अवगत कराया गया कि संचालक मंडल द्वारा श्री बी.एम. सिंह मुख्य महाप्रबंधक के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है, तद्नुसार अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई है। **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' पर** है।

सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण दक्षता प्रमाण-पत्र की वैधता

[सामान्य प्रशासन]

45. अता.प्र.सं.98 (क्र. 6689) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मार्च 2020 के बाद प्रश्न दिनांक तक मैप आई.टी. द्वारा सी.पी.सी.टी. परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया है जिसके कारण जिन अभ्यर्थियों द्वारा दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है और उसकी अवधि दो वर्ष की समाप्त हो गई है, वे पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं अन्य शासकीय परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित हो रहे हैं? यदि हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि बेरोजगार हैं को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए शासन विशेष छूट प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? **(ख)** क्या जिन अभ्यर्थियों द्वारा सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण का दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात नियुक्ति शासकीय सेवा में हो जाती है तो वह उनका उर्तीण दक्षता प्रमाण-पत्र को लाईफ टाईम के लिये वैध हो जाता है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या शासन अभ्यर्थियों द्वारा एक बार सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण का दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता है, उसकी वैधता लाईफ टाईम तक रहेगी? यदि नहीं, तो क्या शासकीय सेवा में नियुक्त अभ्यर्थियों से भी उनकी उत्तीर्ण दक्षता प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने के पूर्व पुन: सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये विवश किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। जी नहीं। विशेष छूट संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं। **(ख)** जी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015 के अनुसार सी.पी.सी.टी. प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता मात्र भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता/अर्हता हेतु है। शेष उत्तरांश उद्भूत नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

अगस्त, 2021

दिनांक 9 अगस्त, 2021

आपराधिक प्रकरणों की जानकारी

[गृह]

1. परि.अता.प्र.सं. 19 (क्र. 102) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में नाबालिक लड़कियों/बच्चों के लापता व गुमशुदा होने से सम्बंधित कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं? इसमें फिरौती व अपहरण से सम्बंधित कितने मामले हैं? कितनी लड़कियों/बच्चों का अपहरण हुआ है? अपहरण, हत्या, अपहरण व दुष्कर्म, दुष्कर्म एवं हत्या तथा आत्महत्या के कितने-कितने मामले पंजीकृत हैं? वर्ष 2019 - 20 से 2021 - 22 जून 2021 तक की जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में कितनी लड़कियों को मानव तस्करी व देह व्यापार से मुक्त कराया गया एवं कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) में कितनी लड़कियों/बच्चों को बरामद किया गया हैं/कितनी लड़कियों/बच्चों को पड़ोसी किन-किन राज्यों से बरामद किया गया तथा प्रदेश के किन-किन जिलों से बरामद किया है? कितने घर वापिस लौटे हैं एवं कितने लापता हैं? **(घ)** प्रश्नांकित कितने-कितने मामले प्रदेश के किन-किन आदिवासी जिलों में पंजीकृत हैं? अभियान व लॉकडाउन के दौरान कितनी लड़कियों/बच्चों को बरामद किया गया हैं?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार**। **(घ)** कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्यप्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य जिले घोषित नहीं है, आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड घोषित है। आदिवासी जिलों में पंजीकृत प्रकरणों का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। शेष प्रश्नांश की जानकारी प्ररिशिष्ट 'ब' में समाहित है।

किसान कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वन एवं कार्यवाही

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं.21 (क्र. 146) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायेसवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भारत सरकार द्वारा आदिवासी वर्ग के किसानों को जैविक खेती हेतु वर्ष 2016-17 में प्रदत्त राशि के उपयोग के निर्देशों/नियमों का उल्लंघन और नियमों में मनमर्जी से बदलाव किए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या उल्लंघन होना पाया गया एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा मार्गदर्शी निर्देशों में क्या बदलाव, किस अधिकारिता से किए गए? **(ख)** मध्यप्रदेश के जिलों में भारत सरकार एवं म.प्र. शासन की कौन-कौन सी योजनायें वर्तमान में कब से प्रचलन में हैं और क्या प्रचलित योजनाओं का विगत तीन वर्षों में तृतीय पक्ष से परीक्षण कराया गया? यदि हाँ, तो कब-कब एवं किस प्रकार तथा क्या प्रतिवेदन दिये गए और क्या परिणाम रहे? यदि नहीं, तो क्यों? वर्षवार, जिलावार बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या योजनाओं के क्रियान्वन में अनियमितताओं की वर्तमान में जांच और कार्यवाही लंबे समय से लंबित है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी एवं क्यों? प्रकरणवार बताएं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर भी यह अनियमिततायें सिद्ध और ज्ञात हैं। यदि नहीं, तो कैसे?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2016-17 में म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक-बी-14-2/2017/14-2, दिनांक

18/04/2017 के द्वारा आदिवासी वर्ग के किसानों को जैविक खेती हेतु अनुदान सहायता कार्यक्रम के मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। संचालनालय द्वारा उपरोक्त आदेश के पालन में योजना का क्रियान्वयन किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग)** जी, हाँ। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति कृषकों की आजीविका को समृद्ध करने उनके पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक कृषि आदान सहायता कार्यक्रम एवं मध्यप्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विशेष शत्-प्रतिशत जैविक कृषि आदान सहायता कार्यक्रम में अनियमितताओं की जांच माननीय विधायक महोदयों की गठित कमेटी, एस.टी.एफ., ई.ओ.डब्ल्यू. एवं सी.बी.आई. द्वारा प्रक्रियाधीन है।

अपात्रों को शासकीय आवास का आवंटन

[गृह]

3. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 193) श्री रामलाल मालवीय : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अता.प्र.क्र. 536, दिनांक 17 मार्च 2020 के अनुसार आदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आई श्रेणी के आवास आवंटन की पात्रता का उल्लेख है? यदि हाँ, तो उज्जैन शहर में अता.प्र.क्र. 171, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के साथ संलग्न परिशिष्ठ "पचास" के एल.आई.जी. के लिए अपात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एल.आई.जी. श्रेणी के आवास आवंटन करने का क्या कारण है? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार अता.प्र.क्र. 536, दिनांक 17 मार्च 2020 के (ग) अनुसार उत्तर में भी यह स्वीकारा है कि प्रदेश संभाग एवं जिला पैलेस पर सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आई टाईप आवास के आवंटन के लिए पात्र हैं? शासन के आदेशों की अवहेलना किस अधिकारी द्वारा की गई? उसका नाम पद बतावें। ऐसे अधिकारी पर कब और क्या कार्यवाही की जावेगी? साथ ही क्या भविष्य के लिए अन्य अधिकारियों को नियमों के विरूद्ध कार्य नहीं करने की चेतावनी दी जावेगी? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) व (ख) के अपात्रों को आवंटित एल.आई.जी. आवासों का आवंटन शीघ्र निरस्त किया जाएगा और इन्हें नियमानुसार ई.डब्ल्यू.एस. (आई) टाईप के आवास ही आवंटित किये जावेंगे?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 171 के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट पचास के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एल.आई.जी. (निम्न आय वर्ग हेतु) आवासों का आवंटन "भोपाल को छोड़कर" जिला एवं संभागीय मुख्यालयों पर निर्मित शासकीय आवास गृहों का आवंटन नियम 1973" के अनुसार किया गया है। उपर्युक्त नियम अंतर्गत समस्त शासकीय आवासों को कर्मचारी के वेतन अनुसार "बी" से "आई" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जिसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी "आई" श्रेणी हेतु पात्र है। उपरोक्त वर्गीकरण में एल.आई.जी. (निम्न आय वर्ग हेतु) एवं ई.डब्लू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु) का पृथक से कोई वर्गीकरण अथवा श्रेणीकरण नहीं किया गया है। उज्जैन संभागीय मुख्यालय पर सभी श्रेणियों में मिलाकर सामान्य पूल के कुल 348 आवास उपलब्ध हैं, जिनमें से मुनिनगर, उज्जैन में 64 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 96 एल.आई.जी. (निम्न आय वर्ग हेतु) आवास उपलब्ध हैं। सामान्यत: इसमें से एल.आई.जी. आवास तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को एवं ई.डब्ल्यू.एस. आवास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं। समय-समय पर प्रशासकीय दृष्टिकोण से तत्कालिक आवश्यकता एवं आवास उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए कुछ एल.आई.जी. आवास प्रश्न क्रमांक 171 के उत्तर के परिशिष्ट पचास में उल्लेखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं। **(ख)** शासन आदेशों की अवहेलना किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) के क्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कुर्की की कार्यवाही के संबंध में

[गृह]

4. अता.प्र.सं.86 (क्र. 415) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अशोकनगर जिले के बहादुरपुर थाने में 2010 से 2021 तक के कितने 307 के इजाफा 302 के मामले हुये और कितनों में 8 दिन में आरोपियों पर 30 हजार तक इनाम रखा गया? कितने मामलों में 15 दिन के अंदर उद्घोषणा न्यायालय से करा के कुर्की की कार्यवाही की गई? अशोकनगर जिले में आज दिनांक में कितने 302 के आरोपी फरार हैं और उन्हें फरारी का कितना टाइम हो गया? उनमें से कितनों पर कुर्की की कार्यवाही की गई और बाकी पर कब तक होगी? सारी जानकारी प्रकरण नंबर सहित उपलब्ध करायें। **(ख)** अशोकनगर जिले में 2010 से 2021 में कितनी 307 और 302 की प्राथमिकी हुई, जिनमें ज्ञात-अज्ञात आरोपी की संख्या कम थी किन्तु आरोपियों के 27 के कथन पर से जिनके न्यायालय के चालान में आरोपियों की संख्या बढ़ाते हुये पेश किया गया और कितने 302 के प्रकरण में फरयादी अज्ञात आरोपियों को शिनाख्त में नहीं पहचान पाया और कितने मामले हैं जिनमें आरोपियों की दूसरी शिनाख्त करवाई गई? पिछले 10 वर्ष में सभी के प्रकरण नंबर सहित जानकारी दें। **(ग)** अशोकनगर के बहादुरपुर थाने के प्रकरण क्रमांक 108/20 में गवाह सुजान आदिवासी के मृतक का मर्ग इंटिमेशन 28/05/2020 का है किन्तु न्यायालय चालान में 27/05/2020 के इजाफा 302 के बाद कथन लेख किये गए हैं? सभी के प्रकरण नंबर सहित जानकारी दें। **(घ)** बटालियन 26 गुना डी कंपनी से आर. 63 सुधीर मिश्रा और आर. 744 गिरिराज यादव की 23/05/2020 से 29/05/2020 तक कहाँ-कहाँ, किस-किस तारीख में किसके यहां गनमेन में ड्यूटी रही और किस प्रभावी आदेश क्रमांक पर गिर्राज यादव को पुलिस मुख्यालय ने 26/03/2020 को अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड देने से मना कर दिया था तो 26/05/2020 को गिर्राज पर हमले के समय गिर्राज की सुरक्षा में 2 गनमेन थे, उसे अतिरिक्त गार्ड के रूप में आर. 744 गिरिराज दिनांक 24/05/2020 से दिया गया था? पुलिस मुख्यालय के आदेश के विपरीत जाने का क्या कारण था? क्या पुलिस को हमले की आशंका की जानकारी पहले से मिल गई थी? आर. 63 सुधीर मिश्रा ने कंपनी कमाण्डर को 27/05/2020 को गिर्राज पर हमले की सूचना दी और 09/06/2020 को न्यायालय चंदेरी में हमले की जानकारी न होना बताया गया। 2 अलग सूचना देने पर एवं विभाग या न्यायालय में कहीं एक बार झूठ बोलने पर विभाग ने अब तक सुधीर के विरूद्ध क्या कार्यवाही की? नहीं की तो कब विभाग कार्यवाही करेगा?

गृह मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (ग)** प्रकरण में चालान दिनांक 26.08.2020 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से जानकारी देना विधिसम्मत नहीं है। **(घ)** गिर्राज यादव की सुरक्षा के लिये दिनांक 05.03.2020 को 26वीं वाहिनी बिसबल गुना का आरक्षक मुकेश तोमर स्थानीय स्तर पर लगाया गया था। उक्त वाहिनी से ही आरक्षक सुधीर मिश्रा दिनांक 03.04.2020 को गिर्राज यादव की सुरक्षा हेतु स्थानीय स्तर पर लगाया गया था। दिनांक 23.05.2020 तक आरक्षक मुकेश तोमर ने सुरक्षा ड्यूटी की थी, दिनांक 24.05.2020 से आरक्षक मुकेश तोमर के अवकाश पर जाने के कारण इसके स्थान पर 26वीं वाहिनी बिसबल का आरक्षक गिरिराज यादव को दिनांक 24.05.2020 से सुरक्षा ड्यूटी हेतु स्थानीय स्तर पर भेजा गया था। आरक्षक सुधीर मिश्रा ने 27.05.2020 तक गिर्राज यादव की सुरक्षा डयूटी की थी, दिनांक 27.05.2020 को आरक्षक सुधीर मिश्रा पुलिस लाईन अशोकनगर वापस आ गया था। आरक्षक गिरिराज यादव दिनांक 28.05.2020 को पुलिस लाईन अशोकगनर वापस आ गया था। गिर्राज यादव को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 26.03.2020 के द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड देने से मना कर दिया था। गिर्राज यादव को स्थानीय स्तर पर सुरक्षा गार्ड दिया गया था। पुलिस को हमले की आशंका की जानकारी पहले से नहीं मिली थी। आरक्षक सुधीर मिश्रा ने दिनांक 27.05.2020 को 26वीं वाहिनी के निरीक्षक को व्हाट्सएप्प के माध्यम से एक आवेदन भेजा था जिसमें उसने गिर्राज यादव और उसके पिता पर हमला होना बताया था। दिनांक 08.06.2020 को माननीय न्यायालय में आरक्षक सुधीर मिश्रा ने बताया था कि वह इस हमले के संबंध में दर्ज कराई गई

एफ.आई.आर की घटना में वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। विभाग को गलत सूचना देने पर आरक्षक सुधीर मिश्रा को जांच के उपरांत दंडित किया गया है तथा आरक्षक की भविष्य में गनमैन के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जाने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक अशोकनगर द्वारा की गई। उक्त अनुशंसा के आधार पर भविष्य में आरक्षक 63 सुधीर मिश्रा का नाम प्रशिक्षित अंगरक्षकों की सूची से पृथक कर इन्हें कभी सुरक्षा ड्यूटी में न लगाने का निर्णय लिया गया है।

कोरोना महामारी के कार्यों में अनियमितताएं

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. अता.प्र.सं.94 (क्र. 436) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल, गुना, अशोक नगर, शिवपुरी, राजगढ़, विदिशा एवं ग्वालियर जिलों के ग्रामों, ग्राम पंचायत अथवा ग्रामीण अंचलों में मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक कोविड रोकथाम (कोविड जांच - आर.टी.पी.सी.आर./रेपिड ऐन्टीजन), वैक्सीनेशन, दवाइयों का वितरण, मास्क, सेनेटाईजर, पी.पी.ई. किट) अप्रवासी/प्रवासी श्रमिकों इत्यादि) के लिये कार्यवाहियां की गई हैं? यदि हाँ, तो किस-किस आदेश से, कितनी-कितनी अवधि के लिये, किस-किस दर पर, कितनी-कितनी संख्या में खरीदी कर उपलब्ध कराई गई, की सम्पूर्ण जानकारी का गौशवारा बनाकर पृथक-पृथक जिलेवार, कार्यवार बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या कोरोना पीड़ित होने पर ग्रामों, ग्राम पंचायतों से मरीजों की चिकित्सालयों अथवा होम क्वारंटीन किया गया, जिसकी जानकारी सचिवों ने ब्लॉक स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पर प्रस्तुत की गई है एवं कोविड मरीजों की मृत्यु हुई? यदि हाँ, तो जिलेवार पृथक-पृथक बतायें। **(ग)** कोविड (कोरोना) माहमारी की रोकथाम के लिये नि:शुल्क दवाइयों की किट का वितरण ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के मान से कितनी-कितनी किट उपलब्ध कराई? ग्राम एवं ग्राम पंचायतवार बतायें। **(घ)** उपरोक्त के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/स्थाई कर्मी/अस्थाई कर्मी या अन्य संबद्ध कर्मचारियों का सामूहिक बीमा कराया गया है? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? पंचायतों द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें। **(ड.)** उपरोक्त के संबंध में मास्क की खरीदी किस-किस फर्म/स्व-सहायता समूहों से किस-किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में की गई? ग्राम एवं ग्राम पंचायत के नाम, राशि एवं बिलों को विवरण सहित प्रस्तुत करें। साथ ही पी.पी.ई. किट, सेनेटाईजर, मास्क के बगैर कार्य करने पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों जो कोविड बीमारी से ग्रसित हुये अथवा उनकी मृत्यु होने पर उन्हें क्या-क्या सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों? सहायता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कब तक, क्या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"य" अनुसार** है।

लंबित प्रकरणों का निराकरण

[गृह]

6. अता.प्र.सं.97 (क्र. 441) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आयुक्त चंबल संभाग मुरैना एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक नवीन पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र लायसेंस/फौती लायसेंस/शस्त्र लायसेंस नामांतरण के कितने प्रकरण अनुशंसा सहित म.प्र. शासन गृह (पुलिस विभाग) को किस-किस पत्र क्रमांक से प्रेषित किए गए? आवेदकों के नाम, पता

सहित विवरण दें। **(ख)** उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किन-किन प्रकरणों का निराकरण कर आदेश जारी किए गए एवं कितने प्रकरण किन कारणों से लंबित हैं? लंबित प्रकरणों की जानकारी नाम, पता सहित बताएं एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जाएगा?

गृह मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक नवीन पिस्टल/रिवाल्वर लायसेंस/फौती लायसेंस एवं नामान्तरण के कुल 1131 प्रस्ताव प्राप्त हुये है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ', 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ख)** आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना एवं आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक नवीन पिस्टल/रिवाल्वर लायसेंस/फौती लायसेंस एवं नामान्तरण के कुल 1131 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिनमें 303 प्रकरणों में स्वीकृत आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं 705 प्रकरण विभाग में प्रक्रियाधीन है, जिनका नियमानुसार निराकरण किया जावेगा, समय-सीमा बताना संभव नहीं है। लंबित प्रकरणों के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ', 'ब' एवं 'स' में समाहित** है।

दिनांक 10 अगस्त, 2021

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

[वित्त]

7. परि.अता.प्र.सं. 32 (क्र. 430) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा दिनांक 20 मई 2021 को विशेष अनुग्रह योजना के तहत म.प्र. में कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिवार को राशि रू. 5.00 लाख दिए जाने हेतु एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत 01 मार्च के बाद कोरोना से मृत कर्मचारियों के पात्र दावेदार को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो इस संबंध में शासन द्वारा कब-कब, क्या आदेश जारी किए गए एवं क्या-क्या नियम बनाए गए? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में भोपाल एवं इंदौर संभाग में विशेष अनुग्रह योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने पात्र दावेदारों को कितनी-कितनी राशि का वितरण कब-कब किया गया? हितग्राहियों के नाम एवं पता सहित विवरण दें। **(ग)** 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत राजधानी भोपाल एवं इंदौर संभाग में शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकंपा नियुक्ति हेतु कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने पात्र आवेदकों को किस-किस विभाग में किस-किस पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई? हितग्राहियों के नाम एवं पता सहित बताएं।

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना से संबंधित आदेश दिनांक 21.05.2021 से एवं 16.07.2021 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के आदेश दिनांक 28.05.2021 एवं 15.07.2021 जारी किए गए। **(ख)** संभागायुक्त इंदौर एवं भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशेष अनुग्रह योजना के भोपाल संभाग में कुल 136 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 78 पात्र दावेदारों को राशि वितरित की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार।** इंदौर संभाग में कुल 277 आवेदन प्राप्त जिनमें पात्र 126 दावेदार को राशि वितरित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।** **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति के भोपाल संभाग में कुल 172 आवेदन प्राप्त जिनमें पात्र 67 आवेदकों की नियुक्ति प्रदान की गई। **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार। इंदौर संभाग में कुल 347 आवेदन प्राप्त जिनमें से पात्र 85 आवेदकों को नियुक्ति प्रदान की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार।**

कोविड महामारी के मृत्यु प्रकरण-पत्र एवं व्यय की जानकारी

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

8. परि.अता.प्र.सं. 50 (क्र. 569) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कितने मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए है? अभी तक सतना जिले में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या कितनी है और कितने लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं? क्या मृत्यु प्रमाण-पत्रों में मृत्यु का कारण कोविड बीमारी दर्शाया गया है? अगर हाँ, तो सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों? क्या मृत्यु प्रमाण-पत्रों के निरंक कालम में मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा? स्पष्ट करें। **(ख)** जिला सतना कलेक्टर के द्वारा मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोविड-19 महामारी के मद में किन-किन सामग्रियों पर कितना-कितना खर्च किया गया? संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। **(ग)** शासन द्वारा कितनी राशि कोविड-19 महामारी के मद में प्रश्न दिनांक तक सतना जिले को दी गई? उक्त राशि का किस-किस विभाग द्वारा किस-किस मद में कितना खर्च किया गया? साथ ही आमजन से एवं सतना जिले की औद्योगिक इकाइयों से कोविड-19 के लिए कितनी राशि किस-किस माध्यम से सतना जिला कलेक्टर को प्राप्त हुई? क्या कोविड-19 के मद में प्राप्त राशि का खर्च किसी समिति के निगरानी में हुआ अथवा नहीं? यदि हाँ, तो समिति के सभी सदस्यों की नामवार सूची व कार्यवाही रजिस्टर का विवरण एवं खरीदी सामग्री की रसीद व भुगतान का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं।

वित्त मंत्री : [**(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** सतना जिले में मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल 22971 मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रश्न दिनांक तक कोविड-19 से 100 लोगों की मृत्यु हुई है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। जी नहीं। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17 (1) (ख) के अनुसार मृत्यु संबंधी कोई उद्धरण मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्ट कारण प्रकट नहीं करेगा। **(ख)** सतना कलेक्टर द्वारा मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक कोविड-19 महामारी के मद में कुल राशि रुपये 3, 96, 01, 385.00 खर्च की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" पर** है। **(ग)** कोविड महामारी के मद में प्रश्न दिनांक तक सतना जिले को राशि रु. 5, 22, 96, 558/- दी गई। जिसका व्यय राजस्व, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग द्वारा पुनर्वास शिविरों (भोजन एवं कपड़े सहित) की व्यवस्था एवं मेडिकल शिविरों (Quarantine शिविरों) के संचालन, शिविरों का पर्यवेक्षण आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु क्रय किये जाने वाली सामग्री, साफ-सफाई पर व्यय आदि में किया गया। देयकों का भुगतान शासन के निर्देशानुसार समस्त नियमों का पालन कर किया गया है। मदवार विवरण की **जानकारी उत्तरांश "ख" में उल्लेखित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। आमजन तथा सतना जिले की औद्योगिक इकाइयों से कोविड-19 हेतु रु. 7017500/- की राशि प्राप्त हुई जिसे PM Cares Fund- 6894300.00, CM relief Fund- 118100.00, PM relief Fund- 5100.00 में जमा किया गया है।

लोक अभियोजन की स्वीकृति के नियम

[सामान्य प्रशासन]

9. परि.अता.प्र.सं. 56 (क्र. 621) श्री उमाकांत शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 26 मार्च 2021 के तारांकित 94 (क्र. 6662) के उत्तर में बताया गया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। विभाग द्वारा प्रश्न के उत्तर की जानकारी कब तक एकत्रित की जावेगी? समय-सीमा बतावें।

(ख) सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक अपराध संबंधी मामलों में लोक अभियोजन की स्वीकृति संबंधी क्या नियम हैं? किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के लिए लोक अभियोजन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है? विभाग को कितने समय में स्वीकृति/अस्वीकृति करने का अधिकार है? संपूर्ण नियम/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** विभाग में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के लोक अभियोजन की स्वीकृति के मामले वर्ष 2010 से प्रश्नांकित दिनांक तक आये हैं? उनमें से कितनों की स्वीकृति दी गई है? कितने अस्वीकृत किये गये हैं और कितने मामले लंबित हैं? **(घ)** स्वास्थ्य विभाग में खरीदी संबंधी आर्थिक घोटाले में लघु उद्योग निगम के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक बी.एम. सिंह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति कब-कब मांगी गई थी? कितने पत्र लिखे गये हैं? उनमें स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं? दस्तावेजों व पत्राचारों की छायाप्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जानकारी एकत्रित की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा-19 की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। लोक सेवकों को आर्थिक अपराध संबंधी मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम-2018 की धारा 19 के तहत अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है। सभी लोक सेवक के लिये अनिवार्य है, विभाग 03 माह की अवधि के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय देने का प्रयास करेगा। लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से एक माह की और अवधि के लिये विस्तारित किया जा सकता है। **(ग)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) म.प्र. द्वारा लोक अभियोजन की स्वीकृति के प्रेषित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब'** एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अभियोजन स्वीकृति के प्रेषित प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। **(घ)** विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) म.प्र. में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 11/2010, धारा 13 (1), 13 (2) भ्र.नि. अधिनियम 1988 एवं 120 बी भा.द.वि. विरूद्ध श्री बिश्वामित्र सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल एवं अन्य के प्रकरण में दि. 18.03.2014 को प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम भोपाल से अभियोजन स्वीकृति चाही गई थी, जिसके पश्चात् 03 स्मरण पत्र क्रमश: दि. 29.04.2014, 01.07.2014 एवं 12.08.2014 को लिखे गये। प्रबंधक संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम ने पत्र दि. 08.09.2014 से अवगत कराया गया कि संचालक मंडल द्वारा श्री बी.एम. सिंह मुख्य महाप्रबंधक के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है, तद्नुसार अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई है। **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार** है।

मंहगाई भत्ते, वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण की जानकारी

[वित्त]

10. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 677) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केन्द्र के समान म.प्र. राज्य सरकार के कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक दे दिया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या राज्य शासन के कर्मचारियों को जुलाई 2020 एवं जुलाई 2021 में मिलने वाली वेतन वृद्धि (मूल वेतन की 3%) देने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक दे दिया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या राज्य शासन के समस्त विभागों में वेतनमान के अनुसार पदनाम देने का प्रावधान है? जिन विभागों में प्रक्रिया लागू नहीं हुई है उन विभागों में वेतनमान के अनुसार पदनाम देने का प्रावधान कब तक किया जावेगा? **(घ)** राज्य शासन के समस्त विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन भोगी अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कब तक नियमित किया जायेगा?

वित्त मंत्री : [**(क)** जी नहीं। राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 898/2020/नियम/चार, दिनांक 29.07.2020 के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि का काल्पनिक रूप से दिये जाने हेतु आदेश जारी किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार**। वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 1259/2021/नियम/चार, दिनांक 26.07.2021 के द्वारा जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022 की वेतन वृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार**। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** जी, नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वेतनमान के अनुसार पदनाम देने के संबंध में कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किये गये। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** आउटसोर्स की सेवाएं अल्पावधि के लिये की जाती है तथा कार्य पूर्ण होने पर समाप्त हो जाती हैं। आउटसोर्स बिना भर्ती नियम/चयन प्रक्रिया के ठेका प्रथा के माध्यम से की जाती है। इस सेवा के कर्मचारियों को नियमित करने के कोई निर्देश नहीं है। संविदा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति का अवसर प्रदान करने हेतु परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 द्वारा नीति-निर्देश जारी किये गये हैं। दैनिक वेतनभोगी, अस्थाई कर्मचारियों का नियमितीकरण सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 16 मई, 2007 के मापदण्ड अनुसार कार्यवाही के निर्देश हैं। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

संविदा कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

[सामान्य प्रशासन]

11. अता.प्र.सं.84 (क्र. 679) श्री पी.सी. शर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों का 90 प्रतिशत का फार्मूला किस आधार पर निर्धारित किया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस विभाग में लागू किया गया है? सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या राज्य शासन के बहुत से विभाग और परियोजनाओं में अनेक वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण का फार्मूला नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का 100 प्रतिशत और नियमित कर्मचारियों के समान ही मंहगाई भत्ता दिये जाने का प्रावधान है? **(ग)** क्या म.प्र. शासन संविदा कर्मचारियों के वेतनमान के संबंध में 6 जून, 2018 की संविदा नीति में संशोधन आदेश जारी करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री : [**(क)** मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 31 दिनांक 29 मई, 2018 में लिये गये निर्णय के आधार पर निर्धारित किया गया। शेषांश **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी हाँ। विभिन्न विभाग/परियोजनाओं में अपने सेवा शर्तों के तहत नियुक्त कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की गई। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग की संविदा नीति-निर्देश दिनांक 05 जून, 2018 शासन के समस्त विभागों के लिए है। इस नीति के अनुसार वन विभाग, जनसंपर्क, संसदीय कार्य, विमानन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, संस्कृति, जेल, ऊर्जा, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य, महिला एवं बाल विकास, वाणिज्यिक कर, खेल एवं युवा कल्याण, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्नकर्ता विधायक के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

12. अता.प्र.सं.100 (क्र. 771) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के निर्वाचित विधायक के पत्रों के उत्तर देने संबंधी आदेश नगरीय प्रशासन एवं

विकास विभाग पर भी लागू होता है? **(ख)** प्रश्न की कंडिका (क) का उत्तर यदि हाँ तो प्रश्नकर्ता विधायक ने 01 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने पत्र संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल संभाग को लिखे उन पत्रों की प्रति तथा संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा उन पत्रों पर किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की तथा प्रश्नकर्ता विधायक से विभाग ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या पत्राचार किया की जानकारी उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** दिनांक 01 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक कुल 02 पत्र लिखे गए। संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल संभाग को लिखे गये पत्रों की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। संयुक्त संचालक द्वारा उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

दिनांक 11 अगस्त, 2021

समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

13. अता.प्र.सं.4 (क्र. 45) श्री महेश परमार : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2020 में उज्जैन जिलांतर्गत कितनी गेहूँ खरीदी हुई? सेवा सहकारी समितियों/विपणन समितियों द्वारा कितनी गेहूँ खरीदी की गयी? गेहूँ प्रदायकर्ताओं द्वारा कौन-कौन सी संस्थाओं में कब-कब सामग्री पहुंचाई गयी? माहवार आवंटन, वितरण एवं भंडारण तीनों का अलग-अलग विवरण प्रदान करें। **(ख)** वर्ष 2020 में गेहूँ खरीदी, भंडारण एवं वितरण के लिए कौन-कौन सी संस्थाओं को कितना टारगेट निर्धारित था और उसके एवज में कुल कितनी खरीदी की गयी? **(ग)** वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने किसानों से गेहूँ खरीदा गया था? कितने किसानों को अपनी उपज का मूल्य भुगतान कर दिया गया और कितने किसानों का प्रश्न दिनांक तक भुगतान किया जाना शेष है? **(घ)** खरीदे गए गेहूँ के भंडारण के लिए कितनी राशि जिले के लिए खर्च की गयी? खर्च राशि से कौन-कौन से कार्य संपादित किए गए? संपादित कार्य और खर्च का सत्यापन किसके द्वारा किया गया? **(ड.)** त्रैमासिक ऑडिट कब-कब की गयी? ऑडिट की प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए परीक्षण रिपोर्ट के साथ पटल पर रखें। उपरोक्त व्यय के संबंध में आवंटन, क्रय व भुगतान के आदेश की प्रति देते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराएं।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2020 में उज्जैन जिले में समर्थन मूल्य पर सेवा सहकारी समितियों/विपणन समितियों के माध्यम से 835705 मे. टन गेहूँ की खरीदी की गई है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए गए गेहूँ में से जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य योजनाओं में माह जनवरी, 2020 से मार्च 2021 तक माहवार आवंटन के विरूद्ध वितरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी के लिए संस्थावार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। जिले में गेहूँ के बोए गए रकबे एवं उत्पादन अनुसार उपार्जन अनुमान के आधार पर तैयारी की जाती है। उपार्जित मात्रा का भंडारण सर्वप्रथम जिले में भंडारण स्थलों पर क्षमता के अनुरूप भंडारण पूर्ण होने के उपरांत अन्य जिलों में उपलब्ध रिक्त क्षमता एवं न्यूनतम दूरी के आधार पर सड़क/रेल मार्ग से परिवहन कर भंडारण कराया जाता है। जिले में वर्ष 2020 में 835705 मे. टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। **(ग)** वर्ष 2020-21 में कुल 92798 किसानों से 835705 मे. टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। समस्त कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। कोई भी कृषक भुगतान से शेष नहीं है। **(घ)** जिले में उपार्जित गेहूँ के भंडारण हेतु अस्थाई केप का निर्माण मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा

कराया गया जिस पर 2, 79, 06, 800 रू. राशि का व्यय हुआ है। व्यय की गई राशि का सत्यापन निर्माण एजेंसी के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया है। **(ड.)** भंडारण पर हुए व्यय का वार्षिक ऑडिट कार्पोरेशन के अंकेक्षक एवं चार्टेड एकाउटेंट से कराया गया है। ऑडिट रिपोर्ट की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। त्रैमासिक ऑडिट नहीं किया जाता है।

खाद्यान्न परिवहन एवं भण्डारण पर किये गये व्यय की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

14. अता.प्र.सं.54 (क्र. 546) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक कुल कितने टन खाद्यान्न का उपार्जन किया गया तथा उसका निष्पादन कितनी-कितनी मात्रा में कैसे किया गया? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में कितना खाद्यान्न खराब या कम गुणवत्ता का हो गया तथा वह किस दर से कितनी मात्रा में किस-किस फर्म को बेचा गया? **(ग)** खाद्यान्न के परिवहन तथा भण्डारण पर प्रश्नाधीन वर्ष में औसत प्रति किलो क्या लागत आई तथा परिवहन तथा भण्डारण पर वर्ष अनुसार कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? खाद्यान्न अनुसार अलग-अलग बतावें। **(घ)** मध्यान्ह भोजन हेतु आलोच्य वर्ष में कितना-कितना टन गेहूँ दिया गया तथा उसकी डिमान्ड का विवरण देवें। **(ड.)** वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों तथा उनकी संख्या देवें तथा उन्हें कुल कितना खाद्यान्न वितरित किया गया?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक की अवधि में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** एवं उक्त अवधि में उपार्जित खाद्यान्न की निष्पादन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न खराब या गुणवत्ता में कमी वाले खाद्यान्न के निष्पादन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–स अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक खाद्यान्न के परिवहन तथा भंडारण पर हुए व्यय एवं औसत लागत प्रति किलो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–द अनुसार** है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के प्रावधानिक लेखा तैयार करने का कार्य प्रचलन में है। **(घ)** प्रश्नाधीन अवधि में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजनांतर्गत खाद्यान्न आवंटन हेतु संबंधी मांग-पत्र एवं प्रदाय किए गए गेहूँ की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार** है। **(ड.)** वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र परिवारों की जनसंख्या एवं वितरित खाद्यान्न की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार** है।

खाद्यान्न वितरण की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

15. अता.प्र.सं.114 (क्र. 828) श्री जितू पटवारी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग की प्रतिवर्ष खाद्यान्न उपार्जन में 500 से 800 करोड़ की हानि क्यों होती है? वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक हुई हानि की राशि मदवार एवं वर्षवार कारण सहित बतावें। **(ख)** विभाग द्वारा प्रश्नाधीन वर्ष में कौन-कौन सा खाद्यान्न कितनी मात्रा में उपार्जित किया तथा उसका निपटान किस-किस मात्रा में किस अनुसार किया गया? **(ग)** विभाग द्वारा खाद्यान्न के परिवहन भंडारण पर वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक कितना-कितना खर्च किया गया? खाद्यान्न अनुसार वर्षवार बतावें। उक्त खाद्यान्न के परिवहन की औसत दर प्रति किलोमीटर क्या प्राप्त हुई? **(घ)** विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 से 2020 -21 में खराब या कम गुणवत्ता का खाद्यान्न पुन: किस दर से कितनी मात्रा में किस-किस फर्म/कम्पनी/व्यक्ति को बेचा गया? **(ड.)** वर्ष

2014-15 से 2020-21 तक जांच में किस-किस फर्म द्वारा दिया गया खाद्यान्न अमानक पाया गया? जांच रिपोर्ट देवें तथा बतावें कि उन फर्म पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया या नहीं?

खाद्य मंत्री : [**प्रश्नांश (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** विपणन वर्षवार स्कंध के संपूर्ण निराकरण उपरांत वास्तविक व्ययों के अंकेक्षित लेखों के आधार पर अंतिम आर्थिक लागत का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अंतिम आर्थिक लागत के निर्धारण होने के पश्चात ही हानि की स्थिति का आंकलन किया जा सकता है। अद्यतन स्थिति में भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 में धान सी.एम.आर. चावल एवं रबी विपणन वर्ष 2012-13 गेहूँ हेतु अंतिम आर्थिक लागत का निर्धारण किया गया है, जिसमें क्रमश: 154.80 करोड़ एवं 1306.42 करोड़ की हानि (MPSCSC+Markfed) हुई है जो भारत सरकार के तय सिद्धांतों के आधार पर मान्य/अमान्य/आंशिक मान्य व्यय के कारण उत्पन्न होती है। (यथा मण्डी लेबर, परिवहन, बारदाना, ब्याज, भण्डारण, धान सूखत व्यय आदि) गेहूँ रबी विपणन वर्ष 2015-16, धान/मोटा अनाज खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 तक के लेखे केन्द्र शासन को प्रेषित कर दिये गये हैं। इन प्रेषित लेखों की अंतिम आर्थिक लागत का निर्धारण केन्द्र शासन द्वारा नहीं किया गया है। **(ख)** समस्त उपार्जित स्कंध के निराकरण उपरांत भारत सरकार को अंतिम प्रेषित गेहूँ, धान-चावल एवं मोटा अनाज के उपार्जन लेखों के अनुसार खाद्यान्न उपार्जन एवं निपटान/वितरण की स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत :-

(जिन वर्षों के लेखे भारत सरकार को प्रेषित कर दिये गये है)

(मात्रा क्विंटल में)

विवरण	गेहूँ 2015-16
उपार्जन	72756494.55
भाखानि परिदान	45569981.97
पी.डी.एस. वितरण	27339100.62
गोदाम आधिक्य	268174.18
कमी	109463.12
अंतिम स्कंध (क्षतिग्रस्त)	6123.02

विवरण	धान चावल 2015-16 धान 12616993.95		धान चावल 2016-17 धान 19532198.330
	रॉ	पॉरबाईल	रॉ
प्राप्त चावल	7690687.283	20368.770	12772297.757
भाखानि परिदान	21969.29	20368.770	0
पी.डी.एस. वितरण	7566292.431	0	12657085.812
सिंहस्थ/प्राकृतिक आपदा वितरण	4997.63	0	10456.55
शुद्ध कमी	94365.221	0	103326.444
कमी	0	0	0
अंतिम स्कंध (क्षतिग्रस्त)	3062.711	0	1428.95

विवरण	मोटा अनाज 2015-16 - ज्वार मक्का		मोटा अनाज 2016-17 - ज्वार मक्का	
उपार्जन	49477.60	223459.30	42416.34	2346379.14
भाखानि परिदान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
पी.डी.एस. वितरण	49001.08	217439.041	42183.17	1873330.202
निविदा विक्रय	0	0	0	414215.26
गोदाम आधिक्य	16.83	65.94	7.31	630.317
कमी	493.35	6086.199	240.48	42844.345
अंतिम स्कंध (क्षतिग्रस्त)	0	0	0	16619.65

(ग) नवीनतम प्रेषित गेहूँ लेखा वर्ष 2015-16 अनुसार (राशि करोड़ रू. में)

परिवहन व्यय	डी.सी.पी.	सी.पी.
1. उपार्जन स्तर पर	94.13	157.22
2. वितरण स्तर पर	96.90	0

भण्डारण व्यय (रू.)	138.55

धान-चावल

नवीनतम प्रेषित धान-चावल लेखा वर्ष 2016-17 अनुसार अनुसार (राशि करोड़ रू. में)

	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
परिवहन व्यय	**धान स्तर पर**	**चावल स्तर पर**	**धान स्तर पर**	**चावल स्तर पर**
डी.सी.पी.	79.28	40.14	111.10	65.80

	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	
भण्डारण व्यय	**धान स्तर पर**	**चावल स्तर पर**	**धान स्तर पर**	**चावल स्तर पर**
डी.सी.पी.	36.15	27.91	72.67	46.88
सीपी	2.95	0	0	0

मोटा अनाज नवीनतम प्रेषित मोटा अनाज लेखा वर्ष 2016-17 अनुसार

परिवहन दर	वर्ष 2015-16 - ज्वार मक्का		वर्ष 2016-17 - ज्वार मक्का	
1. उपार्जन स्तर पर	0.09	1.90	0.12	15.32
2. वितरण स्तर पर	0.11	1.40	0.06	20.38

भण्डारण	वर्ष 2015-16 - ज्वार मक्का		वर्ष 2016-17 - ज्वार मक्का	
1. उपार्जन स्तर पर	0.08	0.38	0.07	4.39
2. वितरण स्तर पर	0.19	0.99	0.16	11.15

उपरोक्त लेखों में औसत दर प्रति किलोमीटर की गणना लेखों में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त के आगे के उपार्जन लेखे स्कंध के निराकरण उपरांत प्रेषण की कार्यवाही की जा सकेगी। **(घ)** प्रश्नाधीन अवधि में खराब खाद्यान्न या कम गुणवत्ता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार** है। **(ड.)** प्रश्नांश **(ड.)** में EOW द्वारा मिल मालिकों के विरूद्ध प्रारंभिक जांच कर प्रकरण क्रमांक 18/20 दिनांक 04.09.2020 दर्ज किया गया है तथा EOW द्वारा की गई जांच के संबंध में जानकारी कॉर्पोरेशन को प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 12 अगस्त, 2021

मुरैना जिले में कोविड 19 से मृत व्यक्तियों की संख्या
[नगरीय विकास एवं आवास]

16. ता.प्र.सं. 24 (क्र. 81) श्री राकेश मावई : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मुरैना में 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में अलग-अलग तहसीलों में स्थित शमशान एवं कब्रिस्तान में कितने-कितने मृतकों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकाल के तहत किया गया? तहसीलवार शमशानवार, कब्रिस्तानवार जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की अवधि में जिला में कोविड-19 से कितने व्यक्तियों की मृत्यु होने की जानकारी शासकीय रिकार्ड में दर्ज है? तहसीलवार, मृतकवार जानकारी देवें। **(ग)** क्या सरकार कोविड-19 के कारण मृत हुये लोगों की वास्तविक संख्या की जानकारी के लिये किसी स्वंत्रता एजेंसी से जांच करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जिला मुरैना में दिनांक 01.03.2021 से 30.06.2021 तक 125 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाल अंतर्गत किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, उत्तरांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

करोनाकाल के दौरान मृतकों की संख्या की जांच
[नगरीय विकास एवं आवास]

17. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 176) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले अन्तर्गत दिनांक 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में शांतिधाम एवं कब्रिस्तान में कितनी संख्या में मृतकों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकाल के तहत किया गया है? **(ख)** उपरोक्त अवधि में खरगोन जिले में कोविड-19 से कितनी मृत्यु होने की जानकारी सरकारी रिकार्ड में दर्ज है? **(ग)** क्या शांतिधाम, कब्रिस्तान में किये गये अंतिम संस्कार एवं कोविड-19 से होने वाले मृतकों का सरकारी रिकार्ड में दर्ज संख्या में अन्तर है? **(घ)** यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त अवधि के दौरान कोविड से मृतको की सही जानकारी के आंकलन हेतु स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जायेगी? हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्या कारण है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क) से (घ) की जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** शमशान घाट एवं कब्रिस्तानों में होने वाले अंतिम संस्कार की जानकारी संकिलत करने का विधिक प्रावधान न होने के कारण प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है **(ख)** खरगोन जिले में प्रश्नांश अवधि में कोविड-19 से 351 व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी शासकीय रिकार्ड में संधारित है। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्व अभिलेख में दर्ज कराए जाना
[वन]

18. अता.प्र.सं.55 (क्र. 927) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला छतरपुर के वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में किस तहसील के हल्का मौजा के कौन से खसरा नंबर वन विभाग के तहत में आते हैं? सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या उक्त खसरा नंबरों

को राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा वन विभाग दर्ज कराने के लिए कार्यवाही की थी? यदि हाँ, तो कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें? **(ग)** जिला छतरपुर के वन विभाग के तहत आने वाली भूमि के किन खसरा नंबरों में राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के खसरा नंबरों में निजी स्वामित्व है? सूची उपलब्ध कराएं। यदि निजी स्वामित्व भू-स्वामी विक्रय पत्र निष्पादन कर देता है तो कौन जवाबदेह होगा? उल्लेख करें। **(घ)** क्या शासन वन विभाग की परिधि में आने वाली भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग दर्ज कराने के लिए कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। **(ड.)** जिला छतरपुर के वन विभाग की भूमि में कौन कहां पर अतिक्रमण किए हुए हैं? सूची उपलब्ध कराएं। क्या उक्त अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

वन मंत्री : [**(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख)** वनखण्डों के अंतर्गत आने वाली भूमियों की अधिसूचनाओं के आधार पर संधारित की गई है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 02.04.1971 के माध्यम से राजस्व विभाग के अभिलेख संधारण हेतु निर्देश दिये गये है। **(ग)** छतरपुर वनमंडल के अंतर्गत धारा-4 में अधिसूचित वनखण्डों में राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के खसरा नम्बरों में निजी स्वामित्व की भूमि DCR पंजी के अनुसार उल्लेख नहीं है। वनमंडलाधिकारी छतरपुर द्वारा कलेक्टर छतरपुर से जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर (भू-अभिलेख) छतरपुर द्वारा अवगत कराया है कि जानकारी वृहद स्वरूप की होने से संकलित कराई जा रही है। वनखण्डों में शामिल भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के अंतर्गत घोषित को क्रय विक्रय किये जाने पर प्रतिबंध है। यदि क्रय-विक्रय किया गया है तो क्रेता विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा। **(घ)** उत्तरांश (ख) अनुसार मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 02.04.1971 के माध्यम से राजस्व के अभिलेख संधारण हेतु निर्देश दिये गये है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है।

कोविड 19 में किये गये कार्यों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

19. अता.प्र.सं.71 (क्र. 959) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषदों में वर्ष 2014 से 2021 तक प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने से जून महीने तक जन्म और मृत्यु के आंकड़ें नगरीय निकाय अनुसार वर्षवार बतावें। **(ख)** उज्जैन संभाग के सभी नगर निगम अनुसार बतावें की वर्ष 2017 से 2021 तक वर्ष अनुसार अप्रैल एवं मई महीने में मृतकों की संख्या क्या-क्या है रतलाम नगर निगम में 2018 से 2021 तक अप्रैल और मई माह में मृतकों की संख्या शमशान, कब्रिस्तान अनुसार बताएं। **(ग)** रतलाम जिलान्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 में शासकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक की नामांकन की संख्या प्राईमरी तथा मिडिल स्कूलों की संख्या तथा प्राईमरी तथा मिडिल स्कूल में प्रतिदिन वितरित किये गये मध्यान्ह भोजन की संख्या तथा वितरण के कुल दिवस, भुगतान की राशि सहित जानकारी दें। **(घ)** विभाग द्वारा कोरोना मद में अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा तीसरी लहर की सम्भावना को देखते हुए क्या तैयारी की गई? **(ड.)** रतलाम नगर निगम में कोविड 19 के तहत जून 2021 तक खर्च की गई राशि की मद अनुसार जानकारी दें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** उज्जैन संभाग अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषदों में वर्ष 2014 से 2021 तक प्रत्येक वर्ष के मार्च महिने में जून महिने तक जन्म मृत्यु पंजी में निकायों में उपलब्ध आकड़ों के आधार पर संकलित **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार** है।

दिसम्बर, 2021

दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

मनावर में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को आवंटित भूमि
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

1. परि.अता.प्र.सं. 35 (क्र. 135) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मनावर-गंधवानी तहसील में प्रदूषणकारी-उद्योग अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को निस्तार-पत्रक एवं ग्रामसभा की भूमि, सरकारी भूमि किस नियम के तहत आवंटित की गई? सरकारी भूमियों एवं आदिवासी भूमियों के आवंटन में संविधान की पांचवीं अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) एवं ग्रामसभा की भूमिका की अवमानना किए जाने का विधिसम्मत कारण बतावें। **(ख)** अल्ट्राटेक द्वारा प्लास्टिक पॉलीथिन, हॉस्पिटल-किटनाशक रॉ-मटेरियल, फैक्ट्री-वेस्टेज जैसे 200 टन जहरीला कचरा किस नियम के तहत किसकी निगरानी में प्रतिदिन मनावर क्षेत्र में डंप/निष्पादित किया जाता है? अल्ट्राटेक को कितने मानक का कितना जहरीला धुआं/फाग, कितना कचरा किस-किस समय उत्सर्जित करने, डंप/निष्पादित करने की अनुमति किस नियम किस विभाग/संस्था द्वारा दी गई है? नियम विरूद्ध होने पर क्या-क्या कार्यवाही करने का प्रावधान है? **(ग)** अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में जमीन देने वाले समस्त निजी भूमिधारकों को प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी, प्रत्येक को मकान, उच्च गुणवत्ता की फ्री शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रश्न-दिनांक तक भी क्यों नहीं दिया गया? **(घ)** अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की निजी एवं कांट्रेक्टबेस्ड ट्राले, भारी वाहन, मशीन इत्यादि के परिवहन-संचालन के लिए क्या नियम है? किस नियम के तहत कंपनी के ट्राले, भारी वाहन प्रतिदिन 24 घंटा चलते हैं?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** मनावर तहसील, जिला धार में दो विकासखण्ड मनावर एवं उमरबन है। इकाई मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि., को विकासखण्ड मनावर के ग्राम टोकी, सोंडूल, गोलपुरा, टिमरनी की 121.203 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आवंटन किया गया है, जिसमें 119.372 हेक्टेयर (13046182.34 वर्गफीट) भूमि की लीज का निष्पादन महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार के माध्यम से किया जाकर आवंटित की गई है, शेष भूमि 3.129 हेक्टेयर भूमि का आवंटन एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा मध्यप्रदेश भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2008 के तहत 119.372 हेक्टेयर भूमि की लीजडीड दिनांक 26/06/2013 से दिनांक 25/06/2112 तक की अवधि के लिए की गई है तथा एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा मध्यप्रदेश भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत 3.129 हेक्टेयर भूमि की लीजडीड दिनांक 01/01/2018 से दिनांक 31/12/2117 तक की अवधि के लिए की गई है। भूमि आवंटन, विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप ही किये गये है। **(ख)** मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी अनुसार मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (धार सीमेंट प्रोजेक्ट) टोंकी, मनावर, जिला-धार को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्लास्टिक पॉलीथीन कोयले के साथ उपयोग करने हेतु सम्मति एवं औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को-प्रोसेस करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किये गये एस.ओ.पी. के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जारी परिसंकटमय एवं अन्य परिशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्रदान किया गया है।

उद्योग को हॉस्पिटल-कीटनाशक रॉ-मटेरियल डम्प या निष्पादित करने की बोर्ड से अनुमति नहीं दी गई है। उद्योग को उक्त नियम के अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/08/2014 में उल्लेखित उत्सर्जन मानकों के अनुरूप परिसंकटमय अपशिष्ट सीमेंट क्लिन में को-प्रोसेसिंग हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदान किया गया है। प्राधिकृत अपशिष्टों की मात्रा सहित प्राधिकार पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही का प्रावधान है। **(ग)** कलेक्टर, धार से प्राप्त जानकारी अनुसार म.प्र. शासन, पुर्नवास विभाग मंत्रालय, भोपाल का ज्ञाप क्र. एफ-531/2013/28, भोपाल दिनांक 21/03/2014 के बिन्दु क्रमांक 7.2 अनुसार तीन प्रभावित परिवारों के 25 सदस्य को भू-खण्ड दिये गये। बिन्दु क्रमांक 7.13.1 अनुसार एक मुश्त अनुदान के रूप में प्रति परिवार तीन लाख के मान से 100 परिवारों को अनुदान दिया जाकर 09 लोगों को रोजगार दिया गया। बिन्दु क्रमांक 9 के अंतर्गत 39 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। **(घ)** परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में वाहन पंजीयन के संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जाता है। मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अधीन निर्मित नियमों में वाहन के संचालन के घण्टों की अनुमति या उप पर निर्बन्धन के प्रावधान विहित नहीं है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 91 में ड्रायवरों के काम के घण्टों के बारे में निर्बन्धन विहित किया गया है, जिसमें यह प्रावधानित है कि "किसी परिवहन यान को चलाने में लगे किसी व्यक्ति के काम के घण्टे उतने होंगे, जितने मोटरयान परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 की धारा 13 में ड्रायवर के कार्य के लिये प्रतिदिन 8 घंटे का समय विहित किया गया है।

विकासखंड में किये गये कार्यों की जानकारी
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. अता.प्र.सं.45 (क्र. 137) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में कौन-कौन से सामुदायिक कार्य हुए? निर्माण कार्यों व निर्माण एजेंसियों की सूची मजदूरों की सूची भौतिक सत्यापन की जानकारी ग्राम पंचायतवार देवें? **(ख)** मनरेगा योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनावर के तहत प्रति पंचायत कितनी राशि स्वीकृत की गई क्या उसका मूल्यांकन हुआ? ग्राम पंचायतवार जानकारी दें। मूल्यांकन नहीं हुआ तो कारण बताएं? **(ग)** 14वें एवं 15वें वित्त आयोग से कितनी-कितनी राशि किन-किन ग्राम पंचायतों को आवंटित हुई? उक्त राशि से पंचायतों में कितने कार्य हुए? समस्त कार्यों की सूची एवं कार्यों के भौतिक सत्यापन की प्रतिसहित ग्राम पंचायतवार बतावें? **(घ)** प्रधानमंत्री आवास में पात्र एवं अपात्र परिवारों की ग्रामवार सूची उपलब्ध कराएं। प्रत्येक अपात्र परिवारों के पात्र नहीं होने का स्पष्ट कारण प्रति सहित बतावें? **(ड.)** जनवरी 2018 से प्रश्न-दिनांक तक ग्राम-पंचायत डोंचा समेत किन-किन ग्राम पंचायतों में जिला-प्रशासन स्तर तक अनियमितता की शिकायत किसके-किसके द्वारा प्राप्त हुई? ग्रामवार अनियमितता की शिकायत पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा दें। कार्यवाही नहीं की गई तो विधिसम्मत कारण बतावें? **(च)** ग्राम-पंचायत खंडलाई जागीर में सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी आहरण की राशि कब तक वसूली कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** विधान सभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में निस्तार तालाब, खेल मैदान, सार्वजनिक कूप (निर्मल नीर कूप), शांतिधाम, आर.एम.एस., कन्टूर ट्रेंच, सी.सी. रोड आदि सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये है। निर्माण कार्यों की ग्राम पंचायतवार, कार्यवार,

वर्षवार एवं निर्माण एजेन्सीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – अ (i) अनुसार** है। कार्यों का भौतिक सत्यापन उपयंत्री/सहायक यंत्री जनपद पंचायत द्वारा किया गया है। योजना अंतर्गत नियोजित श्रमिकों की सूची की जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से नरेगा सॉफ्ट से **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ (ii)** में बताई गई प्रक्रिया अनुसार देखी जा सकती है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में मनरेगा योजना अन्तर्गत प्रति ग्राम पंचायत औसतन 15 कार्य स्वीकृत हुये है। चाही गयी जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। **(ग)** 14वां वित्त आयोग अंतर्गत 125 ग्राम पंचायतों में 1303 कार्य हेतु राशि रू 3329.04 लाख एवं 15वां वित्त आयोग अंतर्गत 125 ग्राम पंचायतों में 494 कार्य हेतु राशि रू. 1778.36 लाख आवंटित की गयी, जो कि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –ब अनुसार** है। कार्यवार जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। **(घ)** जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है। (च)** ग्राम पंचायत खण्डलाई जागीर में संबंधित सचिव को निलंबित किया गया है तथा ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव से राशि रू 21.46 लाख की वसूली हेतु प्रकरण क्र. 18/17-18/अ-89 (अ-9) पंजीबद्ध किया जाकर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।] **(ख)** प्रश्न भाग (ख) की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग)** प्रश्न भाग (ग) की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – स (i) एवं स (ii) अनुसार** है। **(घ)** प्रधानमंत्री आवास में विकासखंड मनावर अंतर्गत पात्र परिवार 3629 एवं अपात्र परिवार 1361 तथा विकासखण्ड उमरबन अंतर्गत पात्र परिवार 8165 एवं अपात्र परिवार 905 की ग्रामवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार** है।

यूरिया विक्रेता/क्रेता की जिलेवार सूची उपलब्ध कराया जाना
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

3. परि.अता.प्र.सं. 73 (क्र. 303) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछले दो वर्षों में जिलेवार टॉप 10 यूरिया विक्रेता/क्रेता की जिलेवार सूची एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराए? **(ख)** अप्रैल 21 से अभी तक कितने यूरिया, DAP, SSP और मिक्स उर्वरकों एवं बीज के सैंपल लिए गए? कितने पास हुए? कितने फेल हुए एवं फेल हुए सैंपल पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** पिछले पांच वर्ष में गुणवत्ता निरीक्षण में 5% से कम मात्रा के SSP के मामले पाए गए उनकी कंपनी अनुसार जिलेवार सूची प्रदान करें एवं कार्यवाही का विवरण देवें। **(घ)** पिछले 5 वर्ष में कितने अदान उत्पादक एवं विक्रेता पर FIR हुई और कोर्ट में कितने लोगों को सजा हुई एवं कितने बरी हुए? **(ड.)** जिलेवार Prom (प्रोम) खाद बिक्री की मात्रा, निर्माता का नाम बतावें। गुणवत्ता नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग के क्या नियम है? पिछले 5 वर्ष में कितने गुणवत्ता जांच हुई और यदि नहीं, हुई तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा टॉप 20 यूरिया क्रेता की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं की जाने से वर्ष 2019-20 की जानकारी निरंक है। वर्ष 2020-21 में टॉप 10 यूरिया क्रेता/विक्रता की जिलेवार सूची एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। **(ड.)** जिलेवार प्रोम कार्बनिक उर्वरक विक्रय की मात्रा तथा विनिर्माताओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 5 अनुसार** है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड-28 में प्रदत्त शक्तियों के तहत उर्वरक निरीक्षकों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदि कार्य संपादित किये जाते हैं। पिछले 5 वर्षों में प्रोम कार्बनिक उर्वरक के 253 नमूने लिए गये, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभागीय प्रस्तावित कार्य के संबंध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

4. अता.प्र.सं.128 (क्र. 489) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2021 में जावरा नगर स्थित गोविंदराम तोंदी शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की रिक्त भूमि पर रिडेंसिफीकेशन योजना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज एवं अन्य कार्यों का पत्र अग्रेषित किये है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि इसी वर्ष 2021 में जिलाधीश रतलाम की उपस्थिति में तकनीकी शिक्षा की जिला स्तरीय बैठक में शासन/विभाग के संभागीय वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होकर इस हेतु सहमति व्यक्त की गई? यदि हाँ, तो जिलाधीश रतलाम एवं प्राचार्य गोविंदराम तोंदी शा. पॉलिटेक्निक कॉलेज जावरा द्वारा तथा इसी के साथ म.प्र. हाउसिंग बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया? **(ग)** यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार आगामी वर्षों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के साथ ही रिडेंसिफिकेशन योजना के माध्यम से कॉलेज की रिक्त भूमि पर अन्य अनेक जन आवश्यकता व सुविधाओं के कार्य किये जा सकेंगे तो इस हेतु शासन/विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ **(ख)** जी हाँ। जी हाँ **(ग)** प्रस्तावित कार्यों की जानकारी नगर पालिका परिषद् जावरा से एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परियोजना बनाकर योजना अधिकारी जिला-रतलाम की ओर अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है।

मनरेगा योजना में हो रहा भ्रष्टाचार
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. अता.प्र.सं.131 (क्र. 502) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले में सिंरोज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 1 अप्रैल 2021 से प्रश्नांकित दिनांक तक मनरेगा योजना से कौन-कौन से सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, राशि, स्वीकृतकर्ता का नाम, तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम सहित ग्राम पंचायतवार एवं विकासखण्डवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की सामग्री एवं मजदूरों की राशि कितनी फर्म/वेण्डरों एवं कितने मजदूरों के खातों में भुगतान किया गया है? वर्षवार भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें। कितने कार्यों का भुगतान शेष है तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? बतावें। **(ग)** मेरे ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 67 एवं सूचना क्रमांक 80 द्वारा किन-किन ग्राम पंचायतों के 5 वर्षों के कार्यों की जांच की गई है? क्या जांच हेतु सभी ग्राम पंचायतों द्वारा अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं? यदि हाँ, तो किन-किन पंचायतों द्वारा? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक अभिलेख उपलब्ध करा दिये जावेंगे? तो जांच में कौन-कौन से अधिकारी, जनप्रतिनिधि दोषी पाये गये हैं? प्रतिवेदन प्रति बताये। यदि जांच नहीं की गई है तो जांच कब तक की जावेगी? यदि जांच की गई है तो जांच उपरांत दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है? कार्यवाही विवरण बतायें? **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या यादव ट्रेडर्स सिरोंज खाता संख्या 37340101003306 9 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया तथा संस्कार ट्रेडर्स आरोन जीएसटी नं. 23CTPPR1172N1Z4 के खाते में भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम पंचायतों द्वारा कितना-कितना भुगतान किया गया है? कितनी-कितनी जीएसटी की राशि जमा की गई? यदि नहीं, की गई है तो कब तक करवा दी जावेगी तथा जीएसटी जमा नहीं करने के लिये कौन-कौन दोषी है? उनके विरूद्ध क्या एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 1 अनुसार** है। **(ख)** जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से नरेगा साफ्ट पर **परिशिष्ट** - 2 एवं **परिशिष्ट** - 3 पर बतायी गयी प्रक्रिया अनुसार देखी जा सकती है। **(ग)** जानकारी विस्तृत स्वरूप की होने से संकलित की जा रही है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मनरेगा

योजनांतर्गत यादव ट्रेडर्स को 76000/- रूपये का भुगतान पंचायत खेजडागोपाल में किया गया है तथा संस्कार ट्रेडर्स आरोन को कोई भुगतान नहीं किया गया। जीएसटी राशि का भुगतान स्वयं वेण्डर द्वारा किया जाता है।] **(ग)** ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 67 एवं 80 के अनुक्रम में जनपद पंचायत सिरोंज की ग्राम पंचायत पामाखेड़ी, भौंरिया, भंगवतपुर, कोरवासा, अमीरगढ़, प्याराखेड़ी, कस्बाताल, पगरानी, छापू, खेजड़ागोपाल तथा चौड़ाखेड़ी एवं लटेरी की ग्राम पंचायत देहरीपामा, मलनिया, झूकरजोगी, सेमरामेघनाथ, सावनखेड़ी, वीरपुरकलां तथा उनारसीकलां के विगत 05 वर्षों के निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं निष्फल व्यय की शिकायत की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा द्वारा कराई गई। जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी की 18 ग्राम पंचायतों में 17 ग्राम पंचायतों के अभिलेख उपलब्ध करा दिये है, शेष ग्राम पंचायत उनारसीकलां जनपद पंचायत लटेरी का अभिलेख ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में ग्राम पंचायत सचिव श्री अर्जुनसिंह को पूर्व में ही आदेश क्रमांक 7140 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा निलंबित किया गया एवं वर्तमान तक जांच हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में निलंबित सचिव के खिलाफ पत्र क्रमांक 2343/धारा 89/22 दि. 15.02.2022 द्वारा FIR दर्ज कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लटेरी को निर्देशित किया गया है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम दृष्टया में ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच/प्रधान, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री दोषी पाये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-04 अनुसार** है। जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत अनावेदकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर जवाब प्राप्त होने पर निर्माण कार्यों में वसूली निश्चित करने में त्रुटि होना पाये जाने पर तथ्यों के परीक्षण हेतु पुन: जांच दल गठित किया जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

कोरोना महामारी में शासन द्वारा दी जा रही सुविधाएं
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. अता.प्र.सं.9 (क्र. 88) श्री संजय शुक्ला : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर शहर में कोरोना काल के दौरान कोरोना के कारण कितनी मृत्यु हुई? सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में शासन द्वारा समय-समय पर की गई घोषणाओं अनुसार मृत व्यक्तियों के आश्रितों को शासन द्वारा क्या-क्या लाभ दिये गये या भविष्य में क्या-क्या लाभ दिये जायेंगे? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शासन द्वारा मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई क्या राशि प्रदान कर दी गई है? यदि हाँ, तो संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। यदि नहीं, तो समय-सीमा बतायें। क्या कोरोना काल में कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी कोई योजना है? यदि हाँ, तो योजना स्पष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** भाग की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** राजस्व विभाग में कोरोना से मृत्यु पर मुआवजा देने के निर्देश जारी किये है, जो **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** इन्दौर जिले में आज दिनांक तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु संख्या 1461 है। **(ख)** मृत व्यक्तियों के आश्रितों को म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक स.आ/सात/शा- 8/2021/943 भोपाल दिनांक 18/11/2021 द्वारा 50,000/- रूपये की अनुग्रह राशि प्रदाय किये जाने का निर्देश है। शासकीय सेवकों के लिये "मुख्यमंत्री

कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना'' लागू है। **(ग)** कार्यालय कलेक्टर इन्दौर में दिनांक 24.02.2022 तक 5485 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके है। इन आवेदन पत्रों का परीक्षण कर 2910 पात्र आश्रितों को 50,000/- रूपये की अनुग्रह राशि प्रदाय किए जाने के आदेश जारी हो चुके हैं तथा इन्हें अनुग्रह राशि प्रदाय कर दी गई है। शासकीय कर्मचारी के कोरोना से मृत होने पर परिवार के सदस्य को शासन के नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जा रही है तथा सामान्य व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होने से मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना शासन स्तर से वर्तमान में प्रचलित नहीं है।

शासकीय कर्मचारियों के तीन संताने होने पर शासकीय प्रावधान

[सामान्य प्रशासन]

7. परि.अता.प्र.सं. 16 (क्र. 185) श्री तरूण भनोत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** यदि किसी शासकीय सेवक की प्रथम संतान असाध्य एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके पश्चात दो संताने है तो ऐसे आवेदक को संविदा पर अथवा शासकीय सेवा में लिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है? **(ख)** वर्तमान में जबलपुर जिले अन्तर्गत में समस्त शासकीय विभागों में ऐसे कितने आवेदकों को अपात्र घोषित किया गया है? **(ग)** ऐसे आवेदकों को भी तीन संतान के पश्चात पात्र घोषित किये जाने के प्रावधान कब तक किये जावेंगे?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी नहीं। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** जबलपुर जिले में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है।

रीवा जिले के लक्ष्मण बाग मंदिर का प्रबंध

[अध्यात्म]

8. परि.अता.प्र.सं. 17 (क्र. 233) श्री दिव्यराज सिंह : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा राजघराने के द्वारा स्थापित लक्ष्मण बाग मंदिर प्रबंध संस्थान की तिरुमला आंध्रप्रदेश, श्रीरंगम तमिलनाडू, जगन्नाथपुरी, पुरी उड़ीसा,हनुमान मंदिर इदारा कआं नई दिल्ली एवं जोधपुर में कुल कितनी सम्पत्तियां हैं? सन् 1947 से सन् 2021 तक पुराने एवं नवीन खसरों एवं नक्शे सहित विवरण उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में उक्त संपत्तियों का संचालन एवं प्रबंधन वर्तमान में किसके द्वारा किया जा रहा है? उक्त संपत्तियों के आय-व्यय का विवरण उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित संपत्तियाँ अवैध कब्जे में हैं अथवा विस्थापित कर दी गई हैं? यदि हाँ, तो ऐसी संपत्तियों को खाली कराने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है एवं विस्थापित संपत्तियों की खसरा सुधार प्रक्रिया क्या शासन द्वारा अपनाई जा रहीं है? ऐसी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने हेतु क्या प्रबंधक कलेक्टर रीवा के द्वारा विधिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है? यदि नहीं, तो कब तक विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

जाति प्रमाण-पत्र बनाने की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

9. अता.प्र.सं.40 (क्र. 445) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल तथा जबलपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के पश्चात भी शासकीय तथा अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाये गये है? संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के

जाति प्रमाण-पत्र बनाने के आदेश प्रदान किये जायेंगे। **(ख)** आदिवासी महिला अपने पुत्र/पुत्रियों की एकमात्र अभिभावक होने पर पति की मृत्यु होने पर तलाक होने पर उनके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके पुत्र/पुत्रियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये आदेश जारी किये गये थे तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था? **(ग)** लिव इन में रहने पर आदिवासी महिला के साथ पुत्र/पुत्रियों के जन्म होने पर तथा शादी नहीं होने पर बच्चे की एकमात्र लालन-पालन करने तथा बच्चे की अभिभावक होने पर उनके पुत्र/पुत्रियों को माँ जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के दिशा निर्देश कब-कब प्रदान किये गये थे? स्पष्ट करते हुये बतावें।

मुख्यमंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी नहीं। ऐसे मामले प्रकाश में आने पर मान. सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के तहत उचित कार्यवाही की जावेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाये जा रहे है। संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपु संभाग जबलपुर के पत्र क्र./जाति प्रमाण पत्र/2022/1015/जबलपुर, दिनांक 21.02.2022 एवं संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र क्र./वि.विविध/2022/363/जबलपुर, दिनांक 23.02.2022 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक, जबलपुर संभाग को विद्यालय स्तर से संस्था में दर्ज छात्र/छात्राओं के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था
[पर्यटन]

10. अता.प्र.सं.46 (क्र. 529) श्री राकेश पाल सिंह : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिवनी जिले में पर्यटन स्थलों पर शासन/विभाग द्वारा कोई सुरक्षा के उपाय किये गये है? यदि नहीं, तो कब तक सुरक्षा व्यवस्था दुरूस्त की जावेगी? **(ख)** क्या विभाग/शासन के द्वारा सिवनी जिले के पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित करने की कोई योजना बनाई गई? यदि हाँ, तो बतावें। यदि नहीं, की गई तो क्यों? पर्यटन स्थल कब तक चिन्हांकित किये जावेंगे? **(ग)** सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र में स्थित भीमगढ़ जलाशय, अमोदागढ ढूटी घाट, कोठीघाट एवं पायलीडेम पर पर्यटक घूमने जाते रहते है, क्या संबंधित जलाशयों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था विभाग/शासन के द्वारा की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** विभाग द्वारा जारी नवीन पर्यटन नीति के अंतर्गत किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** जिला प्रशासन एवं सर्वसंबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। समय–सीमा बताये जाना संभव नहीं है।

दर्जा प्राप्त केबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री का प्रोटोकाल
[सामान्य प्रशासन]

11. परि.अता.प्र.सं. 49 (क्र. 576) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगम, मण्डल एवं आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों को केबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है? **(ख)** यदि हाँ तो राज्य मंत्री अथवा केबिनेट मंत्री दर्जा दिये जाने वाले व्यक्ति को क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं? **(ग)** राज्य मंत्री/केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति के लिये क्या प्रोटोकॉल निर्धारित है? **(घ)** क्या राज्य मंत्री/केबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले व्यक्ति को विभिन्न जिलों में जाने

पर फालोगार्ड वाहन, सर्किट हाउस या अन्य संसाधनों की भी पात्रता है? **(ड.)** केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति के विस्तृत प्रोटोकाल एवं गाईड-लाईन की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** राज्यमंत्री अथवा केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को दिये जाने वाली सुविधाओं संबंधी जारी निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(घ)** राज्यमंत्री/केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को मध्यप्रदेश विश्राम भवन/विश्रामगृह अधिभोग नियम, 2001 में नि:शुल्क पात्रता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं ब अनुसार** है।

महिला कर्मचारियों के साथ यौन उत्पीड़न के प्रकरण
[महिला एवं बाल विकास]

12. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 607) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर, उज्जैन संभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा लगातार शासकीय कार्यालयों की महिला कर्मचारियों के साथ यौन-उत्पीड़न करने और चरित्रहीनता का प्रदर्शन करने के कितने मामले दिनांक 1 जनवरी 2018 से प्रश्न-दिनांक तक सामने आये? इंदौर, उज्जैन संभाग के दोषियों के नाम,पद सहित सूची उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भित आंतरिक जांच समिति ने महिला एवं बाल विकास के निर्देशानुसार कितने प्रतिवेदन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों/सक्षम अधिकारियों को भेजे गये? दोषियों के विरूद्ध निलंबन, बर्खास्त करने की और एफ.आई.आर. दर्ज करवाने, बाहर स्थानांतरित करने की कार्यवाही कितने दोषियों पर की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या शासकीय विभागों में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न एवं अन्य-अनैतिक गतिविधियों को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं? यदि हाँ, तो उससे अवगत करायें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** 1 जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक कुल 19 प्रकरण सामने आये। दोषियों के नाम की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख)** 8 प्रतिवेदन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गये। की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है।**

हमीदिया अस्पताल में मृत नवजात बच्चों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

13. ता.प्र.सं. 11 (क्र. 796) श्री जितु पटवारी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में किस-किस जिले में चाईल्ड इंसेंटिव केयर यूनिट कार्यरत है? पिछले पांच वर्षों में इनमें कितने नवजात शिशुओं का उपचार किया गया तथा उनमें से कितने मृत हुए? **(ख)** भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पिछले माह आग लगने और उसमें नवजात शिशुओं के मृत होने की घटना की विस्तृत जांच हेतु किसे नियुक्त किया गया? इस संदर्भ में विभागीय स्तर पर कोई जांच की गई है तो उसका विवरण एवं उस पर किन-किन दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** प्रदेश के समस्त जिलों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट प्रपत्र "अ" अनुसार** है। शेष प्रश्न की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** घटना की जांच कर अतिरिक्त

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलन में है। घटना पश्चात शासन द्वारा अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय एवं संचालक, कमला नेहरू अस्पताल को उनके प्रभार से मुक्त किया गया तथा सी. पी.ए. के सहायक यंत्री की उनके मूल विभाग को सेवायें वापस की गई तथा उपयंत्री विद्युत/यांत्रिकी को निलम्बित किया गया। शासन आदेश **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

प्रदेश में किये गये टैक्स कम की जानकारी
[वाणिज्यिक कर]

14. अता.प्र.सं.100 (क्र. 799) श्री जितु पटवारी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** हाल ही में शासन ने पेट्रोल, डीजल पर किस-किस मद में क्या-क्या कमी की है तथा इससे प्रदेश के राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी सम्भावित है? क्या राज्य शासन ने यह कटोत्री षडयंत्र पूर्वक इस प्रकार की जिससे रबी की फसल के लिये किसानों को महंगा डीजल मिले तथा जब मांग कम हो जाये तब रेट कम किये। **(ख)** वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक वर्षवार पेट्रोल और डीजल की विक्रीत मात्रा की जानकारी दें तथा बतावें कि इस अवधि में किस-किस निजी कम्पनी द्वारा कितना-कितना पेट्रोल और डीजल बेचा गया? **(ग)** 30 नवम्बर 2021 तक इन्दौर संभाग में किस-किस शासकीय एवं निजी कम्पनी के कितने-कितने पेट्रोल पम्प हैं? जिलेवार जानकारी दें तथा बतावें कि निजी कम्पनियों को पेट्रोल पम्प लगाने के लिये राज्य शासन से अनुमति लेना आवश्यक है या नहीं। **(घ)** प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक शराब से प्राप्त राजस्व की जानकारी दें तथा बतावें कि इस अवधि में बेची गई देशी और विदेशी शराब की वर्षवार मात्रा बतावें तथा बतावें कि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2020-21 में देशी व विदेशी शराब के उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? **(ड.)** स्पष्ट रूप से बतावें कि शासन पेट्रोल एवं डीजल को जी.एस.टी. में शामिल करने के पक्ष में है या नहीं तथा पूर्ण शराब बंदी के पक्ष में है या नहीं?

वित्त मंत्री : [**(क)** दिनांक 04.11.2021 एवं 05.11.2021 की मध्य रात्रि से पेट्रोल पर वेट की दर 33 प्रतिशत के स्थान पर 29 प्रतिशत की गई है। साथ ही पेट्रोल पर अतिरिक्त कर की दर 4 रूपये 50 पैसा प्रति लीटर के स्थान पर 2 रूपये 50 पैसा प्रति लीटर की गई है। डीज़ल पर वेट की दर 23 प्रतिशत के स्थान पर 19 प्रतिशत की गई है। डीज़ल पर अतिरिक्त कर की दर 3 रूपये प्रति लीटर के स्थान पर 1 रूपये 50 पैसा प्रति लीटर की गई है। वेट से प्राप्त होने वाले राजस्व पर प्रभाव आगामी माहों में होने वाली खपत पर निर्भर होगा। जी नहीं, राज्य की जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दरों में कमी की गई है। **(ख)** वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पेट्रोल एवं डीज़ल की मात्रात्मक जानकारी संधारित नहीं की जाती है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** प्रदेश में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक शराब से प्राप्त राजस्व की जानकारी निम्नानुसार है:- (रूपये करोड़ में)

अ.क्र.	वर्ष	वेट अधिनियम के अंतर्गत शराब पर प्राप्त राजस्व	आबकारी मद में प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी
1	2	3	4
1	2018-19	633.27	9506.98
2	2019-20	938.28	10773.29
3	2020-21	1183.58	9520.96

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2020-21 में देशी व विदेशी शराब के उपयोग में प्रतिशत वृद्धि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** पेट्रोल एवं डीज़ल को जी.एस.टी. में शामिल करने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार जी.एस.टी. काउंसिल को है, राज्य शासन को यह निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। शराबबंदी संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।]

(ग) इंदौर संभाग में संचालित शासकीय एवं निजी पेट्रोल पम्पों की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	ऑयल कम्पनियों द्वारा संचालित डीजल पेट्रोल पम्पों की संख्या					
		इंडियन ऑयल	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम	भारत पेट्रालियम	रिलायंस जियो	नायरा एनर्जी	योग
1	इंदौर	123	78	83	3	18	**305**
2	खण्डवा	39	31	23	3	14	**110**
3	झाबुआ	30	19	10	0	5	**64**
4	धार	78	44	42	6	15	**185**
5	अलीराजपुर	7	5	9	1	1	**23**
6	बुरहानपुर	10	10	9	1	7	**37**
7	बड़वानी	35	16	13	1	8	**73**
8	खरगोन	57	37	34	2	17	**147**
कुल योग		**379**	**240**	**223**	**17**	**85**	**944**

पेट्रोल/डीजल पम्प को स्थापित करने के लिए पेट्रोलियम नियम, 2002 की कंडिका-144 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट की एन.ओ.सी. के आधार पर विस्फोटक की अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। पम्प संचालकों को 2020 के पूर्व कलेक्टर से विक्रय के पहले अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती थी, जिसे समाप्त कर दिया गया है। राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

कोविड महामारी से मृत व्यक्तियों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. अता.प्र.सं.102 (क्र. 813) श्री जालम सिंह पटैल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोविड महामारी से मृत व्यक्तियों की सहायता के लिये क्या-क्या योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई है बिन्दुवार बतावें? **(ख)** जबलपुर एवं सागर संभाग में कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई, ये कितने मृत कर्मचारी अधिकारी के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई एवं कितने व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई है, कब तक अनुकम्पा नियुक्ति कर दी जावेगी? **(ग)** जबलपुर एवं सागर संभाग के कितने बच्चों के माता एवं पिता या पालक की मृत्यु हो गई है। कितने बच्चों को प्रदेश सरकार की योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है बिन्दुवार बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जबलपुर एवं सागर संभाग में क्रमशः 33 एवं 13 कर्मचारियों की मृत्यु हुई। उक्त में से 10 मृत कर्मचारी अधिकारी के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। 03 परिजनों द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज-स्वास्थ्यकर्मी बीमा योजना के अंतर्गत राशि रूपये 50.00 लाख की सहायता प्राप्त की गई है, इस कारण उन्हें अनुंकपा नियुक्ति की पात्रता नहीं आती है। शेष 33 व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई है। अनुकम्पा नियुक्ति पात्रता एवं पदों की रिक्तता के आधार पर वरियतानुसार प्रदान की जाती है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** जानकारी प्रश्नांश "ख" में समाहित है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना अंतर्गत प्रतिमाह रूपये 5,000/- की आर्थिक सहायता, नि:शुल्क खाद्यान तथा शिक्षा संबंधित सहायता प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक/1373/2021/50-2, दिनांक 21.05.2021 के पालन में कोविड-19 से मृतकों के बच्चों को प्रदेश सरकार की योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आदेश की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है।

विभागीय स्टॉफ कार्यालय एवं जारी होने वाले पास की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

16. अता.प्र.सं.128 (क्र. 945) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक सामान्य प्रशासन विभाग, जनसम्पर्क विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, विमानन विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के मंत्री के स्टॉफ में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी, कार्यालय का पता, सम्पर्क नं., सहित सम्पूर्ण जानकारी दें? **(ख)** उपरोक्त के संबंध में मंत्रालय में आने वाले आगन्तुकों, डाक, कोरियर, विभागीय नस्तियां लेकर आने वाले शासकीय कर्मचारी को पास जारी किये जाते हैं? यदि हाँ, तो किस स्तर के अधिकारियों के पास एवं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि विभाग के पदेन मंत्री हैं से मिलने हेतु किन से मिलने के पास जारी किये जाते हैं? विभागवार पृथक-पृथक बतायें। **(ग)** उपरोक्त के संबंध में विभागीय मंत्री को आवंटित कक्ष में आगन्तुकों के सत्कार में संबंधित विभाग द्वारा कब-कब कितना-कितना भुगतान किस-किस प्रयोजन से किया है? विभागवार पृथक-पृथक बतायें। **(घ)** उपरोक्त के संबंध में कितने आवेदन/पत्रों/नोटशीटों को आवक पंजी में इन्द्राज किया गया है? विभागवार बतायें। इन्द्राज आवेदनों/पत्रों/नोटशीटों विभागीय मंत्री के स्टॉफ द्वारा किस-किस स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया बतायें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ)** की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हां। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभागों में अवर सचिव से अपर मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारियों तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आमंत्रित किये जाने पर, सुरक्षा कार्यालय, मंत्रालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अधिग्रहण पत्रक के माध्यम से संबंधित अधिकारी से मिलने हेतु पास जारी किये जाते हैं। **(ग)** जानकारी निरंक है। **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य विभागों से प्राप्त 17 आवेदन/पत्रों/नोटशीटों को आवक पंजी में इन्द्राज किया गया है। जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के 08, नर्मदा घाटी विकास विभाग के 05 तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 04 आवेदन/पत्र/नोटशीट प्राप्त हुए। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रोटोकाल का पालन नहीं करने वाले अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

17. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 1471) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत सदस्य पुस्तिका में प्रोटोकाल पालन के संबंध में अनेक सर्कुलर

उपलब्ध कराएं गए है? यदि हाँ, तो प्रोटोकाल उल्लंघन होने पर दोषी अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाहियां की जाती है? **(ख)** क्या दिनांक 24/11/2021 को तराना विधानसभा के कायथा में लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग उज्जैन द्वारा निर्मित पुल का लोकार्पण किया गया था? यदि हाँ, तो लोकार्पण कार्यक्रम एवं शिलान्यास शिलालेख में विधानसभा सदस्य का नाम अंकित क्यों नहीं किया गया? क्या कारण रहा कि विधानसभा सदस्य को आमंत्रित भी नहीं किया गया? क्या संसदीय कार्य विभाग विधानसभा सदस्य की इस उपेक्षा पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक करेगा? **(ग)** उक्त मामले में दोषी अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, स्वीकारकर्ता अधिकारी को विधानसभा सदस्य की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में कार्यवाही के निर्देश कब तक दिये जाएंगे और कौन देगा? **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26/11/2021 को माननीय सदन के अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ, तो प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर सभी स्तरों से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बाद मुझे कब तक अवगत कराया जाएगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** माननीय संसद सदस्यों तथा माननीय विधायकगणों के पत्रों की पावती देने, उनके पत्रों पर कार्यवाही कर निर्धारित अवधि में उसका उत्तर देने, शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, उन्हें सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में आमंत्रित करने तथा उनसे प्राप्त पत्रों के लिये पृथक पंजी संधारित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनका यह कृत्य उन पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जावेगा एवं संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। **(ख)** दिनांक 24/11/2021 को तराना विधानसभा के कायथा में लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग उज्जैन द्वारा निर्मित पुल का लोकार्पण विभाग द्वारा नहीं कराया गया एवं न ही विभाग द्वारा शिलालेख तैयार करवाया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य की शिकायत मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग में तथा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन में प्राप्त हुई थी। प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

परिवहन विभाग में रोटेशन प्रणाली से पदस्थापनाएं
[परिवहन]

18. परि.अता.प्र.सं. 44 (क्र. 612) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** परिवहन विभाग में किन पदों/स्थान पर पदस्थ करने के लिये रोटेशन प्रणाली से पदस्थ करने का केबिनेट निर्णय किस दिनांक को लिया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भ में इस निर्णय के पालन में जारी आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। क्या इस निर्णय का पालन पूर्णरूप से किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? वह किन परिस्थितियों के कारण नहीं किया जा रहा है? **(ग)** 1 जनवरी 2019 के पश्चात कब-कब, किस-किस अधिकारी की किस-किस स्थान पर पोस्टिंग की गई, क्या पोस्टिंग में केबिनेट निर्णय का पूर्ण पालन हुआ है जानकारी देवें। **(घ)** उक्त विभाग में प्रदेश में पदस्थ किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध किस-किस प्रकार की विभागीय जांच एवं कार्यवाही प्रचलन में है, जांच एजेंसियों में दर्ज प्रकरणों का विवरण देवें।

राजस्व मंत्री : [**(क)** परिवहन विभाग में पदस्थ प्रर्वतन अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 22-12/2019/आठ दिनांक 25.02.2019 द्वारा रोटेशन प्रणाली से संबंधित स्थानांतरण नीति आदेशित की गई है। मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-02/2021/आठ दिनांक 26/02/2021 द्वारा परिवहन विभाग के प्रर्वतन अमले में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु पूर्व प्रचलित रोटेशन प्रणाली दिनांक 25.02.2019 को समाप्त किया जाकर नवीन संशोधित रोटेशन प्रणाली लागू की गई। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में शासन द्वारा जारी किये गये पत्र की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(ग)** 1. प्रर्वतन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में शासन के आदेश क्रमांक एफ 22-12/2019/आठ दिनांक 25.02.2019 द्वारा पूर्व में प्रचलित स्थानांतरण/रोटेशन नीति को निरस्त करते हुए उप परिवहन आयुक्त (प्रर्वतन) की अध्यक्षता में ''परिवहन (प्रर्वतन) स्थापना बोर्ड'' का गठन किया गया था जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण सम्मिलित थे:- 1. उप परिवहन आयुक्त (प्रर्वतन) 2. एक वरिष्ठ संभागीय उप परिवहन आयुक्त 3. दो वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। 2. 25 फरवरी 2019 के पश्चात् संशोधित रोटेशन नीति दिनांक 26.02.2021 प्रभावी होने के दिनांक तक प्रर्वतन अमले के अधिकारियों व कर्मचारियों की पदस्थापना आदेश की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार** है। 3. मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 01-12/2021/आठ दिनांक 26.02.2021 द्वारा प्रर्वतन अधिकारियों व कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में प्रचलित ''परिवहन (प्रर्वतन) स्थापना बोर्ड'' के माध्यम से पदस्थापना किये जाने की नीति को परिवर्तित करते हुए नवीन संशोधित रोटेशन प्रणाली नीति लागू की गई है। इस नीति के अनुसरण में परिवहन निरीक्षक उप निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक सहित प्रर्वतन अमले में पदस्थ सभी कर्मचारियों की रोटेशन पदस्थापना 06 माह की अवधि के लिए प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत परिवहन आयुक्त द्वारा की जाती है। 4. दिनांक 26.02.2021 के पश्चात की गई पदस्थापना संबंधी आदेश की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द'' अनुसार** है। **(घ)** परिवहन विभाग में प्रदेश में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरणों एवं जांच एजेंसियों में दर्ज प्रकरणों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ई'' अनुसार** है।

खाद्यान्न दुकानों में राशन घोटाले की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

19. अता.प्र.सं.66 (क्र. 703) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 546 दिनांक 11.08.2021 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें कि वर्ष 2020-21 में अमानक पाये गये चावल की विक्रेता द्वारा भेजी गयी कुल मात्रा कितनी थी तथा उसमें से कितनी मात्रा हितग्राहियों में वितरीत की जा चुकी थी। **(ख)** वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक वर्ष अनुसार गेहूं तथा चावल की वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक की मात्रा, वर्ष भर में खरीदी मात्रा तथा वर्ष के अंत में स्टॉक की मात्रा की जानकारी दें। **(ग)** वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक कितनी राशन दुकानों पर गंभीर अनियमितता पाई गई तथा कितनों पर पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया? शेष पर प्रकरण क्यों नहीं दर्ज किया गया? दुकान अनुसार जानकारी दें। **(घ)** रतलाम शहर में वर्ष 2015-2017 के मध्य 63 दुकानों पर कुल कितने काल्पनिक हितग्राही पाये गये? क्या यह संख्या कुल हितग्राही की 50 प्रतिशत के लगभग है तथा इन अपात्र पर्ची पर लगभग 120 करोड़ का राशन निकाला गया? यदि हाँ, तो बतावें कि कितनों पर प्रकरण दर्ज किया गया? **(ड.)** रतलाम शहर की राशन दुकानों पर वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक वर्ष अनुसार हितग्राही की संख्या, कूपन की संख्या वर्ष के अंतिम माह अनुसार बतावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र 546 दिनांक 11.06.2021 का उत्तर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस जिले को अमानक स्तर की प्राप्त स्कंध 2355 क्विंटल जिले में प्रदाय केन्द्र आलोट, जावरा, सेलाना में प्राप्त हुआ था जो संबंधित जिले को वापिस कर दिया गया। अमानक चावल हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया। **(ख)** वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक गेहूँ तथा चावल की वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक की मात्रा, वर्षभर में खरीदी मात्रा तथा वर्ष के अंत में स्टॉक की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** हैं। **(ग)** वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक रतलाम शहर अंतर्गत 10 राशन दुकानों पर गंभीर अनियमितता पाई गई जिनके विरूद्ध पुलिस प्रकरण दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई गंभीर अनियमितता का प्ररकण नहीं है जिसमें पुलिस प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया। पुलिस में दर्ज कराए गए प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** हैं। **(घ)** रतलाम शहर में वर्ष 2015-2017 के मध्य अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर के प्रतिवेदन अनुसार 8 दुकानों पर 2846 परिवारों के 18311 सदस्य अपात्र पाये गए। जो कि कुल हितग्राही 45522 का 6.2 प्रतिशत है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार 98037419 रूपये की हानि होना बताई गई है। 8 दुकानों के संचालकों एवं नगर निगम कर्मचारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई। **(ड.)** रतलाम शहर की राशन दुकानों पर वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	हितग्राही संख्या	कूपन की संख्या
2018-19	111688	25093
2019-20	109477	24306
2020-21	90487	21443

खाद्यान्न का आवंटन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

20. परि.अता.प्र.सं. 62 (क्र. 710) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला जबलपुर को कोविड-19 कोरोना संक्रमण काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुफ्त राशन अन्न वितरण योजना व मुख्यमंत्री अन्न पूर्णा योजना के तहत कौन-कौन सा खाद्यान्न कब-कब, कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का आवंटित किया गया एवं कितना-कितना वितरित किया गया? वितरण करने के लिये शासन के क्या निर्देश हैं? अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 व जून 2021 से नवम्बर 2021 तक की माहवार जानकारी दें। **(ख)** मुफ्त (अन्न) राशन वितरण योजना के संबंधी में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर, बेसहारा और मजदूरों का सर्वे कराने हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं एवं इस संबंध में शासन के क्या निर्देश हैं? जिला प्रशासन जबलपुर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का कब से कब तक सर्वे कराकर कितने-कितने बेघर बेसहारा और मजदूरों को चिन्हित कर कितने गरीब परिवारों के बी.पी.एल. कार्ड बनाये गये हैं? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ग)** जबलपुर शहरी क्षेत्र के वार्डवार चिन्हित कितने-कितने बेघर, बेसहारा एवं मजदूरों को तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों और अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को किस मान से कितना-कितना खाद्यान्न का वितरण किया गया एवं कितना खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया है एवं क्यों? इसकी जांच कब किसने की है एवं दोषियों पर कब क्या कार्यवाही की गई हैं? योजना व माहवार जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** आवंटन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'** एवं वितरण की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 01 रुपये प्रति किग्रा की दर से खाद्यान्न वितरित करने के निर्देश हैं। **(ख)** कोरोनाकाल की लॉकडाउन अवधि में बेघर एवं बेसहारा मजदूरों के सर्वे हेतु विभाग द्वारा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं, किन्तु वर्ष 2020-21 में बेघर एवं बेसहारा एवं मजदूरों हेतु खाद्यान्न का वितरण नगर निगम जबलपुर, रेडक्रास जबलपुर, नगर पंचायत जबलपुर एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किया गया है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। राज्य शासन के आदेश क्रमांक 261/पीएसफूड/2021 भोपाल दिनांक 09.05.2021 में छूटे हुये गरीब परिवारों को स्व-घोषणा के आधार पर 9,654 अस्थायी पात्रता पर्ची जारी की गई हैं जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है एवं जुलाई, 2021 से नवंबर, 2021 तक पात्रतानुसार सामग्री का वितरण कराया गया है। **(ग)** कोविड काल में समस्त व्यावसायिक गतिविधियां बाधित होने एवं बेघर बेसहारा की आजीविका पर संकट होने के कारण जिला प्रशासन की मांग के अनुरूप खाद्यान्न का प्रदाय किया गया है। बेघर बेसहारा, गरीबी रेखा परिवार एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत खाद्यान्न वितरण एवं शेष अवितरित खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'इ' एवं 'फ' अनुसार** है। जांच की कार्यवाही निरंक है।

अमानक अनाज की गुणवत्ता जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

21. परि.अता.प्र.सं. 71 (क्र. 794) श्री जितु पटवारी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्र. 828 दिनांक 11.08.2021 के उत्तर दिलाया जाये तथा वर्ष 2020 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को वितरित किया गया चावल अमानक, निम्न गुणवत्ता का पाया गया। यदि हाँ, तो किस-किस सप्लायर पर किस-किस दिनांक को प्रकरण दर्ज किया गया? **(ख)** लॉकडाउन अवधि में कितने हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया? अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक माह अनुसार जिलेवार विवरण बतावें। **(ग)** नवम्बर 2020 से नवम्बर 2021 तक किस-किस जिले के भंडार गृह में चावल की गुणवत्ता की जांच की गई तथा वह अमानक पाया गया? **(घ)** विभाग द्वारा वर्ष 2015 से 2020-21 तक जूट तथा प्लास्टिक के कितने-कितने बारदाना किस औसत दर से खरीदे गये तथा कितने प्रतिशत बारदाना उपयोग में आये?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** क्रमांक 828 का उत्तर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को अमानक/निम्न गुणवत्ता का चावल वितरित नहीं किया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)**

जिला	निरीक्षण दिनांक	अमानक पाए गए चावल की मात्रा (मे.टन में)
ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना	दिनांक 20.11.2020 से 03.12.2020 तक	3224
विदिशा, भोपाल	दिनांक 05.02.2021 से 07.02.2021 तक	462
सतना, रीवा, सीधी, दमोह, खंडवा एवं झाबुआ	दिनांक 16.03.2021 से 20.03.2021 तक	3277

नवम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 तक भारत शासन के गठित दल द्वारा निम्नलिखित जिलों के गोदामों में गुणवत्ता की जांच की गई। अमानक पाए गए चावल की सम्पूर्ण मात्रा को संबंधित मिलर को वापस कर मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया गया। **(घ)** वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक जूट तथा पीपी बारदानों के क्रय संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। कार्पोरेशन द्वारा बारदानों की व्यवस्था उपार्जन के अनुमान के 15 प्रतिशत बफर के साथ किया जाता है। एक विपणन वर्ष में क्रय बारदानों में से उपार्जन उपरांत शेष बचे बारदानों का उपयोग आगामी विपणन वर्ष में किया जाता है। इस प्रकार क्रय किए गए शत प्रतिशत बारदानों का उपयोग उपार्जन में किया जाता है।

खराब हुए गेहूं-चावल को बेचा जाना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

22. अता.प्र.सं.96 (क्र. 866) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 3154 दि. 04 मार्च 21 एवं प्रश्न 3157 दि. 5 मार्च 2021 के संदर्भ में बतावें कि जिन चावल की जांच में वर्ष 2020 में गुणवत्ता निम्न तथा अमानक पाये गये। उनके सप्लायर्स पर अभी तक अपराध दर्ज क्यों नहीं कराया गया? **(ख)** विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में कितने चावल एवं गेहूं की खरीदी की गई और औसत वार्षिक मूल्य क्या रहा तथा अंतिम विवरण तक इन पर औसत परिवहन खर्च कितना-कितना प्रति किलोग्राम आया? **(ग)** विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में हम्माली, वेयर हाउस का भाड़ा तथा खाद्यान्न का परिवर्तन, बारदाना तथा जूट प्लास्टिक बारदाना पर कितना-कितना खर्च किया गया? वर्षवार बतावें। बारदाना खरीदी की संख्या भी बतावें। **(घ)** विभाग द्वारा प्रतिवर्ष, पिछले 5 वर्षों में कितना-कितना गेहूं और चावल खराब हुआ तथा उसे किस दाम में किस-किस फर्म को बेचा गया? खराब गेहूं चावल की मात्रा कुल खरीदी का कितना प्रतिशत थी तथा उन पर विभाग की कितनी हानि हुई? **(ड.)** पिछले पांच वर्षों की क्षेत्र की रिपोर्ट में विभाग में क्या कमियां पायी गई? उसकी सूची देवें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** चावल की जांच में वर्ष 2020 में गुणवत्ता निम्न तथा अमानक पाये गये चावल के संबंध में EOW (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) द्वारा मण्डला जिले में अपराध प्रकरण क्र. 18/20 दिनांक 04.09.2020 एवं बालाघाट जिले में अपराध प्रकरण क्र. 40/2020 दर्ज किया गया है। **(ख)** विगत 5 वर्ष में गेहूं, धान का उपार्जन भारत शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया है। उपार्जित गेहूं, धान एवं उस पर समर्थन मूल्य अनुसार देय उपार्जित मात्रा राशि का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** विगत 05 वर्षों में उपार्जित गेहूं, धान के उपार्जन हेतु क्रय बारदाना खरीदी मात्रा गठानों में उस पर भुगतान की गई राशि का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** पिछले 05 वर्षों में गोदामों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम से DCC करने के उपरांत विक्रय किये गये गेहूं, चावल की विक्रय दर, मात्रा एवं प्रावधानिक लागत दर से क्षतिग्रस्त स्कंध के विक्रय में हुई हानि की जानकारी निम्नानुसार है:-

मात्रा मे.टन. एवं रूपए व पैसे में					
क्र.	**खाद्यान्न का नाम**	**क्षतिग्रस्त मात्रा**	**कुल विक्रय मात्रा**	**हानि राशि**	**क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का प्रतिशत**
1	गेहूँ	3372.679	897609517.3	59916479.46	0.013
2	चावल	5762.95	2911322875	155739224.2	0.225
	योग	9135.629	3808932393	215655703.6	0.032

(ड.) वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण गेहूं का उपार्जन का कार्य विलंब से प्रारंभ एवं सभी विभागों से उपार्जन हेतु माह जून, 2022 तक गेहूं का उपार्जन किया। उपार्जन अवधि में आकस्मिक वर्षा के कारण उपार्जित गेहूं से प्रभावित हुआ है। उपार्जित स्कंध के सुरक्षित भंडारण हेतु अधिक से अधिक उपार्जित हेतु गोदाम स्तर पर स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

अयोग्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति
[आयुष]

23. परि.अता.प्र.सं. 112 (क्र. 1269) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या राज्यमंत्री,आयुष, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्न क्र. 865 (तारांकित) 12/08/2021 के बिंदु (ग) के अनुसार उप कुल सचिव का वेतनमान व योग्यता धारित न करने के बावजूद भी डॉ. जे के गुप्ता को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर उप कुल सचिव बनाया गया? **(ख)** यदि हाँ, तो किन अधिकारी द्वारा यह कार्य किया गया? **(ग)** डॉ. जे.के. गुप्ता के अलावा ऐसे कितने अधिकारी हैं जो अयोग्य होने के बावजूद भी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं? क्या इन्हें पृथक किया जायेगा? **(घ)** यदि हाँ, तो कब तक?

राज्यमंत्री,आयुष : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है **संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। **(ग)** चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** उत्तरांश (ग) अनुसार।] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** उत्तरांश "ग" अनुसार। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

उपयंत्रियों को समयमान वेतनमान एवं विभागीय जांचों निराकरण
[लोक निर्माण]

24. परि.अता.प्र.सं. 119 (क्र. 1298) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र.लो.नि.वि. (सिविल) अन्तर्गत भोपाल संभाग में ऐसे कितने उपयंत्री हैं, जिनकों 30 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर भी 20 वर्ष तथा 28 वर्ष पर मिलने वाला समयमान/क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है? सूची उपलब्ध कराने एवं इन्हें समयमान का लाभ कब तक दिया जायेगा? समय-सीमा बताएं। **(ख)** क्या वर्ष 2012 से 2021 तक उपयंत्रियों, सहायक यंत्री का.पा. यांत्रियों की विभागीय जांचें पूर्ण कर जांच अधिकारियों ने जांच प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध करवाई गई है? यदि हाँ, तो सूची उपलब्ध कराएं तथा ऐसे कितने अधिकारी है, जिन्हें विभागीय जांचों का शासन स्तर से निराकरण नहीं होने के कारण पूर्ण पेंशन नहीं दी जा रही है? सूची उपलब्ध कराएं एवं शासन को प्राप्त विभागीय जांचों का अंतिम निराकरण कब तक किया जाएगा, समय-सीमा बताएं। **(ग)** क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 486/एफ-708/49/3/90 एवं ज्ञापन क्र. 248/278/1/3/94 दिनांक 27.06.94 का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो सकारण बताएं। विभागीय जांचों का निराकरण कब तक किया जाएगा? **(घ)** प्रश्नांश (क) के ऐसे कितने उपयंत्री हैं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिन्हें समयमान, वेतनमान का लाभ प्रश्नांश दिनांक तक नहीं दिया गया है? उनकी सूची उपलब्ध कराएं एवं कब तक समयमान वेतनमान दिया जाएगा? **(ड.)** प्रमुख अभियंता को म.प्र. उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा समयमान वेतनमान देने के आदेश 2015 से 2016

तक दिए, लेकिन आज प्रश्न दिनांक तक न्यायालयीन आदेशों का पालन नहीं किया गया? कब तक समयमान/वेतनमान दे दिया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : [**(क)** भोपाल संभाग अन्तर्गत 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले कुल 6 उपयंत्रियों को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय एवं 11 उपयंत्रियों को 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान/क्रमोन्नत वेतन का लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार**। समयमान वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान प्रदाय हेतु प्रक्रिया निरंतर प्रचलन में है, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)** जी हाँ। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होने से समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। **(घ)** भोपाल संभाग अन्तर्गत जानकारी निरंक। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(ख)** भोपाल संभाग अन्तर्गत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।** परिशिष्ट 'स' में उल्लेखित अधिकारी/कर्मचारी सेवा में है अतः पेंशन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ड.) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** निरंक। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आदेश का क्रियान्वयन
[नगरीय विकास एवं आवास]

25. परि.अता.प्र.सं. 149 (क्र. 1435) श्री जालम सिंह पटैल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक F/4-111/2012/18-1 दिनांक 4.9.2012 की प्रति देते हुए बताएं कि उक्त आदेश किस संदर्भ में निकाला गया तथा क्या आदेश का पालन वर्तमान में भी हो रहा है अथवा नहीं? यदि पालन नहीं हो रहा है तो क्यों विधिसम्मत कारण बताएं। **(ख)** क्या (क) में संदर्भित आदेश के उपरांत इसी संदर्भ में कोई अन्य आदेश भी विभाग द्वारा जारी किया है? यदि हाँ, तो आदेश क्रमांक/दिनांक की जानकारी सहित प्रति उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) के आदेश के संदर्भ में सूचना के अधिकार के तहत अशरफ खान जिला अध्यक्ष कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग विभाग भोपाल द्वारा जानकारी चाही गई थी तथा लोक सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, नगरपालिका निगम, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 730 दिनांक 18.10.21 द्वारा उक्त जानकारी हेतु उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी, लोक सूचना कार्यालय नगरपालिका निगम भोपाल को पृष्ठांकन कर तदाशय की सूचना आवेदक को भी दी गई थी, यदि हाँ, तो उक्त जानकारी किस पत्र क्रमांक/दिनांक द्वारा उपलब्ध कराई गई, यदि नहीं, तो क्यों? इस हेतु दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर कब तक जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी? **(घ)** क्या उक्त आदेश के तारतम्य में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक एल.एस.जी.डी. डिप्लोमा पास करने वाले कर्मियों को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों कब तक दिया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-111/2012/18-1 भोपाल दिनांक 04.09.2012 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ' अनुसार** है। यह परिपत्र नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान, भोपाल द्वारा संचालित पाठयक्रमों में प्रवेश की अनुमति प्रदान करने के संबंध में निकाला गया है। इस आदेश का पालन वर्तमान में भी हो रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** कार्यालयीन अभिलेख अनुसार जी नहीं। **(ग)** जी हाँ। नगर पालिक निगम भोपाल की स्थापा शाखा द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 65-66 भोपाल दिनांक 15-10-2021 द्वारा जानकारी आवेदक को प्रेषित कर दी गई। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 4-88/2002/18-1 भोपाल दिनांक 14.05.2002 के तारतम्य में एलएसजीडी

डिप्लोमा पास करने वाले कर्मियों को वेतन वृद्धियों का लाभ दिया जा रहा है शेष प्रश्न उपस्थिति नहीं होता है।

वर्षों पुराने पेड़ों को काटा जाना
[नगरीय विकास एवं आवास]

26. परि.अता.प्र.सं. 156 (क्र. 1525) श्री हरिशंकर खटीक : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल को अरेरा हिल्स स्थित खसरा क्र. 959/1 में से 5.15 एकड़ भूमि का ग्रीन मेडोज कालोनी बनाने हेतु आवंटन किया गया था? अगर हाँ तो ऐसे आदेशों पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की छायाप्रतियां प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर बताएं कि यह 5.15 एकड़ भूमि खसरा नं. 959/1 में जब आवंटित हुई थी, तब इस खसरा नंबर की भूमि पूरी क्यों नहीं दी गई है? स्पष्ट बताएं एवं संपूर्ण फाईल की आदेश सहित छायाप्रतियां प्रदाय करें। इसमें कौन-कौन दोषी हैं? क्या कालोनी जहाँ बनी है वह वही भूमि है या अन्य स्थान पर? स्पष्ट बताएं। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि उपरोक्त कॉलोनी के पीछे उत्तर की ओर लगी खाली भूमि कितनी-कितनी सरकारी राजस्व की थी? जो किस परियोजनार्थ किसको कितनी राशि (राजस्व) पर कितनी भूमि आवंटित कर दी गई? संपूर्ण जानकारी दें। क्या कॉलोनी के पीछे जो पेड़ लगे हैं वह ग्रीनलैण्ड में हैं तो उनको क्यों काटा जा रहा है? उनको रूकवाया जायेगा तो कब तक? समय-सीमा सहित बताएं। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताएं कि रहवासी इस कॉलोनी के निवासियों को एक मुश्त राशि जमा करवाकर लीज रेन्ट जमा क्यों नहीं करवाया जा रहा है? यह भी बताएं कि वर्षों पुराने पेड़ों को काटने से रोका जावे। नगर निगम द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** खसरा क्र. 959/1 में से 5.15 एकड़ भूमि का आवंटन मण्डल के पक्ष में किया गया है। मौके पर सीमा बताकर भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिनांक 24.08.2006 मण्डल को सौंपा गया है। भूमि के आवंटन प्रक्रिया के दौरान राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार के द्वारा स्थल के भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को अग्रिम अधिपत्य दी गई भूमि खसरा क्र. 959/1 की 5.15 एकड़ भूमि वास्तव में 4.37 एकड़ है तथा शेष 0.78 एकड़ भूमि खसरा क्र. 958/1/1 पर प्रतिस्थापित है, जिसके संशोधित आवंटन आदेश जारी किये जाने की अनुमति के लिए कलेक्टर, भोपाल द्वारा संशोधित आवंटन आदेश जारी करने हेतु राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। शासन स्तर पर प्रकरण में भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही प्रचलित है। इस प्रक्रिया में दोषी होने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। ग्रीन मेडोज कालोनी खसरा क्र. 959/1 की 4.37 एकड़ भूमि तथा खसरा क्र. 958/1/1 की 0.78 एकड़ भूमि पर कुल रकबा 5.15 भूमि पर विकसित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** ग्रीन मेडोज कालोनी के पीछे उत्तर की ओर खसरा क्र. 959/1 कुल रकबा 25.208 हे. में से 3.551 हे. भूमि नगरीय विकास एवं आवास विभाग को राजस्व विभाग द्वारा निशुल्क आवंटित की गई है। कालोनी के पीछे खसरा क्र. 959/1 में लगे वृक्ष नहीं काटे जा रहे हैं। भोपाल विकास योजना 2005 के अनुसार खसरा क्र. 959/1 का भूमि उपयोग आवासीय, अमोद-प्रमोद एवं मार्ग निर्दिष्ट है। **(घ)** ग्रीन मेडोज कालोनी का लीजरेन्ट मण्डल द्वारा शासन की निर्धारित दर से प्रतिवर्ष जमा किया जा रहा है। मण्डल द्वारा कालोनी के आवंटियों से उनको आवंटित क्षेत्रफल के अनुसार पर्यावेक्षण शुल्क की राशि जोड़कर प्रतिवर्ष लीज रेन्ट की राशि जमा की जा रही है। प्रश्नाधीन भूमि का मण्डल के पक्ष में पट्टा निष्पादन होने के उपरान्त कालोनी के आवंटियों से एक मुश्त लीज रेन्ट फ्री होल्ड की कार्यवाही पूर्ण होने के

पश्चात जमा कराया जाना प्रस्तावित है। कालोनी के पीछे खसरा क्र. 959/1 में लगे वृक्ष नहीं काटे जा रहे हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

बलिदान दिवस के मौके पर शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के व्यय
[जनजातीय कार्य]

27. परि.अता.प्र.सं. 3 (क्र. 186) श्री तरूण भनोत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 18 सितम्बर, 2021 को शंकरशाह एवं रघुनाथ शाह जी की 164 वे बलिदान दिवस पर केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार का आगमन जबलपुर में हुआ था? यदि हाँ, तो उक्त बलिदान दिवस पर प्रदेश शासन के कौन-कौन से विभागों को कार्यों का दायित्व सौंपा गया था? विभागों के नामवार एवं उन्हें शासन से आवंटित राशियों के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जावे। **(ख)** उक्त बलिदान दिवस कार्यक्रम में प्रदेश शासन का कुल व्यय कितना हुआ?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** जी हाँ। संस्कृति विभाग, जनसम्पर्क विभाग, परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन जबलपुर को दायित्व सौंपा गया था। उक्त विभागों को राशि आवंटित नहीं की गई है। जिला प्रशासन जबलपुर को राशि रूपये 21.50 लाख आवंटित की गई है। **(ख)** कुल व्यय की **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** कुल व्यय की जानकारी निम्नानुसार है।

प्रदत्त आवंटन	कार्यक्रम आयोजन पर व्यय	परिवहन व्यय	चाय,नाश्ता, पानी, भोजन व्यय	आवास,बैनर, सैनेटाइजर, मास्क एवं अन्य पर व्यय	कुल व्यय राशि (रूपयों में)
35695150	33545150	122617	468317	773563	34909647

व्यापम घोटाले से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही
[गृह]

28. परि.अता.प्र.सं. 6 (क्र. 308) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** व्यापम घोटाले से संबंधित प्रकरण सी.बी.आई. को सुपुर्द करने के बाद कितने प्रकरण एस.टी.एफ. द्वारा दर्ज किए गए एवं कितनों में खात्मा लगाया गया? **(ख)** एस.टी.एफ. द्वारा फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किए गए कितने प्रकरणों पर खात्मा लगवाया गया? जबकि वह संबंधित तहसीलदारों की रिपोर्ट पर दर्ज किए गए थे। ऐसे में इन प्रकरणों पर किस आधार पर खात्मे की कार्यवाही की गई? **(ग)** परिवहन आरक्षक भर्ती में महिलाओं के आरक्षित सीटों के लिये महिला अभ्यार्थियों का फिजीकल टेस्ट पुरूष अभ्यार्थियों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया गया। महिला अभ्यार्थियों का उन पर खरे न उतरने पर उन सीटों को पुरूष अभ्यार्थियों से भरा गया। क्या सरकार द्वारा पूर्व में भी महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों को पुरूष अभ्यार्थियों द्वारा भरा गया है? यदि हाँ, तो कब? **(घ)** क्या व्यापम घोटाले में पीएमटी 2012 तथा पीएमटी 2013 की परीक्षा में व्यापम द्वारा जांच में पाए गए रोल नम्बर सेटिंग्स पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए? यदि हाँ, तो बताए कि पीएमटी 2007 से 2011 तक रोल नम्बर सेटिंग्स पर प्रकरण क्यों नहीं किए गए? **(ड.)** माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यापम घोटाले में विधान सभा में जून 2013 में प्राप्त किस गुमनाम पत्र का जिक्र किया था? उस संदर्भ में अभी तक क्या

अनुसंधान किया गया? यदि उल्लेखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ तो क्या मुख्यमंत्री महोदय के असत्य कथन का व्यापम की जांच को भ्रमित करने पर कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** व्यापम घोटाले से संबंधित प्रकरण सी.बी.आई. को सुपुर्द करने के बाद एसटीएफ द्वारा कुल 21 प्रकरण दर्ज किए गए। किसी भी प्रकरण में खात्मा नहीं लगाया गया। 01 प्रकरण में खारिजी की कार्यवाही की गई है। **(ख)** एसटीएफ द्वारा फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किए गए प्रकरणों में से किसी भी प्रकरण में खात्मा की कार्यवाही नहीं की गई। **(ग)** जी हाँ। केवल ऊंचाई संबंधी मापदंड में परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 में महिला अभ्यार्थियों हेतु पुरूष अभ्यार्थियों के समान तत्समय प्रभावशील भर्ती नियम के अनुसार माप लिया गया था। महिला को उन मापदण्ड पर खरे न उतरने पर उन शेष रिक्त पदों की पूर्ति पुरूष अभ्यार्थियों से की गई थी। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11/11/आठ दिनांक 06 जुलाई 2011 में उल्लेखित विभागीय भर्ती नियम "म.प्र. परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2011" में आरक्षकों के पद हेतु अनुसूची-तीन (नियम 8 अंतर्गत) में निर्धारित शारीरिक मापदण्ड अनुसार शारीरिक ऊंचाई 1.68 मीटर से कम नहीं होना अंकित है। सुलभ संदर्भ हेतु अधिसूचना की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 61/2012 दिनांक 13.06.2012 में परिवहन आरक्षक चयन परीक्षा 2012, परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम की विज्ञप्ति में अभ्यार्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 1.68 मीटर रखी गई थी। तत्समय परिवहन आरक्षक पद पर भर्ती हेतु महिलाओं की ऊंचाई के संबंध में पृथक प्रावधान नहीं थे। सुलभ संदर्भ हेतु विज्ञप्ति की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की नोटशीट में दिये गये अभिमत के आधार पर परिवहन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-109/05/आठ दिनांक 8 नवम्बर 2011 के आदेश अनुक्रम में महिलाओं के आरक्षित पदों हेतु शारीरिक मापदण्ड में उपयुक्त महिला न मिलने पर पुरूष अभ्यार्थियों से रिक्त पदों को भरा गया है। वर्ष 2012 के पूर्व महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को पुरूष अभ्यार्थियों से नहीं भरा गया है। **(घ)** जी नहीं, पीएमटी परीक्षा 2012 तथा 2013 की परीक्षा में मात्र रोल नम्बर सेटिंग पर प्रकरण दर्ज नहीं किया। रोल नम्बर सेटिंग, नकल कराना, अवैध रूप से उक्त कार्य हेतु पैसे के लेन देन के प्रमाण एवं अन्य साक्ष्य पर से प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे। पी.एम.टी. परीक्षा में रोल नम्बर सेटिंग्स संबंधी प्रकरणों में म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. 1277/सीएमएस/पीआरएस/2019 भोपाल दिनांक 01/08/19 में मार्गदर्शी निर्देश दिये गये थे। प्रकरणों में सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध न होने से अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये जा सके। **(ड.)** माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस गुमनाम पत्र का उल्लेख व्यापम मुद्दे पर संबोधन के दौरान किया था वह पत्र अपराध शाखा इंदौर में प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में उल्लेखित सूचनाओं को विकसित करते हुए थाना राजेन्द्र नगर जिला इंदौर, म.प्र. में अपराध क्रमांक 539/2013 दिनांक 07.07.2013 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण अग्रिम विवेचना हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका क्रमांक 372/2015 में दिनांक 09.07.2015 को पारित निर्णय के परिपालन में सी.बी.आई. को सुपुर्द किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं।

पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने वालों पर कार्यवाही
[विधि एवं विधायी कार्य]

29. अता.प्र.सं.27 (क्र. 808) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. सरकार के निर्देश में 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक भारत की आजादी को अमृत महोत्सव के रूप में मनाये जाने के निर्देश थे? **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) हाँ,

तो जिला शहडोल एवं रीवा में विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा एवं शहडोल के द्वारा किन-किन जगहों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोग किया गया? उनमें से कितने हितग्राहियों को किन-किन शिविरों में किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया, का विवरण देवें। यह भी बतावें इन कार्यक्रमों में आयुक्त राजस्व कलेक्टर पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के साथ अन्य जिलों के किन-किन विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहे हैं? अगर नहीं रहे तो क्यों? इनके न रहने से शिविर के उद्देश्य की पूर्ति व हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना प्रभावित होगा? इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आयोजनों में क्षेत्रीय विधायकों एवं अन्य किन-किन जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम की भव्यता के साथ जागरूकता फैलाने बाबत कार्यक्रम में बुलाया गया? अगर नहीं बुलाया गया तो क्यों? इसके लिये जिला प्रशासन के किन अधिकारियों को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही प्रस्तावित करेंगें? अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आयोजनों में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की उपस्थित न रहने के कारण हितग्राहियों को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रभावित हुआ एवं विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली जानकारियॉ लोगों को नहीं मिली। इस पर किनको जिम्मेदार मानकर कार्यवाही करेंग? अगर नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मेगा विधिक सेवा एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** 6 मेगा शिविरों में कुल 2276 व्यक्तियों को योजनाओं से लाभांवित किया गया। मेगा शिविरों में आयुक्त राजस्व, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का शिविरों में सहयोग प्राप्त हुआ है। परंतु वे शिविरों में उपस्थित नहीं थे लेकिन प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में अन्य अधिकारियों की उपस्थिति थी उनकी शिविर की अनुपस्थिति से कोई प्रतिकूल प्रभाव शिविर में नहीं पड़ा। **(ग)** कार्यक्रम स्थल ग्राम बंजारी में दिनांक 27.10.2021 में विधायक प्रतिनिधि की उपस्थिति रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा क्षेत्रीय विधायकों को शिविरों में आमंत्रित किये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। **(घ)** प्रश्नांश "ख" के उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थिति नहीं होता।

गौरव दिवस के नाम पर शासन की राशि का दुरूपयोग
[जनजातीय कार्य]

30. अता.प्र.सं.31 (क्र. 923) श्री आरिफ अक़ील : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनांक 15 नवम्बर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के सफल आयोजन के नाम पर खाद्य सामग्री एवं भोजन आदि के वितरण में राशि व्यय की गई? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि कार्यक्रम में लाने हेतु लोगों को कितनी-कितनी खाद्य सामग्री एवं भोजन वितरण के नाम पर शासन की कितनी राशि व्यय हुई? अलग-अलग जिलेवार बतावें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट अनुसार** है।

प्रदेश सरकार द्वारा सूदखोरी नियंत्रण हेतु उठाये गये कदम
[गृह]

31. परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 1036) श्री विनय सक्सेना : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश सरकार द्वारा सूदखोरी से निपटने हेतु क्या-क्या उपाय व कदम उठाये गये हैं, साहूकारी के क्या नियम हैं,

लायसेंसी साहूकारों द्वारा अधिकतम वसूल किये जा सकने वाले ब्याज की सीमा क्या है? **(ख)** विगत 1 वर्ष में जिलेवार कितने-कितने प्रकरणों में क्या-क्या प्रभावी कार्यवाहियाँ की गयी हैं? **(ग)** सूदखोरी की चपेट में आकर विगत 1 वर्ष में कितने-कितने पीड़ितों द्वारा आत्मघाती कदम उठाये गये हैं? जिलेवार बतावें। **(घ)** गत 1 वर्ष में जबलपुर जिले में सूदखोरी से पीड़ितों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सूदखोरों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, अवैध साहूकारों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 एवं साहूकारी अधिनियम 1934 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। साहूकार द्वारा 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं किये जाने के संबंध में राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को अधिसूचना जारी की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार।**

ग्वालियर चम्बल संभाग के पशुधन एवं उससे संबंधित योजनाएं
[पशुपालन एवं डेयरी]

32. अता.प्र.सं.56 (क्र. 1126) श्री सुरेश राजे : क्या पशुपालन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के जिलों में राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कट विकास के अंतर्गत संचालित मदर यूनिट का नाम/पंजीयन क्रमांक दिनांक तथा मदर यूनिट संचालक का पूर्ण पता सहित जिलावार बतावें। **(ख)** बिंदु (1) के अनुसार ग्वालियर चम्बल संभाग के जिलों में वर्ष 2015-16 से 2021-22 में प्रश्न दिनांक तक किस मदर यूनिट संचालक को कुल कितने चूजे पालने हेतु किस दिनांक को प्रदाय किये गए तथा इन्हें उक्त वर्षों में जिलावार एवं वर्षवार कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? एक मदर यूनिट संचालक क्या एक वर्ष में एक जिले से अधिक जिलों हेतु चूजे पाल कर हितग्राहियों को विवरण कर सकता है? यदि हाँ, तो आदेश/नियम की सत्यापित प्रति सहित बतावें । **(ग)** प्रश्नांश (ख) बिंदु (2) के अनुसार ग्वालियर चम्बल संभाग में जिलों में वर्ष 2015 से 2021 तक किस मदर यूनिट संचालक द्वारा किस दिनांक को बी.पी.एल. हितग्राहियों को राशि व चूजे वितरित किये? विधानसभा का नाम/ग्राम का नाम/हितग्राही का नाम/पिता-पति का नाम/जाति/ग्राम पंचायत/प्रस्ताव दिनांक/बीपीएल क्रमांक/कुल प्रदाय चूजे/सामग्री या राशि/सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम व पद सहित बतावें?

पशुपालन मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "क" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ख" अनुसार** है। जी हाँ। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ग" अनुसार** है।

घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू वर्ग के पंचायतों का आयोजन
[विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण]

33. परि.अता.प्र.सं. 44 (क्र. 1132) श्री मेवाराम जाटव : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि दिनांक 31 अगस्त 2021 को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग की पंचायत का आयोजन किया गया था? यदि हाँ, तो इस आयोजन पर किस-किस मद से किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जनजाति के हितार्थ के लिए कौन-कौन सी घोषणायें की थी, उनमें से कितनी घोषणाओं की पूर्ति कर दी गई है और कितनी शेष है? इस समुदाय के लोगों द्वारा पंचायत

में जातिवार जनसंख्या की गणना करने की मांग की गई थी? यदि हाँ, तो इस पर शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** उक्त पंचायत में 51 चिन्हित जातियों में से किन-किन जातियों के प्रतिनिधि कितनी-कितनी संख्या में शामिल हुये थे, उनके नाम एवं पता सहित बतावें? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में अतारांकित प्रश्न क्र. 3812 उत्तर दिनांक 8 मार्च 2021 के उत्तर में बताया गया था कि इन जातियों के लिए बजट का प्रावधान परम्परागत आधार पर किया जाता है एवं इन जनजातियों की गणना के आंकड़ें सरकार के पास नहीं है तो इन जनजातियों का कल्याण समुदाय के व्यक्तियों के मांग के आधार पर किया जाता है? यदि हाँ, तो इस वर्ष 1 अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक समुदाय के किन-किन जातियों के व्यक्तियों ने क्या-क्या मांग की थी, उसके आधार पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई थी? कार्यवार ब्यौरा देवें? **(घ)** उपरोक्त अनुसार उक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियां जिनकी संख्या 30 है एवं विमुक्त जनजातियों की संख्या 21 है, क्या यह जातियां किसी अन्य जातियों में भी सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इन 51 चिन्हित जातियों को किस आधार पर किन आदेश/नियम के तहत जनजातियों में सम्मिलित किया गया है?

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [**(क)** जी हाँ। व्यय मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास के मद से किया गया। व्यय राशि **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** घोषणा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है। जी हाँ। बजट अभाव में अभी कार्यवाही करना संभव नहीं है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** जी हाँ। **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।] **(क)** जी हाँ। व्यय मध्यप्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास के मद से किया गया। व्यय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "1" अनुसार** है। घोषणा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" अनुसार** है। क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है। जी हाँ। बजट अभाव में अभी कार्यवाही करना संभव नहीं है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "3" अनुसार** है। नाम एवं पते की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "4" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। विभाग द्वारा संचालित बस्ती विकास योजनांतर्गत ही समुदाय के व्यक्तियों की ग्रामसभा में की गई मांग के आधार पर पारित प्रस्ताव/ठहराव पर सरपंच द्वारा कलेक्टर के माध्यम से राशि की मांग की जाती है। उक्त योजनांतर्गत प्रश्नांकित अवधि में की गई मांग का कार्यवार ब्यौरा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "5" अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में **परिशिष्ट "5"** में दार्शित कार्यों पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "6" अनुसार** है।

बहोरीबंद में सिविल कोर्ट की स्थापना
[विधि एवं विधायी कार्य]

34. ता.प्र.सं. 11 (क्र. 1244) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा कटनी जिला अंतर्गत बहोरीबंद तहसील में व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व से लंबित है? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो उल्लेखित न्यायालय की स्थापना हेतु क्या पूर्व से निर्मित बी.आर.सी. भवन को न्यायालय स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया है तथा न्यायाधीश निवास की चार दीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हां, तो तहसील मुख्यालय, बहोरीबंद में सिविल कोर्ट की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं एवं यह भी बतलावें कि यहां पर सिविल कोर्ट की स्थापना किस प्रकार से कब तक कर दी जावेगी?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** म.प्र. शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16.12.2016 के द्वारा बहोरीबंद जिला कटनी के लिये एक सिविल जज का पद अधिसूचित किया जा

चुका है। **(ख)** म.प्र. उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. ए/5342 के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया कार्य उचित रख-रखाव/परिवर्तन के स्तर का न होने एवं उचित आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप भवन निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी हां। **(ग)** 1. शासन द्वारा उपयुक्त भवन प्रदाय न किये जाने के कारण। 2. माननीय उच्च न्यायालय के पत्र दिनांक 04.08.2021 के अनुक्रम में गुणवत्तापूर्ण कार्य न किया जाने के कारण लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया है। 3. बहोरीबंद सिविल न्यायालय के प्रशासकीय एवं कार्यालयीन अमले के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की आवश्यकता के फलस्वरूप नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 4. न्यायालय स्थापना पॉलिसी वर्ष 2014 के पैरामीटर की उपलब्धता होने पर उच्च न्यायालय द्वारा तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में सिविल कोर्ट की स्थापना पर विचार किया जाएगा। तहसील बहोरीबंद में सिविल कोर्ट की स्थापना हेतु उक्त कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और यथा संभव शीघ्रता से तहसील बहोरीबंद में सिविल कोर्ट की स्थापना की जाएगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया के भवन निर्माण की जांच एवं लिंक कोर्ट प्रारंभ किये जाना
[विधि एवं विधायी कार्य]

35. अता.प्र.सं.79 (क्र. 1343) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्राम खिरसाडोह में अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया के भवन का निर्माण कार्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड, प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जिससे शासन की राशि का दुरूपयोग हो रहा है, ऐसी स्थिति को देखते हुए, कब तक शासन/विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच करा दी जायेगी? **(ख)** परासिया में अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति लगभग चार वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुकी है किन्तु अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया को प्रारम्भ करने में तथा भवन निर्माण किये जाने में काफी समय लग रहा है? जबकि परासिया में संचालित व्यवहार न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायालय का लिंक कोर्ट प्रारंभ किये जाने के संबंध में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है तो कब तक लिंक कोर्ट प्रारंभ कर दिया जायेगा है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** ग्राम खिरसाडोह में अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया के भवन का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन में निहित प्रावधान एवं मुख्य वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. भोपाल द्वारा अनुमोदित डाईंग डिजाईन के अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हां, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16.12.2016 अनुसार परासिया जिला छिंदवाड़ा में एक अपर जिला न्यायाधीश का पद स्वीकृत किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय परासिया का भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत है जिसके दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। राज्य शासन द्वारा परासिया में नियिमत न्यायालय के संचालन हेतु अपर सत्र न्यायाधीश का पद स्वीकृत किया जा चुका है जिस पर न्यायाधीश की नियुक्ति की कार्यवाही मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। लिंक कोर्ट प्रारंभ किये जाने संबंधी कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सभा में लिए गए प्रस्ताव की जानकारी
[जनजातीय कार्य]

36. अता.प्र.सं.80 (क्र. 1347) श्री मनोज चावला : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में विकासखंडवार जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार कितने दावे मान्य किए तथा कितने दावेदारों के दावे अमान्य किए गए? **(ख)** किस ग्राम के निस्तार पत्रक एवं अधिकार अभिलेख में किस-किस मद और किस-किस प्रयोजन के लिए कितनी भूमि दर्ज है? इनमें से कितनी भूमि का नियंत्रण प्रबंधन ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत का है एवं कितनी भूमि पर वन विभाग का वर्तमान

में कब्जा है। **(ग)** वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 (ण) में तीन पीढ़ियों से निवास बाबत क्या प्रावधान है? धारा 4 (3) में किस दिनांक तक के कब्जे से संबंधित क्या प्रावधान है? कानून की किस धारा में तीन पीढ़ियों से भूमि पर कब्जे का प्रावधान है? **(घ)** कितनी ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत ने कितने दावेदारों को दावा की गई भूमि से बेदखल किए जाने का किस दिनांक को प्रस्ताव लिया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** रतलाम जिले में विकासखंडवार जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार 5754 दावे मान्य किये तथा 5472 दावे अमान्य किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग)** वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2 (ण) एवं धारा 4 (3) में दिये गये प्रावधान एवं तीन पीढ़ी से संबंधित जारी निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(घ)** वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत रतलाम जिले की किसी भी ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायत ने दावेदारों को दावा की गई भूमि से बेदखल करने का प्रस्ताव नहीं लिया है।

आवंटित बजट का उपयोग
[जनजातीय कार्य]

37. परि.अता.प्र.सं. 88 (क्र. 1433) श्री बापूसिंह तंवर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मांग संख्या 33 मुख्य शीर्ष 2225 योजना क्र. 9853 आदिवासी संस्कृति को परीक्षण विकास एवं देव ठान मद आवंटन वित्तीय वर्ष 21-22 से आवंटित बजट से क्या-क्या कार्य होना प्रस्तावित है? प्रश्न दिनांक तक उक्त बजट से भोपाल संभाग के किस-किस जिले में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के किये गये हैं? **(ख)** क्या कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य म.प्र. ने पत्र क्र. बजट/9853/2122/18928 भोपाल दिनांक 09.11.2021 से समस्त कलेक्टर म.प्र. को राशि व्यय करने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ, तो कितनी राशि किस कार्य के लिए आवंटित की है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार कलेक्टर को आवंटित राशि का व्यय क्या योजना में किये गये प्रावधान अनुसार ही किया गया है? यदि हाँ, तो किस कार्य हेतु व्यय किया गया? भोपाल संभाग की जिलेवार जानकारी देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** योजना क्रमांक 9853-26 मदान्र्गत सेमीनार, कार्यशाला, सम्मेलन विज्ञापन एवं प्रचार कार्य शामिल है। भोपाल संभाग के जिलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** भोपाल संभाग के जिलों से **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** जी हाँ। भोपाल संभाग के जिलों की व्यय जानकारी जिलेवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है।

आदिवासी छात्रों को लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान
[जनजातीय कार्य]

38. परि.अता.प्र.सं. 96 (क्र. 1463) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में कितनी छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है? सूची उपलब्ध करावें। वर्तमान में आदिवासी छात्रों को कौन-कौन सी छात्रवृत्ति प्रदाय की जा रही है? क्या समस्त प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का प्रश्न दिनांक तक शत्-प्रतिशत भुगतान हो चुका है? नहीं तो क्या कारण है? **(ख)** क्या केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण वर्तमान तक आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान शेष है? यदि हाँ, तो कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होना शेष है तथा राशि प्राप्त न होने का क्या कारण है? कब तक शत्-प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क) जानकारी संकलित की जा रही है।** आदिवासी छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति निम्नानुसार है:- (1) राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8. (2) राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं, 10वीं (3) केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं 10वीं (4) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन) भुगतान की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं 10वीं एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत समस्त केन्द्रांश राशि प्राप्त हो चुकी है। **शेष जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** खरगोन जिला अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वितरित छात्रवृति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ,ब,स,द एवं य अनुसार है**। वर्तमान में जनजातीय विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृति अ (कक्षा 1 से 5) ब (कक्षा 6 से 8) स (कक्षा 9 से 10) केन्द्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक छात्रवृति एवं द (कक्षा 9वीं/10वीं) राज्य छात्रवृति एवं य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2020-21 में हायर सेकेण्डरी स्तर तक कुल 2444087 विद्यार्थियों को छात्रवृति स्वीकृत की गई हैं। विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण बैंक खाते होने के कारण तकनीकी समस्या आदि कारणों से छात्रवृति लंबित रही है। **(ख)** केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृति कक्षा 9वीं/10वीं एवं पोस्ट मैट्रिक अन्तर्गत समस्त केन्द्रांश प्राप्त हो चुका है। विद्यार्थियों की तकनीकी समस्या/बैंक खाते आदि की समस्या पूर्ण होने पर शत् प्रतिशत छात्रवृति भुगतान हो सकेगी।

आदिवासी योजनाओं हेतु आवंटित राशि
[जनजातीय कार्य]

39. ता.प्र.सं. 5 (क्र. 1467) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के प्रश्न दिनांक तक ट्राईबल सब-प्लान में कितनी राशि केंद्र सरकार से तथा कितनी राशि म.प्र. सरकार से आवंटित की गई? उक्त राशि किन-किन मदों में खर्च की गई? वर्षवार, प्रखंडवार प्रति सहित पृथक-पृथक बताएं। ट्राईबल सब-प्लान की कितनी राशि जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में किस नियम के तहत किन-किन कार्यों के लिए खर्च की गयी? नियम की प्रति-सहित बताएं। ट्राईबल सब-प्लान के तहत राशि आवंटन एवं खर्च की केंद्र सरकार एवं म.प्र. शासन की क्या-क्या नियम/गाईड लाईन है? प्रति सहित पृथक-पृथक बताएं। **(ख)** आदिवासियों की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, लिपि, रीति-रिवाज को संरक्षित करने के लिए शासन के किन-किन विभागों/संस्थाओं द्वारा कौन-कौन-सी योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजनाओं का लाभ किन व्यक्तियों/संस्थाओं को किन मानकों पर मिलेगा? प्रति-सहित बताएं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) की योजनाओं के लाभार्थियों का विवरण जनवरी 2019 से प्रश्न-दिनांक तक प्रखंडवार पृथक-पृथक प्रति-सहित बताएं। वर्तमान में प्रदेश की किन-किन भाषाओं, लिपियों, संस्कृतियों पर कब से शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं? प्रति-सहित बताएं। **(घ)** जनवरी 2019 से प्रश्न-दिनांक तक विभाग को किन विषयों के पत्र ई-मेल एवं पोस्ट से प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित किये गये? उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** प्रश्नांकित अवधि की ट्रायबल सब प्लान में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि एवं उक्त राशि की मदवार एवं वर्षवार व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार** है। प्रखण्डवार व्ययित राशि की जानकारी एवं जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में कार्यवार व्ययित राशि की **जानकारी संकलित की जा रही है।** आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा बजट का प्रावधान किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(ख)** आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, लिपि, रीति-रिवाज को संरक्षित करने के लिये "जनजाति से संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास योजना संचालित है। यह योजना हितग्राही मूलक नहीं होने से

व्यक्तियों/संस्थाओं को लाभ मिलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्तमान में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा भीली, भिलाली, बारेली, गोंडी, कोरकू एवं मवासी बोलियों के शब्दकोष तैयार किये गये हैं तथा इनके लोक गीतों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है।] **(क)** प्रश्नांश (क) के अंश ट्रायबल सबप्लान की गौरव दिवस कार्यक्रम में योजना क्रमांक 9853 आदिवासी संस्कृति का परिक्षण, विकास एवं देवठान 26 सेमिनार कार्यशाला, सम्मेलन मद से कार्यक्रम आयोजन डोम इवेंट, परिवहन, चाय-नाश्ता, भोजन, बैनर, सेनेटाईजर, मास्क आदि कार्यों पर राशि रू. 36.79 करोड़ मात्र खर्च किया गया है।

धार जिले में पुलिस कार्यवाही
[गृह]

40. अता.प्र.सं.107 (क्र. 1468) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन थाने में किन-किन धारा में कितने लोगों पर मामले दर्ज किए गए? उक्त कितने मामले आदिवासियों पर एवं कितने अन्य पर दर्ज किए गए? **(ख)** प्रश्नांश (क) के कितने मामलों में निपटारा हो चुका है? कितने कब से विचाराधीन हैं, कितने सजायाफ्ता हैं? **(ग)** धार जिले में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन पुलिस-स्टेशन में कितनों को पुलिस हिरासत में लिया गया? कितनों का मेडिकल चेकअप एवं अन्य जांचे की गई? कितनों के साथ हिरासत में मारपीट की गई? कितनों की पुलिस हिरासत में मौत हुई? पृथक-पृथक बताएं। **(घ)** जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक धार जिले के किन-किन पुलिस स्टेशनों में कितनों पर पॉक्सो एक्ट लगाया, किस-किस पर धारा 188, 107, 151 के तहत प्रकरण दर्ज किए, कितनों पर जुएं-सट्टे चलाने, अवैध हथियार रखने, चोरी करने के नामजद मामले दर्ज किए? कुल कितनी राशि जब्त की गई? उक्त में कितने आदिवासी वर्ग से हैं एवं कितने अन्य वर्ग से?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स","द","य","र" एवं "ल" अनुसार।**

आदि उत्सव एवं जनजातीय गौरव दिवस की जानकारी
[जनजातीय कार्य]

41. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 1514) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिला अंतर्गत ग्राम रामनगर में आदि उत्सव का आयोजन कब-कब किया गया एवं प्रत्येक आयोजन में कुल कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया? क्या यह सही है कि 16 अप्रैल 2015 को आदि उत्सव कार्यक्रम में केन्द्रीय जनजातीय कार्य विभाग मंत्री द्वारा 4 करोड़ की राशि प्रदाय किये जाने की घोषणा की गई थी, जिससे ग्राम चौगान में जनजातीय संग्रहालय सामुदायिक भवन का निर्माण एवं अन्य कार्य किये जाने थे? यदि हाँ, तो क्या यह राशि विभाग को प्राप्त हुई, इस राशि से कौन-कौन से कार्य करवाये गये? **(ख)** क्या यह सही है कि वर्ष 2016-17 में ग्राम रामनगर में आयोजित आदि उत्सव में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि रामनगर से काला पहाड़ तक सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ 22 लाख रूपये दिए जाएंगे एवं ग्राम चौगान में पेयजल सुविधा के लिये 65 लाख रूपये दिये जाएंगे? यदि हाँ, तो क्या यह राशि विभाग को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो इससे कौन-कौन कार्य कब-कब कराए गए? क्या उक्त कार्यक्रम में ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गोंड टूरिज्म सर्किल विकसित करने एवं राजा शंकर शाह के नाम पर जनकल्याणकारी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो गोंड टूरिज्म सर्किल कहां बनाया गया है एवं राजा शंकर शाह के नाम से कौन-कौन सी जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है? **(ग)** 22 नवम्बर 2021 को ग्राम रामनगर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के

समापन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कौन-कौन सी घोषणाएं की गई है? क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मण्डला नगर के राज राजेश्वरी वार्ड में राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापना हेतु भूमि पूजन किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रतिमा स्थापना हेतु विभाग द्वारा स्वीकृति कब जारी की गई है, स्वीकृति पत्र की प्रति बतावें एवं इस हेतु किस मद से कितनी राशि खर्च की जा रही है? इस आयोजन में कुल कितनी राशि का व्यय किस-किस मद में विभाग द्वारा किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नांश (क) के संबंध में आदि उत्सव के सम्बन्ध में आयोजन एवं व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जी-नहीं। प्रश्नांश का शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ, घोषणा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार** है। जी हाँ। जानकारी एवं पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'द' अनुसार** है। प्रतिमा स्थापना हेतु राशि रूपये 35.00 लाख की स्वीकृति विशेष निधि मद अंतर्गत की गई, तथा आयोजन में मांग संख्या 33 मुख्यशीर्ष 2225 योजना क्रमांक 9853 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण विकास एवं देवठान मदांतर्गत राशि 115.37 लाख व्यय किया गया।

गृह निर्माण सहकारी समिति में अनियमितता
[सहकारिता]

42. अता.प्र.सं.125 (क्र. 1522) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजधानी भोपाल में विनायक परिसर बावड़िकला स्थित डाक लेखा गृह निर्माण पंजीकृत सहकारी संस्था की नामवार एवं सदस्यवार विवरण देवें, जिसमें उनके सदस्यों द्वारा भू-खण्ड/आवास संस्था के सदस्यों को न दिये जाकर अन्य व्यक्तियों को दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई? **(ख)** क्या संस्था के भू-खण्ड/आवास सदस्यों की सहमति के बिना अन्य व्यक्तियों को बेचे गये हैं? यदि हां, तो नियम एवं दस्तावेजों का विवरण बतावें। **(ग)** क्या प्रश्नांकित संस्था के फ्लैट, संस्था के सदस्यों को न दिये जाकर बाह्य व्यक्तियों को बेच दिये जाने के दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? की गई कार्यवाही तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति का विवरण बतावें? क्या संस्था के नामित सदस्यों को फ्लैट प्रदाय करवाये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** राजधानी भोपाल की किन-किन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में उनके नामित सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भू-खण्ड/भवन प्रदाय किये जाने की विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई है? विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

सहकारिता मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अजय डेविड एवं श्री राजेन्द्र पचौरी (बिल्डर) के विरूद्ध श्री आर.बी. दोहरे, श्रीमती शोभा मुचरीकर, श्रीमती उषा डाबर, श्रीमती सुनीता राठौर एवं श्री आशीष मुचरीकर, के द्वारा विनायक परिसर बावडियाकलां के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। **(ख)** जी हां। उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा शिकायत की जांच करने पर पाया गया है कि उत्तरांश ''क'' में उल्लेखित सदस्यों के पंजीकृत प्रकोष्ठों का विक्रय श्री अजय डेविड एवं श्री राजेन्द्र पचौरी (बिल्डर) द्वारा नियमों के विपरीत गैर सदस्यों को किया जाकर दोहरा विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया है, जो कि संस्था की पंजीकृत उपविधियों के विरूद्ध है। उपविधि की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(ग)** उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/विधि/2012/3606 दिनांक 10-10-2012 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) के अंतर्गत अधिक्रमित करते हुये संस्था का प्रभार लेने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 53 (11) के अंतर्गत संस्था के पदाधिकारी श्री अजय डेविड, श्री दीपचन्द्र सक्सेना एवं श्री आर.सी. गौर को

संस्था के नवीन निर्वाचन में भाग लेने के लिये अपात्र घोषित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में दोषी जाये गये तत्कालीन संस्था पदाधिकारियों/संचालकगण एवं मेसर्स पचौरी बिल्डर एंड डेवलपर्स प्रा. लि. के तत्कालीन प्रोप्राईटर श्री राजेन्द्र पचौरी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराने के निर्देश उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल द्वारा संस्था प्रशासक को दिये गये है। दोहरे पंजीयन एवं गैर सदस्यों को विक्रय किये गये प्रकोष्ठ के पंजीयन निरस्त कराने हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल को निर्देशित किया गया है। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(घ)** उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल से प्राप्त जानकारी अनुसार डाक लेखा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के संबंध में 04 शिकायत प्राप्त हुई है, जो जांच में सही पाई गई है। प्रकोष्ठ पंजीयन को निरस्त करने एवं दोषियों के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाही करने हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला भोपाल के द्वारा संस्था प्रशासक को निर्देशित किया गया है।

ए.डी.जे. कोर्ट निर्माण पर हुए व्यय की जानकारी
[विधि एवं विधायी कार्य]

43. परि.अता.प्र.सं. 118 (क्र. 1524) श्री हरिशंकर खटीक : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन ने ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाने हेतु क्या-क्या नियम बनाएं हैं? ऐसे नियमों/आदेशों की जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार बताएं कि टीकमगढ़ जिले के नगर जतारा में जो ए.डी.जे. कोर्ट खोला गया था उसमें प्रश्न दिनांक तक किस मद से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी लागत से हो चुका है एवं प्रत्येक पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई है एवं कौन-कौन से कार्य शासन से स्वीकृत होना लंबित है? निर्माण कार्य किस दर पर किसके द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बताएं कि जतारा ए.डी.जे. कोर्ट में जो कार्य लंबित है वे स्वीकृत किया जावेगा तो कब तक और कितनी-कितनी लागत से?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** राज्य शासन द्वारा ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना हेतु सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 के खण्ड (ब) एवं धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियम बनाये गए है। नियमों/आदेशों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** जतारा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय हेतु 01 न्यायालय कक्ष का निर्माण कराया जा चुका है। जतारा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए नवीन न्यायालय भवन/कक्ष के निर्माण हेतु रूपये 47.21 लाख की पुनरीक्षित स्वीकृति केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य मद से प्रदान की गई है, जिसके द्वारा जतारा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय भवन के निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 40.00 लाख व्यय किये जा चुके है। जतारा न्यायालय में उपलब्ध हॉल को द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा के लिये न्यायालय कक्ष के रूप में परिवर्तन किये जाने हेतु रूपये 5.56 लाख के प्राक्कलन प्राप्त हुये है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। **(ग)** प्रस्ताव सक्षम कमेटी से अनुमोदित होने के पश्चात जतारा न्यायालय में उपलब्ध हॉल को द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जतारा के लिये न्यायालय कक्ष के रूप में परिवर्तन किये जाने हेतु रूपये 5.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जावेगा।

नाबालिगों से दुष्कर्म प्रकरण संबंधी
[विधि एवं विधायी कार्य]

44. अता.प्र.सं.128 (क्र. 1538) श्री बाला बच्चन : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्र.4876 दिनांक 16.03.2021 के **(क)** व **(ख)** उत्तर के परिशिष्ट-अ जो प्रकरण दिनांक 01.04.2020 से 15.02.2021 के बीच Not Listed दर्शाये गये हैं दिनांक 16.02.2021 से 30.11.2021 तक उनमें कितनी तारीख लगी? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार दिनांक 01.04.2020 से 15.02.2021 तक जो प्रकरण Not Listed रहे उनके

जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों तथा अधिवक्ताओं के नाम बतावें। इन पर कब तक कार्यवाही होगी? **(ग)** क्या कारण है कि नाबालिगों के दुष्कर्म से संबंधित मामलों में विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं की जा रही हैं? **(घ)** कब तक इन प्रकरणों का निराकरण होगा?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** कोविड-19 महामारी के संक्रमण के कारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की समय-समय पर जारी संलग्न SOP (**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है) के अनुसार सीमित प्रकरणों में तय प्रक्रिया अनुसार सुनवाई होने से इस अवधि में प्रकरण नियत नहीं हुए। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। नाबालिगों के दुष्कर्म से संबंधित मामलों में त्वरित कार्यवाही की जाती है। **(घ)** प्रकरणों के निराकरण कब तक होगा, इस प्रश्न की जानकारी प्रदाय करना संभव नहीं है।

महिलाओं पर हुये अपराधों की जानकारी
[गृह]

45. परि.अता.प्र.सं. 127 (क्र. 1557) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1309 दिनांक 26 फरवरी 2021 का उत्तर अप्रैल 2020 से नवम्बर 2021 की स्थिति में दिलाया जाये। एस.सी. तथा एस.टी. (पी.ओ.ए.) कानून 1989 के तहत अपराध की 2018 से नवम्बर 2021 तक की जानकारी वर्षवार माह अनुसार दी जाये। **(ख)** महिलाओं पर हुये अपराध पर दर्ज विभिन्न धाराओं के प्रकरण में वर्ष 2015 से 2021 तक विभिन्न न्यायालयों में हुये फैसले में सजा का प्रतिशत क्या है? वर्षवार बतावें।

गृह मंत्री : [**(क)** प्रश्न क्रमांक 1309 की **जानकारी संकलित की जा रही है।** प्रश्नांश की शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार**।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" "स" "द" "य" एवं "र" अनुसार**।

प्रदेश में नि:शुल्क उपचार की जानकारी
[चिकित्सा शिक्षा]

46. अता.प्र.सं.139 (क्र. 1559) श्री जितु पटवारी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर संभाग अन्तर्गत किस-किस शासकीय चिकित्सालयों में जनवरी 2020 से नवम्बर 2021 तक कोविड मरीज तथा डेंगू मरीज का नि:शुल्क (शासन द्वारा नीति में अनुबंधित छोड़कर) इलाज किया गया तथा उसमें सक्सेस रेट कितने प्रतिशत है? **(ख)** किस-किस शासकीय चिकित्सालयों में वर्ष 2015 से 2019 तक कितने इन्डोर तथा ऑउटडोर मरीजों का पूर्णत: नि:शुल्क इलाज किया गया तथा उसमें सक्सेस रेट कितने प्रतिशत है? **(ग)** क्या शासन ने कोई ऐसा प्रोफार्मा तैयार कर निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से निर्धारित अंतराल से मंगवाया है जिससे उनमें जनता का नि:शुल्क उपचार महाविद्यालय के पी.जी. तथा यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश NRI कोटे में प्रवेश महाविद्यालय अध्यापक आदि की नियमित जानकारी प्राप्त हो सके यदि हाँ, तो उस प्रोफार्मा की जानकारी देवें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** इंदौर सभाग में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन एम.वाय. चिकित्सालय इंदौर एवं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में जनवरी 2020 से नवम्बर 2021 तक कोविड मरीजों एवं डेंगू मरीजों के नि:शुल्क इलाज एवं सेक्सेस रेट की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार** है। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में इन्डोर एवं ऑउटडोर मरीजों के पूर्णत: नि:शुल्क इलाज एवं सक्सेस रेट की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं।] **(क)** इन्दौर संभाग में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन एम.वाय. चिकित्सालय इंदौर एवं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में जनवरी 2020 से

नवम्बर 2021 तक कोविड मरीजों एवं डेंगू मरीजों के नि:शुल्क इलाज एवं सक्सेस रेट की पूर्ण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार** है। प्रश्नांश "ख" एवं "ग" की पूर्व से प्रेषित जानकारी यथावत है।

प्रदेश में सूदखोरों से परेशान लोगों की जानकारी
[गृह]

47. अता.प्र.सं.140 (क्र. 1560) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2017 से नवम्बर 2021 तक सूदखोरों के आंतक से आत्महत्या करने की संख्या की वर्षवार जिलेवार विवरण बतावें कि किस-किस जिले में कितने-कितने सूदखोरों को बिना लायसेंस के धंधा कर रहे है चिन्हित कर लिया गया है? **(ख)** वर्ष 2017 से नवम्बर 2021 तक अवैधानिक सूदखोरों द्वारा आतंकित करना जोर जबरदस्ती से पैसे वसूलना मनमाना ब्याज लेना आदि को लेकर जिलेवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा विवेचना के बाद कितनी शिकायतों पर प्रकरण दर्ज किया गया? **(ग)** भोपाल के आनंद नगर इलाके में घटित घटना के कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा कितनों की गिरफ्तारी शेष है? इन पर किन-किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है तथा इस घटना के बाद प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ चलाये गये अभियान से प्राप्त परिणाम का विवरण देवें। **(घ)** सूदखोरों के खिलाफ आवेदन पर तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाता है कि विवेचना में लिया जाता है सामान्यतया विभाग में किसी के खिलाफ शिकायत पर प्रकरण दर्ज करने के क्या निर्देश है तथा नवम्बर 2021 तक जिलेवार बतावें कि सूदखोरों के खिलाफ कितनी शिकायतें विवेचना में लंबित है? **(ड.)** पिछले पांच वर्षों में कितने पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्यों पर सूदखोरी के प्रकरण दर्ज किये गये?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार।** भोपाल के आनंद नगर इलाके में घटित घटना के बाद प्रदेश में सूदखोरों के विरूद्ध चलाये गये अभियान में 07 दिसम्बर 2021 तक 47 प्रकरण पंजीबद्ध किये जा चुके है, अभियान जारी है। **(घ)** सामान्यतः सूदखोरों के खिलाफ आवेदन प्राप्त होने पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार। (ड.)** पिछले पांच वर्षों में 02 पुलिस कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य पर सूदखोरी के प्रकरण दर्ज किये गये है।

मार्च, 2022

दिनांक 8 मार्च, 2022

प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]

1. अता.प्र.सं.5 (क्र. 21) श्री कमलेश जाटव : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मुरैना अंतर्गत खेल एवं युवक कल्याण विभाग को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस विभागीय योजना में शासन द्वारा आवंटन प्राप्त हुआ तथा आवंटन के विरुद्ध क्या-क्या कार्य एवं क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस एजेंसी से किस-किस नियम के अंतर्गत क्रय की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्रय की गई सामग्री के बिल तथा भुगतान किये गए व्हाउचर तथा सामग्री क्रय हेतु शासन के नियमों/आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। साथ ही यह भी जानकारी उपलब्ध करावें कि कौन-कौन कर्मचारी किस-किस पद पर किस दिनांक से कहां-कहां पदस्थ है? जानकारी कर्मचारी का नाम, पद, नियुक्ति दिनांक, मोबाईल नम्बर, मय आदेश प्रस्तुत की जावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक जिला मुरैना में पदस्थ किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें सी.एम. हेल्पलाईन अथवा अन्य किसी भी माध्यमों से विभाग को प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो उक्त सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की समस्त चाही गई जानकारी वर्षवार, ब्लॉकवार एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की छायाप्रति तथा समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के साथ उपलब्ध करवाएँ।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जिला मुरैना को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त आवंटन, आवंटन के विरूद्ध किये गये कार्य, क्रय सामग्री, मात्रा, एजेन्सी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। क्रय की गई सामग्री का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। उक्त सामग्री म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन करते हुए ही क्रय की गई। **(ख)** क्रय की गई सामग्री के बिल, भुगतान किये गये व्हाउचर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ"** में समाहित है। मुरैना जिले में पदस्थ कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। **(ग)** मुरैना जिले में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायत, की गई कार्यवाही से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"द" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ", "ब", "स" व "द" में समाहित** है।

जनपद पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्य
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. अता.प्र.सं.92 (क्र. 603) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले अन्तर्गत जनपद पंचायतों में बाजार निर्माण, हॉट बाजार निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निर्माण एजेंसी के निर्धारण के संबंध में क्या-क्या प्रावधान निर्धारित हैं? प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। **(ख)** सागर जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से निर्माण कराए गए हैं? कार्यवार, स्वीकृत राशि, जनपदवार विस्तृत

जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में दर्शित जनपद पंचायत केसली में वर्णित बाजार निर्माण 135 दुकानें एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवास सुधार कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति उपलब्ध करावें? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में वर्णित कार्यों की निर्माण एजेंसी एवं किए गए कार्य मूल्यांकन की प्रति उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवास सुधार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रश्न दिनांक तक जारी नहीं। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार** है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवास सुधार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी न होने के कारण प्रश्न दिनांक तक एजेंसी का निर्धारण नहीं हो सका है।

अपूर्ण शाला भवन को पूर्ण किया जाना
[स्कूल शिक्षा]

3. परि.अता.प्र.सं. 77 (क्र. 723) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं किचिन शेड का निर्माण कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है तथा क्यों? कार्यवार कारण बतायें। उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? **(ख)** फरवरी 2022 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं किचिन शेड का निर्माण, अपूर्ण कार्यों में वसूली के प्रकरण कब से चल रहे हैं तथा उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है? **(ग)** शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं किचिन शेड निर्माण कार्य में द्वितीय एवं अंतिम किश्त भुगतान के कितने प्रकरण कब से किस स्तर पर क्यों लंबित हैं तथा कब तक किश्त का भुगतान होगा? **(घ)** क्या रायसेन जिले में द्वितीय एवं अंतिम किश्त भुगतान के प्रकरणों में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा विलंब किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतायें तथा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, अपूर्ण निर्माण कार्यों के प्रकरणों में कोई वसूली का प्रकरण लंबित नहीं है। किचिन शेड के संबंध में **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** **(ग)** एवं **(घ)** जिले में प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में उल्लेखित कार्यों के भुगतान हेतु प्रकरण लंबित नहीं है। राज्य योजना अंतर्गत स्वीकृत हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के निर्माण कार्यों का बजट आवंटन निर्माण एजेंसी को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाता है। समग्र शिक्षा अंतर्गत स्वीकृत हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अतिरिक्त कक्षों हेतु भारत सरकार से प्राप्त राशि निर्माण एजेंसी को उपलब्ध कराई जाती है, तद्नुसार कार्य की प्रगति अनुसार निर्माण एजेंसी कार्य का भुगतान करती है। किचिन शेड के संबंध में **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** एवं **(ख)** किचिन शेड से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जिला स्तर पर किचिन शेड निर्माण कार्यों के कोई भी वसूली प्रकरण नहीं चल रहे है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** एवं **(घ)** जिले में किचिन शेड से संबंधित कोई भी प्रकरण भुगतान हेतु लंबित नहीं है। रायसेन जिले में किचिन शेड से संबंधित द्वितीय एवं अंतिम किश्त भुगतान के प्रकरणों में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कोई विलंब नहीं किया गया है। अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को निर्धारित दर से अधिक दर पर बीजों का वितरण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

4. ता.प्र.सं. 18 (क्र. 744) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर संभाग में सीमांत और लघु किसानों हेतु वर्ष 2017-18 से 2021-22 में बीज वितरण की

कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? उक्त योजनाओं के भौतिक-वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि की जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन योजनाओं में हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन नियमानुसार नहीं किया गया तथा किस जिले में किन-किन योजनाओं का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस-किस जिले में किन योजनाओं में बीज का वितरण खरीफ और रबी फसलों के लिये एक माह से चार माह बाद लगभग सीजन समाप्त होने पर किया गया तथा किन-किन योजनाओं में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर बीज किस-किस एजेंसी से कितनी मात्रा में प्रदाय आदेश दिये गये? इससे शासन पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा? **(घ)** क्या बीज वितरण के पूर्व बीज परीक्षण के परिणाम प्राप्त किये जाने चाहिये? यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक में बीज वितरण के काफी दिनों बाद परीक्षण के परिणाम प्राप्त हुए तथा इनमें कितने नमूने अमानक पाये गये? **(ड.)** प्रश्नांश (ख) से (घ) के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** इंदौर संभाग में सीमांत और लघु किसानों हेतु वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक बीज वितरण की संचालित योजनायें एवं उनके भौतिक वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धि की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) में उल्लेखित योजनाओं में हितग्राहियों का चयन एवं क्रियान्वयन योजनाओं के दिशा-निर्देश एवं प्रावधान अनुरूप ही किया गया तथा संभाग में योजनाओं का भौतिक सत्यापन/निरीक्षण भी अधिकारियों द्वारा योजनाओ के दिशा-निर्देश अनुसार किया गया। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** इंदौर संभाग में उत्तरांश (क) में उल्लेखित सभी जिलों में योजनाओं में खरीफ एवं रबी फसलों का बीज समय पर वितरण किया गया तथा समस्त योजनाओं में बीज वितरण हेतु शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही, बीज प्रदायक संस्थाओं को प्रदाय आदेश जारी किये गये है, अत: शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार जैसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। **(घ)** बीज वितरण के पूर्व बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज परीक्षण में मानक होने पर ही टेगिंग एवं पैकिंग करने के उपरांत ही मानक बीज का योजनाओं में वितरण किया जाता है। बीज नमूना परीक्षण की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार** है। **(ड.)** उत्तरांश (ख) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है।

मनरेगा योजनान्तर्गत खेत एवं सामुदायिक तालाबों का निर्माण
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. परि.अता.प्र.सं. 106 (क्र. 895) श्री संजय यादव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला जबलपुर की शहपुरा भिटोनी जनपद अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत कितने खेत तालाबों की स्वीकृति जारी कर निर्माण करवाया गया है? संख्यात्मक जानकारी देवें। इनमें से कितने खेत तालाबों का भौतिक निरीक्षण किस पदनाम के अधिकारी द्वारा किया गया? संख्यात्मक जानकारी देवें। इनमें से कितने तालाब भौतिक रूप से शासकीय भूमि एवं निजी स्वामित्व की भूमि में निर्मित हुये हैं? जानकारी बतावें। यदि शासकीय भूमि पर निर्मित है तो किसके आदेश से? **(ख)** उक्त निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? गुणवत्ताविहीन निर्मित तालाबों की जांच तकनीकी विशेषज्ञ से कब तक करवाई जावेगी? **(ग)** प्रश्नकर्ता के संज्ञान में आया है कि मनरेगा अन्तर्गत अनेक खेत तालाबों का निर्माण सिर्फ कागजों में ही हुआ हैं, भौतिक निर्माण नहीं हुआ है तो क्या विभाग सभी खेत तालाबों का मौके पर जाकर तकनीकी विशेषज्ञ से निरीक्षण कराकर निर्माण कार्यों में हुये भ्रष्टाचार की जांच करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? उचित कारण देवें। **(घ)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक

291 दिनांक 20.12.2021 के उत्तर में अप्राप्त समस्त प्रतिवेदन कब तक प्रदान किया जावेगा एवं जांच कमेटी का गठन कब तक किया जावेगा?

पंचायत मंत्री : [**(क)** जबलपुर जिले की शहपुरा भिटोनी जनपद पंचायत अंतर्गत वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनान्तर्गत कुल 385 खेत/सामुदायिक तालाबों का निर्माण कराया गया है। सभी 385 कार्यों का भौतिक मूल्यांकन एवं सत्यापन समय-समय पर क्षेत्रीय उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा किया गया है। इनमें से 44 सामुदायिक तालाब भौतिक रूप से शासकीय भूमि पर एवं 341 खेत तालाब लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की भूमि पर निर्मित हुए हैं। शासकीय भूमि पर निर्मित तालाब भारत सरकार द्वारा जारी मनरेगा अंतर्गत अनुमत 262 कार्यों की सूची के क्रमांक 183 के परिपालन में निर्मित किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'क' अनुसार** है। **(ख)** उक्त निर्माण कार्यों में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत 02 ग्राम पंचायतों से शिकायत प्राप्त हुई है। जिसका विस्तृत **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ख अनुसार** है। **(ग)** मनरेगा अंतर्गत सभी खेत तालाब भौतिक रूप से निर्मित/प्रगतिरत हैं। किसी भी खेत तालाब का निर्माण कागज पर नहीं होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ग' (।।।) अनुसार है।**

मजदूरी भुगतान में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

6. परि.अता.प्र.सं. 116 (क्र. 945) श्री उमंग सिंघार : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि धार जिले में गंधवानी विधान सभा अंतर्गत जनपद पंचायत बाग की ग्राम पंचायत जामला, जामन्यांपुरा, आगर, पाडल्या एवं जनपद पंचायत तिरला अंतर्गत सादड़ीयाकुआ, उकाला एवं कछावदा में वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत किये गये कार्यों में मशीन का उपयोग कर भ्रष्टाचार किया गया? **(ख)** प्रश्नांकित (क) अनुसार मजदूरी भुगतान में धांधली की गई है एवं मजदूरों के खाते बदलकर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान निकाला गया एवं उक्त पंचायत कितने जॉब कार्ड डिलीट किये गये हैं, उनकी सूची बतावें तथा प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने जाब कार्ड हैं, उनकी भी सूची बतावें। यदि जॉब कार्ड फर्जी बनाकर मस्टर रोल जारी कर राशि का आहरण किया गया है तो इसकी जांच कब तक की जायेगी? समय-सीमा बतावें। **(ग)** वर्ष 2014 से प्रश्न दिनांक तक उक्त योजना अंतर्गत किये गये कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान हेतु बैंक में दी गई सूची, मूल्यांकन पुस्तिका की प्रमाणित छायाप्रति, बिल व्हाउचर की प्रमाणित छायाप्रति एवं विभाग द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन व संपूर्ण कार्यों की जांच (टेस्ट) रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति बतावें। **(घ)** क्या यह सही है कि जनपद पंचायत बाग की ग्राम पंचायत टाण्डा में वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक स्वकराधान की राशि प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं उक्त राशि का किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया है? वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक हाट बाजार एवं पशु पंजीयन की निविदा जारी की जाती है? यदि हाँ, तो निविदा आदेश की प्रति वर्षवार बतावें एवं कितनी राशि जमा हुई? वर्षवार राशि का ब्यौरा तथा उक्त राशि को कौन-कौन से मद में खर्च किया है? वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे व मकान बनाने की अनुमति पत्र एवं जल कर, भवन कर की रसीदें प्रदान की गई है? वर्षवार बतावें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं, धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवेदित ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत मशीन का उपयोग कर भ्रष्टाचार करने संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार मजदूरी भुगतान में धांधली एवं मजदूरों के खाते बदलकर फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी भुगतान किया जाना नहीं पाया गया, फर्जी जॉबकार्ड बनाकर फर्जी

मस्टर रोल जारी नहीं किये गये हैं और न ही राशि का आहरण किया गया है एवं प्रश्नांश (क) में उल्लेखित ग्राम पंचायतों में डिलीट जॉबकार्ड एवं वर्तमान में उपलब्ध जॉबकार्ड की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** धार जिले की जनपद पंचायत बाग की ग्राम पंचायत टाण्डा को स्वकराधान की वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक शासन स्तर से कोई राशि (आवंटन) प्राप्त नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से जो राशि (कैशबुक अनुसार) प्राप्त हुई उसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' पर है।** हॉट बाजार व पशु पंजीयन की निविदा वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2021-22 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' पर** है। आवासीय भूमि के पट्टे, जलकर, भवन कर, की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रसीदें की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– 'य' पर है।** शेष वर्षों का रिकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है।

खेल स्टेडियम एवं अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी
[खेल एवं युवा कल्याण]

7. परि.अता.प्र.सं. 123 (क्र. 1042) श्री उमाकांत शर्मा : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 अप्रैल 2016 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभाग को कितना-कितना बजट आवंटन हुआ, कितनी राशि प्राप्त हुई? आवंटित एवं स्वीकृत राशि में से प्रदेश में कितने खेल स्टेडियम हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? वर्षवार, जिलेवार उपलब्ध करावें। स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने स्थानों पर कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितनी राशि का निर्माण होना शेष है? सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खेल स्टेडियम एवं अन्य निर्माण कार्य कितने पूर्ण हुए कितने अपूर्ण हैं तथा कितने अप्रारंभ हैं? अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य कब तक प्रारंभ कर पूर्ण कर दिये जावेंगे? इन अपूर्ण कार्यों की देरी के लिये दोषी कौन-कौन है एवं दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, की गई है तो कब तक की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में किन-किन निर्माण एजेंसियों द्वारा कार्य किया गया एवं उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? **(घ)** विदिशा जिले के नगर सिरोंज में खेल स्टेडियम कब स्वीकृत किया गया था? इस स्टेडियम हेतु बजट से निर्माण एजेंसी को कब-कब एवं कितनी राशि जारी की गई? उक्त निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति क्या हैं? क्या सिरोंज खेल स्टेडियम की संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति जारी हुई थी तो प्रशासकीय स्वीकृति की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा उक्त शेष राशि निर्माण एजेंसी को कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी? **(ड.)** 1 अप्रैल 2016 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं एवं खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु विभाग द्वारा प्रदेश एवं जिलों को कितनी-कितनी राशि जारी की गई है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। प्रदेश में कितने विकासखण्डों के मुख्यालयों में खेल स्टेडियम स्थित है तथा कितने विकासखण्ड मुख्यालय खेल स्टेडियम विहीन हैं?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** 1 अप्रैल 2016 से विभाग को बजट आवंटन व प्राप्त राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। प्राप्त राशि में से जिलेवार स्टेडियम हेतु स्वीकृत राशि, निर्माण कार्य की स्थिति आदि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नोत्तर (क) में उल्लेखित स्टेडियम व अन्य निर्माण कार्य तथा उनके पूर्ण, अपूर्ण तथा अप्रारम्भ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में समाहित** है। अपूर्ण व अप्रारंभ कार्य के पूर्ण करने की निश्चित तिथि बताई जाना संभव नहीं है। अपूर्ण कार्यों की देरी के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नोत्तर (क) व (ख) अनुसार स्टेडियम की निर्माण एजेंसी व भुगतान की गई राशि का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब में समाहित** है। **(घ)** सिरोंज में स्टेडियम निर्माण हेतु संचालनालयीन आदेश क्र. 3901, दिनांक 08.10.2010 द्वारा राशि रू. 64.83 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जारी राशि की

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। स्टेडियम का निर्माण कार्य स्थल की स्थिति के दृष्टिगत पूर्ण किया गया है। संशोधित स्वीकृति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। चूंकि स्थल पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** 1 अप्रैल 2016 से प्रश्नांकित दिनांक तक विभिन्न खेल प्रतियोगिता एवं खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु जिलों को आवंटित राशि की वर्षवार जानकारी तथा विकासखण्ड जहां-जहां स्टेडियम उपलब्ध है तथा स्टेडियम उपलब्ध नहीं है की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार** है।

दिनांक 9 मार्च, 2022

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाना
[सामान्य प्रशासन]

8. अता.प्र.सं.8 (क्र. 79) श्री कुँवरजी कोठार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों के कितने जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारियों के पास लंबित है? उन प्रकरणों के लंबित होने के क्या कारण है? ऐसे प्रकरणों की विकासखण्डवार लंबित अवधि बताएं? **(ख)** क्या यह सत्य है कि समय पर जाति प्रमाण पत्र न बनाए जाने के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत राहत राशि वितरण में विलंब होता है? यदि हाँ? तो ऐसे लंबित प्रकरणों की अवधि बताएं? किस कारण जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पा रहे है व शासन मंशा अनुसार पीड़ित को राहत राशि तत्काल प्रदाय करने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "एक" अनुसार (ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "दो" अनुसार।**

परिशिष्ट - "एक"

पीथमपुर में सिविल हॉस्पिटल की स्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

9. परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 91) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धार जिले का सर्वाधिक जनसंख्या वाले पीथमपुर नगर जो कि प्रदेश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, में श्रमिकों के निरंतर आने से यहां की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है? **(ख)** क्या पीथमपुर क्षेत्र में वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था हेतु पर्याप्त अमला तथा चिकित्सक एवं सहकर्मचारी हैं? यदि हाँ, तो कितने पद स्वीकृत होकर उसके विरूद्ध कितने पदस्थ हैं? **(ग)** क्या पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा सीटी स्केन मशीन सहित विभिन्न मूल्यवान उपकरण देने हेतु आश्वस्त किया है किन्तु पीथमपुर चिकित्सालय में अमला व स्तरीय चिकित्सालय नहीं होने से यह सुविधाएं क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रही है? **(घ)** क्या विभाग पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सिविल हॉस्पिटल के रूप में उन्नत करने की कार्यवाही कर रहा है? **(ड.)** यदि हाँ, तो कार्ययोजना से अवगत करवाते हुए कब तक तत्संबंध में आदेश प्रसारित किये जावेंगे? यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा सीटी

स्केन मशीन सहित विभिन्न मूल्यवान उपकरण देने हेतु कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। **(घ)** जी नहीं। भविष्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। **(ड.)** प्रश्नांश ''घ'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** जी हाँ।

आई.टी कंपनियों की जानकारी
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

10. परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 161) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कितनी आई.टी. कम्पनियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक उपरोक्त में से किस-किस कम्पनी को कितनी-कितनी सब्सिडी दी गई? वर्षवार कंपनीवार बतावें। **(ग)** उपरोक्त में से किस-किस कम्पनी को सरकार द्वारा कितनी-कितनी जमीन रियायती दरों पर दी गई है? यदि हाँ, तो किस दर पर दी गई? **(घ)** उपरोक्त वित्तीय वर्षों में अलग-अलग किस-किस कम्पनी द्वारा कितने मध्यप्रदेश के मूल निवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया कंपनीवार बतावें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [**(क)** प्रश्न दिनांक तक कुल 184 आईटी कंपनियों को विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आईटी निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2016 के अंतर्गत सब्सिडी दी गयी है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(घ)** आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 के प्रावधानों अनुसार आईटी पार्क में रियायती दरों पर भूखंड प्राप्त करने वाली इकाई पर आईटी नीति के तहत रोजगार के सृजन की शर्त लागू होती है। आई.टी. पार्क के बाहर प्रदेश के अन्यत्र स्थलों में स्थापित/क्रियाशील आईटी कंपनियों में आई.टी. नीति के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के लिये रोजगार सृजन की शर्त लागू नहीं है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक आईटी नीति के अंतर्गत रोजगार की शर्त के अधीन 03 इकाईयों द्वारा एवं सब्सिडी प्राप्त 184 इकाईयों में से मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा विकसित आई.टी.पार्क में स्थापित/क्रियाशील 08 इकाईयों द्वारा रोजगार सृजन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''दो''</u>

आरोप सिद्ध होने के बाद भी आरोपी को बरखास्त नहीं करना
[वाणिज्यिक कर]

11. अता.प्र.सं.20 (क्र. 232) श्री प्रदीप पटेल : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या तात्कालीन जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही के द्वारा दिनांक 10.01.2020 या अन्य दिनांक एवं दिनांक 11.01.2020 या अन्य दिनांक को रात्रि के दौरान अवैधानिक रूप से परिवहन की जा रही शराब/बीयर से लदे वाहनों को पकड़कर तस्करों से सांठ-गांठ करके छोड़ देने के प्रकरणों पर तात्कालीन प्रभारी जिला आबकारी अलीराजपुर ने 21.03.2020 को उपायुक्त आबकारी इंदौर या अन्य सक्षम कार्यालय को जो प्रतिवेदन भेजा था उस पर प्रश्न तिथि तक प्रमुख सचिव वाणिज्यकर म.प्र. शासन/आयुक्त आबकारी ग्वालियर के द्वारा किन आदेश क्रमांकों एवं दिनांकों से कब व क्या कार्यवाही की गई है? जारी सभी आदेशों/पत्रों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारी के विरूद्ध प्रश्न तिथि तक किस-किस प्रकार के कहां-कहां के प्रकरणों पर किन-किन की किस प्रकार की क्या-क्या शिकायतों पर कब-कब जांच के आदेश किस-किस सक्षम कार्यालयों के द्वारा जारी किये गये? सभी आदेशों/जांचों/शिकायतों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** उक्त अधिकारी के विरूद्ध प्रदेश के किन-किन थानों में किस अपराध क्रमांकों/दिनांकों/किन-किन धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है जिनकी जानकारी

वाणिज्यकर (आबकारी) को प्राप्त है? बिन्दुवार विवरण दें। **(घ)** राज्य शासन में उक्त अधिकारी के विरूद्ध जो जांचे पूर्ण कर ली हैं उनके जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायें? जो जांचे अभी चल रही हैं उनके जांच अधिकारियों के नाम/पदनाम दें। जांच पूरा किये जाने हेतु क्या समय निर्धारित था? समय पर जांच पूरी क्यों नहीं हुई? शासन समय पर जांच पूरी न करने वाले जांच अधिकारी को कब तक निलंबित करेगा?

वित्त मंत्री : [**(क)** (1) जिला आबकारी अधिकारी जिला अलीराजपुर द्वारा पत्र क्रमांक आब./शिका./2020/375 दिनांक 21.03.2020 के संलग्न जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। (2) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग इन्दौर द्वारा आबकारी आयुक्त कार्यालय को भेजे गये पत्र क्रमांक/आब./शिका./2020/2321, दिनांक 20.08.2020 की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। (3) उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, संभाग इन्दौर की ओर से आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री विनय रंगशाही जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध आबकारी आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 2 (ब)/विजां./22-एस.सी.एन/2021/374, दिनांक 24.03.2021 से जारी कारण बताओ सूचना पत्र की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। श्री विनय रंगशाही जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त संबंध में प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने से आबकारी आयुक्त कार्यालय के आदेश पृ. क्रमांक 2 (ब)/वि.जा./16-2021/879 दिनांक 02.08.2021 से विभागीय जांच संस्थित की गयी है। जिसमें आरोप क्रमांक 03 प्रश्नांश में उल्लेखित तथ्यों पर आधारित है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** श्री विनय रंगशाही के विरूद्ध पुलिस थाना भवरकुंआ में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 509/2021 दिनांक 26.06.2021 अंतर्गत धारा 498-ए एवं 34 भा.द.वि. 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध होने की सूचना आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्राप्त हुई है। **(घ)** श्री विनय रंगशाही के विरूद्ध विभाग में प्रचलित विभागीय जांच से संबंधित विषयवस्तु विभागीय जांच संस्थित करने का दिनांक एवं जांचकर्ता अधिकारी के नामों से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है। विभागीय जांच प्रकरणों में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जांचकर्ता अधिकारी को शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में जांच कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता संभाग उज्जैन मुख्यालय पर लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे है एवं वर्तमान में उनके निवास स्थान की सही जानकारी उपलब्ध नहीं होने से जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा उनका विभागीय जांच में उपस्थित होने हेतु पत्र तामील नहीं कराये जा सके है। जिससे विभागीय जांच की कार्यवाही अवरूद्ध है। लंबे समय से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने संबंधी अनियमितताओं के आधार पर श्री विनय रंगशाही, जिला आबकारी अधिकारी को शासन आदेश क्रमांक 390/4538/2021/2/पांच दिनांक 03 फरवरी 2022 से निलंबित किया गया है। श्री रंगशाही निलंबन होने के उपरांत भी निलंबन अवधि में नियत मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुए है।] **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारी के विरूद्ध प्रश्न तिथि तक प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही संबंधी विस्तृत **जानकारी परिशिष्ट-अ** एवं सहसंबंधित अभिलेखों की छायाप्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पाँच अनुसार है।**

जाति प्रमाण पत्रों की जानकारी
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

12. अता.प्र.सं.21 (क्र. 233) श्री प्रदीप पटेल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र.भोपाल के आदेश क्रमांक-एक/स्था./30/2002/12300 भोपाल, दिनांक 13.08.2003 एवं पृ.क्रमांक-एक/स्था./30/02/12301-32 भोपाल, दिनांक 13.08.2003 की सेवा शर्तें बिन्दु क्रमांक-एक से सात तक का पालन क्या अभ्यर्थी क्रमांक-एक से उन्नीस तक के द्वारा तयशुदा समय-सीमा में कर लिया गया था? सभी अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की

वर्ष 2003-2004 में नियुक्ति के समय विभाग को दिये एवं बाद में 2005 या उसके पश्चात विभाग में जमा किये गये जाति प्रमाण पत्रों की एक-एक प्रति दें। **(ख)** क्या उक्त सूची के क्रमांक सात (7) पर स्थापित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? सभी शिकायतों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या विभाग में कार्यरत प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जांच राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति के द्वारा की जा रही है? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) में उल्लेखित अभ्यार्थियों के द्वारा वर्ष 2003 एवं 2004 तथा उसके पश्चात 2005 या आगे के वर्षों में जो-जो जाति प्रमाण पत्र विभाग में जमा किये उन सभी की एक-एक स्वच्छ प्रतिलिपि प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करायें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** दिनांक 5-6 नवम्बर, 2015 की दरम्यानी रात्रि को आगजनी की घटना घटित होने से मुख्यालय की स्थापना शाखा के समस्त अभिलेख नष्ट हो जाने के कारण प्रश्नांकित आदेश दिनांक 13.08.2003 की सेवा शर्तें बिन्दु क्रमांक एक से सात तक के पालन के संबंध में संबंधित जिले के उपसंचालक से पत्र क्र. एक/स्था.1/वि.स./3/2022/1175, दिनांक 24.02.2022 से जानकारी चाही गई, जो संकलित की जा रही है। जानकारी संलग्न हेतु भेजा गया पत्र की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ, शिकायतों की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** प्रश्नांश "क" के उत्तर अनुसार **जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** दिनांक 5-6 नवम्बर, 2015 की दरम्यानी रात्रि को आगजनी की घटना घटित होने से स्थापना शाखा के समस्त अभिलेख नष्ट हो जाने के कारण प्रश्नांकित आदेश दिनांक 13.08.2003 की सेवा शर्तें बिन्दु क्रमांक एक से सात तक का पालन के संबंध में संबंधित जिले के उपसंचालक से जानकारी संकलित की गयी। विभाग में वर्तमान में पदस्थ खाद्य निरीक्षक, ग्रेड-2 (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। विभाग छोड़कर जाने वाले खाद्य निरीक्षक की जानकारी आगजनी की घटना में नष्ट हो जाने/विभाग में उपलब्ध नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं है। उपसंचालक रायसेन द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी। उपरोक्तानुसार प्राप्त अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** अभ्यर्थियों के अभी तक उपलब्ध जाति प्रमाण पत्र की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

प्रोटोकाल नियमों का पालन
[सामान्य प्रशासन]

13. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 242) श्री मुरली मोरवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. एफ 6-37/2020/1/4 भोपाल दिनांक 29.08.2020 के द्वारा प्रोटोकॉल नियम एवं पत्रों की कार्यवाही के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर को पत्र क्र. 1396 दिनांक 12.08.2021 पत्र क्र. 1479 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा विकास कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु लिखा गया था, बैठक आयोजित नहीं करने का क्या कारण है व पत्र क्र. 1480 दिनांक 30.12.2021 के द्वारा रोगी कल्याण समिति बैठक आयोजित करने हेतु भी पत्र लिखा गया था, बैठक क्यों आयोजित नहीं की गई? पत्र क्र. 1493 दिनांक 24.01.2022, पत्र क्र. 1442 दिनांक 22.09.2021 समय-समय पर प्रश्नकर्ता की ओर से लिखे गए पत्रों का जवाब नहीं देना प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन है तो सबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम असावत में ग्रिड के भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय सांसद एवं विधायक के नाम क्रम से शिलालेख पर दिये जाने के शासन के निर्देश हैं इसके बावजूद भी 27.09.2021 को ग्राम असावता के ग्रिड भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद एवं विधायक का शिलालेख पर नाम अंकित क्यों नहीं किया गया? **(घ)** दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। परिपत्र की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 218 द्वारा पत्र क्रमांक 1396 दिनांक 12.08.2021, पत्र क्रमांक 1476 दिनांक 30.12.2021 से समीक्षा बैठक आयोजित किये जाने हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर को पत्र प्राप्त हुये थे। उस समय कोविड-19 ओमीक्रॉन वायरस का संक्रमण तीव्रता से फेल रहा था इस कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। समय-सीमा में त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जावेगी। माननीय विधायक महोदय बड़नगर का पत्र क्रमांक 1479 दिनांक 30.12.2021 अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर को प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र क्रमांक 1480 दिनांक 30.12.2021 को रोगी कल्याण समिति बैठक आयोजित किये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ, किन्तु माननीय विधायक महोदय बड़नगर द्वारा रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित करने की दिनांक निर्धारित नहीं की जाने से रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, दिनांक निर्धारित होते ही बैठक आयोजित की जावेगी। पत्र क्रमांक 1493 दिनांक 24.01.2022 के संबंध में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबंधित विभागों को अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर के पत्र क्रमांक 119 दिनांक 24.01.2022 द्वारा निर्देशित किया था। पत्र क्रमांक 1442 दिनांक 22.09.2021 के संबंध में माननीय विधायक महोदय द्वारा सुर्याश पेराडाईस कॉलोनी में मूलभूत सुविधा के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर को पत्र प्राप्त हुआ, पत्र के पालन में शिकायतकर्ता के समक्ष कॉलोनाईजर को कॉलोनी में सुविधा मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक माह में निर्देशित किया गया। **(ग)** मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, बड़नगर के अन्तर्गत ग्राम असावता में एस.एस.टी.डी. योजना के तहत नवीन 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र स्वीकृत हुआ था। उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि पूजन दिनांक 27.11.2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, म.प्र. शासन वर्चुवल माध्यम से ई-शिलान्यास किया गया एवं वर्तमान में उपकेन्द्र निर्माण स्थल पर शिलान्यास पत्थर नहीं लगाया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

14. परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 285) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2008 से 2018 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा बड़वानी जिले में कुल कितनी घोषणाएं की गई? घोषणाओं की विभागवार सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूर्ण की गई, कितनी प्रक्रियाधीन हैं तथा कितनी घोषणाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित घोषणाओं से संबंधित कार्य की जिले की सेंधवा विधानसभा अनुसार संख्या तथा अनुमानित राशि सहित बतावें। **(घ)** माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक जिले की सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में अनुमानित राशि के किस-किस कार्य की घोषणा की गई तथा उसमें से कौन-कौन से कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण हो गए एवं कौन-कौन से कार्य प्रक्रियाधीन हैं तथा कौन-कौन से शेष हैं?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2008 से 2018 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़वानी जिले में कुल 137 घोषणाएं की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** जानकारी प्रश्नांश (क) में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नाधीन अवधि में मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में कोई घोषणा नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश में कैंसर मरीजों की संख्या
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

15. अता.प्र.सं.25 (क्र. 371) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2020 तक प्रदेश में कैंसर के कितने नए मरीज मिले? वर्षवार, जिलेवार आंकड़ों सहित बतावें? **(ख)** क्या प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** कैंसर के नये मरीजों की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक प्रदेश में कैंसर के नये मरीजों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हां, समय के साथ आमजन-मानस में कैंसर के बारे जागरूकता तथा कैंसर की स्क्रनिंग बढ़ रही है। कैंसर की जांच संबंधी सेवायें भी साल दर साल उन्नत हो रही है। जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कैंसर के मरीज बढ़ रहे है। कैंसर किन कारणों से हो रहा हैं ये शोध का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा इस हेतु कोई शोध संस्थित नहीं किया जाता है। कैंसर कार्यक्रम के अंतर्गत मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारणों से संबंधित जानकारी विभाग एवं जिला स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

लोकायुक्त द्वारा किये गये पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

16. अता.प्र.सं.55 (क्र. 661) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना/ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के कितने प्रकरण वर्ष फरवरी 2022 तक पंजीबद्ध एवं न्यायालय चालान किये जा चुके है? जिलावार, संख्यावार विवरण बतावें। **(ख)** ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन्हें पंजीबद्ध हुऐ पांच वर्ष से अधिक समय के बाद भी न्यायालय में चालान पेश नहीं हो सके हैं तथा न्यायालय में चालान पेश होने के बाद भी नियमित सुनवाई के अभाव में लंबित है। **(ग)** प्रकरणों की प्रक्रिया की क्या स्थिति है फरवरी 2022 की स्थिति में जानकारी संख्या सहित प्रकरण सहित बतावें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्न में जानकारी कब से दी जानी है, यह स्पष्ट न होने के कारण पिछले 06 वर्ष की जानकारी तैयार की गई है। दिनांक 01/01/2016 से फरवरी, 2022 तक मुरैना जिले के 24 प्रकरण पंजीबद्ध हुये तथा 03 प्रकरण में न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। ग्वालियर जिले के 63 प्रकरण पंजीबद्ध हुये है तथा 27 प्रकरणों में चालान माननीय न्यायालय में पेश किये जा चुके है। **(ख)** मुरैना/ग्वालियर के कुल 25 प्रकरण (10 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति में लंबित तथा 15 प्रकरण विवेचनाधीन) ऐसे है जिन्हें पंजीबद्ध हुये पांच वर्ष से अधिक समय के बाद भी न्यायालय में चालान पेश नहीं हो सके है तथा 14 प्रकरण चालान पेश होने के बाद न्यायालय में लंबित है। **(ग)** प्रकरणों में कार्यवाही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं संशोधन अधिनियम, 2018 के अंतर्गत नियमानुसार संपादित की जाती है। दिनांक 01/01/2016 से फरवरी, 2022 तक की स्थिति में ग्वालियर जिले के पंजीबद्ध 63 प्रकरणों में से 27 प्रकरणों में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है, 07 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन के पास लंबित है तथा 29 प्रकरण विवेचनाधीन है। मुरैना जिले के पंजीबद्ध 24 प्रकरणों में से 03 प्रकरणों में चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये 01 प्रकरण चालानी कार्यवाही में 01, प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु शासन के पास लंबित है तथा 19 प्रकरण विवेचनाधीन है। प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दुग्ध महासंघ में सेवा हस्तांतरित पेंशनरों के पेंशन भुगतान के आदेश
[वित्त]

17. परि.अता.प्र.सं. 51 (क्र. 670) श्री महेन्द्र हार्डिया : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि विषयांकित पेंशनरों को जिन्होंने अपनी पेंशन को सारांशीकृत कर नगदीकरण करवाया था, उन्हें 70 वर्ष की आयु के पश्चात 1/3 भाग मूल पेंशन वित्त विभाग द्वारा पुनर्जीवित की गई है। **(ख)** क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में आदेश पारित किया गया है, जिससे पेंशनरों के रोकी गई 2/3 भाग मूल पेंशन की बहाली की गई है जो विषयांकित पेंशनरों पर भी प्रभावशील है। **(ग)** यदि हाँ, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में म.प्र. शासन से संबंधित पेंशनरों द्वारा आवेदन पर क्या कार्यवाही की जा रही है। पेंशनरों की रोकी गई मूल पेंशन के 2/3 भाग एवं परिवार पेंशन की बहाली कब तक कर दी जावेगी।

वित्त मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** जी नहीं। (पशुपालन एवं डेयरी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार) **(ग)** उत्तरांश "ख" के प्रकाश में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (पशुपालन एवं डेयरी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार)

मीसा बन्दियों को लोकतंत्र सेनानी घोषित किया जाना
[सामान्य प्रशासन]

18. अता.प्र.सं.68 (क्र. 833) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आपातकाल सन् (1975-77) के समय राजनैतिक/सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. में जेलों में बन्द रहे "लोकतंत्र सेनानी" घोषित किया है, यदि हाँ, तो नियम क्या है। **(ख)** 31 जनवरी 2022 की स्थिति में कितने लोकतंत्र सेनानी जीवित हैं, जिलेवार, नाम एवं पता बतावें। **(ग)** क्या दिवंगत लोकतंत्र सेनानी की पत्नी को कितनी सम्मान निधि दी जा रही है? यदि दी जाती है तो उनके नाम एवं पता जिलेवार बतावें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी नहीं। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि दिये जाने के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 18/09/2018 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** 31/01/2022 की स्थिति में जीवित लोकतंत्र सैनानियों के नाम-पता के संबंध में सभी जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ, दिवंगत लोकतंत्र सैनानी की पत्नी को मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2018 के नियम 3 खण्ड (ख) के अनुसार सम्मान राशि के आधे की पात्रता है, दिवंगत लोकतंत्र सैनानी की पत्नियों एवं पता की सभी जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।**

ई.ओ.डब्ल्यू. में लंबित मामले
[सामान्य प्रशासन]

19. परि.अता.प्र.सं. 80 (क्र. 1144) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आर्थिक अनियमितताओं के कितने मामले ई.ओ.डब्ल्यू. में लंबित है? विभाग अनुसार तथा अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम सहित तथा लंबित अवधि की समस्त विवरण बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित मामलों के इतने लंबे समय तक लंबित रहने की क्या विभाग समीक्षा करेगा? क्या मामले का निपटारा करने हेतु विभाग ने कोई समय-सीमा तय की है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** बालाघाट तथा मण्डला जिले में शासकीय गोडाउन में घटिया चावल पाये जाने के बाद

मामला ई.ओ.डब्ल्यू. को दिया गया था, उस पर ई.ओ.डब्ल्यू. ने अब तक क्या कार्यवाही की है? क्या किसी अधिकारी, कर्मचारी या मिर्ल्स पर कोई चार्जशीट जारी की गयी है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** उत्तरांश (क) के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में सभी प्रकरणों में विवेचना में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाती है, जिसमें लगने वाली समय-सीमा का पूर्वानुमान लगाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हैं। **(ग)** बालाघाट तथा मण्डला जिले में शासकीय गोडाउन में घटिया चावल पाये जाने के मामलें पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में क्रमश: अपराध क्रमांक 39/20 एवं 40/20 धारा 420, 272, 120-बी भादवि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम दिनांक 28.11.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विवेचनाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रोटोकॉल का उल्लंघन
[सामान्य प्रशासन]

20. परि.अता.प्र.सं. 87 (क्र. 1178) श्री सुनील सराफ : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मार्च 2020 के पश्चात विधान सभा क्षेत्र कोतमा अंतर्गत समस्त विभागों द्वारा कितने-कितने निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए हैं? कार्य का नाम, लागत, विभाग का नाम, कार्य की प्रगति सहित बतावें। **(ख)** मार्च 2020 से 10 फरवरी 2022 तक कार्यालय कलेक्टर, जिला पंचायत एवं विधान सभा क्षेत्र स्थित अन्य समस्त शासकीय कार्यालयों, निकायों द्वारा प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा में प्रश्नकर्ता को प्रेषित किए गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विभागवार बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार बताए गए कितने निर्माण कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम हेतु प्रश्नकर्ता को आमंत्रित किया गया है? **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के विपरीत प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले तथा पत्रों का उत्तर समय-सीमा में न देने वाले दोषी अधिकारियों पर विभाग कब तक कार्यवाही करेगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** मार्च 2020 के पश्चात विधानसभा क्षेत्र कोतमा अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्यों के नाम, लागत, विभाग का नाम, कार्य की प्रगति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में माननीय विधायक जी, विधानसभा क्षेत्र कोतमा को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कार्यों के उपलब्ध आमंत्रण पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - ब अनुसार** है। दिनांक 20 मार्च 2020 को नगरपालिका परिषद कोतमा द्वारा आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में माननीय विधायक, कोतमा का नाम अंकित नहीं किया गया था। प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - अ** में अंकित निर्माण कार्यों में से अधिकांश स्वीकृत निर्माण कार्यों के संबंधित विभागों की क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कोरोना महामारी से गाइड लाइन को ध्यान में रखते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये हैं। **(घ)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों के विपरीत प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कोतमा के विरूद्ध कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर के पत्र क्रमांक 1154/पांच/व.लि./2021 दिनांक 25 फरवरी 2021 से दण्डित किया गया है।

मिलावट के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. अता.प्र.सं.124 (क्र. 1286) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध कार्य करते हैं इस अधिनियम की किस धारा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मिलावट करने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. करने का अधिकार है? नमूना लेने का कार्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत किया जा रहा है और आई.पी.सी. के अंतर्गत एफ.आई.आर. कर प्रस्तुत किए जा रहे हैं यह प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की किस धारा में है? **(ख)** मध्यप्रदेश में विगत 2 वर्षों में कितने एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, कितने एफ.आई.आर. प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और कितने एफ.आई.आर. प्रकरण में सजा हुई है व कितने प्रकरण न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए हैं व गैर विधिक घोषित किए गए हैं? आरोपी के नाम, पता व व्यवसाय से संबंधित विस्तृत सूची के साथ मय दस्तावेज विवरण दें। **(ग)** कितने प्रकरणों में खाद्य पदार्थ अवमानक मिथ्याछाप एवं असुरक्षित पाए जाने पर संबंधित आरोपी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है और कितने प्रकरणों में अस्वच्छता की स्थिति में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? प्रत्येक परिस्थिति में आरोपी के नाम, पता व व्यवसाय से संबंधित विस्तृत सूची के साथ प्रति एफ.आई.आर. सहित मय दस्तावेज विवरण दें। **(घ)** एफ.आई.आर. कब और कौन अधिकारी करेगा का अधिनियम में प्रावधान व प्रक्रिया से अवगत करायें? **(ड.)** विगत 2 वर्षों से लेकर आज दिनांक तक कितने रासुका के प्रकरण बनाए गए हैं व कितने माननीय न्यायालय या अन्य संस्थाओं द्वारा निरस्त किए गए हैं? आरोपी के नाम, पता व व्यवसाय से संबंधित विस्तृत सूची के साथ मय दस्तावेज विस्तृत विवरण दें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर एफ.आई.आर. का प्रावधान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 में नहीं है। आई.पी.सी. के अंतर्गत एफ.आई.आर. करने के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में कोई धारा नहीं है। एफ.आई.आर. के संबंध में प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता में है। **(ख)** जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार दर्ज की गई एफ.आई.आर. की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष जानकारी गृह विभाग से संबंधित है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** अधिनियम में प्रावधान नहीं है। **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(घ)** एफ.आई.आर. कब और कौन अधिकारी करेगा, यह धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता में समाहित है जिसकी प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण
[वित्त]

22. परि.अता.प्र.सं. 108 (क्र. 1306) श्री पी.सी. शर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य कर्मचारियों/निगम मंडल कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता केन्द्रीय तिथि से मान्य कर भत्ता एवं एरियर्स कब तक दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** राज्य के अधिकारी/कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति का निराकरण शासन द्वारा कब तक किया जायेगा और राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ उनके सेवा की तय तिथि से दिया जायेगा अथवा नहीं? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें। **(ग)** राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को वेतनमान के अनुसार पदनाम देने की शासन स्तर पर योजना है? यदि हाँ, तो कितने विभागों में पदनाम

परिवर्तित किया गया है और कितने विभाग शेष लंबित है? **(घ)** क्या दिनांक 05 जून 2018 की नीति में संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित किये जाने के निर्देश थे? किन-किन विभागों की कौन-कौन सी परीक्षा में यह पद आरक्षित किये गये और इन पदों पर कितने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया? **(ड.)** राज्य शासन एवं निगम मंडल के विभागों में दीर्घकाल से कार्य कर रहे संविदा, दैनिक वेतन भोगी/स्थाई कर्मी/कार्यभारित/आउट सोर्स/अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री : [**(क)** राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेता है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मंत्रि समूह का गठन किया गया है। **(ग)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हां। सामान्य प्रशासन विभाग के नीति निर्देशों के अनुसार संबंधित विभाग स्वयं निर्णय लेता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** राज्य शासन एवं निगम मण्डल के विभागों में दीर्घकाल से कार्य कर रहे संविदा,दैनिक वेतनभोगी/ स्थाईकर्मी/कार्यभारित कर्मियों को उनके सेवा शर्ते एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नीति निर्देशों के तहत् सुविधा देय है, मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू. में दर्ज प्रकरण
[सामान्य प्रशासन]

23. परि.अता.प्र.सं. 119 (क्र. 1394) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2015 से वर्ष 2021 दिसम्बर तक लोकायुक्त तथा ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा भ्रष्टाचार के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार जानकारी दें तथा बतावें कि इनमें प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि व कमी हुई? **(ख)** वर्ष 2015 से 2021 तक लोकायुक्त तथा ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले में सक्सेस का वर्षवार प्रतिशत क्या है तथा 31/01/2022 की स्थिति में दोनों विभागों के कुल कितने प्रकरण न्यायालय के लिए शासन की अनुमति हेतु लंबित हैं? **(ग)** क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार की ग्रोथ रेट काफी तेज है? यदि नहीं, तो दोनों विभागों द्वारा भ्रष्टाचार के इतने प्रकरण क्यों दर्ज किये जा रहे हैं? **(घ)** वर्ष 2015 से 2021 तक सभी विभागों में मिलाकर आर्थिक अनियमितता को लेकर विभागीय जांच के कितने प्रकरण बनाये गये तथा उनमें से कितने-कितने प्रकरण में आरोपी को दोषमुक्त किया गया तथा कितने जांच में लंबित है? **(ड.)** क्या लोकायुक्त ई.ओ.डब्ल्यू. तथा विभागीय जांच में काफी लम्बा समय लग जाता है जिससे आरोपी को बचने के अवसर बढ़ जाते हैं? शासन इसके लिए समय-सीमा क्यों नहीं निर्धारित करता?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** लोकायुक्त संगठन (शिकायत एवं जांच शाखा तथा तकनीकी शाखा) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ'** एवं विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** तथा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। **(ख)** लोकायुक्त संगठन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द'** एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'इ' अनुसार** है। दिनांक 31.01.2022 की स्थिति में लोकायुक्त संगठन के 265 प्रकरण एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के 32 प्रकरण न्यायालय के लिये प्रशासकीय विभाग की अनुमति हेतु लंबित हैं। **(ग)** जी नहीं। भ्रष्टाचार के प्रकरण दर्ज करना शासन की कठोर कार्यवाही का सूचक है। **(घ)** लोकायुक्त संगठन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ई' अनुसार** है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जानकारी निरंक है। **(ड.)** प्रकरणों में तथ्यों एवं साक्ष्य

के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाती है, जिसमें लगने वाली समय-सीमा का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता है।

पोषण आहार की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]

24. अता.प्र.सं.138 (क्र. 1460) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में (1) 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे (2) अधिकतम वजन के बच्चे (3) गर्भवती धात्री/माता (4) 11 से 14 साल की शाला त्यागी बालिकाओं को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक हितग्राहित की संख्या, कुल व्यय, पोषण आहार की दर, वर्ष में कितने महीने पोषण आहार दिया गया सहित सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के हितग्राही के संबंध में भारत शासन/राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड की प्रति देवें तथा 2018-2019 से 2022 तक हितग्राही के नाम, माता एवं पिता का नाम, पता उम्र सहित सूची देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित हितग्राही की संख्या के सर्वे की रिपोर्ट तथा संख्या के प्रमाणीकरण की रिपोर्ट देवें तथा इनकी समय-समय पर की गई मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वर्षों में किन दो वर्षों की तुलना में संख्या में वृद्धि हुई और खर्च में कमी हुई इसके कारण से अवगत करावें।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(ख)** भारत शासन/राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - "अ-1" अनुसार** है। वर्ष 2018-19 से 2022 तक हितग्राही के नाम, माता एवं पिता का नाम, पता, उम्र सहित सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"ब" अनुसार** है। **(ग)** सर्वे की रिपोर्ट तथा संख्या के प्रमाणीकरण की रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"ब" अनुसार** है। मॉनिटरिंग सम्पर्क एप के माध्यम से क्षेत्रीय अमले द्वारा भ्रमण के दौरान की जाती है, किये गये भ्रमण की रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"स" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -"अ" अनुसार** जिले द्वारा पात्र हितग्राहियों पर व्यय किया गया है। प्रश्नांश "क" में उल्लेखित वर्षों में किसी भी वर्ष में संख्या वृद्धि की तुलना में व्यय में कमी परिलक्षित नहीं है।

दिनांक 10 मार्च, 2022

अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के मुआवजा राशि का वितरण
[राजस्व]

25. परि.अता.प्र.सं. 3 (क्र. 29) श्री बापूसिंह तंवर : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण फसले नष्ट हुई थी? यदि हाँ, तो किस-किस जिले में कितनी राशि स्वीकृति की गई थी? जिलेवार स्वीकृत राशि की संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराये। **(ख)** प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, है तो प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत राहत राशि किस-किस जिले में कितने प्रतिशत किसानों को वितरित कर दी गई? वितरित की गई राशि की जिलेवार संख्यात्मक जानकारी बताएं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार क्या कुछ जिलों में स्वीकृत राहत राशि का वितरण बाकी है? यदि हाँ, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी राहत राशि का वितरण बाकी है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार क्या लंबित राहत राशि का भुगतान शासन कर देगा? हाँ तो कब तक समय-सीमा बताएं।

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** एवं **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] **(क)** जी हाँ। जिलेवार स्वीकृत राहत राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार परिशिष्ट-"अ"** है। **(ख)** बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले मंदसौर, नीमच एवं

आगर-मालवा में तत्काल राहत राशि वितरण प्रारंभ किया गया था। कालांतर में शासन के निर्णय अनुसार समस्त पात्र किसानो को राहत राशि वितरण के अनुक्रम में कार्यवाही की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार परिशिष्ट-"ब"** है। **(ग)** समस्त प्रभावित पात्र कृषकों को राहत राशि स्वीकृत कर शासन के निर्णय अनुसार राहत राशि वितरण के अनुक्रम में कार्यवाही की गई है। अत: प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

गेहूं-चावल की खरीदी एवं भुगतान।
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

26. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 94) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2018-2019 एवं 2020-2021 में कितनी मात्रा में गेहूं, चावल की खरीदी की गई? मात्रा सहित जानकारी दी जावें। केन्द्र शासन द्वारा कितनी राशि एवं मात्रा की खरीदी की स्वीकृति दी गई थी? **(ख)** क्या वर्ष 2020-2021 में जो गेहूं खरीदा गया उसे खुले कैम्पों में एवं निजी गोदामों में रखा गया, जिससे काफी मात्रा में गेहूं खराब हुआ? **(ग)** क्या वर्ष 2018-2019 में केन्द्र की स्वीकृति से अधिक गेहूं खरीदी का भुगतान देने से केन्द्र द्वारा असहमति दी गई? कितनी मात्रा का गेहूं अधिक था? उसका भुगतान कहाँ से किया गया? **(घ)** क्या रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई लिमिट के आधार पर राज्य सरकार की गारन्टी पर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य विपणन संघ जैसी संस्थाओं को दिया गया था। खरीदी एवं भण्डारण का कर्ज वर्ष 2021 तक कितना हो गया है? इसे प्रदेश सरकार कैसे वापस करेगी? राशि की मात्रा सहित पूर्ण जानकारी दी जावे।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रदेश में वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं एवं धान की मात्रा तथा केन्द्र शासन द्वारा उपार्जन हेतु स्वीकृत मात्रा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट- 'अ' अनुसार** है। भारत सरकार द्वारा गेहूं एवं धान की खरीदी हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया के माध्यम से प्रदेश के लिए केवल साख सीमा स्वीकृत की जाती है। **(ख)** जी हां। वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं, ओपन केप एवं गोदामों में भण्डारित किया गया। ओपन केप में भण्डारित गेहूं में से खराब हुए स्कंध की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट- 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु भारत सरकार को 70 लाख मे.टन का अनुमान भेजा गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा 67 लाख मे.टन गेहूं उपार्जन प्लान स्वीकृत किया गया था। समर्थन मूल्य पर गेहूं की वास्तविक उपार्जन मात्रा 73.69 मे.टन होने पर भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। वर्ष 2018-19 में भारत सरकार की स्वीकृति से अधिक गेहूं के उपार्जन नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया जाकर आवंटित जिलों में सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह तथा एफपीओ/एफपीसी के माध्यम से कराया जाता है। इस हेतु वित्त की व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मध्यप्रदेश शासन को स्वीकृत खाद्यान्न साख सीमा और राज्य शासन की गारंटी पर बैंकों से नोडल एजेंसी ब्याज पर कर्ज के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उधार ली गयी राशि रूपये 43835.19 करोड़ थी। उपार्जित स्कंध के लिक्वीडेशन से, केन्द्र शासन को प्रस्तुत दावें से प्राप्त राशि तथा राज्य बजट से हानि प्रतिपूर्ति की राशि के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा ऋण भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "चार"

एथेनॉल के प्लांट लगाना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. अता.प्र.सं.25 (क्र. 375) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में विक्रय किये जा रहे पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जा रहा है। **(ख)** एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर समान दर से कर (जी.एस.टी./वेट आदि) लिया जा रहा है या पृथक-पृथक दर से। **(ग)** क्या केन्द्र सरकार द्वारा म.प्र. सहित सभी राज्यों को एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाये जाने का निर्देश दिया गया था। यदि हाँ, तो राज्य एवं केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का विवरण देवें? **(घ)** विगत एक वर्ष में प्रदेश में एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से कहॉ-कहॉ, कितनी-कितनी लागत के प्लांट लगाये गये हैं। संभागवार जानकारी देते हुये होशंगाबाद जिले की पृथक जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रदेश में विक्रय किये जाने वाले पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल ब्लैंड किया जा रहा है। **(ख)** एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर समान दर से (जीएसटी/वेट आदि) लिया जा रहा है। **(ग)** जी हां। भारत सरकार कंपनियों को जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। भारत सरकार द्वारा एथेनॉल उत्पादन की वृद्धि हेतु 2018 में नीति जारी की गई है। राज्य शासन द्वारा भी प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन की वृद्धि हेतु नीति दिनांक 17.09.2021 को जारी की गई है। उक्त दोनों नीति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** हैं। **(घ)** प्रदेश में अभी interest subvention scheme के अंतर्गत नये प्लांट चालू नहीं हुये हैं। जिन प्लांट हेतु तेल विपणन कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश में उत्पादित एथेनॉल क्रय करने हेतु बिड उपरांत स्वीकृति दी गई है, जिसकी जिलेवार, संभागवार एवं उत्पादन क्षमता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। लागत की जानकारी कार्यालय में संधारित नहीं होने से फर्मों से मंगाकर प्रेषित की जायेगी। होशंगाबाद में कहीं पर भी विगत एक वर्ष में एथेनॉल उत्पादन चालू नहीं हुआ है।

डीनोटीफाईड की गई वन भूमि
[वन]

28. ता.प्र.सं. 7 (क्र. 399) डॉ. योगेश पंडाग्रे : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में भा.व.अ. 1927 की धारा 27 व धारा 34अ के अनुसार राजपत्र में किस दिनांक को किस कक्ष क्रमांक की कितनी भूमि एवं कितने राजस्व ग्रामों की समस्त संरक्षित वन भूमि डीनोटीफाईड की गई है? **(ख)** धारा 27 एवं धारा 34अ में डीनोटीफाईड की गई भूमियों को भा.व.अ. 1927 की धारा 29 एवं धारा 4 में पुनः अधिसूचित करने, नारंगी भूमि सर्वे एवं नारंगी वनखण्ड में शामिल करने, समझे गए वन परिभाषित करने का अधिकार या छूट वन अधिनियम 1927, वनसंरक्षण कानून 1980 की किस धारा में दिया गया है, सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में किस दिनांक के आदेश में दिया है? **(ग)** बैतूल जिले में सारनी पावर हाउस एवं पुनर्वास क्षेत्र के लिए किस दिनांक को कितनी-कितनी भूमि किस-किस धारा के तहत डीनोटीफाईड की गई? यह भूमि किस-किस विभाग के मानचित्र एवं अन्य किस-किस शासकीय अभिलेख में किसके नाम पर वर्तमान में दर्ज है? **(घ)** सारनी पावर हाउस के लिए डीनोटीफाईड की गई भूमियों से संबंधित पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी आदि किस वर्ष में तैयार किए गए हैं? खसरा पंजी में भूमि किसके नाम पर दर्ज है?

वन मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 एवं धारा 34 (अ) में डिनोटिफाईड भूमियों को पुन: धारा 29 एवं धारा 4 में अधिसूचित करने के संबंध में अधिकार या छूट भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की किसी धारा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 202/1995 के आदेश में उल्लेखित नहीं है।

लेकिन यदि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमियों के एवज में डिनोटीफाईड भूमियां गैर वन भूमि के रूप में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त होती हैं तो उन्हें भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 एवं धारा-4 में अधिसूचित किया जा सकता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। शेष प्रश्नांश राजस्व विभाग से संबंधित होने से **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** प्रश्नांश राजस्व विभाग से संबंधित होने से **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है। बैतूल जिले में सारनी पावर हाउस के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जनवरी 1968 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 उपधारा (1) एवं धारा 34 के तहत 4695.83 एकड़ भूमि डीनोटिफाईड की गई। उक्त भूमि राजस्व विभाग के मानचित्र एवं खसरे में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारनी के नाम पर दर्ज है तथा पुनर्वास क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 फरवरी 1977 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 उपधारा (1) के तहत 14808.60 हेक्टेयर भूमि डीनोटीफाईड एवं मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज है। **(घ)** सारनी पावर हाउस के लिए डीनोटिफाईड की गई भूमियों से संबंधित पटवारी मानचित्र खसरा पंजी वर्ष 2012-13 में तैयार किये गये। उक्त भूमि खसरे में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी के नाम पर दर्ज है।

परिशिष्ट - "पांच"

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में वितरित खाद्यान्न
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

29. परि.अता.प्र.सं. 27 (क्र. 419) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला खाद्य आपूर्ति विभाग जबलपुर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितनी-कितनी मात्रा में गेहूँ, चावल, केरोसिन आदि आवंटित किया गया तथा कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया और कितना-कितना अवितरित रहा? वर्ष 2021-22 की माहवार जानकारी दें। **(ख)** जबलपुर जिले में कार्डधारी कितने हितग्राही उपभोक्ता हैं। इनमें से कितने उपभोक्ताओं को किस मान से कितनी-कितनी मात्रा में गेहूँ, चावल, केरोसिन का वितरण किया गया एवं कितने उपभोक्ताओं को कितनी-कितनी मात्रा में वितरित नहीं किया गया एवं क्यों? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की माहवार पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ग)** जनपद पंचायतों को कितनी-कितनी मात्रा में गेहूँ, चावल, केरोसिन प्रदाय किया गया एवं कितने-कितने कार्डधारी उपभोक्ताओं को कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया है और कितने उपभोक्ताओं को कितनी-कितनी मात्रा में वितरित नहीं किया गया है। जनपद पंचायतवार व माहवार जानकारी दें। **(घ)** पी.डी.एस. के तहत कितनी उचित मूल्य राशन दुकानों को कितनी-कितनी मात्रा में गेहूँ, चांवल, केरोसिन आवंटित किया गया तथा कितने-कितने उपभोक्ताओं को कितनी-कितनी मात्रा में गेहूँ, चांवल, केरोसिन वितरित किया गया तथा कितने उपभोक्ताओं को कितनी-कितनी मात्रा में वितरित नहीं किया गया? ऑनलाइन इसकी कितनी-कितनी मात्रा में फीडिंग की गई हैं? माहवार जानकारी दें। क्या शासन अनाज के वितरण में की गई अनियमितता की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नांकित जिले में प्रश्नांकित अवधि में प्रश्नांकित योजनांतर्गत आवंटित, वितरित एवं अवितरित खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। अवितरित मात्रा में ऋणात्मक का तात्पर्य यह है कि वितरण करते समय उक्त योजनांतर्गत गेहूं उपलब्ध न होने के कारण अन्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध गेहूं अथवा दुकान पर शेष बची मात्रा से गेहूं का वितरण किया गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।

प्रश्नांकित जिले में वर्ष 2021-22 में वितरित मात्रा की फीडिंग नहीं की गई है। अनाज के वितरण में अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समर्थन मूल्य पर गेहूँ/धान का उपार्जन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

30. अता.प्र.सं.26 (क्र. 421) श्री लखन घनघोरिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर संभाग के तहत समर्थन मूल्य पर किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान का उपार्जन किया गया? इसकी सुरक्षा देखभाल, रख-रखाव, परिवहन व भण्डारण पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की जिलावार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांकित किन-किन जिलों में शासकीय एवं अशासकीय वेयर हाउसों ओपन कैप में कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का उपार्जित गेहूँ, धान का भण्डारण किया गया? परिवहन व किराये पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? वे मौसम वर्षा तथा अन्य किन कारणों से कहां-कहां पर रखा हुआ उपार्जित कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान खराब हुआ सड़ गया हैं। इसके लिये शासन ने दोषी अधिकारियों पर कब क्या कार्यवाही की हैं? वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांकित किन-किन जिलों में कब से किस-किस अवधि का उपार्जित कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान रखा हुआ हैं। इसमें से कहां-कहां पर कितनी-कितनी मात्रा में कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान खराब हो गया सड़ गया है, चोरी हुआ हैं? शासन ने कितनी-कितनी मात्रा में किस दर पर कितनी-कितनी राशि का गेहूँ, धान का विक्रय किया हैं? निविदा के माध्यम से कितनी मात्रा में कितनी राशि का विक्रय किया हैं? इससे शासन को कितनी-कितनी राशि का नुकसान हुआ है। वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जबलपुर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं/धान की मात्रा, राशि, सुरक्षा देखभाल, भण्डारण एवं परिवहन पर व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिलों में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि में शासकीय एवं अशासकीय वेयर हाउसों ओपन कैप में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं/धान की मात्रा/राशि एवं परिवहन पर व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। वर्ष 2020-21 में असमायिक वर्षा के कारण छिंदवाड़ा जिले में 10933.61 क्विंटल गेहूं खराब हुआ है। इसके लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिलों में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं/धान की मात्रा एवं राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। वर्ष 2020-21 में असामयिक वर्षा के कारण छिंदवाड़ा जिले में 10933.61 क्विंटल गेहूं खराब हुआ है। वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में भण्डारित धान की निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गोदाम निर्माण की स्वीकृति
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

31. परि.अता.प्र.सं. 33 (क्र. 501) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील के ग्राम बावड़ीखेड़ा जागीर में सहकारिता विभाग द्वारा आर.के.वी.आई. योजना अन्तर्गत 1000 मैट्रिक टन का गोदाम स्वीकृत किया गया था? **(ख)** यदि हां, तो कब स्वीकृत हुआ था? इसमें कितना निर्माण कार्य हुआ है यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

खाद्य मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी नहीं। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पीस वर्क पद्धति से कार्य कराये जाने के नियम
[जल संसाधन]

32. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 746) श्री कुणाल चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जल संसाधन विभाग में पीस वर्क पद्धति से कार्य कराये जाने के क्या नियम है? **(ख)** पीस वर्क पद्धति से एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि के कार्य कराये जा सकते है? **(ग)** क्या यह सत्य है कि मुख्य अभियंता चंबल बेतवा कछार, भोपाल द्वारा विगत 5 वर्षों में जल संसाधन संभाग, भोपाल में लगभग 10 करोड़ राशि के कार्यों को पीसवर्क पद्धति से कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हाँ, तो किस के आदेश से प्रमाणित प्रति देवें? **(घ)** यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा राशि के कार्य पीसवर्क पद्धति से कराये गये है? यदि हाँ, तो इस परिस्थिति में विभाग द्वारा उस अधिकारी के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगा यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** नियमों की **प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार** है। **(ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** पीसवर्क पद्धति से एक वित्तीय वर्ष में कार्यपालन यंत्री अपने संभाग में अधीक्षण यंत्री की अनुशंसा उपरांत मुख्य अभियंता की स्वीकृति से सभी कार्यों पर प्रतिवर्ष रू.20 लाख तक के कार्य पीसवर्क पर करा सकते हैं। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार** एवं **आदेश परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(घ)** निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक राशि की अनुमति दिए जाने एवं कार्य कराने की जॉच हेतु प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही किया जाना संभव होगा। निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "छः"</u>

कृषि उपज का उपार्जन, परिवहन एवं भंडारण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

33. परि.अता.प्र.सं. 52 (क्र. 836) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन के क्या नियम/निर्देश एवं नीति वर्तमान में लागू हैं और पन्ना जिले में विगत 03 वर्षों में किस-किस खरीदी केन्द्र से कितने किसानों से कितनी कृषि उपज की खरीदी की गई और किन-किन भंडार ग्रहों में भंडारित की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत खरीदी केन्द्रों के कौन-कौन प्रभारी रहे एवं गुणवत्ता निरीक्षण हेतु कौन-कौन कार्यरत रहे और खरीदी कार्य का किस-किस नाम पदनाम के किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया और क्या-क्या प्रतिवेदन दिये गए? **(ग)** पन्ना और कटनी जिले में खाद्यान्न के उपार्जन एवं भंडारण और परिवहन में अनियमितताओं के कौन-कौन से प्रकरण विगत 03 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक, किस जांच एवं निरीक्षण में ज्ञात हुये? क्या प्रतिवेदन दिये गये? प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (ग) जिलों में विगत 03 वर्षों में परिवहनकर्ता ठेकेदारों द्वारा नियत अवधि में खाद्यान्न का परिवहन किया गया? यदि हां, तो कैसे विवरण बतायें? यदि नहीं, तो क्या कोई कार्यवाही की गई और नियमानुसार पेनाल्टी लगाई गई? यदि हां, तो किस नाम पदनाम के किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा किस परिवहनकर्ता ठेकेदार पर किन कारणों से कितनी-कितनी पेनाल्टी अधिरोपित की गई एवं किस नाम पदनाम के किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा पेनाल्टी माफ किए जाने की किस आधार पर अनुशंसा की गई और किस सक्षम प्राधिकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ड.)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न के उपार्जन, परिवहन और भंडारण में ज्ञात अनियिमतता पर की गई कार्यवाही

नियमानुसार है? यदि हां, तो कैसे स्पष्ट करें? यदि नहीं, तो क्या विभाग/शासन स्तर से इसका संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** समर्थन मूल्य पर कृषि उपज के उपार्जन हेतु खरीफ एवं रबी मौसम में उपार्जन नीति के तहत तैयार की जाती है, नीति के प्रावधानों के अनुरूप उपार्जन कार्य संपादित किया जाता है। पन्ना जिले में विगत 03 वर्षों में खरीदी केन्द्रवार उपार्जित मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। किसानों के नाम सहित जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध है। उपार्जित मात्रा की गोदाम श्रेणीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब अनुसार** है। **(ख)** खरीफ एवं रबी मौसम में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न के उपार्जन के दौरान खरीदी केन्द्रवार खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं गुणवत्ता निरीक्षक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– स अनुसार** है। उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक, MPSCSC उप संचालक, कृषि एवं किसान कल्याण तथा सचिव कृषि उपज मंडी समिति द्वारा समय-समय पर किया गया है। पन्ना जिले में विगत 03 वर्षों में खाद्यान्न उपार्जन एवं भण्डारण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** विगत 03 वर्षों में कटनी जिले में खाद्यान्न के उपार्जन, भण्डारण एवं परिवहन में पायी गयी अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। **(घ)** विगत 03 वर्षों में पन्ना जिले में खाद्यान्न के परिवहन में विलंब का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। कटनी जिले में वर्ष 2020-21 में उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन में विलंब के प्रकरण में संबंधित परिवहनकर्ता के विरूद्ध पेनाल्टी अधिरोपित की गयी है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** खाद्यान्न के उपार्जन, परिवहन एवं भण्डारण में पायी गयी अनियमितताओं पर विधि सम्मत कार्यवाही की गयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उपार्जन केन्द्रों द्वारा खाद्यान्न का भण्डारण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

34. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 840) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 03 वर्षों में पन्ना एवं कटनी जिले की जिला उपार्जन समितियों में किस नाम पदनाम के शासकीय सेवक शामिल रहे और समिति द्वारा क्या-क्या अनुशंसायें की गई और क्या उपार्जन समितियों द्वारा उपार्जन कार्यों की समीक्षा भी की गयी? यदि हाँ, तो समीक्षा के निष्कर्ष बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) जिलों में विगत 02 वर्षों में किस सक्षम प्राधिकारी के किन आदेशों से किन-किन उपार्जन केन्द्रों के खाद्यान्न को कहां-कहां भंडारित किया गया? उपार्जन केन्द्रों से भंडार ग्रहों/कैंपों की दूरी कितनी थी और क्या खाद्यान्न को करीब के भंडार गृहों के बजाय अधिक दूरी के भंडार गृहों में भंडारित किया गया एवं अन्य जिलों में भेजा गया? जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन में अधिक राशि व्यय की गई? **(ग)** प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो कारण बताइये, यदि नहीं, तो प्रश्नांकित जिलों के विगत 02 वर्षों में खाद्यान्न के परिवहन और भंडारण का प्रश्नकर्ता की सहभागिता में परीक्षण एवं जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क) जिलों में विगत 03 वर्षों में धान की मिलिंग का कार्य किन-किन राइस मिलर्स द्वारा किया गया? इन्हें कितनी-कितनी धान प्रदाय की गयी? कितना चावल अब तक वापस प्राप्त हुआ? कितना चावल अमानक पाया गया? कितना चावल प्राप्त करना क्यों शेष है? मिलर्सवार बताइये। **(ड.)** प्रश्नांश **(घ)** अंतर्गत विगत 03 वर्षों में प्रश्न दिनांक तक धान मिलिंग में अनियमितताओं के किन-किन प्रकरणों में किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब जांच की गयी? जांच के क्या परिणाम रहे? क्या प्रतिवेदन दिये गये? क्या कार्यवाही अब तक की गई? प्रकरणवार बताइये? **(च)** क्या प्रश्नांश (क) जिलों में

भंडारित धान बड़ी मात्रा में खराब हुयी है? यदि हाँ, तो कहां-कहां भंडारित कितनी-कितनी धान किन कारणों से खराब हुई? क्षतिग्रस्त हुई धान का मूल्य क्या था? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** विगत 3 वर्षों में पन्ना एवं कटनी जिले में जिला उपार्जन समिति में सम्मिलित सदस्यों के नाम एवं पदनाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन कार्य हेतु समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है तथा उपार्जन कार्य के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। कटनी जिले में जिला उपार्जन समिति द्वारा की गई अनुशंसाऐं एवं समीक्षा में पाई गई स्थिति एवं निष्कर्ष की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** पन्ना एवं कटनी जिले में विगत 2 वर्षों में जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा रिक्त गोदाम/केप पर नजदीक के उपार्जन केन्द्रों से उपार्जित स्कन्ध का भंडारण कराया गया। उपार्जन केन्द्रों से गोदाम/केप की दूरी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित स्कंध के भंडारण हेतु जिले में रिक्त भंडारण क्षमता उपलब्ध न होने के कारण जिलों से अन्य जिलों में रोड एवं रेलवे रैक के माध्यम से परिवहन कराया जाकर भंडारण कराया गया, जिसके फलस्वरूप परिवहन पर अधिक व्यय हुई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। **(ग)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित स्कन्ध के भंडारण हेतु जिले में रिक्त भंडारण क्षमता उपलब्ध न होने के कारण अन्य जिलों में उपलब्ध रिक्त क्षमता में परिवहन कर भंडारण कराया गया, जिसका परीक्षण कराए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **(घ)** पन्ना एवं कटनी जिले में विगत 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलर्स प्रदाय धान प्राप्त चावल एवं अमानक चावल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार** है। मिलर्स को प्रदाय धान से चावल की प्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा में करनी होती है। मिलर्स द्वारा समय-सीमा में चावल एजेंसी को जमा न करने के कारण शेष है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार** है। **(ड.)** पन्ना जिले में 05 राईस मिलर का सीएमआर चावल 628 मे.टन अमानक पाया, जिसे मिलर्स के हर्जे खर्चे पर वापस करते हुए अपग्रेडेशन उपरांत मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त कर लिया गया तथा संबंधित मिलर्स से भंडारण शुल्क आदि की राशि वसूल कर ली गई। विगत 3 वर्षों में कटनी जिले में मिलर्स द्वारा धान मिलिंग में अनियमितता के संबंध में जांचकर्ता अधिकारी, जांच दिनांक, प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार स्थिति एवं की गई कार्यवाही की प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ज अनुसार** है। **(च)** कटनी जिले में भंडारण के दौरान भंडारण स्थल अनुसार खराब हुई धान की मात्रा, राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ह अनुसार** है। उपार्जन के दौरान असामयिक वर्षा से धान भीगने के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके लिए किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

खाद्यान्न का उपार्जन, भंडारण एवं वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

35. अता.प्र.सं.57 (क्र. 849) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में खाद्यान्न का उपार्जन किन्हीं नियम या अधिनियम के बजाय नीति के तहत किए जाने का कारण बतायें और वर्ष 2021 की विभागीय समीक्षा बैठक में उपार्जन का कड़ा कानून बनाए जाने हेतु लिए गए निर्णय पर अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करायें। **(ख)** क्या खरीदी केन्द्रों पर खाद्यान्न की गुणवत्ता परखने की जिम्मेदारी आउटसोर्स से नियुक्त सर्वेयरों की होती हैं, फिर भी यदि भंडारण और वितरण के दौरान खाद्यान्न अमानक पाया जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्पष्ट करें। **(ग)** विगत 03 वर्षों से पन्ना जिले

के किन-किन खरीदी केन्द्रों से कितना-कितना अमानक खाद्यान्न खरीदा जाना पाया गया और किन-किन भंडार ग्रहों में अमानक खाद्यान्न भंडारित होना पाया गया? इन अनियमितताओं के लिए कौन जिम्मेदार पाया गया और क्या कार्यवाही की गयी? प्रकरणवार बतायें। **(घ)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित होने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता परीक्षण के क्या नियम/निर्देश हैं एवं इसकी क्या प्रक्रिया अपनायी जाती हैं? इसके लिए कौन-कौन शासकीय सेवक जिम्मेदार होते हैं तथा क्या प्रश्नांश (ग) जिले में भंडारग्रहों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रतिमाह वितरण हेतु प्राप्त खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण नियत प्रक्रिया से किया जा रहा हैं? **(ड.)** प्रश्नांश **(घ)** यदि हाँ, तो विगत 02 वर्षों में माहवार किन-किन भंडारगृहों/कैंपों से पी.डी.एस. हेतु किस-किस अनाज की निकासी कब-कब की गयी एवं अनाज की गुणवत्ता का परीक्षण किन-किन शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब किया गया और क्या परीक्षण प्रतिवेदन दिये गए? खाद्यान्न की गुणवत्ता परीक्षण के प्रतिवेदन उपलब्ध कराये? **(च)** प्रश्नांश (क) से **(ड.)** के परिप्रेक्ष्य में क्या शासन/विभाग स्तर से इन अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुये जांच एवं कार्यवाही के निर्देश दिये जायेंगे? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रदेश में खाद्यान्न उपार्जन की गतिविधियों को नियमित करने के लिए कोई अधिनियम अथवा नियम अधिसूचित न होने के कारण उपार्जन नीति जारी कर उसके प्रावधानों के तहत उपार्जन का कार्य संपादित किया जाता है। कृषि उपज के उपार्जन को नियमित करने हेतु वर्तमान उपलब्ध कानूनी प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। **(ख)** उपार्जन के दौरान खरीदी केन्द्रों एवं भण्डारण केन्द्रों पर खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच का दायित्व आउटसोर्स से नियुक्त सर्वेयर की होती है। गुणवत्ता परीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर जिले की उपार्जन समिति द्वारा जांच उपरान्त संबंधित आउटसोर्स एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सर्वेयर पर उचित कार्यवाही की जाती है। **(ग)** विगत 3 वर्षों में पन्ना जिले में किसी भी भण्डारण केन्द्र पर अमानक स्तर का उपार्जित खाद्यान्न भण्डारित करने संबंधी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के उठाव के पूर्व गुणवत्ता की जांच कर स्टेक चयन की कार्यवाही एक समिति द्वारा की जाती है। केन्द्र प्रभारी मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, शाखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन तथा संबंधित क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी इस समिति के सदस्य होते है। पन्ना जिले में समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर स्टेक चयन किया जा रहा है। **(ड.)** विगत 2 वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पन्ना जिले में प्रदाय केन्द्रों से जारी किए जाने वाले खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार** है। गुणवत्ता परीक्षण की कार्यवाही तथा प्रतिवेदन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार** है। **(च)** प्रश्नांश (क) से (ड.) के परिप्रेक्ष्य में विगत 2 वर्षों में पन्ना जिले में अनियमितता संबंधी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय भूमि को भू-माफिया को सौंपना
[राजस्व]

36. ता.प्र.सं. 13 (क्र. 987) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 704, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 के उत्तर के खण्ड "क" के संदर्भ में बतावें की क्या माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.01.2011 में शासन को कमिश्नर उज्जैन के आदेश दिनांक 01.10.2007 को कानून अनुसार चुनौती देने की लिबर्टी दी थी? यदि हाँ, तो उसे फिर उच्चतम न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी गई? **(ख)** क्या शासन उपरोक्त प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नाधीन भूमि 43/1131/मिन-1 रकबा 0.760 हेक्टेयर के उच्च

न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2011 के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका क्रमांक 262/2012 के अंतरिम आदेश 25.07.2012 एवं 08.11.2012 में निर्देश के बाद भी जवाब क्यों नहीं फाईल किया गया? **(घ)** क्या तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही कर लगभग राशि रू. 160 करोड़ की बेशकीमती जमीन भूमाफियाओं के नाम कर दी? यदि हाँ, तो बतावें कि इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेशों के सम्बन्ध में अपील सम्बन्धी कार्यवाही बावत गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है। **(ख)** न्यायालयीन प्रकरणों में पारित आदेश के सम्बन्ध में अपील सम्बन्धी कार्यवाही बावत गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है। **(ग)** अवमानना याचिकाओं में मूल आदेश के पालन में की गयी कार्यवाही की जानकारी देनी होती है। मान. उच्च न्यायालय में दायर अवमानना याचिका क्रमांक 262/2012 के अंतरिम आदेश दिनांक 25.07.2012 एवं 08.11.2012 में निर्देश के बाद भी जवाब समय पर प्रस्तुत नहीं हो पाने के सम्बन्ध में, जानकारी एकत्र की जा रही है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "सात"

वनखण्डों में शामिल निर्वनीकृत भूमि
[वन]

37. अता.प्र.सं.63 (क्र. 990) कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्न क्रमांक 4147 दिनांक 15/3/2016 के उत्तर में प्रश्न क्रमांक 1270 में निर्वनीकृत भूमि की जानकारी में ''धारा 4 (1) के अन्तर्गत वनखण्डों के बाहर छूट 151375.665 हेक्टयर भूमि दर्शाई गई थी। जिसमें वनखण्डों के अन्दर की 28743.295 हेक्टयर निर्वनीकृत भूमि शामिल नहीं थी'' की जानकारी दी गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो किस वनखण्ड में शामिल 28743.295 हेक्टयर भूमि राजपत्र में किस दिनांक को निर्वनीकृत की गई उसे वनखण्ड एवं वर्किंग प्लान से कब पृथक किया गया, यदि निर्वनीकृत 28743.295 हेक्टयर भूमि वनखण्डों से पृथक नहीं की गई हो तो उसका कारण बतावें। **(ग)** छतरपुर जिले के लिए राजपत्र में किस दिनांक को भा.व.अ. 1927 की धारा 34अ के तहत कितने ग्रामों की कितनी संरक्षित वन भूमि एवं कितने ग्रामों की समस्त संरक्षित वन भूमि निर्वनीकृत की गई इन भूमियों को डी.सी.आर. पंजी में किस दिनांक को संशोधित किया गया।

वन मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** प्रश्नांश 'ख' में वर्णित भूमि रीवा राज-दरबार के आदेश दिनांक 08 फरवरी 1937 भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 'अ' 151375.665 हेक्टेयर भूमि को समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34 (अ) के तहत जारी अधिसूचनाओं क्रमांक 3042-2837-दस (2) 69 दिनांक 21.05.1969 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 25.05.69, अधिसूचना क्रमांक 971-732-दस-70 दिनांक 13.03.1970, अधिसूचना क्रमांक 6492-2831-दस दिनांक 19.05.1972, अधिसूचना क्रमांक 6165-4607-दस-271 दिनांक 27.09.1972 अधिसूचना क्रमांक 6808-1545-दस (2) -72 दिनांक 21.10.1972 एवं अधिसूचना क्रमांक 6808-1545-दस (2) -72 दिनांक 14.11.1972 से निर्वनीकरण किया गया। मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक 2054/3452/10/3/7 दिनांक 28.05.1988 द्वारा जारी वन व्यवस्थापन अधिकारियों के प्रस्तावित मार्गदर्शी सिद्धांत हेतु मंत्री परिषद समिति की बैठक दिनांक 25.05.1987 में लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वनखंड जिनकी अधिसूचना धारा 20 में जारी नहीं हुई है उनमें वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पृथक की गई भूमि को पुनः परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रश्नांश में उल्लेखित वनखंड में सम्मिलित 28743.295 हेक्टेयर वनखंडों की धारा 5 से धारा 20 तक की व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण इन्हें वनखंड से पृथक नहीं किया गया है। **(ग)** वर्ष 1980

के पूर्व 1012 ग्रामों की समस्त संरक्षित वन भूमि एवं 880 ग्रामों की आंशिक संरक्षित वन भूमि उत्तरांश 'ख' में वर्णित अधिसूचनाओं के माध्यम से निवृनीकृत की गई है। डी.सी.आर. डिमारकेशन कम्पलीशन रिपोर्ट को कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की प्रविष्टी संशोधन के निर्देश नहीं है।

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

38. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 1067) श्री हर्ष यादव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2021 की स्थिति में सागर जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कहाँ-कहाँ शासकीय उचित मूल्य की दुकानें किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है? सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** 01 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक जिले के निकायों को कितना-कितना खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल, किस-किस माह में किस-किस योजना में आवंटित किया गया तथा परिवहनकर्ता द्वारा किन-किन माहों में किन-किन निकायों में क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में पहुँचाई? **(ग)** उक्त दुकान संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को किस-किस माह में क्या-क्या सामग्री किस-किस दर से प्रदान की गई? क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का निःशुल्क राशन वितरित नहीं किया गया? यदि हाँ, तो कारण बतायें। **(घ)** किस-किस दुकान संचालक द्वारा खाद्यान्न एवं केरोसिन तेल विक्रय की राशि जमा नहीं की है तथा क्यों? इसके लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।

खाद्य मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नांकित दिनांक की स्थिति में प्रश्नांकित जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में जिले के निकायों को आवंटित खाद्यान्न एवं परिवहनकर्ता द्वारा पहुंचायी गई मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है एवं केरोसीन के आवंटन एवं पहुंचाई गई मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार** है।

खाद्य सुरक्षा कानून
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

39. अता.प्र.सं.88 (क्र. 1149) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विषयांकित कानून के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रति परिवार अथवा प्रति सदस्य पर कितना गेहूँ, चावल तथा मोटा अनाज देने का प्रावधान है? **(ख)** म.प्र. शासन द्वारा केन्द्र सरकार को BPL परिवारों की कितनी संख्या भेजी गयी है तथा वर्तमान में प्रदेश में कितने परिवारों के BPL कार्ड होने की जानकारी विभाग के पास है? क्या यह केन्द्र को भेजे गये BPL परिवारों की संख्या तथा वर्तमान में BPL परिवारों की प्रदेश में वास्तविक संख्या में अंतर होने के कारण ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें पात्रता पर्चियां जारी नहीं की जा रही है? पात्रता पर्चियों से वंचित परिवारों की जिलेवार संख्या बताएं। **(ग)** प्रदेश में PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की दुकानों में चावल, गेहूँ तथा मोटा अनाज उसी मात्रा में दिया जाता है जैसा केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है या उसकी मात्रा कम कर दी जाती है? **(घ)** पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची कब तक जारी कर दी जाएगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत अन्त्योदय प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न (गेहूं, चावल, मोटा अनाज) तथा प्राथमिकता परिवार प्रति सदस्य को 5 किलो खाद्यान्न (गेहूं, चावल, मोटा अनाज) देने का प्रावधान है। **(ख)** केन्द्र सरकार के खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज 7578734 बीपीएल परिवारों को विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत लाभांवित किया जा रहा है। वर्तमान में पात्र बीपीएल परिवारों को पात्रता पर्ची जारी न होने की स्थिति नहीं है। पात्र

परिवारों का स्थानीय निकाय द्वारा राशन मित्र पोर्टल पर सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी की जाती है। पात्रता पर्ची जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(ग)** प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न (गेहूं, चावल, मोटा अनाज) विगत माहों में बचत का समायोजन कर दिया जाता है किन्तु दुकान पर हितग्राहियों की पूर्ण पात्रता अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध रहता है एवं हितग्राहियों को पूर्ण पात्रता की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। **(घ)** पात्र परिवारों का स्थानीय निकाय द्वारा राशन मित्र पोर्टल पर सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी की जाती है। पात्रता पर्ची जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

कोतमा विधानसभा क्षेत्र में वेयर हाउस चबूतरा निर्माण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

40. अता.प्र.सं.95 (क्र. 1179) श्री सुनील सराफ : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कोतमा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दारसागर में वेयर हाउस चबूतरा निर्माण कार्य जिस कम्पनी द्वारा किया जा रहा है, उसके द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति देवें। इन्हें अब तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? **(ख)** इस कम्पनी द्वारा रेत, गिट्टी, सीमेण्ट, सरिया जहां से क्रय किया गया है की जानकारी क्रय बिलों की छायाप्रति सहित देवें। इस निर्माण कार्य स्थल पर कितने मजदूर, चौकीदार, सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं? उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित देवें। **(ग)** स्वीकृति से अभी तक किन-किन अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया, प्रत्येक निरीक्षण की टीप सहित देवें। इस निर्माण कार्य में रेत के स्थान पर धूल-डस्ट-मिट्टी का प्रयोग करने पर अधिकारियों ने संबंधित कम्पनी पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, की है, तो इस सांठ-गांठ का कारण बतावें। **(घ)** क्या चबूतरे निर्माण के तुरंत बाद इस पर कई टन वजनी धान की बोरियां चढ़ा दी जाती हैं? क्या ऐसा करने से नव निर्माण चबूतरा क्षतिग्रस्त नहीं होगा? ऐसी जल्दबाजी के क्या कारण हैं? क्या धूल-डस्ट का प्रयोग करने पर भुगतान में कटौती की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** कोतमा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दारसागर में वेयरहाउस चबूतरा निर्माण कार्य दो कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। (1) इस्कॉन प्रोजेक्ट न्यू बस स्टेण्ड शहडोल द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। एजेन्सी को अब तक राशि रू. 11301006.00 का भुगतान किया जा चुका है। (2) श्री कमलेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत बिलों की भी प्रमाणित प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। एजेन्सी को अब तक राशि रू. 2693109.00 का भुगतान किया जा चुका है। **(ख)** इस कम्पनी द्वारा क्रय की गई सामग्री के देयक कम्पनी के पास ही रहते है। विभाग द्वारा इन्हें एस.ओ.आर. (पी.डब्ल्यू.डी.) के कम्पलिट आयटम के अनुसार भुगतान नियमानुसार किया जाता है। इस निर्माण कार्य में मजदूर चौकीदार एवं सुपरवाईजर कम्पनी द्वारा रखे जाते है। सुपरवाइजर का नाम (1) इस्कॉन प्रोजेक्ट न्यू बस स्टेण्ड शहडोल द्वारा नियुक्त सुपरवाइजर का नाम श्री शुभम जयसवाल ग्राम बरेही पोस्ट रायपुर कर्चुलियान एवं मोबाइल न. 7999720833 है। (2) श्री कमलेश मिश्रा द्वारा नियुक्त सुपरवाइजर का नाम श्री सूर्यभान तिवारी 34 वार्ड न. 01 राष्ट्रीय राजमार्ग 78 (अनूपपूर पकारिया) कोतमा जिला अनूपपूर एवं मोबाईल न. 9424334778 है। **(ग)** स्वीकृति के अभी तक जिन-जिन अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया उनके नाम एवं पद निम्नानुसार है: 1. श्री अभिषेक अचाले - उपयंत्री, 2. श्री आर.के. भगत - तत्कालीन सहायक यंत्री वर्तमान में प्रभारी कार्यपालन यंत्री, 3. श्री डी.के. शर्मा - सहायक यंत्री, निर्माण कार्य में रेत का उपयोग किया गया है। **(घ)** चबूतरा निर्माण के उपरांत शासन द्वारा जिले में क्रय की गई धान का सुरक्षित भण्डारण शीघ्र करना आवश्यक था ताकि क्रय की गयी धान अन्य प्राकृति आपदा जैसे असमय वर्षा, तुफान, ओलावृष्टि इत्यादि से क्षतिग्रस्त ना हो, तुरंत भण्डारण के बावजूद चबूतरे में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं हुई है। त्रुटि होने पर कार्यरत एजेन्सी द्वारा सुधार किया जाता है। कार्य में कमी

पाये जाने पर भुगतान में भी कटौती की जाती है। इसके अतिरिक्त ठेकेदार की सुरक्षा राशि भी निगम के पास जमा रहती है।

जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

41. परि.अता.प्र.सं. 94 (क्र. 1204) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3549 दिनांक 24/07/2019 को उत्तर दिया था कि मूल दस्तावेज एवं नस्ती का परीक्षण करने हेतु कलेक्टर को लिखा गया लेख किया था? **(ख)** क्या सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त प्रश्नों के बिंदुओं पर दस्तावेज एवं नस्ती का परीक्षण हेतु कलेक्टर को लिखा गया था? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जाए। **(ग)** क्या तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय जांच या नोटिस जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त कार्रवाई को पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें। **(घ)** क्या शासन समय-सीमा पर कार्रवाई न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक एवं विभागीय जांच की कार्रवाई करेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बताएं। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। खाद्य विभाग के पत्र क्र.एफ.-8-85 (1-8)/2019/29-1 भोपाल, दिनांक 16.07.2019 द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर को मूल दस्तावेज एवं नस्ती का परीक्षण करने हेतु लेख किया गया था। जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** हैं। **(ख)** जी हाँ। दस्तावेज एवं नस्ती का परीक्षण हेतु खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टर छतरपुर को लेख किया गया था पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। उक्त पत्र के क्रम में कलेक्टर, छतरपुर द्वारा कार्यालय कलेक्टर खाद्य छतरपुर का पत्र क्रमांक-205/वि.स./खाद्य/2020 छतरपुर, दिनांक 03.03.2020 से खाद्य विभाग को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** हैं। **(ग)** इस कार्यालय से तत्कालीन तहसीलदार के विरूद्ध कोई विभागीय जांच या नोटिस जारी नहीं किया गया है। जांचकर्ता तत्कालीन तहसीलदार का स्थानान्तरण इस जिले से होकर वर्तमान में जिला भोपाल में पदस्थ हैं। **(घ)** जी हाँ। शासन नियम निर्देशों के तहत कार्यवाही करता है।

शासन द्वारा खरीदे गये गेहूँ में व्यय राशि
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

42. अता.प्र.सं.106 (क्र. 1239) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 69 दिनाक 22.12.2021 के संदर्भ में बतावें कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कितना-कितना गेहूँ की मात्रा की गुणवत्ता प्रभावित हुई? वह कुल खरीदी का कितना-कितना प्रतिशत है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रभावित गुणवत्ता वाले गेहूँ का निष्पादन किस प्रक्रिया से किया गया? उसे किस फर्म ने किस मूल्य पर खरीदा तथा उससे शासन को लागत से कितनी कम राशि प्राप्त हुई? वर्षवार बतावें। **(ग)** वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक खरीदे गये गेहूँ की मात्रा, परिवहन, बारदान, हम्माली, वेयर हाउस खर्च, अन्य खर्च मिलाकर कुल कितनी लागत आयी तथा इससे प्रतिवर्ष विभाग को कुल मिलाकर कितना लाभ तथा हानि हुई? **(घ)** पीपी बारदान जब 23.75 रू. में उपलब्ध है तो फिर जूट बारदान 54.14 रू. प्रति बारदान के क्यों खरीदे गये? संबंधित आदेश की प्रति देवें तथा बतावें कि वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कितने-कितने नग (गठान का उल्लेख नकरे) जुट, पीपी तथा एक भर्ती बारदान किस दर से खरीदे गये? कितने उस वर्ष में उपयोग हुये, कितने अगले वर्ष में उपयोग हुये तथा कितने खराब होकर अनुपयोगी रहे? **(ड.)** वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक खरीदे गये गेहूँ की मात्रा के मान से कुल कितने बारदान की आवश्यकता थी तथा उससे कितने कम अथवा ज्यादा खरीदी गये?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** रबी विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन के दौरान हुई असामयिक वर्षा के कारण कृषि उपज मंडी एवं अन्य स्थानों पर स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर 50854.42 मे.टन गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई जो की कुल उपार्जित मात्रा का 0.39 प्रतिशत है। **(ख)** रबी विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन के दौरान हुई असामयिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए गेहूं का निराकरण नीलामी के माध्यम से किया किया गया है। प्रभावित गेहूं की गुणवत्ता के निष्पादन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार** है। **(ग)** विगत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक गेहूं खरीदी, परिवहन, बारदाना, हम्माली तथा भण्डारण मद में व्यय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अंकेक्षित लेखो के अनुसार वर्ष 2016-17 में रूपये 45.87 लाख तथा वर्ष 2017-18 में रू. 268.20 लाख का लाभ दर्शित हुआ है। वर्ष 2018-19 के लेखो का वैधानिक अंकेक्षण तथा वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लेखो का आंतरिक अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है। **(घ)** भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी नियंत्रण आदेश 1987 के अनुसार खाद्यान्न की भर्ती शत-प्रतिशत जूट बारदानों में किए जाने का प्रावधान है। जूट बारदानों की उपलब्धता में कमी की स्थिति में वस्त्र मंत्रालय द्वारा पी.पी. बारदानों का उपयोग करने संबंधी अनुमति उपरान्त उपार्जन कार्य में जूट बारदानों के अतिरिक्त पी.पी. बारदानों का उपयोग किया गया है। प्रश्नाधीन अवधि में गेहूं उपार्जन हेतु रूपये 48.48 प्रति बारदाने की औसत दर से 479818500 नग जूट बारदाना तथा रूपये 21.96 प्रति बारदाने की औसत दर से 327018500 नग पी.पी. बारदाना क्रय किया गया। प्रश्नाधीन अवधि में गेहूं उपार्जन में 766603040 नग बारदानों का उपयोग किया गया तथा 40143960 बारदाने शेष रहे जिनका उपयोग आगामी रबी एवं खरीफ मौसम में खाद्यान्न उपार्जन कार्य में किया गया। **(ड.)** वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि में कुल 383346520 क्विंटल गेहूं क्रय किया गया जिसके लिए कुल 766693040 बारदानों की आवश्यकता थी। पूर्व के वर्षों के शेष बारदानों की उपलब्धता के आधार पर 40143960 बारदाने आवश्यकता अनुसार क्रय किए गए।

वनमंडल कार्यालयों द्वारा कराये गए कार्य
[वन]

43. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 1358) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला शहडोल एवं रीवा के वनमंडल कार्यालयों को शासन द्वारा वर्ष 2017 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कितनी-कितनी राशियां किन-किन मदों एवं कार्यों हेतु प्रदान की गई, का विवरण वर्षवार, माहवार, जिलावार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों के व्यय बाबत् शासन के क्या निर्देश थे? प्रति देते हुए बतावें कि इन राशियों से कितने निर्माण कार्य एवं कितने वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य कराये गये, का विवरण वर्षवार, कार्यवार, अनुविभागवार जिलों का देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार कराये गये कार्यों का सत्यापन कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया, का विवरण कार्यवार, माहवार, वर्षवार जिलों का देवें। सत्यापन के दौरान किस वाहन का उपयोग किया गया? लाग बुक की प्रति देते हुए बतावें। कार्यों की भौतिक स्थिति सत्यापन के समय क्या थी? **(घ)** प्रश्नांश (क) के कार्य कितनी-कितनी लागत व प्राक्कलन के थे? कार्य प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति अनुसार क्या कराये गये? इनके निर्माण से संबंधित से कार्य कहाँ-कहाँ कराये गये? इस हेतु राशियां कब-कब जारी की गई एवं कितनी किन-किन कार्यों में शेष है? **(ड.)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त राशियों का प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्य जो कराये गये, गुणवत्ता विहीन व मौके पर नहीं हुये, राशि का फर्जी बिल वाउचर तैयार कर आहरित कर ली गई, जिसका सत्यापन प्रश्नांश (ग) के जिम्मेदारों द्वारा नहीं किया गया। प्रश्नांश (घ) के कार्य गुणवत्ता रहित कराये गये इनके लिए किन-किन को जिम्मेदार मानकर कार्यवाही वसूली के साथ अन्य राशि गबन करने प्रस्तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

वन मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ख)** सक्षम स्वीकृति, बजट प्रावधान एवं स्वीकृत प्राक्कलन उपरांत राशि व्यय की जाती है। राशि व्यय के निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट-3 अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नाधीन कराये गये कार्यों का सत्यापन संबंधित उप वनमंडलाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार शासकीय वाहनों से किया गया है। सत्यापन के दौरान कार्यों की भौतिक स्थिति मानक मापदण्ड अनुसार पाई गई है। प्रश्नांश की शेष जानकारी लागबुक की प्रति सहित **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नाधीन कराये गये निर्माण कार्य, वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार सक्षम तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कराये गये हैं। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार** है। **(ड.)** प्रश्नाधीन कार्य मापदण्ड अनुसार होकर गुणवत्ता विहीन नहीं पाये गये हैं। फर्जी बिल वाउचर तैयार कर राशि का आहरण नहीं किया गया है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राशन वितरण में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

44. परि.अता.प्र.सं. 120 (क्र. 1397) श्री जितु पटवारी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों पर लगाई गई POS मशीन किस कम्पनी द्वारा किस वर्ष से लगाई गई है तथा उसे किस अनुसार भुगतान किया जाता है तथा अभी तक प्रतिवर्ष कितना-कितना भुगतान किया गया? **(ख)** वर्ष 2015 से 2021 तक माह दिसम्बर अनुसार पात्र परिवार तथा पात्र सदस्य संख्या की जानकारी दें तथा बतावें कि सदस्य संख्या में प्रतिवर्ष जिलेवार कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? कारण क्या है? **(ग)** वर्ष 2015 से 2021 तक प्रदेश में कितनी राशन की दुकानों पर फर्जीवाड़ा पाया गया तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा किस-किस दुकान पर कितने काल्पनिक हितग्राही पाये गये? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** राशन दुकानों के माध्यम से प्रतिवर्ष कितना गेहूँ, चावल तथा मोटा अनाज कितनी-कितनी मात्रा में वितरित किया गया? वर्ष 2015-16 से 2021-22 अनुसार बतावें तथा बतावें कि प्रति व्यक्ति औसत प्रति वर्ष कितना-कितना गेहूँ, चावल तथा मोटा अनाज प्राप्त हुआ? **(ड.)** वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक राशन की दुकानों पर बिकने वाले गेहूँ तथा चावल की अफरा-तफरी के कितने प्रकरण किस-किस जिले में पाये गये तथा किस-किस अधिकारी व व्यापारी पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित सामग्री को पात्र परिवारों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से वितरण हेतु माह फरवरी, 2016 में डी.एस.के. डिजिटल द्वारा लगभग 15000 एवं लिंकवेल टेली सिस्टम द्वारा 9000 उचित मूल्य दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीन लगाई गई है। निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर अनुसार डी.एस.के. डिजिटल को रूपये 1045+कर एवं लिंकवेल टेली सिस्टम को रूपये 1254 (कर सहित) प्रति मशीन/माह के मान से किराया भुगतान किया जा रहा है। डी.एस.के. डिजिटल द्वारा पी.ओ.एस. मशीन का संचालन न करने कारण माह अक्टूबर, 2019 से डी.एस.के. डिजिटल को आवंटित जिलों में भी लिंकवेल टेली सिस्टम द्वारा डी.एस.के. डिजिटल की दर रूपये 1045+कर पर ही नवीन पी.ओ.एस. मशीन लगाई जाकर राशन सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। वर्षवार भुगतान की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2015 से 2021 तक वर्षवार पात्र परिवार एवं सदस्यों की जानकारी एवं कमी/वृद्धि की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। छूटे हुए परिवारों को जोड़ने एवं अपात्र परिवारों को हटाने की कार्यवाही सतत् रूप से की जाने के कारण जिलेवार पात्र परिवारों की संख्या में कमी/वृद्धि होती है। **(ग)** वर्ष 2015 से 2021 तक राशन की दुकानों पर पाई गई अनियमितता एवं उस पर की गई कार्यवाही की

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है। **(घ)** वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक वर्षवार वितरित गेहूं, चावल एवं मोटे अनाज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलो एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य/माह के मान से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। **(ड.)** वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक राशन की दुकानों पर बिकने वाले गेहूं तथा चावल की अफरा-तफरी के प्रकरणों पर उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार** है।

बायोफ्यूल का नियम विरूद्ध यात्री बसों में प्रयोग
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

45. ता.प्र.सं. 20 (क्र. 1425) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में बायोफ्यूल का उपयोग यात्री बसों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी आदेश/परिपत्र की जानकारी प्रदान करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यदि उत्तर न है तो, शासन द्वारा बायोफ्यूल से संचालित बसों पर क्या कार्यवाही की गयी? जिलेवार, प्रकरणवार विस्तृत जानकारी प्रदान करें। **(ग)** भोपाल नगर निगम के जवाहर चौक डिपों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 27.09.2021 का बी.सी.सी.एल. की गाड़ियों में बायोफ्यूल के उपयोग पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। प्रदेश में बॉयोडीजल नामक बॉयोफ्यूल का उपयोग बसों में ईंधन में मिश्रण के रूप में किया जाता है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रदेश में बॉयोडीजल (बॉयोफ्यूल) से संचालित बसों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है परन्तु अवैध संग्रहण/विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीनस्थ अमलों एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा 06.10.2021 को प्रश्नांकित डिपो में 13 ड्रमों में संग्रहित 2785 लीटर बॉयोडीजल को जांचोपरांत जप्त किया गया था एवं जप्त बॉयोडीजल के 04 नमूने लिये गये थे। प्रकरण जिला दंडाधिकारी भोपाल के समक्ष प्रचलित है एवं दिनांक 04.02.2022 थाना टी.टी. नगर में संबंधितों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। बी.सी.सी.एल. के वाहनों की जांच नहीं की गई। **(घ)** भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देश फा.सं.पी-13039 (18)/1/2013-सीसी (पी-26625) दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के बिंदु क्रमांक 10 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। दिशा-निर्देश का बिंदु क्रमांक X परिशिष्ट 'अ' में अवलोकन योग्य है।

<u>पृथक वितरित</u>

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

46. ता.प्र.सं. 4 (क्र. 1479) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी धान का उपार्जन हुआ तथा इसमें से कितनी धान की मिलिंग की गई तथा कितनी धान मिलिंग हेतु शेष है? **(ख)** उक्त में से कितनी धान खराब हुई एवं खराब हुई धान का मूल्य क्या था एवं इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** धान की समय पर मिलिंग न होने से उपार्जन एजेंसियों को कितनी हानि हो रही है? वर्षवार, एजेंसीवार जानकारी दें। **(घ)** धान उपार्जन के संबंध में प्राप्त होने वाले व्ययों के लिए केन्द्र शासन को किस वर्ष तक का हिसाब प्रस्तुत कर दिया गया है एवं कितने वर्षों का हिसाब किन कारणों से प्रस्तुत किया जाना शेष है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा भण्डारित धान में से जिला शहडोल में 102.969 मे.टन, जिला उमरिया में 140.00 मे.टन एवं जिला सतना में 303.00 मे.टन कुल 545.969 मे.टन खराब होना प्रतिविदित हुआ है। खराब हुई धान का मूल्य लगभग 1.00 करोड़ रूपये है। भण्डारित स्कंध के रख-रखाव में लापरवाही की स्थिति में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। ओपन केप में भण्डारण में भण्डारण अवधि और कतिपय प्राकृतिक कारणों से स्कंध की कुछ मात्रा खराब होने की संभावना रहती है, जिसे व्यवसायिक हानि के अंतर्गत आंकलित किया जाता है। प्रश्नाधीन धान की खराबी में रख-रखाव में लापरवाही से क्षति होना प्रतिवेदित नहीं है अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग का कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जाता है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन वृहद मात्रा में होने, प्रदेश में धान मिलिंग क्षमता सीमित होने एवं राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा मिलिंग समयावधि में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण उपार्जित धान मिलिंग हेतु शेष रह गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में मिलिंग से शेष रही धान का विक्रय ई-निविदा के माध्यम से करने की कार्यवाही प्रचलन में है। शेष रहे धान के विक्रय की कार्यवाही संपन्न होने के बाद उपार्जन एजेन्सियों को होने वाली वास्तविक हानि ज्ञात हो सकेगी। **(घ)** खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में उपार्जित धान का लेखा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 का उपार्जन लेखा तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में उपार्जित धान के संपूर्ण स्कंध का निराकरण होने के उपरांत लेखा केन्द्र शासन को प्रेषित किया जा सकेगा।

परिशिष्ट - "आठ"

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के देयकों राशि की कटौती
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

47. अता.प्र.सं.138 (क्र. 1482) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागरिक आपूर्ति निगम एवं मार्कफेड द्वारा वर्ष 2020-21 से 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई कृषि उपज के संबंध में समितियों द्वारा प्रस्तुत देयकों में से कितनी राशि का किन-किन मदों कटौती की गई? वर्षवार जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** उक्त अवधि में एफ.सी.आई. द्वारा उक्त एजेन्सियों के देयकों में कितनी-कितनी कटौती की गई? **(ग)** क्या उपार्जन एजेन्सियों के देयकों से बिना किसी आधार के कटौती की जा रही है? यदि हाँ, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** नागरिक आपूर्ति निगम एवं मार्कफेड द्वारा वर्ष 2020-21 से 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के समितियों द्वारा प्रस्तुत देयकों को भारत सरकार के लागत पत्रक आधार पर मदों में कटोती की गई राशि की वर्षवार, जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** भारतीय खाद्य निगम को स्कंध परिदान देने के उपरांत देयकों से उनके द्वारा कटौत्रे किए जाते है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के उपार्जित गेहूं का पूर्ण निस्तारण नहीं हुआ है। वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान को मिलर द्वारा मिलिंग उपरांत सी.एम.आर. भारतीय खाद्य निगम में जमा किया जा रहा है जिसके देयक भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। अंतिम लेखा मिलान उपरांत ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा एजेंसियों में कटौती की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान मिलिंग की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 11 मार्च, 2022

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी
[उच्च शिक्षा]

48. अता.प्र.सं.56 (क्र. 1433) श्री संजय शुक्ला : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितने शासकीय कालेजों, शासकीय शिक्षण संस्थाओं, तकनीकी संस्थाओं में अध्ययन पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राओं को कॉलेजों द्वारा प्लेसमेंट कराया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या क्या रही? बेरोजगारी के कारण 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितने बेरोजगारों द्वारा जान दी गई? प्रदेश में बेरोजगारी दरें क्या हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा रोजगारों के सृजन के लिये क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? प्रदेश सरकार किन-किन विभागों में कब तक बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने कॉलेजों में टी.पी.ओ. प्रशिक्षक प्लेसमेंट ऑफिसर के पद हैं? कितने पदों पर टी.पी.ओ. नियुक्त है? कितने टी.पी.ओ. द्वारा कॉलेजों में प्लेसमेंट कराया गया? क्या कई कॉलेजों में प्लेसमेंट नहीं कराया गया? कारण स्पष्ट करे? कॉलेज में रिक्त पदों पर टी.पी.ओ. की नियुक्ति की जायेगी?

उच्च शिक्षा मंत्री : [**(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जानकारी/आँकड़े विभाग द्वारा संधारित नहीं किए जाते हैं। **(ग)** विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट ड्राइव, अल्पावधि रोजगार एवं स्वरोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रोजगार सृजन हेतु महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थानों से एम.ओ.यू. किए जाते हैं, जिसके माध्यम से समय-समय पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए रोजगार व स्वरोजगार प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। **(घ)** विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय महाविद्यालयों में टी.पी.ओ. का पृथक से कोई पद स्वीकृत नहीं है। महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक ही अपने मूल दायित्व के साथ प्राचार्य द्वारा नामांकित किए गए हैं। प्लेसमेंट की प्रक्रिया सतत् है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** विभाग अंतर्गत वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक 253 शासकीय महाविद्यालयों द्वारा अध्ययन पूर्ण कर चुके 59,320 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट कराया गया है।

अंकुर कार्यक्रम अंतर्गत वृक्षारोपण
[पर्यावरण]

49. परि.अता.प्र.सं. 91 (क्र. 1744) श्री सुनील उईके : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा 5 जून 2021 से जन सहभागिता से अंकुर कार्यक्रम शुरू किया गया था, जुन्नारदेव विधानसभा में कृषि, उद्यानिकी, वन एवं पंचायत की ओर से तथा जन भागीदारी से कितने पौधे लगाये गये। पंजीकृत पौधों की संख्या बताये? **(ख)** क्या वर्ष 2017 में नर्मदा के किनारे एक दिन में लगाये गये 7 करोड़ पौधे का जो अभिनय प्रयोग चालू किया गया था, शासकीय अधिकारियों की वजह से पूर्णता असफल हो गया है? इस कार्यक्रम में आज तक जिले में कितने शासकीय कार्यक्रम आयोजित किये गये और किन-किन सम्मानित जनप्रतिधियों को आमंत्रित किया गया? **(ग)** छिन्दवाड़ा जिले में कुल कितने पौधे पंजीकृत हुये और कितने लोगों ने भाग लिया? **(घ)** क्या यह अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम अंकुर छिन्दवाड़ा जिले एवं जुन्नारदेव विधानसभा में जनप्रतिनिधियों का सहयोग न लेने से यह कार्यक्रम पूर्णत: असफल हो गया है? छिन्दवाड़ा जिले में

800 पंचायतें हैं जिसमें 11 विकासखंड है और प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिन्दवाड़ा है, क्या प्रशासन की लापरवाही से यह योजना पूर्णत: असफल हो गई?

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [**(क)** जुन्नारदेव विधानसभा में कृषि, उद्यानिकी, वन एवं पंचायत की ओर से तथा जन भागीदारी से 424 पौधे लगाये गये एवं पंजीकृत पौधों की संख्या भी 424 है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** पंजीकृत पौधों की संख्या 4199 एवं भाग लेने वालों की संख्या 2668 है। **(घ)** अंकुर कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों के स्वप्रेरणा एवं सहयोग से संपादित किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(ख)** जी नहीं। वन विभाग के पश्चिम छिंदवाड़ा वन मंडल में 2 जुलाई, 2017 को 682195 पौधे रोपित किए गए। रोपित पौधों की जीवितता 59.9 प्रतिशत है जो कि छिंदवाड़ा जिले हेतु सफल रोपण की श्रेणी में है। छिंदवाड़ा जिले में वन विभाग द्वारा शासकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 14 मार्च, 2022

तहसील सिंहावल एवं बहरी में व्यवहारवाद न्यायालय खोला जाना
[विधि एवं विधायी कार्य]

50. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 163) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र सिंहावल अंतर्गत तहसील सिंहावल एवं बहरी में व्यवहारवाद न्यायालय के स्थापना की मांग ग्रामीणों द्वारा की जाती है, जिसके संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा समय-समय पर पत्राचार किया गया एवं प्रश्न पूछे गये किन्तु शासन द्वारा मांग पूरी करने में सार्थक प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ख)** म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग का पत्र क्रमांक/6067/2019/21 ब (एक) भोपाल दिनांक 27/11/2019 एवं पत्र क्रमांक 5756/2019/21ब (एक) भोपाल दिनांक 07/11/2019 के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही बतावे? **(ग)** विधानसभा क्षेत्र सिंहावल अंतर्गत तहसील सिंहावल एवं बहरी में व्यवहारवाद न्यायालय की स्थापना कब तक की जावेगी?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** तहसील सिंहावल, जिला सीधी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के संबंध में प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी से मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता संबंधी अद्यतन जानकारी चाही गई है। उक्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रक्रियाधीन है। तहसील बहरी, जिला सीधी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना संबंधी मांग नवीन न्यायालयों की स्थापना हेतु गठित स्पेशल कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पत्र क्र. 6067/2019/21-ब (एक), भोपाल दिनांक 27.11.2019 एवं पत्र क्रमांक 5756/2019/21-ब (एक), भोपाल दिनांक 07.11.2019 के संबंध में तहसील सिंहावल एवं तहसील बहरी, जिला सीधी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है। **(ग)** निश्चित समयावधि बताई जाना संभव नहीं है।

बैतूल जिले के 92 वनग्राम
[जनजातीय कार्य]

51. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 816) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2008 से लागू वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 (च) एवं धारा 3 (1) ज में वन ग्रामों बावत् क्या प्रावधान दिया गया है, बैतूल जिले के 92 वनग्रामों में से किस वन ग्राम का पटवारी मानचित्र, खसरा पंजी एवं निस्तार पत्रक संबंधित सरपंच/सचिव को किस दिनांक को उपलब्ध करवाया गया। **(ख)** किस वनग्राम की खसरा पंजी में कितनी भूमि कितने किसानों के नाम पर दर्ज बताई गई कितनी भूमि पर कितने लोगों का अतिक्रमण बताया गया? इनमें से कितनी भूमि कितने अधिकार पत्र पर उपलब्ध करवाई गई? आदिवासी एवं गैर आदिवासी की पृथक-पृथक जानकारी देवें। **(ग)** किस वनग्राम की खसरा पंजी में अतिक्रमित बताई गई? कितनी भूमि के दावों को कब्जों का प्रमाण नहीं होने के कारण अमान्य किया गया, खसरा पंजी में दर्ज अतिक्रमण की प्रविष्टि को प्रमाण क्यों नहीं माना गया।

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 (च) एवं धारा 3 (1) ज में वन ग्रामों से संबंधित दिये गये प्रावधान **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है।

उपार्जन केन्द्रों में खरीदी प्रभारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति
[सहकारिता]

52. ता.प्र.सं. 1 (क्र. 843) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उपार्जन केन्द्रों में खरीदी प्रभारी और अन्य कर्मचारियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और क्या इन नियुक्तियों में सहकारिता विभाग और सहकारी बैंकों के अधिकारियों की भी भूमिका होती हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** पन्ना और कटनी जिले में वर्ष-2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन सहकारी समितियों के उपार्जन केन्द्र कहां-कहां संचालित रहें, इन उपार्जन केन्द्रों में कौन-कौन खरीदी प्रभारी एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त थे? इन कर्मचारियों को किसके द्वारा नियुक्त किया गया? क्या इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारी पूर्व में भी अनियमितता के आरोपी/दोषी थे? यदि हाँ, तो किन-किन केन्द्रों के कौन-कौन कर्मचारी, किस अनियमितता के दोषी/आरोपी हैं? केन्द्र/समितिवार बतायें। **(ग)** क्या आयुक्त सहकारिता द्वारा दोषी/आरोपी कर्मचारियों को प्रभारी नियुक्त न करने के निर्देश रबी विपणन वर्ष 2021-22 के पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये थे? यदि हाँ, तो प्रश्नांकित "ख" जिलों में दोषी/आरोपी कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी किसके द्वारा बनाया/नियुक्त किया गया? इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, उन पर क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? **(घ)** क्या मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (सहकारिता), प्रमुख सचिव (खाद्य), संभाग आयुक्त जबलपुर सहित कलेक्टर कटनी की कार्यालयीन ई-मेल आई.डी. पर दिनांक 12.12.2021 को ई-मेल आई.डी. bhaskarkatni@gmail.com से "कटनी जिले में धान खरीदी में शासन/विभाग और कार्यालयीन आदेशों के पश्चात् भी अपचारी कर्मचारियों को खरीदी प्रभारी नियुक्त करने की जांच और कार्यवाही बावत्" विषयक पत्र प्रेषित किया गया था? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नांकित पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** प्रश्नांश "ख" जिलों में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के उपार्जन कार्य में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी और प्रश्न दिनांक तक किस-किस के द्वारा किन आदेशों से जांच की गयी? किस-किस के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी और क्या खाद्यान्न के उपार्जन, परिवहन एवं भण्डारण में लगातार पायी जा रही अनियमितताओं पर शासन स्तर पर संज्ञान लिया जायेगा और विस्तृत जांच के आदेश किए जायेंगे? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** उपार्जन केन्द्रों में पृथक से खरीदी प्रभारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाती है, संस्था द्वारा संस्था कर्मचारियों में से उपार्जन

कार्य हेतु खरीदी प्रभारी एवं अन्य कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। उपार्जन कार्य हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर पृथक से संस्था द्वारा रखा जाता है, जिसके मानदेय की प्रतिपूर्ति उपार्जन एजेंसी द्वारा की जाती है। उपार्जन कार्य हेतु कर्मचारियों को तैनात किये जाने में सहकारिता विभाग एवं सहकारी बैंकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि पूर्व से नियुक्त कर्मचारियों से ही उपार्जन कार्य कराया जाता है। **(ख)** पन्ना एवं कटनी जिले के खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। नियुक्ति की जानकारी उत्तरांश "क" अनुसार। उपार्जन केन्द्रों पर अमानक खरीदी, उपार्जन नीति संबंधी सामान्य अनियमितताओं के निराकरण उपरांत बनाये गये केन्द्र प्रभारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ, आयुक्त सहकारिता द्वारा दिनांक 18.11.2021 को आयोजित वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि गत वर्षों में उपार्जन कार्य में अनियमितता करने वालों को उपार्जन कार्य में सम्मिलित न किया जाये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ, प्रश्नांकित पत्र प्रमुख सचिव सहकारिता को प्राप्त होने पर जांच कराई गई है। **(ड.)** रबी विपणन वर्ष 2021-22 के उपार्जन कार्य में पन्ना जिले में कोई अनियमितता संज्ञान में नहीं आई, कटनी जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 5 अनुसार**। खाद्यान्न उपार्जन, परिवहन एवं भण्डारण की शासन स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाकर यथायोग्य निर्णय लिये जाते हैं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पृथक वितरित

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[गृह]

53. परि.अता.प्र.सं. 40 (क्र. 1436) श्री राकेश मावई : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मैसर्स राज मंगल डेवेलपर्स, शिवपुरी के विरूद्ध जिला भिंड की निविदा क्रमांक 2754 और 2758 में गंभीर धोखाधड़ी की शिकायतों की जांच के दौरान, M.P.I.D.C. Ltd. ग्वालियर के कार्यपालन यंत्री द्वारा जवाबी पत्र दिनांक 31 July 2019 के माध्यम से J.P. Postore, C.P.E., मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना, भोपाल को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि, कार्यादेश क्रमांक IIDC (G)/Tech-R/2016/2346 को दिनांक 05.09.2018 को निरस्त किया गया? यदि हाँ, तो ठेकेदार और विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध प्रबंध संचालक द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है? सभी सहपत्रों की प्रति सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कार्यवाही पूरी होने तक प्रबंध संचालक द्वारा ठेकेदार के सभी भुगतान रोकने का आदेश क्यों नहीं दिया गया? कारण सहित जानकारी देवें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ठेकेदार के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला सिद्ध होने के उपरान्त ठेकेदार को काली सूची में डाल कर उसकी विभाग में जमा सभी राशि को राजसात किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो कारण सहित जानकारी देवें। **(घ)** क्या प्रश्नांश (क) के संदर्भ में ठेकेदार के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला सिद्ध होने पर ठेकेदार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। कार्यवाही हेतु कोई कारण नहीं बनता। **(ख)** से **(घ)** कोई कारण नहीं बनता।

पैरामेडिकल शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता
[जनजातीय कार्य]

54. ता.प्र.सं. 4 (क्र. 1583) श्री विनय सक्सेना : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा वर्ष 2013 में आरक्षित वर्ग के पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति की अनियमितता के संबंध में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के पैरामेडिकल संस्थाओं को छात्रवृत्ति भुगतानों की जांच हेतु निर्देश जारी किये गये थे? **(ख)** उक्त मामले में समस्त जिलों में बनाई गयी जांच समितियों द्वारा की गयी जांच में क्या–क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए? जिलेवार प्रतिवेदनों की प्रतियाँ देवें। **(ग)** उक्त जाँच के पश्चात जिलेवार किन-किन संस्थाओं को, कितनी-कितनी राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये? जिलेवार जारी नोटिस की प्रतियाँ देवें। **(घ)** उक्त मामले में जारी किये गये नोटिस के विरुद्ध जिलेवार किन-किन संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी राशि वापस की गयी? **(ड.)** उक्त जारी वसूली नोटिसों के विरुद्ध जिलेवार, किन-किन संस्थाओं द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी? उनमें न्यायालय द्वारा क्या-क्या निर्देश दिए गये? उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में पारित अंतिम आदेशों की प्रति देवें। **(च)** क्या उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिकाओं में दिए गये निर्देशों के पालन में जिलेवार कार्यवाही की गयी? यदि हाँ, तो समस्त दस्तावेज विवरण देवें। यदि नहीं, तो क्यों? **(छ)** उक्त पैरामेडिकल संस्थाओं से छात्रवृत्ति की राशि की वसूली में लापरवाही हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** से **(छ)** की **जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। **(ख)** 25 जिलों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हैं, जो कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। 14 जिलों में पैरामेडिकल संस्थान न होने, जनजातीय के छात्र न होने अथवा छात्रवृत्ति स्वीकृत न होने से जांच की आवश्यकता नहीं पायी गयी, शेष जिलों में जांच हेतु निर्देश जारी किये गये है। **(ग)** 12 जिलों द्वारा वसूली के नोटिस जारी किये गये। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(घ)** 09 जिलों में राशि जमा की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(ड.)** 07 जिलों में कतिपय संस्थाओं द्वारा याचिका दायर की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। **(च)** एवं **(छ)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पृथक वितरित

किसानों को बीमा राशि का लाभ
[सहकारिता]

55. परि.अता.प्र.सं. 66 (क्र. 1828) श्री रामपाल सिंह : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले में कितने किसानों को खरीफ 2019, खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की कितनी बीमा प्रीमियम राशि काटी गई संस्थावार कृषकों की संख्या एवं काटी गई प्रीमियम राशि बतायें। **(ख)** कितने किसानों को खरीफ 2019, खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 की बीमा राशि प्रदान की गई? बैंकवार संस्थावार किसानों की संख्या तथा बीमा की राशि की जानकारी दें शेष रहे कृषकों को बीमा राशि का लाभ मिलेगा या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो कारण बतायें? **(ग)** यदि बीमा प्रीमियम राशि जमा करने के उपरांत भी शेष रहे किसानों को बीमा राशि का लाभ नहीं दिया जाता है तो क्यों, इसके लिए कौन दोषी है? **(घ)** प्रश्नांश (क) के संबंध में मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र कब-कब प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण दें।

सहकारिता मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।] **(ख)** जिला

सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायसेन से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्यों को खरीफ 2019 की प्राप्त बीमा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (अ) अनुसार है** तथा खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (ब) अनुसार** है। बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर पात्र कृषकों को बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। **(ग)** कृषकों को प्रीमियम राशि जमा करने से ही बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिलता अपितु फसल कटाई प्रयोग के आधार पर निर्धारित क्षतिपूर्ति होने पर ही बीमा क्लेम का लाभ मिलता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नागरिक सहकारी बैंक का परिसमापन

[सहकारिता]

56. अता.प्र.सं.115 (क्र. 2190) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर जिले अंतर्गत मित्र मण्डल नागरिक सहाकरी बैंक कब से परिसमापन में है, इसके परिसमापक कौन है और कब से है? **(ख)** क्या इस बैंक द्वारा मित्र मण्डल सहकारी चिकित्सालय को कोई ऋण दिया गया था जो अभी-अभी तक बकाया था? यदि हाँ, तो कितना ऋण दिया गया था और ब्याज सहित कितनी राशि दिनांक 31.03.2021 पर बकाया थी? **(ग)** क्या मित्र मण्डल सहकारी चिकित्सालय द्वारा किसी सम्पत्ति को बंधक रखकर पूर्व में अन्य संस्था से भी ऋण लिया था तथा सम्पत्ति बंधक रखी थी? उसी सम्पत्ति को मित्र मण्डल नागरिक सहाकरी बैंक में बंधक रखकर बैंक के साथ धोखाधड़ी पूर्ण कृत्य किया था? यदि हाँ, तो क्या मित्र मण्डल नागरिक सहाकरी बैंक के परिसमापक और मित्र मण्डल नागरिक सहाकरी बैंक के ऋणी के विरूद्ध कोई समझौता कर उनकी सम्पत्ति मुक्त कर दी गयी है? यदि हाँ, तो कितनी राशि में समझौता हुआ और बंधक सम्पत्ति का बाजार मूल्य क्या है और इसकी अनुमति किसके द्वारा दी गयी? **(घ)** क्या धोखाधड़ी के प्रकरणों में इस प्रकार का समझौता किया जा कर करोड़ो रूपये की सम्पत्ति को बंधक मुक्त किया जाना नियमानुसार है? रिजर्व बैंक के क्या निर्देश है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन कौन उत्तरदायी है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी।

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** दिनांक 11.10.2004 से परिसमापन में। श्री जी.एस. परिहार अंकेक्षण अधिकारी जिला इन्दौर दिनांक 01.06.2018 से परिसमापक नियुक्त हैं। **(ख)** जी हां। राशि रू.1.14 करोड़ का ऋण दिया गया। दर्शित तिथि 31.03.2021 पर रू. 25.70 करोड़ कुल बकाया राशि शेष थी। **(ग)** संयुक्त आयुक्त सहकारिता इंदौर संभाग के माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार मित्र मण्डल सार्वजनिक सहकारी चिकित्सालय मर्यादित इंदौर द्वारा मित्र मण्डल सहकारी बैंक मर्यादित इंदौर से दिनांक 18.05.1999 को रूपये 1.14 करोड़ ओवर ड्राफ्ट ऋण, किसी संपत्ति को बंधक किये बिना प्राप्त किया गया था तत्समय किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति बंधक नहीं रखी गई थी। इसके पश्चात मित्र मण्डल सार्वजनिक सहकारी चिकित्सालय मर्या. इंदौर द्वारा दिनांक 05.09.2000 को रूपये 1.05 करोड़ का ऋण म.प्र. वित्त विकास निगम इंदौर से चिकित्सालय की संपत्ति बंधक रख कर प्राप्त किया गया था। मित्र मण्डल सहकारी बैंक मर्या. इंदौर में मित्र मण्डल सार्वजनिक सहकारी चिकित्सालय मर्या. इंदौर की कोई भी संपत्ति बंधक नहीं की गई है। **(घ)** प्रकरण में जांच के निर्देश दिये गये हैं। कार्यवाही जांच के निष्कर्षाधीन।

विशेषाधिकारों का उल्लंघन

[गृह]

57. परि.अता.प्र.सं. 110 (क्र. 2195) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी जिले संवैधानिक आधार पर कौन से क्षेत्र घोषित किए गए हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) क्षेत्रों में किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रशासन एवं नियंत्रण का क्या प्रावधान है? इन क्षेत्रों में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है या विशेष संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर

प्रशासनिक व्यवस्था लागू है? **(ग)** प्रश्नांश (क) क्षेत्रों में विगत पांच वर्षों में कितनी बार धारा-144 लगाई गई? क्या इन विशेष संवैधानिक व्यवस्था वाले क्षेत्रों में धारा-144 लगाने से पूर्व क्या राज्यपाल से अनुमति ली गई? अगर नहीं ली गई तो क्या राज्य शासन धारा-144 लागू कर इन आदिवासी बाहुल्य जिलों में पांचवीं अनुसूची एवं अन्य संवैधानिक व्यवस्था के तहत मिले विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर रही है? **(घ)** राज्य शासन ने अब तक अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति वर्ग को संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत मिले प्रावधानों का अनुपालन करवाने के लिए कोई विशेष प्रयास किए? यदि नहीं, किए तो विधिसम्मत कारण बताएं।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** उपरोक्त जिले अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के जिले है। **(ख)** संविधान की पाँचवी अनुसूची में भारतीय संघ के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। शासन द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के आधार पर सामान्य/विशेष प्रशासनिक व्यवस्था अमल में लाई गई है। **(ग)** विगत पांच वर्षों में म.प्र. दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत कुल 230 बार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। जी नहीं। जी नहीं। **(घ)** जी, हाँ।

किसानों की फसल बीमा राशि का भुगतान
[सहकारिता]

58. अता.प्र.सं.131 (क्र. 2261) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में जिला विदिशा अन्तर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा नटेरन की सोसायटी नटेरन के सदस्य किसानों की फसलों को हुये क्षतिपूति के लिये शासन द्वारा फसल बीमा का प्रकरण स्वीकृत कर बीमा राशि स्वीकृत की गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो सोसायटी नटेरन अंतर्गत किन-किन किसानों की कौन-कौन सी फसलों की कितनी-कितनी बीमा राशि स्वीकृत की गई थी? दोनों वित्तीय वर्षों की फसलवार अलग-अलग बतावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) के उत्तर में वर्णित फसल बीमा राशि संबंधित सभी किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी गई है? यदि नहीं, तो उन किसानों के नाम एवं स्वीकृत राशि बतावें तथा अभी तक राशि जमा नहीं करने का क्या कारण रहा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2014-15 में चना फसल हेतु 510 किसानों की राशि रू. 34,72,909.53 तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में सोयाबीन फसल हेतु 363 किसानों की राशि रू. 97,91,075.87 स्वीकृत हुई थी। वर्षवार, फसलवार किसानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अपराधों की दर्ज घटनाएं
[गृह]

59. परि.अता.प्र.सं. 128 (क्र. 2309) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में दंगे की कितनी घटना दर्ज हुयी? उसमें कितनी गिरफ्तारी हुयी व कितने लोगों को सजा हुयी? वर्षवार टेबल फार्मेट में जानकारी देवें। **(ख)** जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग पर उत्पीड़न व अत्याचार के कितने केस दर्ज किये गये व उनमें से कितने केसों में न्यायालय से सजा हुई? **(ग)** लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. में 2015 से प्रश्न दिनांक तक भ्रष्टाचार व रिश्वत खोरी के कितने प्रकरण दर्ज किये? दर्ज प्रकरण में न्यायालय से सजा का सक्सेस रेट कितना रहा? वर्षवार बतायें। **(घ)** विगत 3 वर्षों में बेरोजगारी व गरीबी के कारण कितने लोगों ने आत्महत्या की? उनमें से 25 वर्ष की आयु से कम की संख्या कितनी है व 25 वर्ष से ज्यादा की संख्या

कितनी है? वर्षवार बतायें। **(ड.)** जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक हत्या, लूट, बलात्कार व चोरी की कितनी घटनायें दर्ज की गयी? वर्षवार जानकारी देवें।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार**। **(ख)** प्रदेश में जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक 19.02.2022 तक अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग पर उत्पीड़न व अत्याचार के कुल 57925 प्रकरण पंजीबद्ध हुये है और उक्त दर्ज प्रकरणों में से प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किए गए है जिनमें से 3974 प्रकरणों में सजा हुई है। वर्णित अवधि में माननीय न्यायालयों से 20929 प्रकरण निर्णित हुए है। **(ग)** विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में 2015 से प्रश्न दिनांक तक 2344 प्रकरण दर्ज किये गये। दर्ज प्रकरण में न्यायालय से सजा का सक्सेस रेट की वर्षवार **जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार**। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स' अनुसार**। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।**

कालापीपल में घटित अपराधों की जानकारी
[गृह]

60. अता.प्र.सं.145 (क्र. 2380) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में सेल्फी लेते हुये या लेने का प्रयास कर रहे कितने व्यक्तियों की मृत्यु नदी पर, पहाड़ पर, ब्रिज पर, सड़क पर, वाहन दुर्घटना होने पर आदि किस-किस प्रकार से हुई? वर्ष 2015 से 2021 तक की जानकारी देवें तथा बतावें कि इस तरह की घटना को रोकने के लिये तथा जन चेतना जागृत करने के क्या-क्या उपाय किये गये? **(ख)** प्रदेश में रेल्वे स्टेशन पर, रेल्वे पटरी पर, रेल्वे की पुलिया आदि पर दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई? वर्ष 2015 से 2021 तक की जानकारी देवें तथा बतावें कि इन दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष कितने % की कमी या वृद्धि हुई? **(ग)** कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न धाराओं में हुये अपराधों की पिछले पांच वर्ष की वर्षवार जानकारी देवें तथा बतावें कि किस-किस धारा के अपराध में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? **(घ)** कालापीपल विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों द्वारा दर्ज कितने प्रकरणों में पिछले पांच वर्ष में विभिन्न न्यायालयीन फैसलों में आरोप सिद्ध हुये तथा आरोपी बरी हुये? वर्षवार जानकारी देवें। **(ड.)** कालापीपल विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थाने अनुसार बतावें कि 31 जनवरी, 2022 के अनुसार किस-किस केटेगरी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद खाली हैं? पूरी विधान सभा मिलाकर पुलिस विभाग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद खाली हैं?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार**। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार**। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार**। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार (ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "न" अनुसार**।

नियम विरूद्ध संविलियन
[सहकारिता]

61. अता.प्र.सं.157 (क्र. 2399) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की सेवाएं संविलियन किए जाने के संबंध में क्या-क्या प्रावधान हैं? प्रावधान की प्रति उपलब्ध कराएं। **(ख)** वर्ष 2021-22 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के किन-किन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की सेवाएं अपेक्स बैंक में संविलियन की गई और उन्हें कहां-कहां पदस्थ किया गया? **(ग)** क्या जिस बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का संविलियन किया गया हो, उस अधिकारी को उसी बैंक में पदस्थ नहीं किया जा सकता है? यदि हाँ, तो

सहकारिता के नियमों के विरूद्ध पदस्थापना के लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं? **(घ)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद भी उनकी सेवाएं अपेक्स बैंक में किस आधार पर संविलयन की गई तथा इन संविलयन किए गए अधिकारियों को एक बार दिए गए वेतनमान को दूसरी बार किस आधार पर बदला गया?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक के सेवानियम क्रमांक 30 में जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की सेवायें संविलियन किये जाने का प्रावधान है। प्रावधान की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2021-22 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.के. दुबे एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय प्रकाश सिंह की सेवायें अपेक्स बैंक में संविलियन की गई और उन्हें क्रमश: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक होशंगाबाद तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक विदिशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। **(ग)** जी हाँ। अपेक्स बैंक में कैडर अधिकारियों की कमी होने तथा जिला बैंक होशंगाबाद एवं जिला बैंक विदिशा के सुचारू कार्य संचालन के लिये आगामी व्यवस्था होने तक अस्थायी रूप से संबंधितों की पदस्थापना उसी बैंक में अपेक्स बैंक द्वारा की गई। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(घ)** म.प्र. राज्य सहकारी बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार केडर कमेटी की बैठक दिनांक 14.10.2020 में श्री आर.के. दुबे को न्यायालय निर्णयों के अधीन सशर्त अपेक्स बैंक संवर्ग में शामिल करने एवं उक्त शर्त मान्य करने के संबंध में श्री दुबे से शपथ पत्र प्राप्त किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय अनुसार श्री दुबे का संविलियन अपेक्स बैंक संवर्ग सेवा में किया गया है। संविलियत अधिकारियों का अपेक्स बैंक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेणी-1 के पद पर संविलियन किया गया है। केडर कमेटी की बैठक दिनांक 16.9.2021 के निर्णय क्रमांक 01 से जिला बैंकों के संविलियत अधिकारियों के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेणी-1 का वेतनमान निर्धारित किया गया है।

निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति
[सहकारिता]

62. अता.प्र.सं.159 (क्र. 2972) श्री जालम सिंह पटैल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. का पद कब से रिक्त है? शासन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति कब तक करेगा? उस प्राधिकारी की नियुक्ति न होने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त न होने से ड्यू तिथि पश्चात निर्वाचन न होने पर शीर्ष, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में प्रशासन नियुक्त क्यों किया गया? **(ख)** प्रदेश में दिनांक 01.04.2021 से निरंतर तक कितनी शेष, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन प्राधिकारी न होने के कारण इन संस्थाओं में प्रशासन की नियुक्ति कितने समय तक की जाती है? प्रशासन का कार्यकाल समाप्त पश्चात उक्त संस्थाओं में पुन: प्रशासक नियुक्त कर इस संस्थाओं का निर्वाचन क्यों लंबित है? **(ग)** मध्यप्रदेश में कार्यरत शीर्ष, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी संस्थाओं का ड्यू तिथि में निर्वाचन कराने राज्य सहकारी निवार्चन प्राधिकारी की अनुपस्थिति में प्रदेश में पदस्थ पंजीयक एवं अधीनस्थ संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयकों को पूर्ववत उक्त सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन कराने शासन प्राधिकृत कब तक करेगा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** दिनांक 08.09.2021 से रिक्त है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 49 (7-ए/क) के खण्ड **(ख)** के प्रावधान अनुसार संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। उनकी अनुपस्थिति में किसी अधिकारी को प्राधिकृत

करने का प्रावधान म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में नहीं है।] **(ख)** मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (7-ए/क) के खंड (ख) के प्रावधान अनुसार संचालक मंडल का 05 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने वाली शीर्ष, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी संस्थाओं में प्रशासकों की नियुक्तियॉ की गई। प्रशासक के द्वारा 06 माह की कालावधि में संस्थाओं का निर्वाचन कराए जाने का प्रावधान है। म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी का पद दिनांक 08-09-2021 से दिनांक 18-03-2022 तक रिक्त होने के कारण डयू सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन लंबित रहे थे। दिनांक 19.3.2022 को नये निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण कर लिये जाने से डयू संस्थाओं के निर्वाचन कराये जा रहे है।

दिनांक 15 मार्च, 2022

अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री लगाने की अनुमति
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

63. परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 350) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा संभाग अन्तर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कब-कब, किस-किस सन् में किन शर्तों के तहत उद्योग लगाने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गई है? जिलेवार जानकारी प्रदान करें। पत्थर निकालने की लीज किन-किन ग्रामों में कितने-कितने एरिया को औद्योगिक अथवा माइनिंग द्वारा लीज की अनुमति दी गई है? आराजी नं., रकवा, नक्शा व रायल्टी, कब-कब, कितनी-कितनी राशि जमा की गई है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में पत्थर उत्खनन के जमीन की कितने मीटर गहराई तक की खुदाई व उत्खनन पश्चात गड्ढ़ों की भराई व वृक्षा रोपण का कार्य कराया गया है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या अल्ट्राटेक द्वारा बनाई गई खुली लूज सीमेन्ट उत्तर प्रदेश को भेजा गया है तथा पैकिंग वहीं की जाती है तथा फैक्ट्री में कोयले से लाईट संचालित है? इस कारण से फैक्ट्री का प्रदूषित कोयला से आसपास के लोगों को खांसी, दमा व टी.वी. आदि की बीमारी हो जाती है? इसके बचाव के लिये क्या उपाय किया जाता है? **(घ)** क्या फैक्ट्री द्वारा पत्थर उत्खनन में ब्लास्टिंग की जाती है तो वहां के आसपास के मकानों में उसके धमाकों से दरार व क्रेक हो जाते हैं तथा फैक्ट्री का प्रदूषित पानी समीपी नदी में छोड़ा जाता है जिसके कारण मवेशी प्रदूषित पानी पीने से बीमार हो जाते हैं तथा प्रदूषित पानी लगाने से फसल नष्ट होती है और फैक्ट्री द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है? क्या उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री की जांच कराई जायेगी ताकि सही जानकारी हो सकें?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नांश में उल्लेखित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को लगाने हेतु विभाग द्वारा कोई अनुमति जारी नहीं की गई है। रीवा संभाग अंतर्गत ग्राम बेला जिला रीवा एवं बघवार जिला सीधी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी NCLT इलाहाबाद एवं मुंबई के माध्यम से वर्ष 29/06/2017 में क्रय कर सीमेंट उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी सीधी को फैक्ट्री चलाने की अनुमति लाईसेंस क्रमांक 05/13577/SDH/2ns (i) H दिनांक 03/12/2020 के द्वारा श्रम विभाग चीफ इन्सपेक्टर द्वारा फैक्ट्री को प्रदान की गई। मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि. यूनिट बेला सीमेंट वर्क्स रीवा को फैक्ट्री चलाने की अनुमति लाईसेंस क्रमांक 03/13239/RWA/2m (i) दिनांक 19/12/2017 के द्वारा प्रदान की गई। पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार रीवा संभाग के अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निम्नानुसार जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के अंतर्गत उद्योग लगाने हेतु आवश्यक जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने की शर्तों पर अनुमति प्रदान की गई है:- 1. मेसर्स

सीधी सीमेंट वर्क्स (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि.) जिला सीधी को दिनांक 24/10/2017 एवं दिनांक 18/02/2019 2. मेसर्स बेला सीमेंट वर्क्स (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि.) जिला रीवा को दिनांक 31/10/2017 एवं दिनांक 13/06/2019 3. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (यूनिट मैहर सीमेंट वर्क्स) जिला सतना को दिनांक 22/07/2020 एवं दिनांक 07/01/2021। खनिज साधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार रीवा संभाग के सिंगरौली जिले में सीमेंट फैक्ट्री आधारित खदान न होने से जानकारी निरंक है तथा शेष जिले रीवा, सतना एवं सीधी में अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को स्वीकृत खदानों का विवरण आराजी नंबर, रकबा, नक्शा व रॉयल्टी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खदान के गड्ढ़ों की भराई तथा वृक्षारोपण इसकी गहराई से संबंधित न होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** इकाई मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि. बेला (बेला सीमेंट वर्क्स) के द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार " अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा लूज सीमेंट मेगा प्रोजेक्ट के लिए चुनिंदा ग्राहकों को भेजा जाता है जिसका सीधा उपयोग बड़े प्रोजेक्ट में किया जाता है जो कि क्लोजड बल्कर में भेजा जाता है एवं इस लूज सीमेंट की पुन: पैकिंग नहीं की जाती है। " इसी प्रकार इकाई मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि. सीधी (सीधी सीमेंट वर्क्स) के द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार " अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा लूज सीमेंट नहीं ले जाते है। हर दिन औसतन 50-100 ट्रक प्रतिदिन क्लिंकर कवर ट्रक द्वारा बारा सीमेंट वर्क्स जिला प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) भेजा जाता है। " पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार कोल आधारित बिजली उत्पादन संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु मेसर्स सीधी सीमेंट वर्क्स व मेसर्स बेला सीमेंट वर्क्स द्वारा ईएसपी एवं मेसर्स मैहर सीमेंट वर्क्स द्वारा बैग फिल्टर स्थापित किये गये है, अत: वायु प्रदूषण नियंत्रण में है। लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा से प्राप्त जानकारी अनुसार अल्ट्राट्रेक फैक्ट्री के आसपास के गॉवों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाये जाते है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2021 में क्षय रोग विभाग रीवा द्वारा दो शिविर दिनांक 24.12.2021 एवं दिनांक 27.12.2021 को किया गया जिसमें 50 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा डी.एल.एन.टी.आई. संस्था (जिला क्षय रोग विभाग के अधीन एन.जी.ओ.) द्वारा वर्ष 2021 में कुल 12 स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिसमें संभावित 463 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। अल्ट्राटेक सीमेन्ट फैक्ट्री के आसपास वर्ष 2020 में 10, 2021 में 7 एवं 2022 में 1 टी.बी. के रोगी चिन्हित कर ईलाज प्रारम्भ किया। 2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना से प्राप्त जानकारी अनुसार फैक्ट्री के प्रदूषण से आसपास के लोगों को खांसी दमा व टीबी आदि से बचाव हेतु अल्ट्राट्रेक सीमेंट फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्रों का प्रत्येक 03 महीने में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर मरीजों की जांच की जाती है। फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्रों में खॉसी, दमा व टीबी के फरवरी, 2020 तक कुल 73 मरीज हैं, जिनमें से 47 ईलाजरत है एवं 26 मरीज स्वस्थ हो चुके है। **(घ)** पर्यावरण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सीमेंट उत्पादन की प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है तथा उपरोक्त उद्योगों द्वारा घरेलू कार्यों के लिये उपयोग होने वाले जल से उत्पन्न घरेलू सीवेज के उपचार हेतु सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किये गये है तथा उपचारित सीवेज का उपयोग उद्योग प्रक्रिया में एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाता है। उद्योगों द्वारा किसी भी नदी में दूषित जल का निस्त्राव नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अधिकारी/कर्मचारियों के विभागीय जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

64. अता.प्र.सं.35 (क्र. 1044) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 अप्रैल 2018 से प्रश्नांकित दिनांक तक सिरोंज विधान सभा क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं, कदाचरण, अनुशासनहीनता एवं सेवा-नियमों के उल्लंघन के विरूद्ध विभागीय जांचें प्रचलित हैं यदि हाँ, तो अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त आरोपी अधिकारियों व

कर्मचारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही अभी तक विभाग द्वारा की गई है? यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कब तक की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में उक्त आरोपी अधिकारी व कर्मचारियों को जांच के समय उनकी वर्तमान पदस्थापना से अन्यत्र स्थानांतरित कर कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें एवं निर्माण कार्यों में राशि के दुरूपयोग करने पर उनसे राशि जमा कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है? कितनी राशि जमा करवाई गई है तथा कितनी राशि जमा करवाना शेष है? **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विभाग के कितने अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध लोकायुक्त ई.ओ.डब्लू., मनरेगा परिषद, मनरेगा लोकपाल तथा अन्य जांच एजेंसियों में कौन-कौन से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जांच प्रचलित/ लंबित है। नाम पदनाम सहित जानकारी देवें। **(ड.)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 1 अप्रैल 2018 से कितने अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई है? शिकायत की जांच में दोषी पाये जाने पर कौन-कौन के विरूद्ध कार्यवाहियां की गई है नाम,पदनाम सहित जानकारी देवें।

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार**। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार**। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार**। **(ड.)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में 01 अप्रैल 2018 से विधानसभा क्षेत्र सिरोंज अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कुल 63 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 32 को निराकृत कर शेष 31 शिकायतों की कार्यवाही प्रचलित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' 'स' अनुसार**।

विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाएं
[खेल एवं युवा कल्याण]

65. परि.अता.प्र.सं. 50 (क्र. 1982) श्री अनिरुध्द (माधव) मारू : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2016 से जनवरी 2022 तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन सी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं? कार्यवार, राशि एवं न्यूनतम निविदाकार की सम्पूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** विभाग द्वारा विभागीय खेल परिसर, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अकादमियों एवं प्रशासकीय भवनों आदि में विभिन्न साईज एवं प्रकार के इनडोर एवं आउटडोर साईनेजेज स्थापित किये जाने के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है? इसका प्राक्कलन, बजट प्रावधान, सक्षम स्वीकृति की प्रति देंवे। **(ग)** क्या उक्त वर्णित निविदा में म.प्र. शासन की नीति अनुसार उक्त कार्य म.प्र. राजपत्र दिनांक 31.07.2015 भाग-4 **(ग)** एवं म.प्र. राजपत्र 17.12.2018 के अनुसार परिशिष्ट (अ) में आरक्षित आयटमों के बारे में राजपत्र में स्पष्ट है कि आरक्षित वस्तुओं की खरीदी म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से ही की जावेगी? राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 507 एवं 511 (19) द्वारा इन आरक्षित वस्तुओं को निविदा के माध्यम से क्रय नहीं किया जावेगा? राजपत्र में प्रकाशन के बाद भी आपके विभाग द्वारा उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है। ऐसे वो कौन से कारण हैं, जिस वजह से यह निविदा म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय नहीं करके निविदा आमंत्रित की गई है? कारण, सक्षम स्वीकृति की जानकारी देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [**(क)** वर्ष 2016 से जनवरी 2022 तक आमंत्रित निविदाएं की वर्षवार जानकारी, निविदा की राशि, न्यूनतम निविदाकार की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी हाँ। निविदा में अनुमानित लागत का उल्लेख किया गया है। विभागीय परिसरों में आवश्यकतानुसार साइनेजेस का कार्य कराया जाता है, इस हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं किया जाता है। इस पर होने वाला व्यय स्टेडियम/ अकादमी अधोसरंचना मद से किया जाता है। निविदा अभी स्वीकृत नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** म.प्र.राजपत्र (असाधरण) दिनांक 31 जुलाई 2015 के पृष्ठ 511 पर उल्लेखित परिशिष्ट "अ" के बिन्दु क्र.19 में उल्लेखित वस्तु यथा ट्रेफिक सिग्नलिंग इक्यूपमेंट, रोड सेफ्टी इक्यूपमेंट, रेट्रो रिफ्लेक्टिव

बोर्ड एवं इन्फोरमेशन बोर्ड आदि की विभाग द्वारा निविदा नहीं की गई है। विभाग द्वारा विभागीय खेल परिसरों हेतु खेलों से संदर्भित इंडोर/आउटडोर साइनेजेस की निविदाएं की गई है, जिसके स्पेशिफिकेशन म.प्र. राजपत्र (असाधरण) दिनांक 31.07.2015 के पृष्ठ क्र. 507 एवं क्र.511 में उल्लेखित परिशिष्ट "अ" एवं इस संदर्भ में बिन्दु क्र.19 में उल्लेखित स्पेसिफिकेशन से भिन्न है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। निविदा में अनुमानित लागत का उल्लेख किया गया है। विभागीय परिसरों में आवश्यकतानुसार साइनेजेस का कार्य कराया जाता है, इस हेतु पृथक से बजट प्रावधान नहीं किया जाता है। इस पर होने वाला व्यय स्टेडियम/ अकादमी अधोसरंचना मद से किया जाता है। निविदा अभी स्वीकृत नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31 जुलाई 2015 के पृष्ठ 511 पर उल्लेखित परिशिष्ट "अ" के बिन्दु क्र.19 में उल्लेखित वस्तु यथा ट्रेफिक सिग्नलिंग इक्यूपमेंट, रोड सेफ्टी इक्यूपमेंट, रोड सेफ्टी, रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड एवं इन्फोरमेशन बोर्ड आदि की विभाग द्वारा निविदा नहीं की गई है। विभाग द्वारा विभागीय खेल परिसरों हेतु खेलों से संदर्भित इंडोर/आउटडोर साइनेजेस की निविदाएं की गई है, जिसके स्पेशिफिकेशन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दि.31.07.2015 के पृष्ठ क्र.507 एवं क्र.511 में उल्लेखित परिशिष्ट "अ" एवं इस संदर्भ में बिन्दु क्र.19 में उल्लेखित स्पेसिफिकेशन से भिन्न है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आरक्षण को समाप्त किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

66. अता.प्र.सं.77 (क्र. 2165) श्री सुनील उईके : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के 89 अनुसूचित क्षेत्रों में सरपंचों, अध्यक्षों एवं अन्य निर्वाचन से चुने जाने वाले शासकीय पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को ही चुना जाना है। **(ख)** क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश के सहकारी समितियों के चुनाव में एवं लघुवनोपज समितियों के चुनाव में आरक्षण बंद कर दिया है? जबकि यह व्यवस्था वर्ष 1988 से लागू थी? **(ग)** प्रदेश के 89 अनुसूचित विकासखण्ड एवं झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, देवई, मण्डला, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया के अनुसूचित जनजाति आरक्षित जिले इन जिलों में क्या शासन किये गये कार्य में संशोधन को तत्काल निरस्त करायेंगे। अगर हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। वर्तमान में सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 (3) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत उस सोसाइटी में अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्ग के व्यक्तिगत सदस्य हैं तो एक स्थान उस प्रवर्ग के सदस्य के लिए आरक्षित रखा जाएगा। जिसके अन्य की अपेक्षा में अधिक सदस्य हों। शेष प्रश्न ही नहीं उठता। **(ग)** प्रश्नांश अस्पष्ट होने से उत्तर देना संभव नहीं।

<u>परिशिष्ट - "नौ"</u>

खेल सामग्रियों का क्रय
[स्कूल शिक्षा]

67. अता.प्र.सं.87 (क्र. 2321) श्री बाला बच्चन : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्र. 1539 दिनांक 24.12.2021 के **(ख)** उत्तर में विभाग ने केवल प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों की क्रय सामग्री की जानकारी दी है? क्या प्रश्नांकित अवधि में हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में खेल सामग्री क्रय नहीं की गई है? यदि की गई है तो उसकी जानकारी फर्म का नाम, सामग्री नाम, स्कूल नाम राशि, फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रमाणित प्रति सहित देवें। क्या कारण है कि हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री के क्रय की जानकारी विधानसभा से छिपाई गई? **(ख)** जानकारी छिपाने वाले ऐसे अधिकारी पर भोपाल स्तर से

कब तक कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्न क्र. 1539 दिनांक 24.12.2021 के (घ) उत्तर में बताया गया कि शाला प्रबंध समितियों ने ना तो गलत फर्म चयन की ना ही अधिक राशि के बिल स्वीकृत किए तो इसी प्रश्न के प्रश्नांश (क) में बड़वानी, पाटी, सेंधवा, राजपुर, ठीकरी, पानसेमल एवं निवाली के BRC के विरूद्ध कार्यवाही क्यों की गई? किस नियम/आदेश के तहत 97 जनशिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? इसका कारण स्पष्ट करें। बतावें कि बड़वानी, पाटी, सेंधवा, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, निवाली के विकासखंड स्त्रोत समन्वयकों को जारी नोटिस की छायाप्रति भी देवें। **(घ)** उपरोक्त (ग) अनुसार समस्त B.R.C. एवं जनशिक्षकों को जारी नोटिस की प्रमाणित प्रति देवें। B.R.C. को हटाने की पूरी प्रक्रिया की नस्ती की प्रमाणित प्रति देवें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हां। प्रश्नांकित अवधि में खेल सामग्री क्रय करने हेतु विभागीय आवंटन प्राप्त नहीं होने से हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी में खेल सामग्री क्रय नहीं की गई। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्न क्रमांक 1539 दिनांक 24/12/2021 के (घ) के उत्तर में खेल सामग्री क्रय हेतु शाला प्रबंधन समितियों को अधिकार प्राप्त है तथा संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा फर्म का चयन राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार किया गया। अपने पद के प्रभाव का उपयोग कर अधिनस्थों का अनावश्यक दबाव डालने, निम्न गुणवत्ता की खेल सामग्री की आपूर्ति करवाने तथा राशि भुगतान हेतु शाला प्रबंधन समिति के सचिवों से चेक प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही करने के फलस्वरूप बी.आर.सी. के विरूदध कार्यवाही की गई तथा जनशिक्षकों के द्वारा शालाओं में खेल सामग्री दी जाने, भुगतान हेतु चेक प्राप्त करने, उक्त कार्य में सहभागिता करने तथा पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप जनशिक्षकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1995 के नियम 3 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। बीआर सी बडवानी एवं पाटी को जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(घ)** बी.आर.सी. एवं जनशिक्षकों को जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। बी.आर.सी. को हटाने संबंधी प्रक्रिया की नस्ति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है।

प्रस्तावित सड़क मार्गों की स्वीकृति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

68. परि.अता.प्र.सं. 99 (क्र. 2568) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तारांकित प्रश्न क्र. 5491 दिनांक 18.03.2021 के संबंध में प्रश्न क्र. "ग" के प्रेषित उत्तर में किन-किन सुदूर सड़क मार्गों को सम्मिलित किया गया है? जानकारी देवें। **(ख)** क्या तारांकित प्रश्न क्र. 5491 के "घ" में प्रश्नकर्ता को अवगत कराने का उत्तर प्रेषित किया गया है? विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया गया है? अवगत पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें। **(ग)** यदि प्रश्नांश "क" एवं "ख" में दिये गये उत्तर की सही जानकारी सदन में प्रेषित नहीं की गई है तो इसके लिए विभाग में कौन उत्तरदायी है तथा विभाग सदन में गलत उत्तर प्रेषित किये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? **(घ)** नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से सुदूर सड़क मार्ग प्रस्तावित हैं? जानकारी देवे एवं प्रस्तावित सड़क मार्ग कब तक स्वीकृत होंगे?

पंचायत मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क)** तारांकित प्रश्न क्र. 5491 दिनांक 18.03.2021 के संबंध में प्रश्न क्र. "ग" के प्रेषित उत्तर में तत्समय स्वीकृति योग्य 16 सड़कों को शामिल किये गये तथा शेष अनुशंसित सड़कों के संबंध में परीक्षण की कार्यवाही प्रचलन में होने की जानकारी दी गई थी, जिनकी संख्या 15 थी। इस प्रकार कुल 31 सुदूर सड़कों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट –**

1 अनुसार है। **(ख)** जी हां। जिला पंचायत सागर द्वारा पत्र के माध्यम से दिनांक 22.10.2020, 02.09.2020, 15.10.2020 एवं 08.02.2020 को अवगत कराया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 2 अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में कुल 32 सुदूर सड़क मार्ग प्रस्तावित है, जिनमें उत्तरांश 'क' में दिये गये 15 परीक्षण हेतु प्रचलित कार्य शामिल है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – 3 अनुसार** है। जिले में मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 245 सुदूर सड़क एवं वर्ष 2022-23 में 36 सुदूर सड़क पूर्ण एवं 271 सुदूर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना लक्षित है। सुदूर सड़क के कार्य बहुतायत संख्या में अपूर्ण होने के कारण नवीन सुदूर सड़क स्वीकृति में सतर्कता बरतने की दृष्टि से प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मनरेगा योजना में फर्जी भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

69. अता.प्र.सं.136 (क्र. 2576) श्री राकेश गिरि : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत बड़ागांव खुर्द में मनरेगा योजना के तहत, क्या वर्ष 2017-18 में फर्जी मस्टर रोल तथा सामग्री क्रय बावत जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जांच की गई थी? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति देंवे। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुरूप जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में पंचायत निधि से मस्टर मद्दे 795844.00 एवं सामग्री मद्दे 198540.00 एकत्र 994384.00 रूपया के गबन हेतु, क्या तत्कालीन रोजगार सहायक को दोषी पाया जाकर पत्रांक 1413 दिनांक 13.09.2017 से जिला पंचायत को फर्जी मस्टर तैयार कर फर्जी भुगतान करने के लिये धारा 409, 420 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज कराने का प्रतिवेदन भेजा गया था? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला पंचायत को दाण्डिक प्रकरण दर्ज कराने का प्रतिवेदन जनपद पंचायत से कब प्राप्त हुआ तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि जिला पंचायत को जनपद पंचायत का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो इसके लिये कौन दोषी है? क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार जनपद पंचायत से जिला पंचायत द्वारा समस्त जांच कार्यवाही मंगवाकर प्रकरण दर्ज कराया जायेगा? यदि हाँ, तो समयावधि बताये, यदि नहीं, तो कारण बतायें?

पंचायत मंत्री : [**(क)** जी हाँ, जांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(ख)** जी हाँ। **(ग)** प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 346 दिनांक 28.02.2022 के माध्यम से प्राप्त होना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कार्यवाही एवं जांच हेतु आयुक्त, सागर संभाग, सागर को लेख किया गया है। **(घ)** आयुक्त, सागर संभाग, सागर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निष्कर्ष एवं अभिमत अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

हनुवंतिया टापू पर पर्यटकों को शराब परोसने की अनुमति
[पर्यटन]

70. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 1573) श्री संजय शुक्ला : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा खण्डवा जिला अन्तर्गत हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव हेतु पर्यटकों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में हनुवंतिया टापू पर टेंट सीटी लगाने की किस कंपनी को अनुमति किस अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार द्वारा किस दिनांक को किन शर्तों पर दी गई थी? दिनांक 11 दिसम्बर को पुनासा तहसीलदार द्वारा क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? स्पष्ट करें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नर्मदा नदी किनारे हनुवंतिया टापू पर उक्त टेंट सीटी में शराब परोसने की अनुमति पर प्रतिबंध लगाया था? यदि हाँ, तो कंपनी द्वारा पर्यटकों को शराब परोसने पर अधिकारियों द्वारा क्यों नहीं रोका गया? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में हनुवंतिया टापू पर खुलेआम शराब परोसने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति पर प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या कंपनी/दोषी अधिकारियों पर शराब परोसे जाने पर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पर्यटन मंत्री : [**(क)** हनुवंतिया टापू पर आयोजित होने वाने ''जल महोत्सव'' के दौरान पर्यटकों हेतु निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी गयी थी – पर्यटकों के ठहरने हेतु सर्वसुविधा युक्त 104 टेंट लगाये गए थे। इस टेंट सिटी में पर्यटकों को प्रदेश के लजीज व्यंजनों का स्वाद लेने हेतु एक डाइनिंग की व्यवस्था भी की गयी थी, साथ ही पर्यटकों के मनोरंजन एवं रोमांचकारी अनुभावों हेतु पैरामोटर, हॉट एयर बलून, बोटिंग, बनाना राइडिंग, जेट स्की, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, बुलककार्ट इत्यादि साहसिक गतिविधियाँ नियमानुसार उपलब्ध कराई गयी। पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित कराने हेतु प्रतिदिन सायंकाल को 7 से 9 के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था। उपरोक्त के अलावा हनुवंतिया में आने वाले सैलानियों हेतु आर्ट क्राफ्ट बाज़ार, फ़ूड बाज़ार एवं पीने के पानी एवं शौचालय (Mobile Toilet) आदि की भी सुविधा थी। जल महोत्सव के दौरान पर्यटकों एवं सैलानियों की सुरक्षा हेतु होम गार्ड एवं पुलिस बल स्थानीय प्रशासन द्वारा तैनात किये गए थे। **(ख)** मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा जल महोत्सव के आयोजन एवं टेंट सिटी के निर्माण, रख-रखाव एवं प्रबंधन हेतु निविदा प्रक्रिया द्वारा वर्ष 2019 में 05 वर्षों हेतु अजमेर की कंपनी ''मेसर्स सनसेट डेजर्ट कैंप'' को अनुमति प्रदान की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** दिनांक 11 दिसम्बर को तहसीलदार पुनासा द्वारा दूरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जो **संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** हनुवंतिया टापू पर आयोजित जल महोत्सव में ईवेंट कंपनी के ऑनलाईन आवेदन के क्रम में म.प्र. राज्य पर्यटन विकास के अनापत्ति प्रमाण पत्र, तहसीलदार पुनासा के पत्र अनुसार संपूर्ण औपचारिकताओं की पूर्ति उपंरात टेंट सिटी ग्राम हनुवंतिया में दिनांक 31/12/2020 को केवल एक दिवस के लिए ऑनलाईन लाईसेंस फीस जमा करने के उपरांत प्रासंगिक अनुज्ञप्ति (एफ एल-5) जारी गई। वर्तमान में हनुवंतिया टेंट सिटी में शराब पिलाने की अनुमति नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - ''दस''</u>

बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

71. अता.प्र.सं.36 (क्र. 1803) श्री के.पी. सिंह कक्काजू : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में किस-किस आई.टी. कंपनी को किस दर पर कितनी जमीन उपलब्ध कराई गई? पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करावें? **(ख)** उपरोक्त अवधि में संबंधित आई.टी. कंपनियों द्वारा प्रदेश के कितने मूल निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? ब्यौरा देवें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [**(क)** वित्तीय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में मध्य प्रदेश आई.टी. निवेश प्रोत्साहन नीति अंतर्गत भोपाल में 79, इंदौर में 30, जबलपुर में 99, कुल 208 कंपनियों को आवंटित भूखण्ड एवं भूमि की दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(ख)** आई.टी.आई.टी.ई.एस., ई.एस.डी.एन. निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 के प्रावधानों अनुसार आई.टी. पार्क में रियायती दरों पर भूखंड प्राप्त करने वाली इकाई पर आई.टी. नीति के तहत रोजगार के सृजन की शर्त लागू होती है। आई.टी.पार्क के बाहर प्रदेश के अन्यत्र स्थलों में स्थापित/ क्रियाशील आई.टी. कंपनियों में आई.टी. नीति के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के लिये रोजगार सृजन की शर्त लागू नहीं है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक आई.टी. नीति अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा विकसित आई.टी.पार्क भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में आवंटित कुल 208 कंपनियों में से स्थापित/क्रियाशील 08 इकाइयों द्वारा रोजगार सृजन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''ग्यारह''</u>

प्रश्नकर्ता के पत्रों का जवाब दिया जाना
[सामान्य प्रशासन]

72. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 2424) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक एफ. 19-76 स/2007/1/4, भोपाल दिनांक 22 मार्च, 2011 एवं पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2016 के आदेश अनुसार क्षेत्रीय माननीय सांसद/माननीय विधायक के पत्रों के उत्तर देने के निर्देश हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता द्वारा 01 जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेंधवा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सेंधवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेंधवा को पत्र लिखे? उक्त पत्रों के उत्तर कब-कब उपरोक्त अधिकारियों ने प्रश्नकर्ता को दिए?

मुख्यमंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - ''बारह''</u>

शासकीय कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रित किया जाना
[सामान्य प्रशासन]

73. परि.अता.प्र.सं. 52 (क्र. 2425) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधान सभा क्षेत्र सेंधवा अंतर्गत होने वाले शासकीय विभाग से संबंधित सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रम में विधायक को आमंत्रित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए गए है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों पर निलंबन या अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रावधान भी है? यदि है तो क्या प्रावधान है? **(ग)** क्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी सेंधवा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के भूमि पूजन में विधानसभा क्षेत्र सेंधवा से निर्वाचित

वर्तमान विधायक महोदय को आमंत्रित किया गया था? यदि नहीं, तो क्या संबंधित सक्षम अधिकारी/कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी? **(घ)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का पालन न करने वालों को पुन: निर्देशित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** सार्वजनिक समारोह/कार्यक्रमों में माननीय विधायकों को आमंत्रित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 दिनांक 19 जुलाई 2019 से निर्देश जारी किए गए हैं। **(ख)** संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के जारी निर्देशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ग)** नगर पालिका सेंधवा एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा जब भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें माननीय विधायक महोदय को आहूत किया जाता है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्वास्थ्य अमले के रिक्त पदों की पूर्ति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

74. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 2470) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए क्या अक्टूबर 2021 में नीति आयोग द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट या निर्देश दिए गये थे? **(ख)** यदि हाँ, तो नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं। क्या सरकार द्वारा नीति आयोग के निर्देशों पर क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यवाही की है? हाँ तो कब? नहीं तो क्यों? **(ग)** कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने स्वीकृत पद हैं? कितने रिक्त हैं और कब से? पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय स्तर पर कितने-कितने पत्र व्यवहार किए गए और उस पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जाएगी?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** नीति आयोग के पोर्टल पर अक्टूबर-2021 Health Insurance for India's Missing Middle की रिपोर्ट उपलब्ध है। जिसमें मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत निरामयम योजना से संबंधित लेख है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के खाली पदों को भरने और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये है। **(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिकित्सकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किये जा रहे है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा रिक्त पदों पर विज्ञप्ति जारी करते हुये ऑउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विकासखण्ड कसरावद जिला खरगोन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सूची **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(घ)** प्रश्नकर्ता द्वारा कसरावद के उन्नयन हेतु संचालनालय में 02 पत्र प्राप्त हुये है, उक्त पत्रों का परीक्षण उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसरावद को 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव आगामी स्थापना/उन्नयन के प्रस्तावों की सूची में सम्मिलित किया गया है। कसरावद का 100 बिस्तर में उन्नयन के पश्चात पदों की पूर्ति की जावेगी।

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में लोक कल्याण शिविरों की जानकारी
[सामान्य प्रशासन]

75. अता.प्र.सं.72 (क्र. 2479) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2020, 2021 एवं फरवरी 2022 तक कितने लोक कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया? वर्षवार, माहवार स्थान सहित जानकारी दी जावे। **(ख)** उक्त शिविरों में कितने आवेदन नागरिकों की समस्याओं के प्राप्त हुए एवं किन अधिकारियों ने शिविरों में उपस्थित रह कर नागरिकों की समस्याओं के निराकरण किये? अधिकारियों के नाम, शिविरों के स्थान दिनांक आवेदनों सहित जानकारी दी जावे। **(ग)** क्या यह भी सही है कि कोरोना की दूसरी लहर के समाप्ति के बाद भी जन सुनवाई एवं लोक कल्याण शिविरों का आयोजन नहीं किया जा रहा है? वर्तमान में तीसरी लहर की समाप्ति हो रही है क्या प्रशासन उक्त शिविरों को पुनः प्रारम्भ कर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में कोरोना वायरस के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में लोक कल्याण शिविरों का आयोजन नहीं किया गया। **(ख)** प्रश्नांश 'क' उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जन सुनवाई/लोक कल्याण शिविरों का आयोजन प्रारंभ किया जा चुका है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

विधायकों/सांसदों के पत्रों पर कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

76. परि.अता.प्र.सं. 69 (क्र. 2614) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 जनवरी 2020 सें प्रश्न दिनांक तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी तथा एस.डी.एम. सिवनी, छपारा एवं लखनादौन को सिवनी जिले के किन-किन विधायकों तथा बालाघाट व मंडला सांसद के पत्र कब-कब प्राप्त हुये? वर्षवार पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** उक्त पत्रों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा किन-किन को क्या-क्या कार्यवाही के निर्देश दिये? संबंधितों के द्वारा उक्त निर्देशों के पालन में क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) के अधिकारियों द्वारा बालाघाट व मंडला तथा सिवनी जिले के विधायकों से प्राप्त पत्रों का जबाव कब-कब दिये? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतायें तथा पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ तथा किन-किन समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ? कब तक निराकरण होगा? **(घ)** क्या यह सत्य है कि सांसद विधायक से प्राप्त पत्रों में उल्लेखित समस्याओं का सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप समय-सीमा में निराकरण नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो कारण बतायें? इसके लिये कौन-कौन दोषी है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(घ)** माननीय सांसद/ विधायक महोदय से प्राप्त पत्रों पर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप समय-सीमा में निराकरण किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लंबित देयकों का भुगतान
[वित्त]

77. अता.प्र.सं.84 (क्र. 2662) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** फरवरी 22 की स्थिति में रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में किन-किन सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के किन-किन

देयकों का भुगतान क्यों नहीं हुआ? **(ख)** सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं तथा उक्त निर्देशों का रायसेन एवं नरसिंहपुर जिले में पालन क्यों नहीं हो रहा है? **(ग)** सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के देयकों के भुगतान के संबंध में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को 1 जनवरी 20 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में किन-किन विधायकों तथा कर्मचारी संगठनों के पत्र तथा ज्ञापन कब-कब प्राप्त हुए? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में प्राप्त विधायकों के पत्र तथा संगठनों के ज्ञापन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।** ।] **(क)** फरवरी 22 की स्थिति में जिला कोषालय रायसेन एवं जिला कोषालय नरसिंहपुर में सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के कोई भी देयक भुगतान हेतु लंबित नहीं है। **(ख)** सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के देयकों भुगतान के संबंध में म.प्र.कोषालय संहिता में प्रावधान किये गये है तथा वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 16/10/2019 द्वारा पेंशन भुगतान प्रक्रिया संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये है जिनका जिला कोषालय रायसेन एवं जिला कोषालय नरसिंहपुर के द्वारा पालन किया जा रहा है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में कोई ज्ञापन/पत्र प्राप्त नहीं हुए है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

शासकीय विभागों में कैडरवार स्वीकृत पद व रिक्त पद
[सामान्य प्रशासन]

78. अता.प्र.सं.123 (क्र. 2914) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले में पुलिस, वन विभाग एवं शिक्षा विभाग में कैडरवार कितने पद स्वीकृत है एवं वर्तमान में उनमें से कितने पद रिक्त है? **(ख)** प्रश्नांश अनुसार इन रिक्त पदों को सुरक्षा एवं शिक्षा की दृष्टि से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कब तक भरेंगे? क्या इन पदों को भरने की राज्य शासन की कोई योजना है? तो क्या इन रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर पद भरे जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** पुलिस विभाग के 1466 वन विभाग के 1247 तथा शिक्षा विभाग के 294 पद स्वीकृत हैं एवं पुलिस विभाग के 241 वन विभाग के 233 तथा शिक्षा विभाग के 15 पद रिक्त हैं। **(ख)** शासन द्वारा पदों की पूर्ति किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्नकर्ता के विगत 3 वर्षों के पत्राचारों के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]

79. अता.प्र.सं.129 (क्र. 2934) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 3 वर्षों में कलेक्टर व जिला पंचायत सी.ई.ओ. को किस-किस कार्य हेतु पत्र लिखे गए? कितने कार्य स्वीकृत किए गए कितने कार्यवाही में हैं? सभी की जानकारी छायाप्रति सहित देवें।

मुख्यमंत्री : [**जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर व जिला पंचायत सी.ई.ओ. को विगत तीन वर्षों में कुल 341 पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें 278 पत्र निराकृत किये गये हैं एवं 63 पत्रों पर कार्यवाही प्रचलन में है। विभागवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण
[सामान्य प्रशासन]

80. अता.प्र.सं.134 (क्र. 2952) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले के विभागों में कार्यरत स्थायीकर्मी दैनिक वेतनभोगी तथा अंशकालिन कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु उस माह या अगले माह की कोई दिनांक निर्धारित है या नहीं इस संबंध में जारी किये गये परिपत्र की प्रति देवें

कि वर्ष 2021 में किस विभाग में वेतन निर्धारित समय से एक दो माह से अधिक विलंब से दिया गया? **(ख)** क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सितम्बर 2016 से स्थायी कर्मी में विनियमित किया गया? **(ग)** क्या शेष बचे दैनिक वेतनभोगियों को जून 2021 में स्थायी कर्मचारी का नियमितीकरण हेतु आदेश दिया था यदि हाँ, तो अभी तक आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ तथा कब तक होगा तथा अंशकालिन कर्मचारियों को भी जिन्हें 3 वर्ष से अधिक हो गयी उन्हें कलेक्टर गाईड लाईन से भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है क्या कलेक्टर गाईड लाईन से भुगतान किया जायेगा? **(घ)** स्थायीकर्मी को अनुकम्पा नियुक्ति तथा पेंशन की पात्रता क्यो नहीं है क्या उन्हें अनुकम्पा का लाभ तथा पुरानी पेंशन बहाल की जावेगी तथा उनके साथ लगे कर्मी शब्द को हटा कर कार्यालय सहायक नाम दिया जावेगा? **(ड.)** क्या अध्यापक संवर्ग को ग्रीनकार्ड की वेतन वृद्धि का लाभ देने का प्रावधान है यदि हाँ, तो प्रति देवें नहीं तो क्यों इस संदर्भ में जारी किये गये परिपत्र की प्रति देवें।

मुख्यमंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। अंशकालीन कर्मचारियों को उनके सेवा शर्ते के तहत सुविधा देय है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** दैनिक वेतन भोगी (स्थायीकर्मी) के दिवंगत होने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है, परन्तु उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एक मुश्त रूपये 2.00 लाख (रूपये दो लाख) की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दिये जाने का प्रावधान है। इस सेवा के कर्मचारियों को पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा विनियमित राष्टीय पेंशन स्कीम के तहत सुविधा देय है। जी नहीं। शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** धार जिलान्तर्गत कार्यालयवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार**। **(ड.)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार**।

<u>परिशिष्ट - "तेरह"</u>

अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध ई.ओ.डब्ल्यू. की कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

81. परि.अता.प्र.सं. 128 (क्र. 3095) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 अप्रैल 2020 से 15 फरवरी 2022 तक की अवधि में लोकायुक्त संगठन (पुलिस) आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) द्वारा कितने-कितने अधिकारी एवं कर्मचारियों के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की गई? किन-किन अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत (घूस) लेते पकड़ा गया? पृथक-पृथक सूची दें। **(ख)** उक्त कार्यवाही में कितनी-कितनी धन राशि (नगदी) जब्त की गई एवं कितनी राशि की अचल संपत्ति आदि की जानकारी जुटाई गई? **(ग)** उपरोक्तानुसार कितने प्रकरण में चालान मा. न्यायालय में प्रस्तुत किये गये? कितने प्रकरणों की जांच लंबित है तथा कितने प्रकरणों में खात्मा लगाया गया है?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** लोकायुक्त संगठन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं 'ब' अनुसार** तथा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' एवं 'द' अनुसार** है। **(ख)** लोकायुक्त संगठन द्वारा जब्त धनराशि (नगदी) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कॉलम-4** एवं अचल संपत्ति की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ के कॉलम-5 अनुसार** तथा रिश्वत की राशि **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' के कॉलम-4 अनुसार है।** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' के कॉलम-4 अनुसार है।** **(ग)** लोकायुक्त संगठन द्वारा छापामार कार्यवाही से संबंधित किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय में चालान तथा खात्मा प्रस्तुत नहीं किया गया है। रिश्वत लेते पकड़े गये 252 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। 12 प्रकरणों में शासन से अभियोजन स्वीकृति अपेक्षित है। 238 प्रकरण विवेचनाधीन है तथा 01 प्रकरण में आरोपी की मृत्यु होने के

कारण न्यायालय में खात्मा स्वीकृत हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' में** उल्लेखित प्रकरणों में से 01 प्रकरण में माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। शेष सभी प्रकरण माननीय न्यायालय में विवेचनाधीन है।

तिलहन संघ के कर्मचारियों का संविलियन
[सामान्य प्रशासन]

82. परि.अता.प्र.सं. 131 (क्र. 3100) श्री मेवाराम जाटव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग में तिलहन संघ के कितने कर्मचारियों का संविलियन किस आधार पर किया गया है? क्या तिलहन संघ के कर्मचारियों को संविलियन पश्चात उच्च वेतनमान (ग्रेड-पे सहित) देने का प्रावधान है? मंत्रालय में तिलहन संघ के संविलियन किये गये कर्मचारियों का तिलहन संघ में धारित पद एवं वेतनमान (ग्रेड-पे सहित) तथा मंत्रालय में संविलियन पश्चात उन्हें प्राप्त पद एवं वेतनमान (ग्रेड-पे सहित) की स्पष्ट जानकारी दें। **(ख)** क्या समान पद एवं समान वेतनमान पर मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तिलहन संघ के कर्मचारियों को मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग में संविलियन पश्चात तिलहन संघ में उन्हें प्राप्त वेतनमान से उच्च वेतनमान (उच्च ग्रेड-पे सहित) या उच्च वेतनमान वाला पद दिया गया है? यदि हाँ, तो संविलियन पश्चात उच्च वेतनमान (उच्च ग्रेड-पे सहित) या उच्च वेतनमान वाला पद किस आदेश के तहत दिया गया है? इस वित्तीय अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग के समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तिलहन संघ के कितने कर्मचारियों का संविलियन किस आधार पर किस दिनांक को और किस दिनांक से किया गया है की स्पष्ट जानकारी दें। क्या मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में तिलहन संघ के संविलियन किये गये कर्मचारियों की सेवाओं में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि की सेवाओं को भी जोड़ा गया है? यदि हाँ, तो एक ही विभाग तथा उसके विभागाध्यक्ष कार्यालय में संविलियत कर्मचारियों की सेवा शर्तें भिन्न-भिन्न होने के क्या कारण हैं? मंत्रालय में संविलियन किये गये तिलहन संघ के कर्मचारियों की सेवाओं में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि की सेवाओं को नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं? इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सामान्य प्रशासन विभाग में (विभागाध्यक्ष कार्यालय सहित) तिलहन संघ के 35 कर्मचारियों का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी 3-14/2013/1/3 दिनांक 12/08/2013 द्वारा जारी "संविलियन की योजना" के आधार पर संविलियन किया गया है। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग में 03 कर्मचारियों का संविलियन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-14/2007/1/4 दिनांक 26/09/2008 से प्राप्त अनुमति के आधार पर किया गया है। इस प्रकार कुल 38 कर्मचारियों का संविलियन किया गया है। जी नही। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। मंत्रि-परिषद निर्णय आयटम क्रमांक 3 दिनांक 26/08/2013 द्वारा निर्णय लिया गया है कि अन्य विभागों के सहायक प्रोग्रामर की भांति मंत्रालय स्थापना में सहायक प्रोग्रामर के एक पद का वेतनमान रूपये 5200-20200+ ग्रेड पे 2800 का उन्नयन वेतनमान रूपये 9300-34800+ ग्रेड पे 3600 किया जाऐ। मंत्रि परिषद के उक्त निर्णय के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 1280/1602/ब-8/चार/13 दिनांक 26/12/2013 से प्राप्त सहमति अनुसार एक सांख्येतर पद वेतनमान 9300-34800+ ग्रेड पे 3600 निर्मित करने के आदेश क्रमांक 16-160/2013/एक/7-1/स्था. दिनांक 24/01/2014 द्वारा जारी किये गये। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तिलहन संघ के कर्मचारियों की संविलियन संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार** है। मध्यप्रदेश राज्य निवार्चन आयोग के 3 कर्मचारियों को छोड़कर शेष 20 कर्मचारियों का

संविलियन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी 3-14/2013/1/3 दिनांक 12/08/2013 द्वारा जारी ''संविलियन की योजना'' के आधार पर किया गया। तिलहन संघ के 03 सेवायुक्तों का म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग में संविलियन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-14/2007/1/4 दिनांक 26/09/2008 द्वारा अपवादित रूप में उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत मान्य करते हुए प्रतिनियुक्ति अवधि की सेवाऐं जोड़ते हुए, दिनांक 16/01/2012 द्वारा संविलियन किया गया है। जी हाँ। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में तिलहन संघ के कर्मचारियों का संविलियन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 26/09/2008 अनुसार किया गया है। जबकि शेष कर्मचारियों का संविलियन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी 3-14/2013/1/3 दिनांक 12/08/2013 द्वारा जारी ''संविलियन की योजना'' के अंतर्गत संविलियन किया गया है, इस कारण से भिन्नता की स्थिति निर्मित हुई है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 17 मार्च, 2022

मठ-मंदिरों की भूमियों का विक्रय
[राजस्व]

83. परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 229) श्री प्रदीप पटेल : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मठ-मंदिरों की जमीनों पर पुजारी नहीं सिर्फ मंदिर के भगवान का हक है इस तरह का फैसला मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है? अगर हाँ, तो सतना एवं रीवा जिले के किन-किन मठ-मंदिरों में वर्ष 1958-59 की खसरा खतौनी में शासकीय रिकार्डों में कितने-कितने रकबों की, किस-किस आराजी क्रमांकों की कितनी भूमि दर्ज थी? जिलेवार/तहसीलवार/मठवार/मंदिरवार/जगह के नामवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित जिलों के मंदिर एवं मठों में प्रश्नतिथि तक कितनी-कितनी भूमि शेष बची है? पटवारी हल्कावार/मठवार/ मंदिरवार/आराजी क्रमांकवार/रकवेवार/जगहों के नामवार/जिलेवार/ तहसीलवार जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नतिथि तक सतना शहर के डालीबाबा मंदिर के पास वर्ष 1958-59 की खसरा खतौनी के अनुसार कुल कितने रकवे की किस-किस आराजी क्रमांकों की भूमि थी? प्रश्नतिथि तक उक्त मंदिर की किस-किस आराजी क्रमांकों की, कितने-कितने रकबों की भूमि कब-कब, किस सक्षम कार्यालयों के जारी आदेशों के बाद, किस-किस नाम के व्यक्तियों को/फर्मों/अन्य को बेचा गया/हस्तांतरित किया गया? जारी सभी आदेशों की एक प्रति दें। **(घ)** डालीबाबा मंदिर सहित अन्य सभी मंदिरों की भूमियों को अवैध रूप से हस्तांतरित होने पर अब क्या कार्यवाही राज्य शासन/जिला प्रशासन करेगा? उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा, जिन्होंने नियमों के विपरित जाकर भूमियों के हस्तांतरण की कार्यवाही के आदेश जारी किये? प्रकरणवार जानकारी दें।

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। शासकीय रिकार्ड खसरा-खतौनी वर्ष 1958-59 में दर्ज मठ-मंदिरों की तहसीलवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** मठ-मंदिरों के नाम प्रश्न तिथि तक दर्ज भूमियों की जानकारी प्रश्नांश (क) में दिये गये सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 1958-59 की खतौनी में सतना शहर के डालीबाबा मंदिर के नाम से कोई भूमि दर्ज अभिलेख नहीं है, श्री महंत बद्रीदास जी सा. इटौरा के नाम से निम्नानुसार दर्ज अभिलेख है -

वर्ष 1958-59 की स्थिति		वर्तमान स्थिति	
आ.क्र.	रकवा	आ.क्र.	रकवा
549	0.45 ए.	549/1/1	0.08ए.
550	6.42 ए.	-	-

774/1	0.67 ए.	-	-
775/1	14.01 ए.	-	-
548	2.00 ए.	-	-
371	0.10 ए.	371/1	0.09 ए.
377	0.29 ए.	377/1	0.10 ए.
403	0.41 ए.	-	-
414	0.84 ए.	-	-
776	0.79 ए.	-	-
-	0.53 ए.	-	-
योग	**26.51 ए.**		

उपरोक्त आराजियां वर्ष 1958-59 से भूमिस्वामी स्वत्व में होने के कारण वर्तमान स्थिति में दर्शायें गये अनुसार शेष आराजियां बची है। **जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)** उत्तरांश 'क' में अंकित मंदिरों की भूमियों के अवैध रूप से हस्तांतरित होने संबंधी प्रकरणों का परीक्षण कर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।] **(ग)** वर्ष 1958-59 की खतौनी में सतना शहर के डालीबाबा मंदिर के नाम से कोई भूमि दर्ज अभिलेख नहीं है, श्री महंत बद्रीदास जी सा.इटौरा के नाम से निम्नानुसार दर्ज अभिलेख है-

वर्ष 1958-59 की स्थिति		**वर्तमान स्थिति**	
आ.क्र.	**रकवा**	**आ.क्र.**	**रकवा**
549	0.45ए.	549/1/1	0.08ए.
550	6.42 ए.	-	-
774/1	0.67 ए.	-	-
775/1	14.01 ए.	-	-
548	2.00 ए.	-	-
371	0.10 ए.	371/1	0.09 ए.
377	0.29 ए.	377/1	0.10 ए.
403	0.41 ए.	-	-
414	0.84 ए.	-	-
776	0.79 ए.	-	-
-	0.53 ए.	-	-
योग	**26.51 ए.**		

उपरोक्त आराजियां वर्ष 1958-59 से भूमिस्वामी स्वत्व में होने के कारण वर्तमान स्थिति में दर्शायें गये अनुसार शेष आराजियां बची है। वर्ष 1958-59 के बाद से वर्ष 1963-64 से वर्तमान स्थिति तक आराजी नंबरवार, सक्षम कार्यालयों के जारी आदेशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

गाँधी सागर बाँध की मरम्मत

[जल संसाधन]

84. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 798) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** गाँधी सागर बाँध मन्दसौर में बाँध की डाउनट्रीम में गहरे गड्ढे हो गये हैं स्पिलबे (उत्प्लवमार्ग) भी

डैमेज हो गया है उक्त कार्य की अविलम्ब मरम्मत नहीं कराई गई तो मध्यप्रदेश के आठ जिले श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर एवं राजस्थान के कोटा, सवाईमाधोपुर, करोली, धोलपुर, की तीस, चालीस लाख की आबादी बर्बाद हो जावेगी, शासन द्वारा कार्यवाही कब तक की जावेगी फरवरी 2022 की स्थिति में। **(ख)** गाँधी सागर के नीचे बने राजा प्रताप सागर कोटा बैराज, समेत रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा हो सकता है बाँध के टूटने या ओवररॉफटिंग से विनाशकारी परिणाम हो जावेंगे क्या शासन को इन खतरों की जानकारी है, यदि है तो किस संस्था द्वारा शासन की भेजी गई रिपोर्ट, परिपत्र की जानकारी दी जावे। **(ग)** बांध की सुधार एवं मरम्मत को लेकर बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल व केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिश पिछले बारह वर्षों से प्रदेश के केन्द्रीय कार्यालयों में लंबित पड़ी है इन वर्षों में प्रदेश के जल संसाधन विभाग द्वारा किन-किन विषयों पर पत्राचार किये गये तिथि विषयों सहित पूर्ण जानकारी दी जावे। **(घ)** बाँध निर्माण में बाँध स्पिलवे (पानी बहाव) को 4.86 लाख घन फीट प्रति सेकण्ड बहाव क्षमता का डिजाइन किया था अभी तक तेरह बार बहाव क्षमता से पार कर चुका है जिससे खतरा बढ़ गया है जानकारी दी जावे?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जाती है।] **(क)** गांधीसागर बॉध के डाउन स्ट्रीम में त्रिज्याकार बकेट के पास चट्टानों के कटने/टूटने से पूर्व में बड़े गढ्ढे हो गए थे, जिसका आवश्यक मरम्मत कार्य वर्ष 1994 में पूर्ण कर लिया जाना प्रतिवेदित है। बांध का विभिन्न एजेंसियों द्वारा सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। बांध की डाउन स्ट्रीम में ओगी बकेट के निरीक्षण हेतु राणा प्रताप सागर का जल स्तर कम होने पर बकेट खाली कराकर मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, उज्जैन द्वारा दिनांक 06.06.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में लीकेज स्वेटिंग नहीं पायी गयी एवं 04 स्थानों पर पॉट-होल्स पाये गये जिसकी मरम्मत कराने के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 15.06.2022 द्वारा अन्य आवश्यक कार्य कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। **(ख)** गांधीसागर बांध के पूर्ण होने से लेकर अब तक अवधि में वर्ष 2019 में सर्वाधिक वर्षा हुई एवं जल स्तर FRL-1312 फीट से लगभग 07 फीट ऊपर तक चला गया था। इसके बाबजूद बांध को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। गांधीसागर बांध एक स्ट्रेट ग्रेवेटी मेसनरी डेम है एवं मुख्य बांध में मिट्टी का बांध नहीं है। बांध का स्लेब लेवल 1324 है, जो वर्ष 2019 में गये अधिकतम जलस्तर 1319 फीट से भी 05 फीट ऊपर है। मुख्य अभियंता (बोधी) के पत्र दिनांक 28.02.2022 द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदन में भी पुष्टि की गई है, कि बांध सुरक्षित है। रिपोर्ट की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** बांध की सुधार एवं मरम्मत को लेकर समय-समय पर बांध सुरक्षा निरीक्षण पैनल व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निरीक्षण किये गयेहैं। निरीक्षण की जानकारी निम्नानुसार हैः- **(1)** 29 मई, 2008 को डेम सेफ्टी इन्स्पेक्शन पैनल (DSIP) की टीम द्वारा किया गया। **(2)** 02 जनवरी से 06 जनवरी 2014 को डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल (DSRP) द्वारा बांध का निरीक्षण किया गया। **(3)** दिनांक 12-13 अप्रैल 2016 को केन्द्रीय जल आयोग (CWC) की टीम द्वारा यंत्रीकरण (Instrumentation) के पहलू से बांध का निरीक्षण किया गया। **(4)** दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2019 को डेम सेफ्टी रिव्यू पैनल (DSRP) की टीम द्वारा बांध का निरीक्षण किया गया। **(5)** दिनांक 11 जनवरी 2022 को मुख्य अभियंता (बोधी) एवं टीम द्वारा बांध का निरीक्षण किया गया। केन्द्रीय जल आयोग एवं मुख्य अभियंता बोधी द्वारा सुझाये गये कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 14.02.2022 को प्रदान की गई है। निरीक्षण प्रतिवेदनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2/3/4/5 अनुसार** है। **(घ)** बॉध के स्पिलवे से 4.84 लाख घन फीट प्रति सेकेंड प्रवाह क्षमता का बहाव रूपांकित है। अभी तक 16 बार इससे अधिक जल की निकासी हुई है। जल निकासी हेतु रूल कर्व के अनुसार जल द्वारों का संचालन किया जाता है। मानसून की विभिन्न तिथियों में जल ग्रहण क्षेत्र से आ रहे पानी की मात्रा के पूर्वानुमान के आधार पर बॉध को खाली रखा जाता है। बाढ़ नियंत्रण को और अधिक प्रभावी करने हेतु, आवक के सटीक अनुमान हेतु अत्याधुनिक SCADA (Supervisory Control and Data

Aquisition) स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है एवं R.T.D.A.S. (Real Time Data AquisitionSystem) का उपयोग कर जल द्वारों का और प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकेगा। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पंचायतों एवं ग्रामीणों को रेत उपलब्ध कराई जाना
[खनिज साधन]

85. परि.अता.प्र.सं. 10 (क्र. 821) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला पंचायत बैतूल, धार एवं मण्डला और जनपद पंचायतों ने राजपत्र में दिनांक 30 अगस्त 2019 को प्रकाशित रेत नियम के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीणों के संबंध में किए गए छूट के अनुसार प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? **(ख)** नियम 4 के किस उप नियम में छूट से संबंधित क्या-क्या प्रावधान किए गए और उनका लाभ ग्रामीणों और ग्राम पंचायतों को दिलवाए जाने के संबंध में प्रश्नांकित दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायत बैतूल धार एवं मण्डला के द्वारा की गई। **(ग)** नियम 4 के अनुसार जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को कितनी रेत रॉयल्टी जमा करवाकर उपलब्ध करवाई गई? यदि ग्राम पंचायतों को रेत प्रश्नांकित दिनांक तक भी उपलब्ध नहीं करवाई हो तो पंचायतों ने कितनी रेत क्रय कर निर्माण कार्यों को पूरा किया है। **(घ)** पंचायतों एवं ग्रामीणों को रेत उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत क्या-क्या कार्यवाही कर रही है?

खनिज साधन मंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4 में पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान (लोडिंग) एवं परिवहन छोड़कर वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी, परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रॉयल्टी वापस नहीं की जाएगी। प्रश्नांश की शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नांश नीतिगत विषय है। जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। इसका कोई जिला विशेष का संबंध नहीं है। अत: प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4 में पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान (लोडिंग) एवं परिवहन छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी। परंतु पंचायत/ नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रॉयल्टी वापस नहीं की जाएगी। प्रश्नांश नीतिगत विषय है। जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। इसका कोई जिला विशेष का कोई संबंध नहीं है। अत: प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** नियम 4 में ग्राम पंचायतों के रेत उपलब्ध कराने के संबंध में प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** नियम 4 में जनपद/जिला पंचायत द्वारा प्रश्नानुसार कोई कार्यवाही किये जाने का प्रावधान नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्य
[जल संसाधन]

86. अता.प्र.सं.20 (क्र. 1332) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विदिशा जिला अन्तर्गत विकासखण्ड बासोदा एवं ग्यारसपुर में विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत है, जिनकी स्वीकृति उपरांत अभी तक टेन्डर नहीं हुये उनके नाम बतावें तथा टेण्डर उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुये उनके नाम एवं कारण बतावें? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) के उत्तर में वर्णित निर्माण कार्यों के टेन्डर बार-बार निरस्त हो रहे है? यदि हाँ, तो कितनी बार टेन्डर निरस्त हुये तथा निरस्त होने का क्या कारण है? निर्माण कार्य का अलग-अलग विवरण बतायें? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित निर्माण कार्यों के टेन्डर आगामी वित्तीय वर्ष में या चालू वित्तीय वर्ष में करवाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या विकासखण्ड बासोदा एवं ग्यारसपुर अन्तर्गत विभाग द्वारा चालू एवं आगामी वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किये गये है?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** विदिशा जिला अंतर्गत विकासखण्ड बासौदा में स्वीकृत केसरी बैराज लघु सिंचाई योजना की निविदा दिनांक 02.12.2019 को प्रथम बार आमंत्रित की गई थी। जिसे प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा अपरिहार्य प्रशासनिक कारण से निरस्त किया जाना प्रतिवेदित है। **(ख)** जी नहीं, निविदा एक बार ही अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से निरस्त की गई। **(ग)** केसरी बैराज लघु सिंचाई परियोजना की निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना प्रतिवेदित है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "चौदह"</u>

खाद्यान्न सामग्री वितरण में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

87. परि.अता.प्र.सं. 20 (क्र. 1434) श्री संजय शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर जिला अन्तर्गत वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी एवं क्या-क्या खाद्य सामग्री वितरण किये जाने हेतु आवंटित की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र में कब-कब, कितनी-कितनी एवं कौन-कौन सी खाद्यान्न सामग्री वितरण हेतु प्रदान की गई? कब-कब प्रदाय की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वितरण केन्द्रों द्वारा किस-किस माह में कितनी खादयान्न सामग्री वितरित की गई? केन्द्र द्वारा वितरण किये गये खाद्यान्न की जानकारी खाद वितरण केन्द्रवार उपलब्ध करायें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संबंध में क्या इन्दौर जिला अन्तर्गत कई केन्द्रों पर खादयान्न सामग्री हितग्राहियों को नहीं देने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? स्पष्ट करें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जिला इंदौर हेतु वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक आवंटित खाद्यान्न सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में खाद्यान्न सामग्री के प्रदाय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में वितरण केन्द्रों से वितरित खाद्यान्न सामग्री की वितरण केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। **(घ)** जी हां। प्रश्नांकित अवधि में इंदौर जिले के अंतर्गत खाद्यान्न सामग्री हितग्राहियों को नहीं देने के संबंध में 72 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों एवं विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - स अनुसार** है।

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

88. परि.अता.प्र.सं. 32 (क्र. 1921) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत जौरा एवं मुरैना के ग्राम पहावली (गढ़ीखेरा), सुमावली, गणेशपुरा, रूअर, येमाबसई, गलेथा, भैसरोली, दोनारी, मृगपुरा, गौसपुर, जखेना, गढ़ी, नगर पालिक निगम मुरैना वार्ड क्रमांक 4,5,6,7,8,9,10,45,46,47 में सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली वर्ष 2019-2020, वर्ष 2020-2021 में तत्कालीन एवं वर्तमान विक्रेताओं द्वारा हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित न कर अनियमितितायें की गई थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रश्नकर्ता द्वारा इसकी लिखित में सूचना अनुविभागीय अधिकारी जौरा व मुरैना एवं जिला प्रशासन मुरैना को दी गई लेकिन प्रश्न दिनांक तक, प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई, यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुसार साख सहकारी समिति मृगपुरा के कर्मचारी बच्चू सिंह द्वारा खाद्य नगारिक आपूर्ति अधिकारियों से सांठ-गांठ कर अधिकतर पंचायतों एवं वार्डों में खाद्यान्न वितरण का कार्य किया जा रहा है, जो कि नियम विरूद्ध है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार उक्त प्रकरण दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत जौरा एवं मुरैना के ग्राम सुमावली, गणेशपुरा, रूअर, मैनावसई, दौनारी, मृगपुरा, गोसपुर, जखेनागड़ी, नगरपालिका निगम मुरैना वार्ड क्र. 4,5,6,7,8,9,10,45,46,47 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्ष 2019-20 वर्ष 2020-21 (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021 तक) में तत्कालीन एवं वर्तमान विक्रेताओं द्वारा हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित करने में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई। शेष शासकीय उचित मूल्य दुकान पहावली, भैंसरोली, गलेथा पर अनियमितता पाई गई थी। जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा लिखित में अनुविभागीय अधिकारी जौरा, मुरैना एवं जिला प्रशासन को प्रेषित पत्रों एवं उनके संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी का विवरण व पांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुसार साख सहकारी समिति मृगपुरा के कर्मचारी बच्चू सिंह द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारियों से कोई सांठ-गांठ किया जाना परिलक्षित नहीं हुआ है। साख सहकारी समिति मृगपुरा पर जो भी दुकानें आवंटित अटैच है वह मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों के तहत की गई है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार कोई दोषी नहीं पाया गया है इसलिए कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

89. अता.प्र.सं.45 (क्र. 2033) श्री उमंग सिंघार : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले की गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में किन-किन ग्राम पंचायतों में खाद्य विभाग द्वारा एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम खाद्यान्न वितरण हेतु उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है? विकासखण्डवार, पंचायतवार, दुकानवार एवं समूह के द्वारा संचालित की जा रही दुकानें समूहवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** गंधवानी विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड गंधवानी, बाग एवं तिरला में किन-किन राशन कार्डधारियों की खाद्यान्न पर्ची बनी हुई एवं किन-किन राशन कार्डधारियों की खाद्यान्न पर्ची नहीं बनी हुई है? विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार जिन कार्डधारियों की पर्ची बनी हुई है उनकी सूची उपलब्ध करावें एवं जिन कार्डधारियों की पर्ची नहीं बनी है, उनकी भी सूची विकासखण्डवार एवं पंचायतवार उपलब्ध करावें तथा जिन कार्डधारियों की प्रश्न दिनांक तक खाद्यान्न पर्ची नहीं बनी है? उसका क्या कारण है एवं इसका जिम्मेदार कौन अधिकारी/ कर्मचारी है?

जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी एवं यदि हाँ, तो कब तक एवं यदि नहीं, तो क्यों एवं शेष कार्डधारियों की खाद्यान्न पर्ची कब तक जारी कर दी जायेगी? **(ग)** क्या यह सही है कि गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में पी.एम.जी.के.वाय. योजना अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो गंधवानी विधानसभा में उक्त योजना अंतर्गत कितना आवंटन प्राप्त हुआ है? विकासखण्डवार आवंटन की जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** प्रश्नांकित (ग) अनुसार गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में उक्त योजना अंतर्गत योजना प्रारम्भ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक किन-किन कार्डधारियों को कितना-कितना नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है? विकासखण्डवार, दुकानवार माहवार एवं कार्डधारियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जिन राशनकार्डधारियों की पर्ची बनी हुई है, उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। उक्त जानकारी में विकासखंड, ग्राम पंचायत एवं पात्रता पर्चीधारी के मुखिया का नाम समाहित है। प्रश्न दिनांक तक पात्रता पर्ची जारी करने हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। अत: शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हां। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।

साख सहकारी समितियों के विरूद्ध कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

90. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 2044) श्री अजब सिंह कुशवाह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गलेथा साख सहकारी समिति जौरा मुरैना, भैसरोली साख सहकारी समिति जौरा, सुमावली साख सहकारी समिति जौरा मुरैना एवं मर्गपुरा साख सहकारी समिति मुरैना के कर्मचारियों को विधानसभा सुमावली के अनेक ग्राम पंचायतों के खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था दी गई। जिनके द्वारा विभिन्न अनियमितताएं की जा रही है? जैसे समय पर दुकान न खोलना, समय पर खाद्यान्न वितरण न करना, खाद्यान्न का स्वयं वितरण न करके अपने चहेतों/रिश्तेदारों के द्वारा खाद्यान्न वितरण कराना एवं हितग्राहियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुये खाद्यान्न न देना आदि समस्याओं को लेकर प्रश्नकर्ता द्वारा जिला प्रशासन मुरैना को मौखिक/लिखित में अवगत कराया गया किन्तु प्रश्न दिनांक तक उक्त साख सहकारी समितियों के कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या यह भी सही है, कि उक्त कर्मचारियों के द्वारा जनता को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध न कराकर आधी मात्रा में खाद्यान्न प्रदान करते है? जिसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन को की गई? इनके विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? कब तक कर दी जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार** है। शासकीय उचित मूल्य दुकान गलेथा के उपभोक्ताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर कार्यववाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी जौरा द्वारा दुकान निरस्त की गई, प्रबंधक एवं विक्रेता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई तथा अपयोजित खाद्यान्न के बराबर की राशि बसूल किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-ब अनुसार** है। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य विधानसभा के पत्र पर कार्यवाही की गई है।

<u>परिशिष्ट - "पंद्रह"</u>

ओपन कैंप में अनियमिततायें
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

91. परि.अता.प्र.सं. 41 (क्र. 2239) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मण्डला जिले के ठरका ओपन कैंप में पिछले वर्ष का धान का दिसम्बर, 2020 से मार्च, 2021 तक अनिवार्य रूप से परिवहन होना था? परंतु प्रश्न दिनांक तक परिवहन नहीं हो सका है? क्या कारण है? **(ख)** प्रश्नांश (क) परिवहन नहीं होने से कितने क्विंटल धान खराब हुई? **(ग)** उक्त ओपन कैंप से धान परिवहन न होने से हजारों क्विंटल अनाज सड़ गया। शासकीय संपत्ति का इस तरह से उच्च अधिकारियों द्वारा अपना दायित्व नहीं समझना कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। क्या उक्त संबंध में शासन स्तर से कोई कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** मण्डला जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 1,60,472 लाख मे.टन धान का उपार्जन किया गया था, जिसमें से 1,35,250.01 लाख मे.टन धान की मिलिंग कराई जा चुकी है एवं 2522.19 मे.टन धान मिलिंग हेतु शेष है। प्रदेश में मिलिंग क्षमता सीमित होने के कारण समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग निर्धारित समय में नहीं होने कारण अधिक समय तक धान का भण्डारण करना पड़ रहा है। **(ख)** मण्डला जिले के ठरका ओपन केप में भण्डारित धान को कार्पोरेशन द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से मेसर्स मंगल फूड्स कवर्धा (छत्तीसगढ़) को संग्रहित धान 2522 मे.टन विक्रय किया जा चुका है। धान के श्रेणीकरण, रिबैगिंग एवं उठाव के उपरांत शेष बचे धान की मात्रा खराब व क्षतिग्रस्त होने का आंकलन किया जा सकेगा। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

वेयर हाउस में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

92. परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 2417) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा विभिन्न निजी वेयर हाउस से खाद्यान्न रखने तथा खाद्यान्न पुन: उठाने के क्या नियम है अर्थात किस-किस वेयर हाउस में कब-कब खाद्यान्न उठाना है किसमें ज्यादा समय तक रखना है, इसका निर्णय कौन करता है? **(ख)** क्या यह सही है की उज्जैन, इंदौर संभाग में विभिन्न निजी वेयर हाउस में अधिकारी नियमों की अनदेखी कर अपने चहेते वेयर हाउस में ज्यादा समय तक खाद्यान्न रखते है ताकि उन्हें ज्यादा किराया मिल सके? **(ग)** प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि नहीं, तो 1 जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में विभिन्न निजी वेयर हाउस को कितना-कितना किराया दिया गया माहवार प्रत्येक जिले की जानकारी देवें। **(घ)** क्या यह सही है की जब ट्रकों में खाद्यान्न भरकर पी.डी.एस., एफ.सी.आई. को जाता है तब खाद्यान्न की चोरी तौल काटे पर कर ली जाती है यदि नहीं, तो माल खाली होने पर वेयर हाउस में शेष कट्टों की जांच किस-किस सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में होती है यदि नहीं, तो वेयर हाउस पूर्ण खाली होने के बाद, पूर्ण हिसाब के बाद खाद्यान्न से भरे कट्टे वेयर हाउस में कैसे बचते है? ऐसी कितनी शिकायत कब-कब किस-किस व्यक्ति ने कहाँ-कहाँ की, उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** भण्डारण एवं उठाव के नियम शासन की उपार्जन नीति में निहित होते है इसका निर्णय शासन एवं भण्डारण एजेंसी MPWLC द्वारा जारी JVS योजना में निहित होते है। **(ख)** निजी वेयरहाउस MPWLC द्वारा JVS में लिये जाते है जिनमें जिला स्तर की गठित जिला उपार्जन समिति द्वारा ''मैपिंग'' में चयनित शासकीय/निजी जेव्हीएस गोदामों में भण्डारण किया जाता है। अत: यह कहना सही नहीं है, कि अधिकारी नियमों की अनदेखी कर अपने

चहेते वेयरहाउस में ज्यादा समय तक खाद्यान्न रखते है। स्कंध का भुगतान जमाकर्ता MPSCSC द्वारा PDS अथवा अन्य योजनाओं में आवश्यकतानुसार उठाव किया जाता है। **(ग)** उज्जैन संभाग में विभिन्न निजी वेयरहाउस को 118.00 करोड़ जिलेवार/माहवार का भुगतान किया गया है। **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। घ) तौल कांटे पर भण्डारण संस्था के प्रतिनिधि के समक्ष जमा के समय ट्रक की तौल की जाती है। ट्रांसपोर्ट उक्त ट्रक को गोदाम पर ले जाता है जहां पुन: भण्डारण संस्था के प्रतिनिधि के समक्ष तौल किया जाता है। तौल में अंतर की मात्रा की वसूली ट्रांसपोर्टर से की जाती है। तौल के उपरांत मॉनिटरिंग भण्डारण एजेंसी के कर्मचारी करते है। वर्तमान में इन्दौर/उज्जैन संभागान्तर्गत किसी भी शाखा पर खाद्यान्न का पूर्ण भुगतान होने पर स्कंध शेष बचने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

<u>परिशिष्ट - "सोलह"</u>

ग्राम पंचायत के लिए रेत की व्यवस्था
[खनिज साधन]

93. परि.अता.प्र.सं. 52 (क्र. 2515) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि राजपत्र में दिनांक 30 अगस्त 2019 को प्रकाशित रेत नियम के नियम 4 के तहत ग्राम पंचायतों एवं ग्राम के पात्र हितग्राहियों के लिए रेत से संबंधित कोई व्यवस्था जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत ने बैतूल, धार, मण्डला एवं देवास जिले में प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं की है? **(ख)** नियम 4 में ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत के किन-किन हितग्राहियों के लिए रेत से संबंधित क्या-क्या प्रावधान किए गए उन्हें लेकर जिला पंचायत एवं जिले की जनपद पंचायतों ने बैतूल, धार, मण्डला एवं देवास जिले में प्रश्नांकित दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है? **(ग)** नियम 4 के अनुसार कितनी ग्राम पंचायतों को कितनी रॉयल्टी जमा करने पर कितनी रेत उपलब्ध करवाई गई कितने ग्रामों में रेत की खदानों और ग्राम के पात्र हितग्राहियों के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई हो तो उसका कारण बतावें। **(घ)** नियम 4 के अनुसार कब तक ग्राम पंचायतों एवं ग्राम के पात्र हितग्राहियों को रेत की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी? समय-सीमा सहित बतावें।

खनिज साधन मंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4 में पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान (लोडिंग) एवं परिवहन छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी। परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रॉयल्टी वापस नहीं की जाएगी। प्रश्नांश की शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** यह नीतिगत विषय है। प्रश्नाधीन जिला विशेष द्वारा पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत: प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4 में पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान (लोडिंग) एवं परिवहन छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार द्वारा किए

जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रॉयल्टी वापस नहीं की जाएगी। **(ख)** मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4 में पंचायत/ नगरीय निकाय द्वारा शुरू की गई शासकीय योजना या अन्य लाभप्रद कार्यों (स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) के लिए निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रायल्टी का भुगतान करने के उपरांत ही रेत प्राप्त की जा सकेगी। पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा जमा की गई रायल्टी की संपूर्ण रकम, लदान (लोडिंग) एवं परिवहन छोड़कर, की वापसी आवश्यक जांच एवं प्रमाणीकरण के आधार पर की जाएगी। परंतु पंचायत/नगरीय निकाय के लिए कार्य ठेकेदार द्वारा किए जाते हैं, तो उपरोक्त जमा रॉयल्टी वापस नहीं की जाएगी। यह नीतिगत विषय है। प्रश्नाधीन जिला विशेष द्वारा पृथक से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **(ग)** नीतिगत विषय का निर्धारण वर्तमान में प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** नीतिगत विषय निर्धारण उपरांत प्रश्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हो सकती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी भूमि से मिट्टी, मुरम का खनन एवं भण्डारण
[खनिज साधन]

94. अता.प्र.सं.67 (क्र. 2524) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निजी भूमि पर किये जाने वाले तालाब निर्माण, कुआं निर्माण, अन्य निर्माण एवं भूमि के समतलीकरण से निकले मिट्टी, मुरम एवं पत्थर के खनन एवं निजी भूमि पर ही भण्डारण की अनुमति मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 और मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के किस धारा के तहत किस-किस से लिया जाना अनिवार्य किया गया है? **(ख)** निजी भूमि पर तालाब निर्माण, कुआं निर्माण, अन्य निर्माण एवं भूमि के समतलीकरण से निकले खनिज के वाणिज्यिक उपयोग किये जाने, उसका परिवहन किये जाने के लिये किस-किस से अनुमति लिया जाना किस धारा के अनुसार आवश्यक है? अनुमति के बदले किस दर से रॉयल्टी का भुगतान कब किया जाना आवश्यक है? **(ग)** बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में निजी भूमि से तालाब निर्माण, समतलीकरण आदि से खनिज के खनन एवं भण्डारण की किस दिनांक को अनुमति किसे प्रदान की गई? इसमें से कितने खनिज के परिवहन की कितनी रॉयल्टी जमा करवाई जाकर किस दिनांक को अनुमति प्रदान की गई? पृथक-पृथक बतावें।

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** प्रश्नांश अनुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में खनन एवं भंडारण की अनुमति दिये जाने संबंधी प्राधिकारी के प्रावधान नहीं है। अपितु हटाये गये गौण खनिजों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के उपयोग के लिये व्ययन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 68 (6) (अ) एवं 68 (6) (ब) में प्रावधानित है। **(ख)** प्रश्नानुसार मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 68 (6) (अ) के तहत अनुमति हेतु प्राधिकारी उल्लेखित है। अनुमति के बदले रॉयल्टी का भुगतान उक्त नियम 29 अनुसूची-तीन गौण खनिज की रॉयल्टी की दरों के अनुसार अग्रिम किया जाना प्रावधानित है। **(ग)** बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में निजी भूमि से तालाब निर्माण, समतलीकरण आदि से खनिज के खनन एवं भंडारण की अनुमति नहीं दी गई है तथा परिवहन की रॉयल्टी जमा के संबंध में जानकारी जिले से एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** जी नहीं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रस्ताव
[वन]

95. अता.प्र.सं.70 (क्र. 2530) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बैतूल जिले में पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों ने गत पांच वर्षों में ग्रामीण विकास मद एवं वन विकास मद की राशि से कितनी लागत के किस स्थान पर किस कार्य का निर्णय/प्रस्ताव लिया? उसमें से कितनी

लागत के किस कार्य पर कौन-कौन सी आपत्ति किस स्तर पर ली गई, पृथक-पृथक बतावें? **(ख)** प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रस्ताव पर किन-किन कारणों से कौन-कौन सी आपत्तियां लिए जाने का अधिकारी पंजीकृत उपविधि की किस कंडिका में किस-किस को प्रदान किया जाकर क्या-क्या उल्लेख कंडिका में किया गया है? **(ग)** समितियों के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक ने किन-किन प्रावधानों के अनुसार कौन-कौन सी आपत्तियां ली? उन आपत्तियों के निराकरण हेतु पदेन महाप्रबंधक एवं संघ ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की गई? कब तक आपत्तियों का निराकरण किया जावेगा?

वन मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार आपत्तियां ली गयी है, जिसके संबंध में विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।] **(ख)** राज्य में लघु वनोपजों का व्यापार त्रिस्तरीय सहकारिता संरचना के तहत किया जाता है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर जिला स्तरीय सहकारी यूनियन तथा शीर्ष स्तर पर म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ कार्यरत हैं। इसी संरचना के तहत वनोपज व्यापार के लाभ से ग्रामीण अधोसंरचना एवं वन विकास मद के कार्यों के संबंध में म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्णय लिया जाता है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के उप नियम 3 (7) में भी तद्नुसार प्रावधान दिये गये है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है।

पंचायतों के लिए रेत प्रदाय
[खनिज साधन]

96. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 2582) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. रेत नियम 2019 के नियम 4 में क्या-क्या प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार प्रश्नांश दिनांक तक मण्डला, डिण्डौरी एवं बैतूल जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को कितने क्यूबिक मीटर रेत उपलब्ध करवाई जाकर कितनी रॉयल्टी की राशि जमा करवाई गई। **(ख)** नियम 4 के अनुसार ही शासकीय योजनाओं के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों के हितग्राहियों को रेत उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में कितने ग्रामों पंचायतों की कितनी रेत खदानों का चिन्हांकन किया जाकर कितनी-कितनी रेत हितग्राहियों को उपलब्ध करवाई गई विकासखण्डवार बतावें। **(ग)** नियम 4 का पालन किए जाने के संबंध में जिला पंचायत मण्डला, डिण्डौरी एवं बैतूल ने किस-किस दिनांक को क्या-क्या कार्यवाही की है, नियम 4 का पालन नहीं होने का क्या-क्या कारण रहा है?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4 के प्रावधानों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर दर्शित** है। प्रश्नांश अनुसार मंडला, डिण्डौरी एवं बैतूल जिले के ग्राम पंचायतों को रेत उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान न होकर नियमों में ग्राम पंचायत के द्वारा स्वयं कराये गये कार्यों के लिये निकटतम स्वीकृत रेत खदान से रॉयल्टी का भुगतान किये जाने के उपरांत केवल रॉयल्टी वापस किये जाने का प्रावधान है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** नियम 4 (1) में उल्लेखित पंचायत अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राही द्वारा स्वयं रेत क्रय किया जाता है एवं निर्माण कार्य स्वयं के द्वारा कराया जाता है। मंडला जिले की शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर दर्शित** है। प्रश्नांश के संदर्भ में बैतूल एवं डिण्डौरी जिले से **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** नियम 4 (1) में उल्लेखित पंचायत अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राही द्वारा स्वयं रेत क्रय किया जाता है एवं निर्माण कार्य स्वयं के द्वारा कराया जाता है। संबंधित जिलों से **जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** नियम 4 (1) में प्रश्नानुसार प्रावधान नहीं हैं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में दिये गये उत्तर अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

97. अता.प्र.सं.79 (क्र. 2664) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले में कहां-कहां, किन-किन कंपनियों के पेट्रोल पंप, डीजल टैंक तथा गैस एजेंसी संचालित हैं? उनके द्वारा उपभोक्ताओं को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं? **(ख)** फरवरी 22 की स्थिति में रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर पेट्रोल पंप, डीजल टैंक तथा गैस एजेंसी स्वीकृत है परन्तु उनका कार्य अपूर्ण तथा आप्रारंभ है, कारण बतायें। **(ग)** 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में प्रश्नांश (क) एवं (ख) का कंपनी एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया तथा सुधार हेतु क्या-क्या निर्देश दिये? **(घ)** रायसेन जिले में किन-किन स्थानों पर पेट्रोल पंप, डीजल टैंक तथा गैस एजेंसी प्रारंभ करवाने के संबंध में 1 जनवरी 2021 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में माननीय मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब मिले तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। डीजल/पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को नि:शुल्क हवा, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, मानक स्तर की गुणवत्ता मापने के उपकरण की सुविधाएं दी जाती हैं। फिल्टर पेपर भी उपलब्ध रहता है। गैस वितरकों के यहां सिलेण्डर का वजन करने हेतु गोदाम पर एनालॉग/इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन उपलब्ध रहती है एवं हॉकर के पास तोलने हेतु स्प्रिंग बैलेंस रहता है जिससे उपभोक्ताओं के समक्ष सही मात्रा में एल.पी.जी. की तोल की जा सके। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पेट्रोल/डीजल पंप गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया जाता है। अनियमितता पाये जाने पर प्रश्नांकित अवधि में पेट्रोल/डीजल पंप एवं गैस एजेंसियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किये गये। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। इसके अतिरिक्त नापतौल के अधिकारियों द्वारा फरवरी, 2021 में तहसील गौहरगंज में स्थित ए.के. इंटरप्राईजेज इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल/डीजल पंप की जांच की गई। जांच में मशीनें विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत दिये गये अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि सीमा के अंतर्गत सही पायी गई। जिले में समस्त डीजल एवं पेट्रोल पंपों को मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान के नियम, 2011 के नियम 19 (8) के तहत् 05 लीटर का सत्यापित माप रखने के निर्देश दिये गये हैं। प्रश्नांकित अवधि में माननीय मंत्री जी/विभाग के अधिकारियों को प्राप्त विधायकों के पत्र की जानकारी जिले एवं संचालनालय में निरंक है।

राईस मिलों द्वारा अमानक चावल जमा करने पर कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

98. ता.प्र.सं. 14 (क्र. 2690) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लॉकडाउन अवधि में कटनी, रीवा, सतना जिलों के भण्डार गृह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को कितने टन चावल वितरित किया गया तथा कितने टन चावल केन्द्रीय जांच एजेंसी द्वारा अमानक, निम्न गुणवत्ता का पशु के खाने लायक पाया गया? किस-किस भण्डारण गृह में कितना-कितना चावल अमानक पाया गया? जांच प्रतिवेदन की प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार जो चावल अमानक पाया गया, वह किस राईस मिलर से कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ था तथा उसमें से कितना वितरित कर दिया तथा कितना रोक दिया गया, जो चावल रोका गया, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? कहां किस मात्रा में रखा है? मिलवार बताएं। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अमानक चावल की सप्लायर्स फर्म का नाम, मालिक

भागीदार का नाम, सप्लाई की मात्रा दिनांक, भाव, कुल देय राशि भुगतान की दिनांक सहित सूची देवें एवं सप्लायर्स की बिल की प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** बतावें कि अमानक पाए गए कितने टन चावल को राईस मिलर को बदलने हेतु किस नियम तथा आई.पी.सी. की धारा के तहत कहां गया? किस-किस राईस मिलर ने कितना चावल बदला तथा उन पर प्रकरण दर्ज किया गया या नहीं? **(ड.)** चावल काण्ड में किस-किस राईस मिलर पर किस थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया? एफ.आई.आर. की प्रति देवें तथा बतावें कि क्या इसकी विधायकों की कमेटी बनाकर उच्च स्तरीय जांच कराई जावेगी तथा उस काण्ड के घोटाले करने वाले दोषियों के विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई? क्या पूरे प्रकरण की जांच विभाग के किसी दल से कराई गई? यदि हाँ, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** लॉकडाउन अवधि में कटनी, रीवा एवं सतना जिले में उल्लेखित अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को वितरित चावल का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	**जिला**	**मात्रा (मे.टन में)**
01	कटनी	4200
02	रीवा	3945
03	सतना	7292

प्रश्नाधीन अवधि में केन्द्रीय जांच एजेन्सी द्वारा जांच में पाए गए अमानक, निम्न गुणवत्ता के चावल का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	**जिला**	**अमानक (मात्रा मे.टन में)**	
		मात्रा BRL	**Beyond PFA मात्रा**
1	कटनी	निरंक	निरंक
2	रीवा	3542	903
3	सतना	174	निरंक

जांच प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है। **(ख)** उक्त अमानक BRL एवं Beyond PFA के अपग्रेडेशन उपरांत वितरण की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	कुल अमानक चावल (मे.टन.में)	अपग्रेड कर प्राप्त चावल (मे.टन में)	वितरित किया गया चावल (मे.टन में)	शेष मात्रा
1	कटनी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	रीवा	4445	4445	4445	निरंक
3	सतना	174	निरंक	174	निरंक

सतना जिले का अमानक चावल issuable मानक प्रतिशत के अंतर्गत आने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किया गया। उक्त जिलों से मिलरवार प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

"ब" अनुसार है। वर्तमान में अमानक पाए गए चावल का कोई स्टॉक शेष नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। **(घ)** जांच में अमानक पाए गये चावल को राज्य शासन द्वारा जारी मिलिंग नीति में निहित प्रावधानानुसार संबंधित मिलर को वापस कर मानक गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया गया है। अतएव मिलर्स पर आई.पी.सी. की धारा के तहत प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के जवाब के प्रकाश में मिलर्स पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है। मध्यप्रदेश सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय भोपाल स्तर से जिला सतना एवं रीवा में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द"** अनुसार है। रीवा जिले में सम्बंधित मिलर्स के देयकों का भुगतान रोका गया है, देयकों से पेनाल्टी राशि एवं भंडारण शुल्क का कटोत्रा किया जावेगा। उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में पृथक से जांच की आवश्यकता नहीं पाई गई है।

राइस मिलों के जमा चावल के लाट रिजेक्ट किये जाना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

99. अता.प्र.सं.82 (क्र. 2695) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के अंतर्गत जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक की अवधि में केन्द्रीय दल/भारतीय खाद्य निगम एवं निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिन-जिन राइस मिलरों के चावल के लाट फेल किए गए हैं, उनका विवरण राइस मिलवार देते हुए अस्वीकृत पत्रकों की प्रतियां उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित राइस मीलों के कितने लाट ऑनलाईन बी.आर.एल. किए गए कितने ऑफलाईन पृथक-पृथक विवरण दें। **(ग)** प्रश्नांश (क) की राइस मिलरों के जो चावल के लाट अमानक किए गए हैं, उनका उठाव वेयर हाउस से किस दिनांक को किस वाहन क्रमांक से किया गया था? पुन: चावल को अपग्रेड कर किस दिनांक को, किस वाहन क्रमांक से, किस वेयर हाउस में जमा किया गया? विवरण दें। **(घ)** प्रश्नांश (क) की राइस मिलरों के प्रश्नांश (क) की अवधि में ऑनलाईन चावल के लाट रिजेक्ट किए गए हैं, उन राइस मिलरों पर कितनी पेनाल्टी, ब्याज, किस आदेश से कितनी अधिरोपित की गई? पृथक-पृथक विवरण दें। तीन लाट फेल होने पर किन-किन राइस मीलों को ब्लैकलिस्ट किया है? **(ड.)** कटनी जिले में वर्ष 2021-22 में सीधे समितियों से डिलेवर आर्डर से राइस मिलों को जो धान उठाने के आदेश दिये थे वह धान समितियों से उठाने के बाद राइस मिल नहीं पहुंची जिसकी जांच फरवरी 2022 में दल गठित कर कराई गई थी, उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** कटनी जिले के अंतर्गत जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक की अवधि में केन्द्रीय दल/भारतीय खाद्य निगम एवं निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फेल किए गए चावल के लाट की राईस मिलवार एवं अस्वीकृत पत्रकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** कटनी जिले के अंतर्गत जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक की अवधि में ऑनलाईन चावल के लाट बी.आर.एल. नहीं किए गए है। सभी लाट ऑफलाईन रिजेक्ट किए गए है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग)** कटनी जिले के अंतर्गत जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक की अवधि में संबंधित राइस मिलों के 24 स्टैक मात्रा 3025.556 मे.टन विभिन्न गोदामों में अमानक किया गया था। जिसे पुन: अपग्रेड कराकर मात्रा 3027.522 मे.टन प्राप्त कर लिया गया है। अपग्रेड चावल, वाहन क्रमांक, दिनांक, संबंधित मिलर्स एवं गोदामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांकित अवधि में कटनी जिले के मिलर मेसर्स रोहरा इण्डस्ट्रीज कटनी को 13.92 लाख की पेनाल्टी अधिरोपित की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उक्त मिलर को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ब्लैक लिस्टेड किए गए आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(ड.)** कटनी जिले में वर्ष 2021-22 में सीधे समितियों से डिलेवर आर्डर से राइस मिलों को जो धान उठाने के आदेश दिये थे वह

धान समितियों से उठाने के बाद राइस मिल नहीं पहुंची जिसकी जांच फरवरी 2022 में दल गठित कर कराई गई थी, उक्त जांच दल से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार 06 दोषी राईस मिलर्स व 03 समिति कर्मचारियों के विरूद्ध संबंधित थानों में FIR दर्ज कराई गई है। प्रकरण सिविल न्यायालय में प्रचलन में है। जांच प्रतिवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है।

किसानों को प्रदाय की गई आर्थिक सहायता
[राजस्व]

100. अता.प्र.सं.90 (क्र. 2834) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में किसानों को आर्थिक सहायता (मुआवजा) का लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किस-किस योजना में कितना बजट प्रावधान किया गया? कितना बजट आवंटित किया गया और कितना व्यय किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सहायता में कितना राज्यांश और कितना केन्द्रांश था? वर्षवार पृथक-पृथक बतायें। **(ग)** उपरोक्त के संबंध में प्रदेश के कितने किसानों को कितनी आर्थिक सहायता वितरित की गई? वर्षवार पृथक-पृथक बतायें। **(घ)** उपरोक्त के संबंध में प्रदेश के कितने किसानों को आर्थिक सहायता वितरित नहीं की गई? वर्षवार पृथक-पृथक बतायें। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में कब तक किसानों को आर्थिक सहायता वितरित करने का लक्ष्य है?

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत था। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] **(ग)** प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5183714 प्रभावित कृषकों को कुल राहत राशि 22,05,02,57,901/- रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3280126 प्रभावित कृषकों को कुल राहत राशि 30,04,72,92,341/- रूपये वितरित की जा चुकी है। **(घ)** वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में समस्त प्रभावित पात्र कृषकों को राहत राशि स्वीकृति की गई है।

भ्रमित उत्तर देने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

101. अता.प्र.सं.96 (क्र. 2898) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्न क्रमांक 2553 दिनांक 26/07/2017 को माननीय मंत्री जी द्वारा लेख किया था कि अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां एवं आरोप पत्र आदि तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 309/तीन/विभा-जांच/2014 दिनांक 26/03/2014 आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे गए थे? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो क्या कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 141 एवं 142 आदेश दिनांक 26/03/2010 के संबंध में जांच कर अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां भेजी गई थी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो 26/03/2010 को मिलंद नागदेवे द्वारा ही आदेश जारी किया था? **(घ)** प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो मिलंद नागदेवे द्वारा कमिश्नर सागर के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में कहा था कि उक्त आदेश मेरे द्वारा नहीं किया गया? **(ड.)** प्रश्नांश (घ) यदि हाँ, तो क्या मिलंद नागदेवे द्वारा कमिश्नर सागर को भ्रमित एवं गलत उत्तर दिया जाना परिलक्षित होता है? **(च)** प्रश्नांश (ड.) यदि हाँ, तो क्या शासन वरिष्ठ अधिकारियों को गलत एवं भ्रमित उत्तर देने वाले अधिकारी के विरूद्ध दंडात्मक एवं विभागीय जांच की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला रीवा द्वारा जांच कर प्रतिवेदन भेजा गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उचित मूल्य दुकान आवंटन संबंधी आदेश क्रमांक 141 एवं 142 को निरस्त करके मध्यप्रदेश सार्वजनिक

वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के अनुसरण में उचित मूल्य दुकान संचालन कराने की कार्यवाही की जाना योग्य है। प्रतिवेदन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री मिलिन्द कुमार नागदेवे, अनुभाग राजनगर द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के प्रावधाननों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। **(ग)** उपलब्ध रिकार्ड अनुसार तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, रीवा के प्रतिवेदन अनुसार 26.03.2010 को जारी आदेश क्रमांक 141 एवं 142 श्री मिलिन्द कुमार नागदेवे द्वारा ही जारी किए गए हैं। **(घ)** जी हाँ। आयुक्त सागर संभाग द्वारा की गई विभागीय जांच के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख है। **(ड.)** इस बिन्दु पर जानकारी प्राप्त करने हेतु संभागायुक्त सागर को संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा पत्र क्रमांक 5419/खाद्य/वि.स./ 2022 दिनांक 07.07.2022 द्वारा लिखा गया है। **(च)** प्रश्नांश (ड.) में उल्लेखित जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा जाएगा।

राशन वितरण में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

102. अता.प्र.सं.100 (क्र. 2940) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019 से 2021 तक प्रतिवर्ष सार्वजनिक राशन वितरण की सूची में से कितने परिवारों तथा हितग्राही के नाम जुड़े तथा कितने परिवारों तथा हितग्राही के नाम कटे जिलेवार सूची देवें। **(ख)** जिन परिवारों तथा हितग्राही के नाम काटे गये उनके कारण क्या-क्या थे? प्रमुख 05 कारण से कितने-कितने परिवार तथा हितग्राही के नाम कटे? सूची देवें तथा बतावें कि जिनके नाम कटे उनके नाम से कितना राशन निकाला गया? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) 2015 से 2021 तक जोड़े गये बोगस नाम, काल्पनिक हितग्राही की संख्या तथा उनके नाम से निकले राशन की जिलेवार जानकारी दें तथा बतावें कि क्या इस पर किसी शहर में प्रकरण दर्ज किया गया है? **(घ)** शासकीय राशन की सामग्री की अफरा-तफरी के वर्ष 2015 से 2022 तक कितने प्रकरण पाये गये उनमें कौन-कौन से सामग्री कितनी मात्रा में पाई गई? किस-किस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया। वर्षवार जिलेवार बतावे। **(ड.)** 31 जनवरी 2022 की स्थिति में राशन घोटाले पर विभिन्न न्यायालयों से कितने-कितने प्रकरण लंबित है तथा वर्ष 2015 से 2021 तक राशन घोटाले के प्रकरण पर विभिन्न न्यायालयों में हुये फैसले पर कितनों में आरोपी को सजा हुई तथा कितने में आरोपी बरी हुए?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2019 से 2021 तक 1697107 परिवारों के 5976499 हितग्राहियों के नाम जोड़े गये है। उक्त अवधि में कुल 1647368 परिवारों के 5396812 हितग्राहियों के नाम काटे गये। जिलेवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** जिन परिवारों तथा हितग्राही के नाम काटे गये उनके 05 प्रमुख कारण मृत्यु/विवाह/दोहरे अस्तित्व/6 माह में राशन प्राप्त न करने वाले/स्थाई रूप से अन्यत्र जाने वाले आदि थे। विभिन्न कारणों से अपात्र परिवार/हितग्राहियों को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है। उक्त कारणों से हटाये गये हितग्राहियों के नाम से राशन निकालने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। **(ग)** रतलाम शहर में वर्ष 2015-2021 के मध्य अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर के प्रतिवेदन अनुसार 08 दुकानों पर 2846 परिवारों के 18311 सदस्य अपात्र पाये गये। प्रकरण में जनवरी 2018 में 08 दुकान के संचालको, नगर निगम कर्मचारियों तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। **(घ)** शासकीय राशन की सामग्री अफरा-तफरी वर्ष 2015 से 2022 तक के प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ड.)** 31 जनवरी 2022 की स्थिति में राशन घोटाले पर विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण, वर्ष 2015 से 2021 तक राशन

घोटालो के प्रकरण पर विभिन्न न्यायालयों में हुये फैसले पर आरोपी का सजा/बरी हुये की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

खाद्यान्न के परिवहन पर व्यय

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

103. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 2941) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक प्रदेश स्तर पर किस-किस प्रकार का कितना-कितना खाद्यान्न खरीदा गया, परिवहन पर कितना खर्च हुआ तथा सहकारी समिति की हानि (योजना कोड 0570) परिवहन कमीशन (योजना कोड 1299), म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम की खाद्यान्न उपार्जन में हानि (योजना कोड 3229) सहकारी विपणन संघ की खाद्यान्न उपार्जन में हानि (योजना कोड 3248) मद में इन वर्षों में कितना-कितना व्यय किया गया? वर्षवार बतावें। **(ख)** रतलाम जिले में क्रय किये खाद्यान्न की वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की मात्रा तथा कृषक संख्या वर्षवार खाद्यान्न अनुसार बतावें। इसमें से वर्षवार कितना खाद्यान्न विभिन्न योजनाओं के लिये दिया गया तथा कितना खाद्यान्न भा.खा.नि. द्वारा केन्द्रीय पूल में उठाया गया, कितना निम्न गुणवत्ता का हो गया तथा कितना खराब होकर नष्ट किया गया तथा कितना शेष रहा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित निम्न गुणवत्ता तथा शेष गेहूं निष्पादन कैसे किया गया तथा उक्त वर्षों में कितने-कितने जूट, पोली तथा पुराने बारदान क्रय किये गये या शासन से प्राप्त किये गये? कितने उपयोग हुये तथा कितने-कितने शेष रहे? विक्रेता के नाम, पता, दर दिनांक, कुल मात्रा, कुल राशि सहित सूची देवें। **(घ)** रतलाम जिले में क्रय किये गये खाद्यान्न के परिवहन पर वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कितना खर्च किया गया? किस-किस दूरी के लिये किस दर से प्रति ट्रिप कितना भुगतान किया? उक्त दूरी की पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा दर्शायी गयी दूरी तथा गूगल मेप में बताई गई दूरी की सूची देवें। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक उक्त दूरियों पर कितनी ट्रिप का कुल कितना भुगतान किया?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवहन पर हुए व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति (योजना क्र.-0570), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन, कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति (योजना क्र.-1299), मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति (योजना क्र.-3229) एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति (योजना क्र.-3248) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ख)** रतलाम जिले में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने वाले कृषक संख्या एवं उपार्जित मात्रा तथा समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न में से विभिन्न योजनांतर्गत वितरण मात्रा एवं भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल में प्रदाय मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग)** निम्न गुणवत्ता का गेहूँ उपार्जन नहीं होने से निष्पादन का प्रश्न नहीं है। उक्त वर्षों में पीपी जूट तथा एक भर्ती बारदाना की खरीदी, उपलब्धता एवं शेष की स्थिति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(घ)** रतलाम जिले में वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किये गये व्यय से संबधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' अनुसार** है। खाद्यान्न के परिवहन पर वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक उक्त दूरियों पर कुल भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– 'द' अनुसार** है।

कटीपाल एवं गोरखेड़ी बैराज का निर्माण

[जल संसाधन]

104. अता.प्र.सं.107 (क्र. 2996) श्रीमती गायत्री राजे पवार : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र देवास के अंतर्गत कटीपाल बैराज एवं गोरखेड़ी बैराज की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2018 में प्रदान की गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त बैराज का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है? **(ग)** इस संबंध में क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? **(घ)** उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) से (घ)** जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र देवास के अंतर्गत कटीपाल बैराज एवं गोरखेड़ी बैराज की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2018 में प्रदान की गई है। प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्य हेतु एजेंसी का निर्धारण नहीं होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था। उक्त दोनों बैराज की निविदा दिनांक 13.04.2022 को स्वीकृत की जाकर निर्माण एजेंसी के साथ दिनांक 29.04.2022 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैराजों की डिज़ाइन, ड्राइंग तथा पेमेंट शेड्यूल के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना तथा वर्षाकाल समाप्ति के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रतिवेदित है।

प्रदेश में खाद्यान्न की खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

105. ता.प्र.सं. 8 (क्र. 3092) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2012-13 से वर्ष 2021-22 तक शासन स्तर पर किस-किस प्रकार का कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न कुल कितनी राशि का खरीदा गया? उसमें से कितना-कितना खाद्यान्न किस-किस एजेंसी को वितरित किया गया? कितना खाद्यान्न शेष है तथा उसका डिस्पोजल क्या किया गया? **(ख)** वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक किस-किस प्रकार का कितना खाद्यान्न विभिन्न कारणों से निम्न गुणवत्ता का हो गया? निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न में से कितना खाद्यान्न किस दर से किस कंपनी/फर्म को बेचा गया? उससे कितनी राशि की लागत के मान से हानि हुई? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न का विक्रय के पूर्व क्या परीक्षण किया गया था कि वह आदमी के खाने लायक है या नहीं? रिपोर्ट की प्रतियां देवें तथा बतायें कि उस खाद्यान्न को खरीदने वाली कंपनी/फर्म पर विक्रय के समय यह शर्त लगाई थी कि वह मनुष्य के खाने योग्य वस्तु के उत्पाद में इसका उपयोग न करें? यदि नहीं, तो क्यों नहीं लगाई गई? **(घ)** वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक किस-किस प्रकार के खाद्यान्न पर क्रय एवं वितरण पर परिवहन तथा अन्य व्यय कितना-कितना हुआ तथा उससे उस खाद्यान्न पर प्रति किलोग्राम कितना खर्च हुआ? वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक विभिन्न खाद्यान्न की अंतिम अतिशेष मात्रा तथा विभिन्न कारणों से निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न का निष्पादन किस-किस प्रकार किया गया? मात्रा सहित जानकारी देवें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2012-13 से 2021-22 तक वर्षवार समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न की जिन्सवार मात्रा एवं कुल क्रय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। उपार्जित खाद्यान्न को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत पात्र परिवारों को एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों, आंगनवाड़ी, मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत वितरित किया गया तथा अतिशेष स्कंध को भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल में परिदान किया गया। वर्षवार वितरित, केन्द्रीय पूल में परिदान एवं शेष स्कंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। वर्षवार अंतिम शेष स्कन्ध को आगामी वर्ष में उक्त योजनांतर्गत वितरण किया जाता है। **(ख)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न में से जिन्सवार निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न में से विक्रय किए गए खाद्यान्न की मात्रा, दर एवं क्रेता कंपनी/फर्म की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार** है। स्कन्ध की लागत के मान से हुई हानि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे पुस्तकालय में रखे**

परिशिष्ट-'इ' अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न के विक्रय के पूर्व भारतीय खाद्य निगम के संयुक्त दल द्वारा स्कंध का निरीक्षण जिला श्रेणीकरण समिति (डीसीसी) से कराया गया है, निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'फ' अनुसार** है। भारत सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के निस्तारण हेतु भारतीय खाद्य निगम में पंजीकृत विक्रेता को ही क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का विक्रय किया गया है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का विक्रय में यह शर्त अनिवार्य है कि जिस श्रेणी का खाद्यान्न है, उसे उसी श्रेणी/व्यवसाय में उपयोग किया जाए। मनुष्य के खाने योग्य खाद्यान्न में इसका उपयोग नहीं किया जाए। **(घ)** वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक उपार्जित खाद्यान्न के क्रय, वितरण, परिवहन, अन्य मदों पर हुए व्यय एवं खाद्यान्न की प्रति किलो लागत व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'य' अनुसार** है। इस अवधि में उपार्जित खाद्यान्न में से अतिशेष मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। निम्न गुणवत्ता के खाद्यान्न का निष्पादन भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार जिला श्रेणीकरण समिति (डीसीसी) के निरीक्षण उपरांत निविदा के माध्यम से किया गया है। निष्पादन मात्रा सहित की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार** है।

धान खरीदी में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

106. परि.अता.प्र.सं. 87 (क्र. 3138) श्री विनय सक्सेना : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विगत 3 वर्षों में मिलर, खरीदी केंद्र प्रभारी, फर्जी किसानों और अधिकारियों के गठजोड़ से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के प्रकरण विभाग के संज्ञान में आये हैं? यदि हाँ, तो विवरण देवें। **(ख)** उक्त मामलों पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** शासन को उपरोक्त अनियमितताओं से कितनी-कितनी राशि की क्षतिकारित हुई है? उस की वसूली हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? **(घ)** किन किन दोषियों पर कब-कब एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** विगत 03 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान मिलर, खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं फर्जी किसानों द्वारा की गई अनियमितता के प्रकरवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** विगत 03 वर्षों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान मिलर, खरीदी केन्द्र प्रभारी एवं फर्जी किसानों द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान पाई गई अनियमितताओं में जिला अनूपपुर में राशि रूपये 1950192 एवं कटनी जिले में राशि रूपये 68321756 की क्षति हुई है। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने से वसूली शेष है। **(घ)** प्रश्नांश (क) उत्तर के अनुसार है।

<u>परिशिष्ट - "सत्रह"</u>

जिला स्तर पर धान एवं बारदाना खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

107. अता.प्र.सं.121 (क्र. 3153) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रतिवर्ष जिला स्तर पर सिवनी जिले में कितनी-कितनी धान कितने कृषकों से किस दर से कुल कितनी लागत का खरीदा गया? वर्षवार, विधानसभावार, किसानवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में खरीदी गई धान में से कितनी-कितनी धान किस विभाग/संस्था को दिया गया तथा कितनी धान मण्डी में पानी या अन्य कारण से खराब हो गई? प्रश्नाधीन अवधि में प्रतिवर्ष धान हेतु जूट/प्लास्टिक के कितने-कितने बारदाना किस-किस व्यापारी/निर्माता से किस दर से, किस दिनांक को खरीदें गये? वर्षवार कुल खरीदे गये जूट तथा प्लास्टिक के बारदाना की संख्या एवं लागत बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित मात्रा में से कितनी मात्रा का उपयोग हुआ तथा कितने शेष रहे तथा कितने

खराब हो गये? जो शेष रहे तथा खराब हो गये उनका क्या किया गया? **(घ)** क्या धान की खरीदी के लिये पंजीकृत किसान, किसान कोड 221370024112 पं, दिनांक 14/10/2021 एवं किसान, किसान कोड 221370022397 पं, दिनांक 13/10/2021 के पंजीयन होने तथा संबंधित खरीदी केन्द्र द्वारा पोर्टल पर बार-बार अपडेट करने का प्रस्ताव भेजने के बाद भी उक्त किसानों की धान प्रश्न दिनांक तक नहीं खरीदी गई? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? दोषियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सिवनी जिलें में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक अवधि में समर्थन मूल्य पर कृषकों से उपार्जित धान की वर्षवार, मात्रावार, दर एवं लागत की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार** है। किसानवार सूची विस्तृत स्वरूप की होने से दी जाना संभव नहीं है। कृषकवार विक्रय की गई धान की जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध है। **(ख)** सिवनी जिले में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक अवधि में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान को अन्य विभाग/संस्था को नहीं दिया गया है चूंकि उपार्जित धान को अंतर जिला परिवहन कराया गया है। उपार्जित धान मंडी/समिति में पानी या अन्य कारण से खराब होने की सूचना प्रकाश में नहीं आई है। धान उपार्जन हेतु जूट एवं प्लास्टिक के क्रय किए गए बारदाना की व्यापारी/निर्मातावार दर प्रति बारदाना, बारदाना संख्या की वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट–ब अनुसार** है। **(ग)** सिवनी जिले में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक अवधि में क्रय किए गए उपयोग किए गए शेष एवं खराब हुए बारदाने की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट–स अनुसार** है। शेष बारदाने का उपयोग आगामी विपणन मौसम में खाद्यान्न उपार्जन किया गया है बारदाना खराब होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। **(घ)** सिवनी जिले के किसान कोड क्रमांक 221370024112 का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रदर्शित था संबंधित कृषक को अपनी उपज विक्रय करने हेतु पंजीयन में दर्ज मोबाईल नंबर पर दिनांक 28.12.2021 को प्रथम एसएमएस प्रेषित किया गया था जिसकी वैधता दिनांक 06.01.2022 तक थी। प्राप्त एसएमएस की वैधता अवधि में कृषक द्वारा उपार्जन केन्द्र पर अपनी उपज का विक्रय नहीं किया गया है। इसी प्रकार किसान कोड क्रमांक 221370022397 का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रदर्शित था संबंधित कृषक को अपनी उपज विक्रय करने हेतु पंजीयन में दर्ज मोबाईल नंबर पर दिनांक 09.12.2021 को प्रथम एसएमएस प्रेषित किया गया था जिसकी वैधता दिनांक 20.12.2022 तक थी। प्राप्त एसएमएस की वैधता अवधि में कृषक द्वारा उपार्जन केन्द्र पर अपनी उपज का विक्रय नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "अठारह"</u>

सिवनी के ओपन कैम्पों में भण्डारित अनाज
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

108. अता.प्र.सं.122 (क्र. 3154) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कृषि उपज के उपार्जन और भण्डारण के शासनादेश/विभागीय निर्देश हैं? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में लागू नीति एवं नियम/निर्देश बतावें और विगत 05 वर्षों में उपार्जन एवं भण्डारण में शासन/विभाग को ज्ञात अनियमितताओं पर की गई, कार्यवाही से अवगत करावें। **(ख)** ओपन कैम्पों में भण्डारित अनाज की सुरक्षा/उपचार एवं भण्डारण की समयावधि के वर्तमान में क्या नियम/निर्देश हैं और भण्डारित अनाज के सुरक्षा/उपचार/देखरेख और अनाज के भण्डारण एवं उठाव का दायित्व/कार्य किस-किस कार्यालय/विभाग के किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों का नियत है? **(ग)** सिवनी जिले में कितनी-कितनी क्षमता के कितने ओपन कैम्प कहां-कहां कब से स्थापित हैं, विगत 05 वर्षों में कैम्पवार मरम्मत/संधारण के क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि से कराये गये, भण्डारित अनाज की सुरक्षा/उपचार के लिये क्या-क्या व्यवस्था की गई?

कितनी-कितनी राशि किस हेतु व्यय की गई? **(घ)** प्रश्नांश (ग) विगत 05 वर्षों में कैम्पवार किस-किस कृषि उपज/अनाज का कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब भण्डारण किया गया? अनाज को कब से कब से भण्डारित रखना था? कब तक रखा गया? नियत अवधि के पश्चात भी अनाज के भण्डारित रहने का कारण बताइयें। **(ड.)** प्रश्नांश (ख) क्या भण्डारित अनाज खराब/क्षतिग्रस्त हुआ? हाँ, तो कितनी मात्रा में कितनी लागत का कौन-कौन सा अनाज और किन-किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ? भण्डारित अनाजों को सुरक्षित करने के क्या-क्या प्रयास किये गये? कैम्पवार बताइयें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** कृषि उपज के उपार्जन एवं भण्डारण के संबंध में रबी एवं खरीफ मौसम हेतु जारी नीति प्रतिवर्ष लिए जारी की जाती है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 एवं रबी विपणन वर्ष 2021-22 हेतु जारी नीति की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–अ अनुसार** है। सिवनी जिले में उपार्जन कार्य में ज्ञात अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार** है। **(ख)** ओपन केप में भण्डारित अनाज की सुरक्षा/उपचार हेतु समय-समय पर धूमीकरण एवं कीटनाशक दवाईयों के छिड़काव का कार्य किया जाता है। ओपन केप में भण्डारण की समयावधि के संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। ओपन केप में भण्डारित अनाज की सुरक्षा/उपचार/देखरेख का कार्य उपार्जन एजेंसी मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के कार्यरत गुणवत्ता नियंत्रक तथा भण्डारण एजेंसी मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक को दायित्वधीन किया गया है। भण्डारित अनाज के उठाव का दायित्व जमाकर्ता एजेंसी एवं मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के शाखा प्रबंधक का होता है। **(ग)** सिवनी जिले में खाद्यान्न के भण्डारण हेतु संचालित ओपन केप की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। भण्डारित अनाज की सुरक्षा हेतु डनेज शीट, केप कवर तथा टॉपनेट आदि की व्यवस्था की गई है। विगत 05 वर्षों में अनाज की सुरक्षा के संबंध में हुए व्यय तथा ओपन केपवार मरम्मत/संधारण से संबंधित व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार** है। **(घ)** सिवनी जिले में केपवार जिन्सवार भण्डारित मात्रा, उठाव की मात्रा एवं समयावधि पश्चात शेष भण्डारित मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार** है। **(ड.)** सिवनी जिले में भण्डारित अनाज खराब/क्षतिग्रस्त होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। प्राकृतिक कारणों से स्टेग के बाहरी सतह के बारदाने खराब हुए है तथा उसके संपर्क में आए अनाज की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए डनेज शीट, केप कवर, टॉपनेट एवं धूमिकरण तथा कीटनाशक दवाईयों के छिड़काव की व्यवस्था की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अनाज की कालाबाजारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

109. परि.अता.प्र.सं. 95 (क्र. 3200) श्री राम दांगोरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितनी कंट्रोल दुकानों का निरीक्षण वर्ष 2022 में आज तक किया गया है? कितनी दुकानों में अनियमितता पाई गई है? ऐसी दुकानों की सूची नाम सहित बताएं। **(ख)** खंडवा जिले के अंतर्गत अनाज के अवैध एवं कालाबाजारी के विगत 3 वर्षों में कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? दर्ज प्रकरणों में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया एवं कितने को सजा मिली है? नाम सहित सूची उपलब्ध कराएं। **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में क्या दोषी पाए गए व्यक्तियों को भी परिवहन का ठेका दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? ठेका देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है? **(घ)** गोडाउन से अनाज आवंटित होने तथा दुकानों तक पहुँचने के बीच परिवहन पर निगरानी का कोई प्रावधान है? यदि हाँ,

तो बतावें। **(च)** अनाज परिवहन के दौरान अनियमितता के कितने प्रकरण बनाए गए हैं? नाम सहित सूची उपलब्ध कराएं।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** खंडवा जिले में अनाज के अवैध परिवहन एवं कालाबाजारी के 03 प्रकरण दर्ज किये जाकर संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाकर तीनों प्रकरण न्यायालय में प्रचलित हैं। **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में जिन परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण दर्ज हुए है उन्हे पुन: परिवहन का ठेका नहीं दिया गया हैं। इसलिए अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। **(घ)** गोडाउन से अनाज के परिवहन कर उचित मूल्य दुकान पर पहुँचाने तक की स्थिति ऑनलाइन जारी डी.ओ. का समय तथा दिनांक एवं दुकान पर खाद्यान्न प्राप्ति की पावती तथा दिनांक व समय के आधार पर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निगरानी रखी जाती है साथ ही क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के द्वारा भी परिवहन व्यवस्था पर निगरानी रखी जाती है। परिवहन करने वाले वाहनों पर शासकीय खाद्यान्न के परिवहन संबंधी सूचना भी प्रदर्शित की जाती है जिससे आम नागरिक को भी यह पता चल सके कि शासकीय योजना के खाद्यान्न का परिवहन संबंधित वाहन से हो रहा हैं। **(च)** जिले में अनाज परिवहन के दौरान पाई गई अनियमितता के निम्नानुसार 03 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं:- 1. मैं. गुरूनानक रोडलाईन्स, प्रो.मो.अरबाज गुलमोहर कॉलोनी एवं अन्य आरोपी असलम पिता कासम चौहान, शहबाज पिता अकरम चौहान खंडवा। 2. मैं. सामोती रोडलाईन्स, प्रो.मो.अशफाक गुलमोहर कॉलोनी खंडवा एवं अन्य आरोपी सादिक खान, राजेश, दुलीचंद, रोहित, आकाश, मो. फारूख, खंडवा। 3. मैं.खंडवा गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रो. मो. सादिक घासपुरा खंडवा एवं अन्य आरोपी अरबाज चौहान, फहीम ड्रायवर, गोदाम मालिक जाफर मो. असलम चौहान, शाहबाज चौहान खंडवा।

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

110. अता.प्र.सं.143 (क्र. 3250) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी-कितनी उचित मूल्य की दुकानों को महिला स्व-सहायता समूह एवं संस्था के माध्यम से संचालित किया जा रहा है? कृपया दुकानवार, संचालनकर्ता का नाम, पता सहित एवं समूहवार सूची दें। **(ख)** माह-दिसम्बर 2021 से 15 फरवरी 2022 तक की अवधि में कितना खाद्यान्न उन उचित मूल्यों की दुकानों को आवंटित किया गया तथा कितना प्रति माह शेष रहा और प्रति दुकान कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है? प्रति दुकानवार, हितग्राहीवार सूची दें। **(ग)** खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या इनकी जांच कराकर कार्यवाही करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में दुकानों को आवंटित खाद्यान्न के मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है एवं वितरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

धान खरीदी में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

111. परि.अता.प्र.सं. 114 (क्र. 3278) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मण्डला जिले में धान खरीदी के दौरान उपार्जन केंद्र खलौड़ी के केंद्र क्रमांक 2 भीमडोंगरी में खरीदी

प्रभारी द्वारा किसानों से प्रति बोरी 40 कि.ग्रा. की बजाए 41.5 कि.ग्रा. धान ली गई है? क्या इस संबंध में किसानों द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी? क्या किसानों से प्रति बोरी 1 कि.ग्रा. धान अधिक लेने की शिकायत बोरियों का तौल करने पर सही पाई गई? क्या इस हेतु दिनांक 07 जनवरी 2022 को केंद्र में किसानों व ओ.आई.सी. द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर पंचनामा तैयार किया गया था? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या उक्त दिनांक तक केंद्र में 30,000 बोरियों में धान खरीदी की जा चुकी थी? क्या किसानों से प्रति बोरी 1 कि.ग्रा. धान अधिक लेने के आधार पर 30,000 कि.ग्रा. धान ज्यादा ली गई जो कि खरीदी प्रभारी से वसूली योग्य माना गया था? यदि हाँ, तो क्या यह वसूली की गई? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या इस संबंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा थाना मोतीनाला में शिकायत दर्ज करवाई गई थी एवं पुलिस द्वारा ओ.आई.सी. केंद्र प्रभारी व विभाग से प्रतिवेदन जानकारी मांगी गई है? यदि हाँ, तो पुलिस को अब तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का क्या कारण है? क्या विभाग द्वारा इस गड़बड़ी की एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी? यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** मण्डला जिले में धान खरीदी के दौरान उपार्जन केन्द्र खलौड़ी के केन्द्र क्रमांक-2 पर किसानों से निर्धारित मात्रा 40 किलोग्राम के स्थान पर 41.5 किलोग्राम के मान से खरीदी की दिनांक 07.01.2022 को मौखिक शिकायत के आधार पर जांच सहायक आयुक्त सहकारिता मण्डला द्वारा कराई गई है। शिकायत की जांच उपरांत कार्यवाही करते हुए खरीदी केन्द्र प्रभारी को तत्काल हटा दिया गया है। **(ख)** सहकारिता विभाग द्वारा कराई गई जांच अनुसार उपार्जन केन्द्र पर दिनांक 07.01.2022 तक 30 हजार बोरी धान का उपार्जन किया जा चुका था। प्रकरण की विस्तृत जांच में प्रति बोरी 01 किलोग्राम अधिक मात्रा की तौल करने संबंधी कोई प्रमाण नहीं पाया गया है। दिनांक 06.01.2022 एवं 07.01.2022 को उपार्जित मात्रा के परिवहन हेतु तौल कराए जाने पर प्रति बोरी औसत वजन 40.60 किलोग्राम पाया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। थाना प्रभारी मोतीनाला द्वारा स्थानीय नागरिकों द्वारा की गई शिकायत के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया था। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं सहकारिता निरीक्षक मवई द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन थाना प्रभारी मवई को प्रेषित किया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर उपार्जन केन्द्र प्रभारी रूपदास महेश्वरी को किसानों से अभद्र व्यवहार करने की शिकायत के आधार पर उपार्जन कार्य से पृथक किया गया है। जांच समय उपार्जित मात्रा की रेण्डम तौल कराने पर प्रति बोरी औसत वजन निर्धारित मात्रा अनुसार 40.560 किलोग्राम पाई गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खाद्यान्न स्टॉक में अनियमितता की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

112. परि.अता.प्र.सं. 118 (क्र. 3289) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4719 दिनांक 15.03.2021 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार आवंटित खाद्यान्न पी.ओ.एस. मशीन पर लंबित होने हेतु संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान का सैल्समेन एवं नागरिक आपूर्ति निगम का परिवहनकर्ता एवं केन्द्र प्रभारी जिम्मेदार है, संबंधी जानकारी दी गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक संबंधित जिम्मेदारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 4346 विधानसभा/2021 भोपाल दिनांक 04.03.2021 से उक्त प्रकरण में संबंधित गोदाम प्रभारी एवं जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज

कॉर्पोरेशन राजगढ़ के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अवगत करने हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन भोपाल मध्यप्रदेश को लेख किया गया था? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन राजगढ़ का शासन द्वारा अन्यत्र किये गये स्थानांतरण पर स्थगन आने से उक्त स्थगन को शून्यचित्त/अपास्त (वेकेट) करवाने हेतु प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4719 दिनांक 15.03.2021 के उत्तर की कंडिका (ख) अनुसार आवंटित खाद्यान्न पीओएस मशीन पर लंबित होने हेतु संबंधित शासकीय उचित दुकान का सेल्समेन एवं नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता एवं केन्द्र प्रभारी जिम्मेदार है। राजगढ़ जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान कुरावर (3206042) पर माह मार्च 2020 से जनवरी 2021 तक परिवहनकर्ता द्वारा पावती कार्पोरेशन जिला कार्यालय में जमा नहीं कराई गई के संबंध में जिला प्रबंधक, राजगढ़ एवं गोदाम प्रभारी के पर्यवेक्षण में कमी के दृष्टिगत जिला प्रबंधक, राजगढ़ एवं संबंधित गोदाम प्रभारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **(ख)** संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 4346/विधानसभा/2021 भोपाल दिनांक 04.03.2021 के अनुक्रम में राजगढ़ जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान कुरावर (3206042) पर माह मार्च 2020 से जनवरी, 2021 तक परिवहनकर्ता द्वारा पावती कार्पोरेशन जिला कार्यालय में जमा नहीं कराई गई, के संबंध में जिला प्रबंधक, राजगढ़ एवं गोदाम प्रभारी के पर्यवेक्षण में कमी के दृष्टिगत जिला प्रबंधक, राजगढ़ एवं संबंधित गोदाम प्रभारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। **(ग)** सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के आदेश क्रमांक/स्थापना 1/83190/1097/दिनांक 11.11.2021 द्वारा श्री बी.एम. गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर से रिट क्रमांक 25227/2021 से स्थगन प्राप्त किया गया। कार्पोरेशन मुख्यालय द्वारा प्रकरण में कार्पोरेशन के पक्ष समर्थन हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक, इंदौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय से स्टे वेकेंट कराने की कार्यवाही प्रचलन में है।

जूट पोली तथा पुराने बारदानो एवं खाद्यान्न का परिवहन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

113. अता.प्र.सं.158 (क्र. 3296) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक जूट पोली तथा पुराने बारदान कितने-कितने नग (गठान न बतावें) किस औसत दर से खरीदे गये? **(ख)** प्रश्नाधीन वर्ष प्रारंभ में पिछले वर्ष के कितने बारदान स्तक (शेष) में थे तथा वर्षभर से कुल कितने बारदान का उपयोग किया गया तथा कितने शेष रहे तथा कितने बारदान खराब होने से नष्ट कर दिये गये? **(ग)** वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक खरीदे गये खाद्यान्न के परिवहन पर कुल कितना खर्च हुआ? उस अवधि में कुल कितना खाद्यान्न परिवहन किया गया तथा परिवहन का प्रति किलोमीटर औसत खर्च क्या रहा? **(घ)** वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक खाद्यान्न उपार्जन पर परिवहन के अतिरिक्त किस किस मद में कितना खर्च हुआ तथा इस अवधि में कुल कितना खाद्यान्न क्रय किया गया? वर्षवार बतावें। **(ड.)** वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक धार तथा रतलाम जिले में खरीदे गये खाद्यान्न तथा बारदान की मात्रा तथा उपयोग किये बारदान की मात्रा तथा परिवहन पर हुए खर्च तथा उपार्जन पर हुए अन्य खर्चे की जानकारी देवें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक जूट 81,29,78,000, पीपी 53,62,26,000 एवं एक भरती जूट बारदाना 6,26,65,500 नग क्रय किया गया है। जूट बारदाने की औसत दर रू. 45.25, पीपी बारदाने की औसतदर रू. 20.83 एवं एक भरती जूट बारदाने का

औसत दर रू. 37.25 प्रति नग रही है। **(ख)** वर्ष 2015-16 से पूर्व 1,95,00,000 नग बारदाने शेष रहे जिनका उपयोग आगामी सीजन में किया गया है, कोई भी बारदाने खराब नहीं हुए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** नोडल एजेंसी द्वारा वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन पर किए गए व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक लेखा को तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। उपरोक्त वर्षों में उपार्जित स्वीकृत मात्रा का शत-प्रतिशत परिवहन किया गया है। प्रदेश के जिलों में खाद्यान्न परिवहन हेतु लीडवार परिवहन दर स्वीकृत होती है, प्रति किलोमीटर औसत खर्च गणना की जानकारी उपलब्ध कराई जाना संभव नहीं है। **(घ)** वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन के अतिरिक्त मंडी/निरासरित टैक्स एवं कमीशन आदि पर हुए व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक लेखा को तैयार करने की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ड.)** वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि में जिला धार एवं रतलाम में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न एवं बारदाने की मात्रा तथा उपयोग किये बारदाने की मात्रा तथा परिवहन पर हुए खर्च तथा उपार्जन पर हुए अन्य खर्चे की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है।

धान खरीदी व परिवहन संबंधी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

114. परि.अता.प्र.सं. 126 (क्र. 3321) श्री सुनील सराफ : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पुष्पराजगढ़ जैतहरी में उचित मूल्य दुकानों में राशन पहुँचाने के कार्य में दोषी पाए जाने के कारण परिवहनकर्ता फौजी ट्रांसपोर्ट के विरूद्ध सितम्बर 2021 में न्यायालय कलेक्टर द्वारा राशि रू. 52, 53, 969=00 की पेनाल्टी लगाई गई थी? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त राशि की वसूली विभाग द्वारा कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या धान खरीदी केन्द्रों के निकटतम भण्डारण स्थल मौजूद होने के उपरांत भी अनूपपुर जिले की धान डिण्डौरी, शहडोल जिले की धान उमरिया भेजने का कार्य किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसकी विगत 02 वर्ष की जानकारी धान मात्रा, परिवहन स्थानों के नाम, परिवहनकर्ता नाम, वाहन नंबर जी.एस.टी. नम्बर सहित देवें। ऐसा करके परिवहनकर्ताओं को लाभ पहुँचाने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा? **(ग)** वर्ष 2019-20, 2020-21 में अनूपपुर, उमरिया एवं शहडोल जिलों में किए जाने वाले समस्त परिवहनकर्ताओं के नाम, रूट चार्ट, दूरी (किलोमीटर में) एवं भुगतान की गई राशियों का विवरण टी.डी.एस. कटौत्रे के साथ देवें। **(घ)** वर्ष 2019-20, 2020-21 में अनूपपुर, उमरिया, शहडोल जिलों में कितने परिवहनकर्ताओं पर कितनी पेनाल्टी लगाई गई है? आरोप पत्र, जांच प्रतिवेदन एवं वसूली आदेश की प्रतियां उपलब्ध करावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़, जैतहरी की उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री पहुँचाने के कार्य में दोषी पाये जाने के कारण परिवहनकर्ता फौजी ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर द्वारा नियमानुसार पेनाल्टी अधिरोपित कर परिवहनकर्ता से वसूल किए जाने हेतु जिला प्रबंधक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को आदेशित किया गया है। यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** अनूपपुर जिले की धान मुख्यालयीन आदेश क्र./165 दिनांक 10.12.2021 के द्वारा डिण्डौरी जिले हेतु 10000 मे.टन एवं उमरिया जिले हेतु 5000 मे.टन भेजने हेतु जारी किया गया था जिसके अनुसार जिले में भंडारण हेतु पर्याप्त रिक्त स्थान नहीं होने के कारण 6945 मे.टन डिंडौरी एवं 3925 मे.टन धान उमरिया परिवहन कराया गया। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में शहडोल हेतु 2182 मे.टन का परिवहन किया गया है। विगत दो वर्षों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। शहडोल जिले में उपार्जित धान के भंडारण हेतु क्षमता उपलब्ध नहीं होने के कारण मुख्यालयीन आदेश

क्र./भंडारण/165 भोपाल दि. 10.12.2021 द्वारा भंडारण प्लान अंतर्गत धान के अंतर जिला उमरिया हेतु 7000 मे.टन परिवहन की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध 1966.1 मे.टन धान का परिवहन किया गया। उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर जिले से उपरोक्तानुसार धान परिवहन उपरांत उमरिया जिले में जमा की गई है, जिसका परिवहन संबंधित जिले के परिवहनकर्ता द्वारा किया गया है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** अनूपपुर जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। शहडोल जिले में वर्ष 2019-20 में जिले में धान परिवहन हेतु अनुबंधित परिवहनकर्ता जय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट से राशि रुपये दो लाख पचास हजार रुपये पेनाल्टी वसूल की गई है। वर्ष 2020-21 में धान परिवहन हेतु अनुबंधित परिवहनकर्ता मे. सानू ट्रांसपोर्ट से राशि रुपये एक लाख पेनाल्टी वसूल की गई है तथा मे. साद रोडलाईंस से राशि रुपये पचास हजार पेनाल्टी वसूलकी गई है। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स'** में समाहित है। उमरिया जिले में वर्ष 2019-20 में धान परिवहन में. शंकर गुप्ता पर रुपये दो लाख की पेनाल्टी वसूली की गई है। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स'** में समाहित है।

आत्म निर्भर भारत पैकेज योजना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

115. अता.प्र.सं.172 (क्र. 3332) श्री सुखदेव पांसे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत नहीं आने वाले प्रदेश के पात्र दिव्यांगों को आत्म निर्भर भारत पैकेज योजना में शामिल किये जाने के निर्देश जारी किए है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रदेश के किस-किस जिले में कितने-कितने पात्र दिव्यांगों को आत्म निर्भर भारत पैकेज योजना में शामिल किया गया? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि योजना अनुसार समय पर कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नांकित स्वरूप का कोई निर्देश विभाग के संज्ञान में नहीं है। **(ख)** प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् 27 प्राथमिकता श्रेणी में सम्मिलित ''दिव्यांगजन'' (40% से अधिक नि:शक्तता संबंधी UDID कार्ड धारक) श्रेणी अंतर्गत वर्तमान में 31810 परिवारों के 141099 सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत शामिल किया गया है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मध्यम छापी सिंचाई परियोजना की जानकारी
[जल संसाधन]

116. परि.अता.प्र.सं. 133 (क्र. 3345) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील के अंतर्गत निर्मित मध्यम छापी सिंचाई परियोजना के नहरों के द्वारा किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी सिंचाई की गई? साथ ही ग्रामों की कुल कृषि भूमि की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** छापी जलाशय से नहरों द्वारा सिंचित भूमि के बाद जो रकवा कमाण्ड क्षेत्र में शेष बचा है, क्या उसको कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना के सेल्व क्षेत्र में लिया जाना है? इस बाबत् विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है व शेष बचे कृषकों को कुण्डालिया वृहद परियोजना के प्रेसिजन पाइप द्वारा पानी दिया जा सकेगा? **(ग)** छापी जलाशय से नहरों द्वारा सिंचित भूमि के बाद जो रकवा कमाण्ड क्षेत्र में शेष बचा है, क्या उसको कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना के सेल्व क्षेत्र में लिया जाना है? इस बाबत् विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है व शेष बचे कृषकों को कुण्डालिया वृहद परियोजना के प्रेसिजन पाइप द्वारा पानी दिया जा सकेगा?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जाती है।**] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग)** वर्तमान स्थिति यह है कि कुण्डालिया परियोजना अंतर्गत प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली से सिंचाई हेतु प्रचलित अनुबंधानुसार छापी कमाण्ड़ क्षेत्र को कुण्डालिया सैच्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि छापी कमाण्ड क्षेत्र से लगे हुए ग्रामों के असिंचित कृषि योग्य रकबे को वर्तमान में आंशिक रूप से कुण्डालिया वृहद परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में सम्मिलित करने की कार्यवाही परियोजना संचालक, एम.के.पी.एम.यू. राजगढ़ कार्यालय में प्रचलन में होना प्रतिवेदित है। छापी कमाण्ड क्षेत्र के लगे हुए ग्रामों के असिंचित रकबे की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब"अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

उचित मूल्य की दुकानों के अनाज का विक्रय
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

117. परि.अता.प्र.सं. 135 (क्र. 3349) श्री आरिफ अक़ील : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासकीय उचित मूल्य की दुकानों (पी.डी.एस.) से नागरिक आपूर्ति निगम की बोरियों में भरा गल्ला, बाजार/मण्डी में बेचने व संबंधित अधिकारियों द्वारा जब्त किये जाने का मामला दिनांक 19 फरवरी 2022 को प्रकाश में आया है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि भोपाल सहित प्रदेश में किस-किस जिले में वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में गल्ला बेचने के मामले कहाँ-कहाँ उजागर हुए है? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि प्रश्न दिनांक की स्थिति में गरीबों के गल्ले का विक्रय करने वाले माफियाओं के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या और किन-किन के विरूद्ध और यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** भोपाल नगर निगम क्षेत्र में दिनांक 18.02.2022 को करोंद मंडी गेट नंबर 1 के सामने लोडिंग वाहन में 10.25 क्विंटल गेहूं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रतीक चिन्ह (Logo) वाली खुली बोरियों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं होने के संदेह के आधार पर जप्त किया गया था। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश के जिलों में उक्तानुसार गल्ला बेचने के मामलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

संबल योजनांतर्गत पंजीकरण
[श्रम]

118. अता.प्र.सं.179 (क्र. 3356) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रश्न दिनांक तक कितने हितग्राहियों का पंजीयन किया गया? क्या निर्धारित लक्ष्य अनुसार पंजीयन पूर्ण कर लिये गये है अथवा वर्तमान में पंजीयन किये जा रहे है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? **(ख)** क्या पंजीकृत सभी हितग्राहियों का सत्यापन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो कितने शेष है शेष हितग्राहियों का सत्यापन कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? सत्यापन उपरांत कितने हितग्राही पात्र तथा कितने अपात्र घोषित किये गये? क्या कुछ पात्र हितग्राहियों से बगैर संपर्क किये उन्हें अपात्र घोषित किया गया हैं? यदि हाँ, तो शासन ऐसे पात्र हितग्राहियों का पुन: सत्यापन करायेगा तथा कब तक? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है? **(ग)** पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत कितने हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं में लाभ मुहैया कराया गया हैं? नामवार, ग्रामवार सूची उपलब्ध करायें।

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 135175 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया पंजीयन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था। वर्तमान में पंजीयन नहीं किया जा रहा है। पंजीयन प्रारभ किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है **(ख)** पंजीकृत हितग्राहियों की सत्यापन की कार्यवाही निरंतरित है। 5 लाख श्रमिकों का सत्यापन शेष है,। सत्यापन उपरांत 1 लाख 42 हजार हितग्राही पात्र चिन्हित किये गये व 75 लाख श्रमिक अपात्र चिन्हित किये गये, जी नहीं अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजनांतर्गत जिन हितग्राहियों को लाभ उपलब्ध कराया गया है। उनकी नामवार, ग्रामवार सूची संकलित की जा रही है।] **(ग)** पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत जिन हितग्राहियों को लाभ उपलग्ध कराया गया है, उनकी नामवार, ग्रामवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

पात्र हितग्राहियों को लाभ से वंचित करने वालों पर कार्यवाही

[श्रम]

119. परि.अता.प्र.सं. 142 (क्र. 3375) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल व रीवा संभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभाग द्वारा संचालित किन-किन योजनाओं के लाभ से कितने श्रमिकों को वर्ष 2018 से प्रश्नांश तक के दौरान लाभान्वित किया गया, का विवरण विभागवार संचालित योजनावार लाभान्वित श्रमिकों का जनपदवार जिलावार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं में साइकिल अनुदान, दो पहिया वाहन अनुदान, औजार उपकरण हेतु अनुदान का लाभ कितने श्रमिकों को कब-कब दिया गया, का विवरण वर्षवार, जिलावार, जनपदवार व ग्राम पंचायतवार देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित योजनाओं में से शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ कितने छात्र-छात्राओं को दिया गया, का विवरण प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार अवधि व समय का देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार संचालित योजनाओं के प्रचार प्रसार बाबत् क्या कार्यवाहियां की गई? कितने आवेदन पत्र किन-किन योजनाओं बाबत् किन सक्षम अधिकारियों के कार्यालय में प्राप्त हुये? उनमें से कितने आवेदन पत्रों का निराकरण कब-कब किया गया? विवरण प्रश्नांश (क) की अवधि अनुसार जनपदवार, पंचायतवार देवें। **(ड.)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) की संचालित योजनाओं का लाभ संबंधित पात्र हितग्राहियों को नहीं दिया गया। पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हुये, प्रश्नांश (घ) अनुसार योजनाओं की जानकारी का प्रचार प्रसार नहीं किया गया जो आवेदन प्राप्त हुये उनका भी समय पर निराकरण कर लाभ प्रदान नहीं किया गया, इसके लिये किन-किन को जिम्मेदार मानकर उन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** शहडोल व रीवा संभाग में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत संचालित योजनाओं में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। जनपदवार **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** मण्डल द्वारा संचालित साइकिल अनुदान एवं औजार उपकरण हेतु अनुदान योजना अंतर्गत लाभान्वित किये जाने की वर्षवार, जिलावार, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार जानकारी अत्यंत विस्तृत प्रकृति की है, जो कि **संकलित की जा रही** है। दो पहिया वाहन अनुदान योजना समाप्त की जा चुकी है। **(ग)** मण्डल द्वारा संचालित शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(घ)** मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स, पेमप्लेट, जिला स्तर पर आयोजित लोक कल्याण शिविरों के माध्यम से किया गया। शेष प्रश्नांश में वांछित जानकारी अत्यंत विशद् प्रकृति की है, जिसे **संकलित किया जा रहा** है।

(ड.) मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का संबंधित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा श्रमिक की पात्रतानुसार एवं योजना के नियमानुसार परीक्षण कर निराकरण किया जाता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।] **(क)** शहडोल व रीवा संभाग में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाओं में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक लाभान्वित हितग्राहियों का जिलेवार, योजनावार एवं जनपदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। **(ख)** मण्डल द्वारा संचालित साइकिल अनुदान एवं औजार उपकरण हेतु अनुदान योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की वर्षवार, जिलावार, जनपदवार, ग्राम पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। दो पहिया वाहन अनुदान योजना समाप्त की जा चुकी है। **(घ)** मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार समय-समय पर योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स, पेमप्लेट, जिला स्तर पर आयोजित लोक कल्याण शिविरों के माध्यम से किया गया। मण्डल अंतर्गत संचालित योजनाओं में हितलाभ हेतु सक्षम अधिकारियों के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या एवं निराकरण संबंधी जनपदवार, पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र द अनुसार** है।

हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

120. परि.अता.प्र.सं. 145 (क्र. 3401) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत शासन/विभाग के माध्यम से चिन्हित गरीब परिवारों को निर्देशित/आदेशित विभिन्न श्रेणीगत खाद्यान्न का वितरण किया जाता है? **(ख)** यदि हाँ, तो बताएं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को किस-किस श्रेणीगत पात्रता अनुसार कितना-कितना खाद्यान्न वितरण किया जाता है और यदि किया जा रहा है तो वितरण का सत्यापन किस प्रकार होता है? **(ग)** पात्रता अनुसार परिवारों को चिन्हित कर खाद्यान्न वितरण किया जाता है, तो हितग्राहियों में सम्मिलित किन्तु कूटरचित दस्तावेजों से बने फर्जी हितग्राहियों की किस प्रकार जांच की जाती है? कितने फर्जी कार्ड निरस्त किये गये है? **(घ)** उपरोक्तानुसार वर्ष 2018-19 से लेकर प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिला अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की कुल कितनी दुकानें/केन्द्रों पर कितने-कितने हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं? उपरोक्त वर्षों में खाद्यान्न की चोरी तथा निर्धारित मापदण्ड से कम मात्रा में खाद्यान्न दिये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त होकर उन पर क्या कार्यवाही की गई? साथ ही बताएं कि दुकान/गोदामों की जांच भौतिक सत्यापन सहित किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब की गई?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 28 श्रेणी के सम्मिलित परिवारों को सत्यापन उपरांत जारी पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। **(ख)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों में से अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रतिमाह/सदस्य के मान से 01 रू. प्रति किलो की दर से एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत पात्र परिवारों 5 किलो प्रतिमाह/सदस्य के मान से नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध वाली 24,953 दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले हितग्राही के बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत एवं नेट कनेक्टिविटीविहीन 746 दुकानों से समग्र परिवार आईडी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। हितग्राहियों राशन वितरण उपरांत पीओएस मशीन से जारी पावती देने की व्यवस्था की गई है तथा पोर्टल पर हितग्राही के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वितरित सामग्री की जानकारी दी जा रही है। साथ ही, प्रत्येक माह की 7 तारीख को नोडल अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अन्न उत्सव का आयोजन कर राशन का वितरण कराया जा रहा है एवं समय-समय पर विभागीय अमले द्वारा

उचित मूल्य दुकानों से वितरित राशन का सत्यापन कराया जाता है। **(ग)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी करने की कार्यवाही प्रचलित है, जिसमें हितग्राही के समग्र डाटाबेस में दर्ज नाम एवं विवरण तथा आधार पंजीयन में उल्लेखित नाम एवं विवरण का मिलान किया जाता है। वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से मृत, विवाह होने, स्थाई रूप से प्रवास पर होने एवं पात्रता श्रेणी में न रहने के कारण अपात्र हुए हितग्राही को हटाने की कार्यवाही पोर्टल से सतत् रूप से की जाती है। हितग्राही के पात्रता संबंधी दस्तावेज संबंधित विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं एवं पोर्टल पर सत्यापन हेतु हितग्राही को आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता है। जिलेवार निरस्त किए गए फर्जी राशनकार्ड की जानकारी निरंक है। **(घ)** जिला रतलाम में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक वर्षवार उचित मूल्य दुकानों की संख्या एवं उनसे लाभांवित परिवारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। इस अवधि में खाद्यान्न की चोरी एवं निर्धारित मापदण्ड से कम मात्रा में राशन दिये जाने की 11 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। उचित मूल्य दुकानों/गोदामों की जांच/भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों नाम, जांच एवं भौतिक सत्यापन दिनांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है।

वन विभाग से संबंधित जानकारी

[वन]

121. परि.अता.प्र.सं. 146 (क्र. 3418) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 अप्रैल 2014 से भोपाल वृत्त अंतर्गत वन मण्डलों में वन विभाग, म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, म.प्र. ईको-पर्यटन विकास बोर्ड, म.प्र. राज्य वनोपज संघ, म.प्र. टाईगर फाउंडेशन सोसायटी, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, म.प्र. राज्य बांस मिशन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण एवं वनरोपणियों के लिए सफाई, सर्वेक्षण, सीमांकन, गड्ढा खुदाई, पोल, तार फेंसिंग, पौधा-परिवहन स्टेकिंग, खाद क्रय एवं डलवाना, पौधा क्रय एवं अन्य निर्माण कार्य व योजनाएं आदि कार्यों के लिए जिलावार, परिक्षेत्रवार कितना-कितना बजट आवंटन किया गया? वर्षवार एवं परिक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें तथा भोपाल वृत्त अंतर्गत कितनी शासकीय वनरोपणी (नर्सरी) स्थित हैं? परिक्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त आवंटन में से कितनी राशि से कौन-कौन सी सामग्री किस-किस फर्म, संस्था, व्यक्ति से खरीदी गई? भुगतान की राशि, दिनांक, बिलों की छायाप्रति उपलब्ध करावें तथा कितने मजदूरों को कब-कब, कितना-कितना भुगतान किया गया है? मजदूर का नाम, भुगतान राशि, वर्षवार, परिक्षेत्रवार एवं वन मण्डलवार, जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** भोपाल वृत्त में कौन-कौन से परिक्षेत्रों में कितने-कितने हेक्टेयर की घास बीड़े थी? उनकी नीलामी वर्ष 1990 से कब तक की गई? परिक्षेत्रवार बीटवार जानकारी देवें तथा उनसे वन विभाग को कितनी-कितनी आय प्राप्त हुई? परिक्षेत्रवार एवं वर्षवार 1990 से जब तक नीलामी हुई, जानकारी देवें तथा वर्तमान में घास बीड़ों की नीलामी क्यों नहीं की जाती है? नीलामी न करने के शासन के आदेश/नियम/निर्देशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। क्या वर्तमान में कहीं-कहीं घास बीड़ों पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही है? यदि हाँ, तो कितने क्षेत्र पर? सर्वे नंबर सहित परिक्षेत्रवार जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या सिंरोज एवं गंजबासौदा के उपवन मण्डल क्षेत्र में अवैध पत्थरों एवं रेत का उत्खनन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में उक्त उपवन मण्डलों में विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? परिक्षेत्रवार छायाप्रति सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या उक्त अवैध उत्खनन के लिए कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जावेगी तथा क्या उप वनमण्डल सिरोंज एवं गंजबासौदा में वनों की अवैध कटाई की जा रही है? यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में कितने प्रकरण बनाये गये हैं? एफ.आई.आर. एवं की गई कार्यवाही की वर्षवार, परिक्षेत्रवार जानकारी देवें। इसके लिए दोषियों पर कब-कब एवं क्या-क्या

कार्यवाहियां की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? **(ड.)** वर्तमान में सिरोंज में पदस्थ उप वनमण्डल अधिकारी ने उप वनमण्डल क्षेत्र में कितने कार्यों का निरीक्षण किया व प्रशासनिक दौरे किये तथा निरीक्षण के दौरान क्या-क्या कमियां पाई? निरीक्षण की दिनांक तथा की गई कार्यवाहियों की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें तथा वर्तमान में प्रभारी उप वनमण्डल अधिकारी सिरोंज एवं गंजबासौदा की शिथिलता तथा मिलीभगत के कारण गंजबासौदा एवं सिरोंज उप वनमण्डल में वनों की अवैध कटाई में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी तथा इनके विरूद्ध इनके कार्यकाल में गंजबासौदा एवं सिरोंज में हुए अवैध वन कटाई, अवैध उत्खनन एवं निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच इनको हटाकर कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बतावें।

वन मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** भोपाल वनवृत्त के अंतर्गत विभिन्न वनमंडलों से संबंधित प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1** तथा मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 (अ)** में है। विभाग में जिलावार अथवा परिक्षेत्रवार बजट आवंटन नहीं किया जाता है, अपितु वनमंडलवार किया जाता है। भोपाल वनवृत्त के अंतर्गत 18 शासकीय वन रोपणी है। परिक्षेत्रवार वन रोपणी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ख)** भोपाल वनवृत्त के वनमंडलों की प्रश्नाधीन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। वन विकास निगम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 (अ) एवं 3 (ब) अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 1990 से 1998 तक की घास बीड़ों की नीलामी संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। राज्य शासन के पत्र क्रमांक/एफ 7/17/93/10-3 दिनांक 14-08-1998 द्वारा जारी आदेशानुसार घास बीड़ों का प्रबंधन संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं ग्राम सभाओं को सौंपा गया है, उक्त आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 (अ) अनुसार** है। घास बीड़ों पर अतिक्रमण कर खेती करना प्रतिवेदित नहीं है, अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नाधीन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन एवं अवैध कटाई के मामले प्रकाश में आने पर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। विगत तीन वर्षों में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार** एवं इसके दोषी अधिकारी/कर्मचारी की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार** है। विगत तीन वर्षों की अवैध कटाई में दर्ज प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार** है। वनों में अवैध कटाई की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी जाती, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** वर्तमान में उप वनमंडल अधिकारी गंजबासौदा को उप वनमंडल सिरोंज के अतिरिक्त प्रभार में रखा गया है, जिन्होंने उप वनमंडल सिरोंज के कार्यों का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई कमियां प्रकाश में नहीं आई हैं, अत: उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। निरीक्षण दिनांक एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-8 अनुसार** है। वर्तमान में उप वनमंडल गंजबासौदा एवं प्रभारी उप वन मंडलाधिकारी सिरोंज की सिथिलता के कारण प्रश्नाधीन क्षेत्रों में वनों की अवैध कटाई में वृद्धि होने का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्टॉप डेमों का निर्माण
[जल संसाधन]

122. अता.प्र.सं.188 (क्र. 3430) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले में विभाग द्वारा कितने स्टॉप डेम निर्मित हैं? तहसीलवार विवरण देवें। **(ख)** उक्त स्टॉप डेमों में जलभराव हो रहा है या नहीं? स्टॉप डेमों का समय-समय पर रख रखाव किया जा रहा है? नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त स्टॉप डेमों की मरम्मत हेतु जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब पत्राचार किया गया? क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई? नहीं तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** एवं **(ख)** खरगोन जिले में विभाग द्वारा 08 स्टॉप डेम निर्मित हैं। उक्त 08 स्टॉप डेम में से 06 स्टॉप डेम में जल भराव होता है। स्टॉप डेम का समय-समय पर आवश्यकतानुसार रख रखाव किया जाता है। तहसीलवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नकर्ता मान. सदस्य द्वारा उक्त स्टॉप डेमों की मरम्मत हेतु जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक किया गया कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं होना प्रतिवेदित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "उन्नीस"

डूब प्रभावितों का पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन
[जल संसाधन]

123. अता.प्र.सं.191 (क्र. 3460) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिंचाई परियोजनाओं में जिन किसानों की संपूर्ण कृषि भूमि अर्जित की जा रही है, जिन किसानों के मकान, आवास, दुकान आदि अर्जित किए जा रहे हैं उनके पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में विभाग वर्तमान में किस-किस कानून की किस-किस धारा के अनुसार, किस-किस पुनर्वास नीति या पैकेज के अनुसार कार्यवाही कर रहा है? **(ख)** भोपाल, विदिशा जिले की टेम सिंचाई परियोजना, राजगढ़ जिले की सुठालिया एवं मोहनपुरा सिंचाई परियोजना में किस ग्राम के कितने किसानों की संपूर्ण कृषि भूमि एवं कितने किसानों के मकान, आवास अर्जित किया जाना प्रस्तावित किया गया? **(ग)** जल संसाधन विभाग ने किस ग्राम के कितने प्रभावितों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रश्नांकित दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है? क्या-क्या कार्यवाही विभाग के द्वारा प्रस्तावित की गई है?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** विभाग अंतर्गत प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित होने वाली भूमि, मकान, आवास, दुकान इत्यादि के अर्जन की कार्यवाहियां भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, आपसी सहमति से क्रय करने की नीति अथवा परियोजनाओं के लिए स्वीकृत विशेष पैकेज के अनुसार की जाती है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निलंबन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

124. परि.अता.प्र.सं. 162 (क्र. 3510) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर जिले में म.प्र. सार्वजनिक प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 प्रभावशील है? यदि हाँ, तो उक्त प्रणाली की प्रति प्रदाय करें। **(ख)** क्या उक्त प्रणाली का पालन न करने पर वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिनांक तक जिला छतरपुर के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों को निलंबित किया गया है? यदि हाँ, तो दुकानें निलंबित करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम, दुकानों का नाम, निलबंन एवं अंतिम आदेश प्रदाय करें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में क्या उक्त प्रावधान के तहत दुकानों के निलंबन पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा 10 दिवस की अवधि में दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर यथासंभव 03 माह के भीतर अंतिम आदेश पारित करने का प्रावधान रखा गया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त दुकानों को समय पर नोटिस/अंतिम आदेश जारी किए गए? यदि हाँ, तो सभी की प्रतियां प्रदाय करें। जिन दुकानों को तय समयानुसार नोटिस/अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया, उनके नाम कारणों सहित बताएं तथा समय-सीमा का पालन नहीं करने पर कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** क्या उक्त निलंबित दुकानों के आदेशों को निरस्त किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित नियंत्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रश्नांकित अवधि में छतरपुर जिले के अंतर्गत 06 उचित मूल्य दुकानों को निलंबित किया गया है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता भंडार घुवारा वार्ड क्रमांक 9-15 को छोड़कर अन्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं। कारण बताओ सूचना पत्र की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** हैं। बजरंग सहकारी प्राथमिक उपभोक्ता भंडारण घुवारा द्वारा न्यायालय में दायर प्रकरण में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दिनांक 15.02.2021 को आदेश पारित कर कोई भी उत्पीड़क कार्यवाही न करने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। उक्त दुकान के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र न जारी करने के संबंध में जिले के सक्षम अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जायेगी। **(घ)** निलंबन आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जाता है। अपीलीय अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन कराया जाता है। निलंबन का आदेश अंतिम नहीं होता है। सक्षम अधिकारी द्वारा गुण दोष के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया जाता है जिसमें प्रतिभूति राजसात/वसूली/दुकान निरस्ती संबंधी आदेश जारी करने का प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश में विहित है।

नवीन सिंचाई परियोजना की जानकारी
[जल संसाधन]

125. अता.प्र.सं.197 (क्र. 3519) श्री उमाकांत शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी में कौन-कौन सी नवीन सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं? किस स्तर पर लंबित हैं? प्रथम दृष्टता तकनीकी एवं वित्तीय सहायता का परीक्षण, जल की उपलब्धता, डूब क्षेत्र, वन भूमि तथा सिंचाई रकबा एवं लागत की योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें तथा किन-किन अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण एवं डी.पी.आर. का कार्य किया गया? अधिकारी का नाम, पदनाम, सर्वेक्षण की दिनांक सहित जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ विभाग के उप सचिव के आदेश क्रमांक एफ-22/ 1/2019-20/ल.सि./31/515 भोपाल, दिनांक 12.02.2021 में उनारसीकलां लघु सिंचाई तालाब लटेरी, सुगनाखेड़ी लघु सिंचाई परियोजना सिरोंज, बरखेड़ाघोषी लघु सिंचाई परियोजना सिरोंज के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए क्या साध्य पाई गई है? यदि हां, तो कार्यपालन यंत्री गंजबासौदा द्वारा कब डी.पी.आर. बनाई गई? यदि नहीं, बनाई गई है? तो कब-तक बना दी जावेगी तथा साध्य सिंचाई परियोजना को कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या राजस्व विभाग के ग्राम मुगलसराय के सर्वे नंबर 640 रकबा 14.7570, सर्वे नंबर 641 रकबा 3.0100 शासकीय तालाब दर्ज है? यदि हां, तो क्या कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा पत्र क्रमांक 2955/ तक/2021 गंजबासौदा दिनांक 27.12.2021 को अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल भोपाल को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें बताया गया है, कि मुगलसराय लघु सिंचाई परियोजना वन भूमि में है? यदि हां, तो क्या परियोजना वन भूमि में है? यदि हां, तो किस सर्वे? यदि नहीं? तो वरिष्ठ कार्यालय को गलत जानकारी प्रेषित करने वाले कार्यपालन यंत्री पर कार्यवाही कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जाती है।] **(क)** विदिशा जिले के विकासखण्ड सिरोंज एवं लटेरी की नवीन चिन्हित सिंचाई परियोजनाओं की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। साध्यता स्वीकृति प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के स्थल निरीक्षण पश्चात प्रश्नांश में अंकित लघु सिंचाई परियोजनाएं विभागीय तकनीकी

मापदण्डानुसार निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाई गई अत: इन परियोजनाओं का डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया। शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। ग्राम मुगलसराय के सर्वे नंबर-640 रकबा 14.7570 एवं सर्वे नंबर 641 रकबा 3.0100 शासकीय तालाब दर्ज है परंतु उक्त शासकीय तालाब विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है। जी हाँ, कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा द्वारा प्रश्नांश में उल्लेखित पत्र अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, भोपाल को प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र में उल्लेखित मुगलसराय लघु सिंचाई परियोजना के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि ग्राम मुगलसराय में विभाग द्वारा एक अन्य स्थान पर प्रस्तावित मुगलसराय लघु सिंचाई परियोजना के निरीक्षण में पाया गया कि परियोजना का संपूर्ण जल भराव क्षेत्र वनभूमि में आता है। अत: उक्त चयनित स्थल विभागीय मापदण्डों के अनुसार परियोजना निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण परियोजना का सर्वेक्षण प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया एवं डूब क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया। अत: परियोजना से डूब से प्रभावित होने वाली वनभूमि का क्षेत्रफल बताया जाना संभव नहीं है। कार्यपालन यंत्री द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को गलत जानकारी प्रेषित नहीं की गई है अत: कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति नहीं होना प्रतिवेदित है।

परिशिष्ट - "बीस"

गोदामों में लगे सी.सी. टीवी कैमरों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

126. परि.अता.प्र.सं. 168 (क्र. 3536) श्री सुनील उईके : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश वेयर हाउस एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा विगत तीन वर्षों में क्या कार्पोरेशन के विभिन्न गोदामों में सी.सी. टीवी कैमरे लगाये गये हैं? यदि हाँ, तो सी.सी. टीवी कैमरे किन गोदामों में लगाये गये हैं? उनकी सूची प्रदान करें। **(ख)** सी.सी. टीवी कैमरे का क्रय किस दर पर और किस माध्यम से किया गया है? क्या इस कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की गई थी। **(ग)** सी.सी. टीवी कैमरे किस कंपनी से क्रय किये गये हैं? वर्तमान में सी.सी. टीवी कैमरे चालू हालत में हैं अथवा नहीं? यदि हाँ, तो रिपोर्ट उपलब्ध करायें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं। **(घ)** सी.सी. टीवी कैमरे लगाने पर कॉर्पोरेशन द्वारा कुल कितने का व्यय किया गया है? इसकी जानकारी प्रदान करें। **(ड.)** सी.सी. टीवी कैमरों को लगवाने के लिये वेयर हाउस कार्पोरेशन के किस अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ, निगम के तीन संभागों की 36 भण्डार गृह शाखाओं पर सीसीटीवी कैमरें लगाये गये है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ख)** सीसीटीवी कैमरे का क्रय एवं इंस्टॉलेशन कार्य जेम के माध्यम से निविदाएँ बुलवाकर किया गया है। **(ग)** सीसीटीवी कैमरें टेक्निकयों कंपनी, भोपाल (म.प्र.) से क्रय एवं इंस्टॉलेशन किये गये है। वर्तमान में सीसीटीवी कैमरें चालू हालत में है रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(घ)** सीसीटीवी कैमरे लगाने पर कॉर्पोरेशन द्वारा कुल रूपये 89.02 लाख के विरूद्ध रूपये 73.04 लाख का व्यय किया गया है। **(ड.)** सीसीटीवी कैमरों को लगवाने के लिये वेयरहाउस कार्पोरेशन की निर्माण शाखा द्वारा कार्यवाही की गई है।

निर्माण कार्यों में खनिज की रॉयल्टी
[खनिज साधन]

127. परि.अता.प्र.सं. 174 (क्र. 3560) श्री प्रवीण पाठक : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में वर्ष 2011 से उत्तर दिनांक तक खनिज-पत्थर, बोल्डर, मिट्टी, मुरम रेत आदि के उत्खनन की कितनी खदानें स्वीकृत हुई? प्रत्येक खदान का नाम, स्थान, क्षेत्रफल खनिज का प्रकार, स्वीकृत उत्खनन की

मात्रा, पट्टाधारी का नाम, पता सहित जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** प्रदेश में खदानों से उत्खनित सामग्री (खनिज-पत्थर, बोल्डर, मिट्टी, मुरम, रेत आदि) की रॉयल्टी दर क्या है? वर्ष 2011 से उत्तर दिनांक तक किस खदान से कौन-कौन से खनिज की कितनी मात्रा का उत्खनन हुआ एवं उसकी कितनी रॉयल्टी राशि जमा की जाना थी एवं वास्तविक रूप से कितनी रॉयल्टी राशि शासन में जमा हुई? खदानवार, जनपद पंचायत एवं जिलेवार जानकारी दें। **(ग)** प्रदेश में वर्ष 2011 से उत्तर दिनांक तक पंचायतों के माध्यम से कराये गये निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये खनिज-पत्थर, बोल्डर, मिट्टी, मुरम, रेत आदि के उपयोग की कितनी रॉयल्टी राशि शासन में जमा कराई गई? जनपद पंचायतवार एवं जिलेवार जानकारी दें। **(घ)** क्या पंचायतों में कराये गये निर्माण कार्यों में निजी वेंडरों से खनिज सामग्री ली जा सकती है? यदि हाँ, तो कितने वेंडर पंजीकृत है? उनका जी.एस.टी. नम्बर सहित पूर्ण विवरण देवें। उनके पास किस-किस प्रकार के खनिज के भण्डारण एवं सप्लाई करने की अनुमति है? अनुमति किसके द्वारा दी गई? यदि अनुमति नहीं है एवं उसके द्वारा पंचायतों में उत्खनन सामग्री प्रदाय के बिल व्हाऊचर दिये है तो उनके विरूद्ध विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण नियम के तहत क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या एवं किन-किन विरूद्ध? यदि नहीं, तो विभाग उनके विरूद्ध कार्यवाही कब तक करेगा? जनपद पंचायतवार एवं जिलेवार जानकारी दें। **(ड.)** उक्त अवधि में किन-किन पंचायतों में बिना रॉयल्टी जमा कराये निजी वैंडरों से बिल व्हाऊचर लेकर कितनी राशि भुगतान की गई? जनपद पंचायतवार एवं जिलेवार जानकारी दें।

खनिज साधन मंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** खनिजों की रॉयल्टी दर अधिसूचित है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से कराये गये निर्माण कार्यों की जानकारी संधारित नहीं रखी जाती है। पंचायतों स्वयं निर्माण हेतु मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3 एवं मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 4 के तहत छूट के प्रावधान हैं। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में दिये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) में दिये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।] **(क)** 31 जिलों की खनिज-पत्थर, बोल्डर, मिट्टी, मुरम, रेत आदि के उत्खनन के स्वीकृत खदानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** दर्शित है। **(ख)** खनिजों की रॉयल्टी दर अधिसूचित है। शेष प्रश्नांश अनुसार 31 जिलों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दर्शित** है। शेष 21 जिलों की जानकारी प्राप्त होने पर प्रेषित की जावेगी।

प्रदेश में स्थापित गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

128. परि.अता.प्र.सं. 180 (क्र. 3579) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन शहरों में, किस-किस एजेंसी द्वारा कितने-कितने क्षेत्रफल में कार्य किया जा रहा है? **(ख)** उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्य को पूर्ण करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं? प्रदेश में नेटवर्क की अद्यतन स्थिति क्या है? कितने नेटवर्क पूर्ण हो गये हैं? कितने किस कारण से अधूरे हैं? कब तक अधूरे कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा? शहरवार बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में कौन-कौन सी अनुमतियां ली जाना किस-किस कार्यालय/उपक्रम/निगम/मण्डल से आवश्यक है? शहरवार, एजेंसीवार पृथक-पृथक बतायें। **(घ)** उपरोक्त के संबंध में धार, भोपाल एवं सीहोर में कितने-कितने प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** उपरोक्त कंपनियों के कार्यों से राज्य को कितनी-कितनी राजस्व की प्राप्तियाँ किस-किस मद में प्राप्त हुई है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। शहरवार एवं एजेंसीवार क्षेत्रफल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्धारित लक्ष्य/नेटवर्क की अद्यतन स्थिति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। PNGRB द्वारा निर्धारित लक्ष्य 8

वर्षों की समयावधि में पूरे किए जाने हैं। सभी कार्य प्रगति में है एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य योजना के अनुसार समयबद्ध कार्य पूर्ण किए जाएंगे। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में कार्यालय/उपक्रम/निगम/मण्डल से आवश्यक अनुमतियों की शहरवार, एजेंसीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ)** उपरोक्त के संबंध में धार, भोपाल एवं सीहोर में स्थानीय लोगों को दिए गए रोजगार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(ड.)** उपरोक्त कंपनियों के कार्यों से राज्य को प्राप्त राजस्व प्राप्तियों की मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार** है।

बिना बजट व प्रावधान के निविदाएं जारी करना
[जल संसाधन]

129. अता.प्र.सं.209 (क्र. 3589) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 2089 दिनांक 04.03.2021 के उत्तर में लहार शाखा लहार फीडर पाईप लाईन स्कीम की निविदा राशि रू. 1784.48 लाख तथा खिरिया आलमपुर स्टॉप डेम कॉजवे की निविदाएँ प्रकाशित होना स्वीकार किया गया था? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या बिना बजट व प्रावधान के निविदाएं जारी करने के नियम हैं? यदि हाँ, तो नियमों की प्रतियां दें। **(ग)** उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में बिना बजट तथा प्रावधान के निविदाएं जारी करने का कारण बताते हुए निविदाएं प्रकाशित करने के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? अधिकारी का नाम एवं पद सहित विवरण दें। **(घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों को बजट में शामिल कर कब तक कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो निविदाएं निरस्त करने का कारण बताएं।

जल संसाधन मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में मध्यप्रदेश कार्य विभाग, नियमावली 1893 Sec 19 Clause 2.120 में उपलब्ध नियमावली की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** खिरिया आलमपुर स्टॉप डेम कम कॉजवे की निविदा स्वीकृत की जाकर दिनांक 24.03.2022 को निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाकर परियोजना का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। लहार शाखा नहर फीडर पाइप लाइन स्कीम के लिए मॉ रतनगढ़ परियोजना में वर्तमान में अतिरिक्त जल उपलब्ध न होने के कारण लहार शाखा नहर फीडर पाइप लाइन स्कीम का निर्माण तकनीकी रूप से साध्य नहीं है अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "इक्कीस"</u>

उचित मूल्य की दुकानें
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

130. अता.प्र.सं.217 (क्र. 3838) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 अप्रैल 2020 से प्रश्न दिनांक तक मध्यप्रदेश में कितनी उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाई गई? जिलेवार जानकारी बताएं। **(ख)** मध्य प्रदेश में कुल कितनी दुकानों में गड़बड़ियां पाए जाने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? इस अवधि में कितना खाद्यान्न जप्त किया गया? **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुसार अवधि में कितने मामलों में पुलिस प्रकरण दर्ज किए गए एवं कितने दोषी अधिकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया व कितने फरार हैं एवं कितनों को पद से पृथक किया गया व निलंबित किया गया? जिलेवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। **(घ)** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत किन-किन जिलों में अनियमितता सामने आई थी? उक्त योजना में कितना खाद्यान्न प्रश्न दिनांक तक आया व कितना वितरण किया गया?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।

प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति
[वन]

131. अता.प्र.सं.219 (क्र. 4035) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मण्डला, बैतूल एवं धार जिले में कार्यरत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण विकास एवं वन विकास मद से प्रस्तावित कार्यों को म.प्र. लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल ने गत पांच वर्षों से अनुमति या स्वीकृति प्रदान नहीं की है? **(ख)** किस समिति ने कितनी लागत का कौन सा कार्य किस दिनांक के प्रस्ताव से प्रस्तावित किया, उनमें से किस कार्य को किस दिनांक को स्वीकृति/अनुमति दी गई? इस कार्य पर किसके द्वारा किस दिनांक को क्या-क्या आपत्ति ली गई? **(ग)** प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रस्ताव पर आपत्ति लेने का अधिकार पंजीकृत उपविधि की किस कंडिका या शासन के किस दिनांक के आदेश से म.प्र. लघु वनोपज सहकारी संघ मुख्यालय या पदेन महाप्रबन्धकों को प्रदान किया गया है? **(घ)** गत पांच वर्षों में समितियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी?

वन मंत्री : [**(क)** जी नहीं। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा उपयुक्त कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा जिन प्रस्तावों में कमियां थी, उस बाबत् संबंधित जिला यूनियन को लेख किया गया। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** प्रस्तावों पर आपत्ति पूर्ति उपरांत जिला यूनियन हेतु निर्धारित राशि की सीमा के तहत कार्य सतत् रूप से स्वीकृत किये जाते है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।] **(ग)** राज्य में लघु वनोपजों का व्यापार त्रिस्तरीय सहकारिता संरचना के तहत किया जाता है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर जिला स्तरीय सहकारी यूनियन तथा शीर्ष स्तर पर म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ कार्यरत हैं। इसी संरचना के तहत वनोपज व्यापार के लाभ से ग्रामीण अधोसंरचना एवं वन विकास मद के कार्यों के संबंध में म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्णय लिया जाता है। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के उप नियम 3 (7) में भी तद्नुसार प्रावधान दिये गये है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

कल्याणकारी योजना के तहत अपात्र संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

132. अता.प्र.सं.222 (क्र. 4269) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल जिले में कल्याणकारी संस्था एवं एक ही आधार नंबर से वितरण के घोटाले प्रकाश में थे? प्रति-सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) के घोटाले में प्रश्न-दिनांक तक किन-किन जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या जवाबदेही तय कर क्या कार्यवाही की गई? प्रति-सहित बताएं। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) प्रकरण में चोरबाजारी अधिनियम 1980 लागू नहीं होगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वर्ष 2017 में भोपाल नगर पालिका निगम क्षेत्र की 38 उचित मूल्य दुकानों पर एक ही आधार के प्रमाणीकरण एक से अधिक परिवारों को राशन सामग्री, वितरण की अनियमितता पाए जाने पर विस्तृत जांच कराई गई थी, जांच के दौरान 38 उचित मूल्य दुकानों में कुल गेहूं 572218 किलोग्राम, चावल 146704 किलोग्राम, शक्कर 26267 किलोग्राम, नमक 26267 किलोग्राम एवं केरोसीन 43358 लीटर का अपयोजन किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितता के लिए

दोषी पाए गए उचित मूल्य दुकानों के अध्यक्ष, विक्रेता एवं सहायक के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए संबंधी पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वर्तमान में सक्षम न्यायालय में अपराधिक प्रकरण प्रचलन में है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए के तहत अपयोजित मात्रा की इकानामिक कास्ट के आधार पर राशि रूपए 8651695 (छियासी लाख इक्कावन हजार छ सौ पिच्चानवे रूपए मात्र) की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। उपरोक्त अनियमितता के लिए दोषी पाए गए समस्त संस्थाओं के अध्यक्ष, विक्रेता एवं सहायक को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई। प्रकरण में पीओएस मशीन में तकनीकी छेड़छाड़ एवं सेवा प्रदाता कंपनी डी.एस.के. डिजिटल के अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच के संबंध में कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा समिति का गठन कर जांच कराई गई। तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर सेवा प्रदाता कंपनी डी.एस.के. डिजिटल के अधिकारियों/कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक भोपाल को लिखा गया था। प्रकरण की जांच में विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता नहीं पाई गई। प्रकरणों की संक्षिप्त विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** दिसम्बर, 2017 में प्रकाश में आए कल्याणकारी संस्थाओं के खाद्यान्न के घोटाले में तत्कालीन जिला प्रबन्धक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन भोपाल के श्री पी.के. तिवारी एवं सहायक प्रकाश बोरबनकर को निलंबित किया गया था। संबंधितों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है तथा खाद्य विभाग के श्री राजेश खरे, तत्कालीन सहायक आपूर्ति अधिकारी जिला भोपाल, श्री विवेक सक्सेना तत्कालीन सहायक आपूर्ति अधिकारी जिला भोपाल, श्री दिनेश कुमार अहिरवार, सहायक आपूर्ति अधिकारी, जिला भोपाल, श्री राजू कातूलकर, सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल, श्री संतोष उईके, सहायक आपूर्ति अधिकारी भोपाल, श्री दिलीप मनवारे, तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, भोपाल, श्री प्रताप सिंह, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, भोपाल, श्री सफदर खान, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, भोपाल, श्री एल.एस.गिल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, भोपाल, श्री संदीप भार्गव, तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, भोपाल, सिस्टर सुनंदा, प्राचार्य आशा निकेतन स्कूल ऑफ हेंडीकेप्ट/मरियम सोसायटी स्कूल ऑफ हेंडीकेप्ट भोपाल, सिस्टर नोयला, सचिव मरियम सोसाइटी/मरियम सोसाइटी स्कूल ऑफ मेंटली हेंडीकेप्ट भोपाल, वार्डन आवासीय विद्यालय छात्रावास, कन्या प्रोफेसर कालोनी भोपाल, वार्डन बालक पोस्ट मेट्रिक छात्रावास श्यामला हिल्स भोपाल, वार्डन कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय बैरागढकला भोपाल, वार्डन शासकीय कन्या छात्रावास (नवीन स्कूल परिसर तुलसी नगर भोपाल), वार्डन शासकीय आवासीय विद्यालय रेड क्रॉस परिसर 1250 शिवाजी नगर भोपाल, वार्डन आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्र शासकीय माध्यमिक शाला, सूरजनगर, भोपाल एवं जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था कार्यवाही प्रचलित है। कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में संबंधित दुकान के अध्यक्ष/विक्रेता/सहायक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रकरण वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल के विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित है तथा जांच में पाई गई राशन की मात्रा जिसकी अफरा-तफरी किया जाना पाया गया था, की बाजार भाव से वसूली के आदेश जारी किए गए थे। जिसके विरूद्ध संबंधित अध्यक्ष/विक्रेता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील प्रस्तुत की गई है, प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। प्रकरण में संपूर्ण वैधानिक कार्यवाही की गई है। इसलिए संबंधित के विरूद्ध चोर बाजारी अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही नहीं की गई है। शेष कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

न्यायालय कलेक्टर के आदेशों की अवमानना

[खनिज साधन]

133. परि.अता.प्र.सं. 194 (क्र. 4469) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तहसील जौरा में ऐसे कितने ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक आदि वाहन हैं जो अवैध खनिज के प्रकरण में थाना जौरा में जप्त किये गये हैं? इन पर की गयी कार्यवाही से अवगत करावें। क्या खनिज विभाग (कलेक्टर) द्वारा जिन वाहनों पर जुर्माना लगाकर छोड़ने का आदेश दिया गया उन्हीं वाहनों पर वन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर राजसात की कार्यवाही प्रचलन में है? ऐसे कितने प्रकरण हैं? **(ख)** क्या उक्त वाहन वन क्षेत्र में नहीं पकड़े गये और एक वाहन पर एक अपराध में दो-दो विभागों द्वारा पृथक-पृथक सजायें दी जा सकती हैं? यदि हाँ, तो कैसे? नियमावली से अवगत करावें। यदि नहीं, तो ऐसा क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर न्यायालय कलेक्टर द्वारा समुचित जुर्माना लगाकर रिलीज ऑर्डर जारी किये गये, उसके उपरांत भी वन विभागों द्वारा उन्हीं वाहनों पर नियम विरूद्ध प्रकरण प्रचलन में हैं? क्या यह कार्यवाही न्यायालय आदेशों की अवमानना है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? प्रचलित प्रकरण न्यायालय के आदेश के पालन में समाप्त कर दिये जावेंगे?

खनिज साधन मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** वन विभाग मुरैना से प्राप्त जानकारी अनुसार वन मंडल मुरैना के अंतर्गत तहसील जौरा में अवैध खनिज उत्खनन/परिवहन के पंजीबद्ध प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** दर्शित है। खनिज विभाग मुरैना द्वारा तहसील जौरा में अवैध परिवहन के 41 प्रकरण पंजीबद्ध कर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 एवं मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधानों के तहत अवैध परिवहन के प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित कर जुर्माना वसूली की कार्यवाही की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब पर** दर्शित है। जी नहीं। खनिज विभाग द्वारा जिन वाहनों पर जुर्माना लगाकर छोड़ने का आदेश जारी किया गया है उन वाहनों पर वन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर राजसात की कोई कार्यवाही प्रचलन में नहीं है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** दर्शित है। वन विभाग द्वारा वन अधिनियम में पंजीबद्ध किये गये एवं वन अपराध संबंधित प्रकरण में अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में खनिज विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों में से वन विभाग के अंतर्गत न होने से मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 एवं मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। **(ग)** जी हाँ। खनिज विभाग मुरैना द्वारा माननीय सक्षम न्यायालय कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में समुचित सुनवाई कर नियमानुसार जुर्माना लगाकर रिलीज किये गये हैं। वन विभाग मुरैना से प्राप्त जानकारी अनुसार खनिज विभाग मुरैना के निराकृत प्रकरणों में जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा रिलीज किया गया है वन विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने की जानकारी निरंक है। अत: माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की गई है। शेष प्रश्न की जानकारी निरंक है।

दिनांक 21 मार्च, 2022

शासकीय विद्यालयों में सोलर पैनल से नेट मिटरिंग
[नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा]

134. अता.प्र.सं.12 (क्र. 552) श्री अजय कुमार टंडन : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दमोह जिले में शासकीय, वित्त पोषित स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए हैं? यदि हाँ,

तो स्कूल के नाम, सन सोलर पैनल की केपेसिटी, सोलर मीटर, बैटरी एवं किस फर्म द्वारा सोलर पैनल लगाए गए हैं फर्म की जानकारी विद्यालयवार देवें। **(ख)** क्या संस्था द्वारा लगाए गए सोलर पैनल का विद्युत मंडल से एग्रीमेंट करके नेट मीटरिंग कराई गई है? यदि हाँ, तो नेट मीटरिंग एग्रीमेंट की कॉपी देवें। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रति देवें। वर्तमान स्थिति में सोलर पैनल कार्यरत हैं या बंद हैं, इसकी जानकारी देवें। **(ग)** क्या स्कूलों में सोलर पैनल निर्धारित मापदंड के अनुसार साउथ पोल 45 डिग्री पर लगाए गए हैं? यदि हाँ, तो उसकी कॉपी देवें। **(घ)** विद्यालयों में लगाए गए सोलर पैनल से नेट मीटरिंग के द्वारा विद्यालयों से बिजली विभाग ने कितनी बिजली क्रय की, इससे शिक्षा विभाग को कितनी राशि प्राप्त हुई। वर्षवार जानकारी देवें। **(ड.)** क्या विद्यालयों मैं सोलर पैनल और नेट मीटरिंग होने के बावजूद भी विद्यालयों के द्वारा बिजली बिल का भुगतान किया जाता है? यदि हाँ, तो वर्षवार, बिजली बिल की राशि की जानकारी देवें।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। 78 स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए है। स्कूल का नाम, सन सोलर पैनल की केपेसिटी, बैटरी एवं फर्म का नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। सोलर मीटर (जनरेशन मीटर) की स्थापना 15 किलोवॉट से अधिक क्षमता के संयंत्रों में की जाना प्रावधानित है। दमोह जिले के सभी 78 विद्यालयों में स्थापित सभी संयंत्र 15 किलोवॉट से कम क्षमता के है, अत: उनमें सोलर मीटर (जनरेशन मीटर) संयंत्रों की स्थापना नहीं की गई है। **(ख)** सोलर पैनल के नेटमीटरिंग के लिए संबंधित स्कूल एवं विद्युत मंडल के मध्य एग्रीमेंट संपादित किये जाते है। उत्तरांश (क) में उल्लेखित 78 स्कूलों में से 74 स्कूलों में नेटमीटरिंग कराई गई है। 74 स्कूलों के नेट मीटरिंग एग्रीमेंट की प्रतियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। स्थापित सोलर संयंत्रों की कार्यशीलता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** सोलर पैनल साउथ पोल 45 डिग्री पर ही लगाये जाए, ऐसा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। अधिकतम सौर ऊर्जा के उपयोग/दोहन की दृष्टि से स्कूलों में सोलर पैनल, स्थापना स्थल के अक्षांश एवं देशांतर के अनुरूप उपयुक्त कोण पर, दक्षिण दिशा में लगाए गए है। **(ड.)** उक्त स्थापित संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का उपयोग विद्यालयों द्वारा स्वयं के ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है, विक्रय हेतु नही। संयंत्रों से उत्पादित शेष विद्युत (जब उपयोगित विद्युत उत्पादित विद्युत से कम हो) ग्रिड में सप्लाई होती है, जो नेटमीटरिंग के माध्यम से आकलित हो जाती है। उक्त अतिरिक्त विद्युत की राशि का समायोजन विद्युत बिल में होकर विद्युत बिल प्राप्त होता है। उक्तानुसार क्रय की गई बिजली (यूनिट) की जानकारी तथा बिजली के बिल की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। क्रय की गई बिजली की राशि तथा बिजली के बिल की भुगतान योग्य राशि का समायोजन माह मार्च-2022 में किया जाएगा। **(च)** जी हाँ। विद्यालयों में सौर पैनल एवं नेटमीटरिंग होने के बावजूद भी विद्यालयों द्वारा संयंत्र से उत्पादित विद्युत के उपयोग के पश्चात, ग्रिड से उपयोगित की गई अतिरिक्त विद्युत का एवं विद्युत वितरण कंपनी के फिक्सड चार्जेज का भुगतान किया जाता है। उत्तरांश 'क' में उल्लेखित विद्यालयों में वर्षवार बिजली के बिल (कुल) की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

शासकीय विद्यालयों में स्थापित सोलर पैनल
[नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा]

135. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 2365) श्री प्रवीण पाठक : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में विद्युत के लिए सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** किस विद्यालय में किस दिनांक को सोलर पैनल स्थापित किया गया, उसका दिनांक, उसकी

लागत, क्रियान्वयन एजेंसी तथा उसकी गारन्टी अवधि कितनी है? वर्तमान में उक्त सोलर पैनल चालू हैं अथवा बन्द? यदि बन्द हैं तो किस कारण एवं सुधार हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये? **(ग)** कितने विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन हैं? उनका बिल किसके द्वारा जमा किया जा रहा है? प्रश्न दिनांक तक कितने विद्यालयों का विद्युत बिल कितनी राशि का बकाया है? बकाया होने का कारण? प्रत्येक विद्यालयवार जानकारी उपलब्ध करायें। **(घ)** जिन विद्यालयों में सोलर पैनल स्थापित हैं, उन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन भी हैं अथवा नहीं? यदि सोलर पैनल स्थापित हो चुका है तो विद्युत कनेक्शन विच्छेदन कराया गया अथवा नहीं? कितने विद्यालयों में सोलर पैनल स्थापित होने के बाद भी विद्युत कनेक्शन चालू है तथा अभी भी विद्युत बिल जमा कराया जा रहा है? प्रत्येक विद्यालय वार जानकारी उपलब्ध करायें।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [**(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में से 61 विद्यालयों में विद्युत के लिए सोलर पैनल स्थापित किए गए है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** विद्यालयों में सोलर पैनल स्थापित होने की दिनांक उसकी लागत, क्रियान्वयन एजेंसी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। सभी संयंत्रों की वॉरन्टी अवधि पांच वर्ष है। वर्तमान में उक्त 61 विद्यालयों में से 42 विद्यालयों के ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र चालू है, शेष 19 विद्यालयों में स्थापित ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों के नेटमीटर स्थापित नहीं होने के कारण उन्हें बंद रखा गया है। संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा पूर्व माह के विद्युत देयकों के भुगतान नहीं किए जाने के कारण नेटमीटर की स्थापना नहीं हो सकी है। संबंधित विद्यालयों द्वारा बकाया विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राशि की मांग उनके विभाग से की गई है। **(ग)** सभी 61 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन है। इन विद्यालयों का बिल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जमा किया जा रहा है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 46 विद्यालयों का कुल रूपयें 21.69.936 विद्युत बिल बकाया है। विद्यालयवार बिद्युत बिल की बकाया राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** जिन विद्यालयों में सोलर पैनल स्थापित है, उन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन है, उन विद्यालयों के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन नहीं कराया गया है। सोलर पैनल स्थापित हो जाने के पश्चात विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन कराया जाना आवश्यक नहीं है। सोलर पैनल/सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना वाले सभी प्रश्नाधीन 61 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन चालू है, तथा विद्युत बिल जमा कराया जाता है। विद्युत बिल जमा कराये जाने की विद्यालयवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

किसानों को सौर पम्प लगाने हेतु अनुदान
[नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा]

136. परि.अता.प्र.सं. 102 (क्र. 3354) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश सरकार द्वारा छोटे किसानों हेतु सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए अनुदान राशि देने का प्रावधान हैं? यदि हां, तो योजनान्तर्गत कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता हैं? अनूपपुर जिले में सोलर योजना अंतर्गत तीन वर्षों में कुल कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? क्या उक्त योजना में किसानों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं? यदि हाँ, तो श्रेणी निर्धारण नियमावली की जानकारी एवं श्रेणी में आने वाले किसानों का पूर्ण विवरण देवें। **(ख)** उक्त योजना से विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों को लाभान्वित किया गया हैं, भविष्य में इस क्षेत्र हेतु उक्त योजना में श्रेणीवार किन-किन किसानों को लिया गया हैं? **(ग)** विभाग द्वारा किसानों के लिए विभिन्न उपकरण, हौद निर्माण, डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान देय है उसमें वर्तमान में कोई कटौती की गई हैं, यदि हां, तो कितनी? विभाग द्वारा किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं?

(घ) अनूपपुर में किसानों को किस-किस योजना में कौन सा व कितना अनुदान मिलता हैं? प्रदेश सरकार कृषि विकास हेतु अनुसंधान द्वारा अधिकाधिक उपज लेने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित कर रही हैं?

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों हेतु सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए अनुदान राशि देने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से प्रदेश में ''प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान'' (PM-KUSUM) के घटक ''ब'' के अंतर्गत प्रदेश में ''मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना'' लागू की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों के खेतों की सिंचाई के लिये सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार के 30% अनुदान को व राज्य सरकार के 30% अनुदान से टॉपअप किया जाएगा व शेष हितग्राही का अंश रहेगा। साथ ही एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से सॉफ्ट लोन की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलो में लागू है। योजनांतर्गत नवीन पंजीकृत आवेदक किसानों के लिए पंप की क्षमता अनुसार लगभग 51% से 62% तक का अनुदान उपलब्ध है। सौर ऊर्जा पंप की क्षमता के अनुसार हितग्राही अंश व अनुदान प्रतिशत के विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। 'मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना' के अंतर्गत पूर्व के रू. 5000/- की राशि के साथ पंजीकृत आवेदक किसानों की कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के लिए हितग्राही अंश पूर्वानुसार अर्थात मध्यप्रदेश राज्यपत्र (असाधारण) दिनांक 04.02.2020 के अनुसार ही रखा गया है। इन आवेदक किसानों के लिए पंप की क्षमता अनुसार लगभग 56% से 84% तक का अनुदान उपलब्ध है। सौर ऊर्जा पंप की क्षमता के अनुसार हितग्राही अंश व अनुदान प्रतिशत के विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। अनुपपुर जिले में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कुल 14 किसान लाभान्वित हुए है, **जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। जी नहीं। उक्त योजना में किसानों की श्रेणियां निर्धारित नहीं की गई है। योजना के लिए राज्य के वे सभी कृषक पात्र है, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं है। **(ख)** पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक कुल 5 किसान लाभान्वित हुए है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। योजना के लिए राज्य के वे सभी कृषक पात्र है, जिनके पास कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन नहीं है। **(ग)** किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार, किसानों के लिए विभिन्न उपकरण, हौद निर्माण, डिग्गी निर्माण अनुदान संबंधी प्रश्नांश उनके विभाग से संबंधित नहीं है। किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। **(घ)** नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग से संबंधित जानकारी उत्तरांश (क) में उल्लेखित है। संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार** है।

स्वीकृत तथा रिक्त पदों की जानकारी
[नगरीय विकास एवं आवास]

137. अता.प्र.सं.124 (क्र. 3455) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका निगमों तथा नगर परिषदों में स्वीकृत पदों तथा रिक्त पदों की जानकारी देते हुए इनमें विभिन्न विभागों से संलग्न किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारियों की जानकारी दें? **(ख)** प्रदेश में ऐसे कितने नगर पालिका निगम तथा नगर परिषद है जिनमे

कार्यरत सी.एम.ओ. लिपिक स्तर के कर्मचारी हैं? **(ग)** नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर समक्ष अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु शासन ने क्या योजना बनायी है? **(घ)** नगर परिषद लांजी, जिला बालाघाट की प्रशासकीय व्यवस्था ठीक करने हेतु क्या वहां समक्ष अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अविलम्ब नियुक्तियों की जायेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** सागर संभाग की नगर परिषद बडामल्हरा में श्री प्रदीप कुमार रिछारिया, मुख्य लिपिक कम लेखापाल, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, लिपिक स्तर के कर्मचारी तत्समय पदस्थ थे। श्री रिछारिया दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्त हो चुके है। भोपाल संभाग अंतर्गत नगर परिषद इछावर जिला सीहोर में श्री योगेश राठी मूल पद लेखापाल को तत्समय संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल के आदेश दिनांक 30.05.2022 द्वारा अस्थाई रूप से मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्य सौंपा गया था। नगर परिषद जीरापुर जिला राजगढ़ में तत्समय संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल के आदेश दिनांक 30.03.2021 द्वारा श्री देव नारायण दांगी सहायक वर्ग-02 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्य सौंपा गया था। **(ग)** संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक 17461 दिनांक 12.10.2021 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं पत्र क्रमांक 17459 दिनांक 12.10.2021 द्वारा समस्त आयुक्त, नगर पालिका निगमों को रिक्त पदों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार**। **(घ)** मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-41/2022/18-1 दिनांक 08.06.2022 द्वारा श्री राजीव लोचन कटारे राजस्व उप निरीक्षक को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद लांजी जिला बालाघाट में पदस्थ किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

स्थानीय युवाओं को रोजगार
[नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा]

138. अता.प्र.सं.201 (क्र. 4396) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाने का नियम है? यदि हाँ, तो रीवा में स्थापित अल्ट्रा मेगा सोलर पवार प्लांट की तीनों यूनिटों में नियमित आधार पर नियोजित स्थानीय युवाओं के नाम, पता एवं पदनाम की जानकारी उपलब्ध करायें। कुल नियोजित कर्मचारियों की संख्या की जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार अल्ट्रा मेगा सोलर पवार प्लांट की तीनों यूनिटों में क्या-क्या कार्य नियमित रूप से नियोजित कार्मिकों द्वारा किये जाते हैं एवं कौन-कौन से कार्य आउटसोर्स एजेंसियों से किस दर पर कराये जाते हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार आउटसोर्स एजेंसियों की जानकारी, इनके द्वारा श्रमिकों को दिए जा रहे पारिश्रमिक वेतन भुगतान पर्ची एवं नियोजित श्रमिकों के नाम पता की जानकारी उपलब्ध करायें।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। सोलर पॉवर परियोजनाओं में, "उपलब्धता के आधार पर स्थानीय लोगो को निर्माण कार्य के साथ-साथ रखरखाव के कार्यों में वरियता देने के प्रयास का प्रावधान है"। रीवा में स्थापित अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्लांट की तीनों यूनिटों में विकासकों से यथा प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमित आधार पर नियोजित स्थानीय युवाओं के नाम, पता एवं पदनाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। रीवा में स्थापित अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्लांट के तीनों यूनिटों में कुल 238 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से 222 कर्मचारी म.प्र.से है, शेष 26 अन्य प्रांतों से है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** विकासकों से यथा प्राप्त जानकारी अनुसार नियमित कर्मचारियों के द्वारा सोलर प्लांट के संचालन/संधारण

जैसे तकनीकी कार्य एवं सुरक्षा का कार्य नियोजित कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। जिसकी **जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से संयंत्रों की साफ-सफाई एवं खरपतवार की सफाई आदि का कार्य कराया जाता है। आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा कराये जा रहे कार्य की जानकारी एवं दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** विकासकों से यथा प्राप्त जानकारी अनुसार आउटसोर्स एजेंसियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है** एवं नियोजित श्रमिकों के नाम पता की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

दिनांक 23 मार्च, 2022

महिलाओं पर अत्याचार व अपराध की जानकारी

[गृह]

139. परि.अता.प्र.सं. 10 (क्र. 1548) श्री लखन घनघोरिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार व अपराध करने के कितने मामले पंजीकृत है। इनमें कितनी महिलाएं अपराधियों के अत्याचार का शिकार हुई हैं? बतलावें। इसमें कितनी महिलाएं दुष्कृत्य, अपहरण, हत्या, गुमशुदा होने, घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं? जिलावार वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की पृथक-पृथक जानकारी देवें। **(ख)** प्रदेश के किन-किन जिलों में महिलाओं अत्याचार व अपराधों संबंधी कौन-कौन से सर्वाधिक मामले पंजीकृत है। इसमें कितनी-कितनी महिलाएं प्रभावित व पीड़ित हुई हैं? **(ग)** प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध भा.द.वि. की किन-किन धाराओं के अपराधों के कितने-कितने मामले पंजीकृत हैं? कितने प्रतिशत मामलों में महिलाओं द्वारा ही महिलाओं के खिलाफ अपराध में भागीदारी रही हैं?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार व अपराध करने के 211884 मामले पंजीकृत है। इनमें 212120 महिलाए अपराधियों के अत्याचार का शिकार हुई हैं। इसमें 24562 महिलाए दुष्कृत्य, 26882 अपहरण, 2513 हत्या, 89882 महिला गुमशुदा, 8517 घरेलु हिंसा की शिकार हुई है। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार**। **(ख)** प्रदेश के जिला इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, बालाघाट, रीवा, सागर ग्वालियर, रतलाम, शहडोल, मुरैना एवं सतना में महिला अत्याचार दुष्कृत्य, अपहरण, हत्या के सर्वाधिक मामले पंजीकृत है। जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार**। **(ग)** प्रदेश में महिलाए के विरूद्ध भा.द.वि. की विभिन्न धाराओं के कुल 50172 मामले दर्ज हुए है। 24 प्रतिशत मामलों में महिलाओं द्वारा ही महिलाओं के खिलाफ अपराध में भागीदारी रही है। भादवि की विभिन्न धाराओं के अपराधों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार**।

प्रदेश में यातायात सुधार हेतु ई-चालान/ई-नोटिस की व्यवस्था

[गृह]

140. परि.अता.प्र.सं. 18 (क्र. 2112) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं अन्य शहरों में जहां ई-चालान/ई-नोटिस की व्यवस्था है वहाँ शहरों में यातायात सुधार हेतु ई-चालान/ई-नोटिस भेजे जाने के लिए

यातायात सिग्नल/चौराहे पर लगाए गए कैमरों एवं समय-समय पर उनके सुधार के लिए किस-किस कंपनी/व्यक्ति को किन-किन कार्यों के लिए, कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है जानकारी वर्षवार/माहवार देवें तथा कार्यादेश की प्रतियां भी देवें? उक्त शहरों में उक्त अवधि में ई-चालान/ई-नोटिस एवं रसीद कट्टों से कुल कितनी राशि की वसूली की गई, जानकारी वर्षवार देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) संदर्भित उक्त अवधि में कंपनी/व्यक्ति द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने ठेके/कार्य करने की शर्तों का उल्लंघन करने आदि के कारण कंपनी/ठेकेदार/व्यक्ति पर लगाए गए अर्थदंड/भुगतान रोकने आदि के आदेश सहित, अन्य कार्यवाही आदेश जारी किए हो तो उनकी प्रतियां भी देवें? **(ग)** प्रश्नांश (क) संदर्भित ई नोटिस भेजे जाने और ई-चालान बनाए जाने के लिए लागू आदेश/नोटिफिकेशन आदि की प्रतियां देवें? **(घ)** प्रश्नांश (ग) संदर्भित यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले मालिकों आदि को दिए गए नोटिस की एवं कार्यवाही आदेश की प्रतियां भी देवें? क्या यातायात अधिनियमानुसार यातायात चालान बनाने आदि में संशोधन किया जा सकता हैं?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार।** जी नहीं।

आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी
[सहकारिता]

141. अता.प्र.सं.20 (क्र. 2377) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ में जिला बैतूल एवं आमला में आउटसोर्स कंपनी वर्ल्ड क्लास के माध्यम से विभिन्न केन्द्रों पर कौन-कौन डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं? **(ख)** क्या विपणन संघ द्वारा नवीन टेंडर Ace Manpower Pvt. Ltd Bhopal को दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी के द्वारा पूर्व में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर से दिनांक 01 जून, 2021 से नवीन नियुक्ति के नाम पर 20-20 हजार रूपये नाजायज मांग कर निरंतर कार्य करने के लिये कहा गया है? साथ ही नाजायज मांग पूर्ण न करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है? **(ग)** क्या राज्य विपणन संघ कम्प्यूटर ऑपरेटरों से अवैध राशि की मांग करने वाली एजेंसी के विरूद्ध जांच कराकर दण्डनीय कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जिला बैतूल एवं आमला में आउटसोर्स कंपनी वर्ल्ड क्लास के माध्यम से कोई भी डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत नहीं है। **(ख)** जी हां, मौखिक शिकायत ए.सी.ई. मेन पावर्स प्रायवेट लिमिटेड को म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के पत्र क्र./भंडारण/1861/2021 दिनांक 24.06.2021 जारी करते हुए निविदा शर्त एवं अनुबंध अनुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। सीएम हेल्पलाईन से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल स्तर पर प्रचलित है। **(ग)** म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल स्तर पर जांच प्रक्रियाधीन, कार्रवाई जांच निष्कर्षाधीन, समय-सीमा बताई जाना संभव नही।

स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राप्त राशि
[चिकित्सा शिक्षा]

142. अता.प्र.सं.22 (क्र. 2433) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सत्र 2018-19, 2019-20, 2020-21 में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु शासकीय चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कितने-कितने बिस्तर, किन-किन निजी

नर्सिंग संस्थाओं को आवंटित किये गये थे? जिलेवार सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्लिनिकल प्रशिक्षण के एवज में शासकीय चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कब-कब, कितनी-कितनी राशि, निजी नर्सिंग संस्थाओं से प्राप्त हुई? जानकारी जिलेवार, संस्थावार बतायें? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्लिनिकल प्रशिक्षण के एवज में शासकीय चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राप्त होने वाली कितनी-कितनी, किस-किस निजी नर्सिंग संस्था के ऊपर बकाया है? **(घ)** क्लिनिकल प्रशिक्षण के एवज में शासकीय चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अप्राप्त या बकाया राशि प्राप्त करने हेतु कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार**। **(ख)** क्लिनिकल प्रशिक्षण के एवज में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को निजी नर्सिंग संस्थाओं से प्राप्त राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार**। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्लिनिकल प्रशिक्षण के एवज में निजी नर्सिंग संस्थाओं से राशि बकाया नहीं है। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार। (ग)** शेष जानकारी उत्तरांश (ख) अनुसार।

विमुक्त जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत राशि का आवंटन
[घुमन्तु और अर्ध्दघुमन्तु जनजाति]

143. अता.प्र.सं.26 (क्र. 2563) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विमुक्त जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई थी? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। **(ख)** प्रश्नांश (क) में दर्शाई गई जानकारी में नीमच जिले को कितनी राशि आवंटित की गई तथा आवंटित राशि के विरुद्ध क्या-क्या कार्य कराये गये? कार्यवार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का ग्राम पंचायतवार ब्योरा देवें? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये कार्यों में स्वीकृत राशि के विरुद्ध कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया है और कितना भुगतान अंतिम किश्त के रुप में अब भी किया जाना शेष है। ग्राम पंचायतवार राशि का ब्यौरा देवें। **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) में दर्शाये गये पूर्ण कार्यों के विरुद्ध उन्हें अंतिम किश्त का भुगतान किया जावेगा? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें और यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** उज्जैन सम्भाग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विमुक्त जाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत जिला उज्जैन को राशि रूपये 77.50 लाख, जिला शाजापुर को राशि रूपये 67.99 लाख एवं जिला नीमच को राशि रू 77.70 लाख आवंटित की गई है। **(ख)** नीमच जिले को 77.70 लाख का आवंटन जारी किया गया। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृति से शेष राशि प्रदाय की जायेगी।

<u>परिशिष्ट - "बाईस"</u>

व्यापम घोटाले से संबंधित प्रकरणों में अनियमित तरीके से खात्मा लगाना
[गृह]

144. अता.प्र.सं.35 (क्र. 2849) श्री मेवाराम जाटव : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** व्यापम घोटाले से संबंधित प्रकरण सी.बी.आई. को सुपुर्द करने के बाद कितने प्रकरण एस.टी.एफ. द्वारा दर्ज किए गए एवं कितनों में खात्मा लगाया गया? **(ख)** एस.टी.एफ. द्वारा फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर

दर्ज किए गए कितने प्रकरणों पर खात्मा लगवाया गया? जबकि वह संबंधित तहसीलदारों की रिपोर्ट पर दर्ज किए गए थे। ऐसे में इन प्रकरणों पर किस आधार पर खात्मे की कार्यवाही की गई? **(ग)** परिवहन आरक्षण भर्ती में क्या सरकार द्वारा पूर्व में भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को पुरूष अभ्यार्थियों द्वारा भरा गया है? यदि हाँ, तो कब? **(घ)** व्यापम घोटाले से जुड़ा प्रकरण इंदौर में पंजीबद्ध किया गया था? प्रकरण की जानकारी जिस कम्प्यूटर में थी, वह कम्प्यूटर तत्कालीन आई.जी. के मार्गदर्शन में की जा रही विवेचना को अधिकारियों द्वारा गायब कर दिया गया। क्या इस प्रकरण में सरकार द्वारा इन्हें प्रमुख आरोपी बनाया गया है? **(ड.)** क्या व्यापम घोटाले में पी.एम.टी.-2012 तथा पी.एम.टी.-2013 की परीक्षा में व्यापम द्वारा जांच में पाए गए रोल नम्बर सेटिंग्स पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए? यदि हाँ, तो पी.एम.टी.-2007 से 2011 तक रोल नम्बर सेटिंग्स पर प्रकरण क्यों नहीं किए गए?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** व्यापम घोटाले से संबंधित प्रकरण सी.बी.आई. को सुपुर्द करने के बाद एसटीएफ द्वारा कुल 22 अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये। उपरोक्त दर्ज प्रकरणों में से किसी भी प्रकरण में खात्मा की कार्यवाही नहीं की गई। **(ख)** एसटीएफ द्वारा फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किये गये प्रकरणों में से किसी भी प्रकरण में खात्मा की कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं। **(ग)** परिवहन आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 61/2012 दिनांक 13.06.2012 में परिवहन आरक्षक चयन परीक्षा 2012, परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम की विज्ञप्ति में अभ्यार्थियों की न्यूनतम उंचाई 1.68 मीटर रखी गई थी। तत्समय परिवहन आरक्षक पद पर भर्ती हेतु महिलाओं की उंचाई के संबंध में पृथक प्रावधान नहीं थे। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अभिमत के आधार पर महिलाओं के आरक्षित पदों हेतु शारीरिक मापदण्ड के उपयुक्त महिला न मिलने पर पुरूष अभ्यार्थियों से रिक्त पदों को भरा गया था। वर्ष 2012 के पूर्व महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को पुरूष अभ्यार्थियों से नहीं भरा गया है। **(घ)** जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं। **(ड.)** जी नहीं। पीएमटी परीक्षा 2012 तथा 2013 की परीक्षा में मात्र रोल नम्बर सेटिंग पर प्रकरण दर्ज नहीं किया गया परन्तु रोल नम्बर सेटिंग के साथ नकल कराना, अवैध रूप से उक्त कार्य हेतु पैसे के लेनदेन के प्रमाण एवं अन्य साक्ष्य पर से पंजीबद्ध किये गये थे। पीएमटी परीक्षा में रोल नम्बर सेटिंग संबंधी प्रकरणों में म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्रमांक 1277/सीएमएस/ पीआरएस/2019 भोपाल दिनांक 01.08.2019 में मार्गदर्शी निर्देश दिये गये थे। प्रकरणों में सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध न होने से आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये जा सके।

सहकारी समितियों के कार्य
[सहकारिता]

145. ता.प्र.सं. 24 (क्र. 3002) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहकारी समितियों द्वारा कौन-कौन से कार्य और व्यापार किये जाते हैं और पन्ना जिले में कौन-कौन सी सहकारी समितियां कब से गठित और संचालित हैं, इनके क्या-क्या कार्य और व्यापार हैं? समितियों में कौन-कौन कर्मचारी किन-किन पदों पर कब से कार्यरत हैं? इनके पदीय दायित्व क्या-क्या हैं? समितिवार एवं कर्मचारीवार बताइये। **(ख)** प्रश्नांश (क) समितियों द्वारा संचालित उपार्जन केन्द्रों के संचालन और उचित मूल्य दुकानों एवं अन्य कार्यों/व्यापारों में विगत 03 वर्षों में क्या-क्या अनियमितता किस प्रकार ज्ञात हुई है? प्रश्न दिनांक तक किस-किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब-कब जांच की गयी और क्या-क्या कार्यवाही की गयी? **(ग)** प्रश्नांश (क) समितियों के कार्यों/व्यापारों में अनियमितताओं की जांच और कार्यवाही प्रचलन में है तथा राशि की वसूली की जानी है? यदि हाँ, तो किस-किस समिति की क्या जांच और क्या कार्यवाही कब से प्रचलन में है? किस-किस समिति/कर्मचारी से कितनी-कितनी राशि की वसूली किन कारणों से की जा रही है?

जांच एवं कार्यवाही और राशि की वसूली कब तक की जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधित समितियों को उपार्जन केन्द्रों का संचालन दिया गया और क्या अपचारी/आरोपी एवं दोषी पाये गये कर्मचारियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों का संचालन तथा उपार्जन केन्द्रों में कार्य भी किया गया एवं किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों और किन-किन समितियों द्वारा किन-किन समितियों के कौन-कौन कर्मचारियों के द्वारा, जबकि इन्हें यह कार्य न सौंपे जाने और हटाये जाने के उच्चाधिकारियों के लगातार निर्देश हैं? यदि नहीं, तो ऐसा न होना सत्यापित किया जायेगा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** सहकारी समितियों के कार्य व्यापार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार** है। पन्ना जिले की सहकारी समितियों एवं कार्यरत कर्मचारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 05 अनुसार** है।

पचौर में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण
[विधि एवं विधायी कार्य]

146. अता.प्र.सं.39 (क्र. 3009) श्री कुँवरजी कोठार : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राजगढ़ जिले की पचौर तहसील में न्यायालय स्वीकृत हैं? यदि हाँ, तो किस दिनांक को स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं कहां संचालित हैं? **(ख)** क्या न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उसका सर्वे नंबर तथा कितना रकवा चयनित किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक कर लिया जावेगा? **(ग)** न्यायालय भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है? उक्त राशि का भवन निर्माण में कब तक उपयोग कर लिया जावेगा? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा न्यायालय भवन निर्माण हेतु राशि की मांग की गई है?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** राजगढ़ जिले की पचौर तहसील में एक व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड का न्यायालय स्वीकृत है। उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिसूचना क्रमांक सी/4666 दिनांक 18.11.2016 सहपठित मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-01) दिनांक 16.12.2016 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में उक्त न्यायालय संचालित नहीं है। **(ख)** कलेक्टर, जिला राजगढ़ के आदेश दिनांक 12.10.2012 अनुसार शासकीय भूमि सर्वे नंबर 249 रकबा 1.556 हेक्टेयर भूमि नवीन न्यायालय भवन एवं न्यायाधीश के आवास भवन के निर्माण हेतु सुरक्षित की गयी है। **(ग)** शासन द्वारा नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं।

भूमि विकास बैंक के परिसमापन एवं बकाया स्वत्वों का भुगतान
[सहकारिता]

147. ता.प्र.सं. 15 (क्र. 3131) डॉ. सतीश सिकरवार : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में भूमि विकास बैंक का परिसमापन किया गया है, यह परिसमापन किन वर्षों में किया गया है? **(ख)** क्या ग्वालियर एवं चम्बल सम्भाग के भूमि विकास बैंक का परिसमापन हुए लम्बा समय होने के बाद कितने कर्मचारियों का वेतन, ग्रेच्युटी के पैसे बकाया हैं? **(ग)** प्रदेश की भूमि विकास बैंकों को वर्ष 2016 में नॉन पेमेन्ट की संख्या अधिक होने, ऋण की वसूली नहीं होने पर बैंक को बन्द कर दिया गया था, लेकिन उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन, ग्रेच्युटी का पैसा आज तक क्यों नहीं दिया गया है? **(घ)** क्या सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लाखों रूपये बकाया होने से उन्हें जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, जबकि

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का पैसा किसी हाल में नहीं रोका जाना चाहिये, न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने के क्या कारण हैं?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** जी हाँ। वर्ष 2016. **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** जी हाँ। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के सदस्य कृषकों एवं कर्मचारियों द्वारा समय पर कृषि ऋणों की वसूली न हो पाने से एवं कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण वेतन ग्रेच्युटी भुगतान कतिपय बैंकों में शेष है। **(घ)** राज्य शासन द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कर्मचारियों के हित में उनकी संविलियन योजना वर्ष 2015 से दिनांक 30.09.2021 तक पृथक-पृथक अवधि हेतु लागू कर, उन्हें विभिन्न सहकारी संस्थाओं/बैंकों में यथा संभव संविलियन किया गया। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी भुगतान हेतु जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के परिसमापकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लेनदारी देनदारी का निपटान तय कर प्राथमिकता क्रम से वित्तीय सक्षमता के आधार पर किया जाना संभव है।] **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "तेईस"</u>

कृषकों की समस्या का निराकरण
[सहकारिता]

148. अता.प्र.सं.52 (क्र. 3218) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेवा सहकारी समिति हथियागढ़ में कौन-कौन से ग्रामों के कितने-कितने किसान सदस्य है, ग्रामवार सदस्यों की संख्या सहित सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित भखरवारा ग्राम सेवा सहकारी हथियागढ से कितनी दूरी पर स्थित तथा इस ग्राम की सेवा सहकारी समिति कुआं से कितनी दूरी है। **(ग)** क्या शासन ग्राम भखरवारा के कृषकों को सेवा सहकारी समिति हथियागढ आने जाने एवं खाद, बीज लाने तथा अपनी कृषि उपज बेचने में होने वाली परेशानियों के निराकरण हेतु इस ग्राम के कृषकों को उनके ग्राम की निकटवर्ती सेवा सहकारी समिति कुआं में सम्मिलित करेगा? उत्तर में यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक, यदि नहीं तो, क्यों नहीं? **(घ)** प्रश्नकर्ता के द्वारा ग्राम मेहनियां (राम) को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या. बहोरीबंद में जोड़ने हेतु प्रेषित पत्र पर सहायक आयुक्त सहकारिता कटनी द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारिता संस्थाएं भोपाल को दिनांक 27/08/2021 को प्रेषित पत्र पर कब क्या कार्यवाही की गई एवं ग्राम मोहनियां (राम) के कृषकों को किस प्रकार से कब तक बहोरीबंद सोसायटी से संबद्ध कर दिया जावेगा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** सेवा सहकारी समिति मर्यादित हथियागढ से 23 किलोमीटर तथा सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुआ से 7 किलोमीटर। **(ग)** ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है और निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित पत्र के संबंध में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुर्नगठन हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र "अ", "ब" तथा "स" में जानकारी चाही गई है। समिति स्तर पर जानकारी ग्रामवार न होकर कृषकवार होने से जानकारी तैयार करने में समय लग रहा है। जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

<u>परिशिष्ट - "चौबीस"</u>

जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[गृह]

149. परि.अता.प्र.सं. 53 (क्र. 3382) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शहडोल जिले में पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा कितने निर्माण कार्य वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक में

किन-किन जगहों पर कितनी-कितनी लागत से किन-किन संविदाकारों को कार्यादेश जारी कर कराये गये, अनुबंधानुसार क्या कार्य कराये गये? कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच व पर्यवेक्षण कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया? पर्यवेक्षण हेतु कितनी राशि व्यय हुई, का विवरण कार्यवार, जिलावार देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) के कार्यों के मूल्यांकन व उनकी गुणवत्ता की जांच उपयोग की जाने वाली सामग्री गुणवत्तायुक्त है अथवा नहीं की जांच कब-कब, किन-किन के द्वारा की गयी का विवरण कार्यवार जिलावार देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार कराये गये कार्यों पर कर्मकार मंडल को उपकर की राशि कब-कब, किन-किन माध्यमों से ली गई का विवरण देयकवार देवें एवं कितना लेना शेष है? उपकर की राशि अगर नहीं ली गई तो क्यों? इसके लिये किनको दोषी मानकर कार्यवाही करेंगे? **(ड.)** प्रश्नांश (क) के कार्य गुणवत्ता विहीन अनुबंध की शर्तों से हटकर कराये गये प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण व निरीक्षण नहीं किया गया, व्यक्तिगत हित पूर्ति कर संविदाकारों को लाभान्वित किया गया एवं प्रश्नांश **(घ)** अनुसार उपकर की राशि की वसूली नहीं की गई, ठेकेदारों को लाभ दिया गया इन सबके लिये दोषी जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? अगर नहीं तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** शहडोल जिले में पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन जबलपुर संभाग क्रमांक-02 द्वारा कुल 23 निर्माण कार्य वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक किये गये है। कार्यों के नाम, लागत, संविदाकारों के नाम, भौतिक स्थिति की समस्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार**। **(ख)** शहडोल के कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच व पर्यवेक्षण सक्षम अधिकारियों किया गया है। चूंकि विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षण किया है, अतः पर्यवेक्षण हेतु कोई अतिरिक्त राशि व्यय नहीं की गई पर्यवेक्षण एक सतत् एवं नियमित प्रक्रिया है। **(ग)** कार्यों में अनुबंधानुसार संबंधित सक्षम अधिकारियों, द्वारा समय-समय पर निर्माण स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला के माध्यम से निर्माण सामग्री की जांच की जाती है एवं एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से संविदाकार को निर्देशित किया जाकर निर्माण सामग्री के टेस्ट कराये जाते है। **(घ)** जिला शहडोल अंतर्गत कराये गये कार्यों पर कर्मकर मंडल से उपकर की राशि कभी भी एवं किन्ही भी माध्यमों से नहीं ली गई है एवं न ही लिया जाना शेष है। किन्तु अनुबंधानुसार एवं म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाईन अनुसार समस्त निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के चलित/अंतिम देयकों से लेवर वेलफेयर से (उपकर) हेतु निर्धारित दर से राशि कटौती की जाकर नियमित रूप से सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल भोपाल के खाता क्रं, 1305000100104593 में चैक/आर.टी.जी.एस.के माध्यम से जमा कराई जाती है। उपकर की काटी गई राशि की देयकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है, आज दिनांक तक कोई भी राशि जमा किया जाना शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** शहडोल जिले अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का समक्ष अधिकारियों द्वारा सतत् पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाता हैं एवं कभी भी व्यक्तिगत हितपूर्ति कर संविदाकारों को लाभान्वित नहीं किया गया हैं। उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आवेदन पत्रों का समय पर निराकरण न करने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[विधि एवं विधायी कार्य]

150. अता.प्र.सं.57 (क्र. 3388) श्री शरद जुगलाल कोल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जिला शहडोल व रीवा में वर्ष 2019 से प्रश्नांश दिनांक तक में कितने विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया? इन

शिविरों में कितने हितग्राहियों को किन-किन विभाग के किन-किन योजनाओं के लाभ से लाभान्वित किया गया, का विवरण शिविरवार, जिलावार, वर्षवार, विभागवार देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की आयोजित शिविरों के शिविर स्थल पर कितने आवेदन किन-किन विभाग से संबंधित प्राप्त हुये? प्राप्त आवेदनों का विवरण नाम व पते सहित देते हुये बतावें कि संबंधित आवेदन किन-किन विभागों के थे इन आवेदन पत्रों पर कब-कब कौन-कौन सी कार्यवाही कर निराकरण किया गया एवं कितने आवेदन प्रश्नांश दिनांक तक लंबित हैं? इस पर क्या कार्यवाही किन-किन पर करेंगे? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित शिविरों में शिविर स्थल में प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण बाबत् अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ एवं हुजूर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा द्वारा दिनांक 20.01.2022 को पत्र क्रमांक 1008 द्वारा आवेदन पत्रों की संख्या एवं निराकृत आवेदनों की संख्या की जानकारी चाही गई थी। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ हुजूर द्वारा संबंधितों को कार्यवाही बाबत् निर्देश दिये गये थे लेकिन आज भी कार्यवाही कर आवेदन पत्रों का निराकरण क्यों नहीं किया गया? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित शिविरों में प्रश्नांश (ख) एवं (ग) अनुसार शिविर स्थल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण लंबी अवधि बीतने के बाद भी नहीं किया गया, इसके लिये जिम्मेदारों पर क्या कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** 409 साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** 236 आवेदन प्राप्त हुये **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

विभाग का नाम	संख्या
कार्यालय कलेक्टर	108
वियुत विभाग	3
जिला चिकित्सालय	1
जिला पंचायत	85
आदिवासी विकास विभाग	38
महिला एवं बाल विकास विभाग	1
योग	**236**

(ग) आवेदन में आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण प्रक्रियाधीन है। **(घ)** आवेदन निराकृत नहीं हुये है वे प्रक्रियाधीन है। इसमें किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोष नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खातेगांव में निवासरत टाकिया जाति
[जनजातीय कार्य]

151. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 3393) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या देवास जिले की खातेगांव तहसील में लगभग 100 परिवार कई पीढ़ियों से पत्थर तराशकर गृह कार्य के उपकरण सिलबट्टा, चक्की बनाने का कार्य करते हैं, पत्थर को (टांकने) तराशने के कारण इन्हें (टाकिया) कहां जाता है इस कारण इन्हें जातियों की अनुसूची में अन्य पिछड़ा वर्ग का माना गया है? **(ख)** समूचे मध्यप्रदेश में इस जाति के लोगों के रिश्तेदार (भटोला) जाति के होने से अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत माने गये हैं लेकिन इन्हें विसंगतीपूर्वक आदिवासी होने के बाद भी अनु.जन.जाति वर्ग का नहीं माना जा रहा है? **(ग)** इन लोगों के रंग रूप, बोली, पहनावां, पूर्वज सभी की समानता भटोला जाति जिसे देवास जिले की ही अन्य तहसील में अनुसूचित जनजाति माना गया है के समान है फिर भी इन्हें अ.ज.जा. का दर्जा खातेगांव तहसील में अप्राप्त है। क्या विभाग अतिशीघ्र जांच कराकर/टीम भेजकर इन्हें अ.ज.जा. वर्ग में सम्मिलित करने हेतु उचित कार्यवाही करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री : [**(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 एवं 2002 के तहत भारत सरकार द्वारा म.प्र. राज्य के लिये जारी अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 16 पर गोंड के साथ भटोला जनजाति संपूर्ण म.प्र. राज्य के लिये अनुसूचित जनजाति अधिसूचित हैं। जबकि टाकिया जाति अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 40 पर पारधी, बहेलिया के साथ क्षेत्रीय बंधन के साथ अधिसूचित है। जिसमें देवास जिला शामिल नहीं हैं। **(ग)** अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 16 पर गोंड जनजाति के साथ अधिसूचित भटोला जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची में क्रमांक 40 पर पारधी, बहेलिया के साथ अधिसूचित टाकिया जाति दोनों पृथक-पृथक समूह की जनजातियां हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(क)** प्रश्नांकित जाति/उपजाति/वर्ग समूह म.प्र. राज्य की अन्य पिछडा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं है।

दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही
[सहकारिता]

152. अता.प्र.सं.63 (क्र. 3493) श्री राकेश मावई : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में 27 से अधिक जिला सहकारी बैंकों में वेतन निर्धारण में करीब 405 करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आया और विभाग ने संचालक मण्डल से वूसली के आदेश दिये? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक किस-किस बैंक से कितनी वसूली की गई तथा कितनी राशि वसूली हेतु शेष है? बैंकवार राशि की जानकारी देवें। **(ख)** क्या प्रदेश में कई जगह जिला सहकारी बैंकों और 300 से अधिक सहकारी समितियों में खरीदी राशि में हेरफेर के मामलों को विभाग द्वारा सत्यापन कराने पर अनियमिताएं पाई गई? यदि हाँ, तो किस-किस जिले की सहकारी बैंको एवं समितियों में कितनी-कितनी राशि की हेरा-फेरी कर अनियमितताएं की गई? बैंक/समितियों के नाम एवं राशि सहित जानकारी देवें। **(ग)** क्या प्रदेश के सहकारी बैंक शाखाओं में वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है? कैग (CAG) की रिपोर्ट में ऐसी गड़बड़ियां पर आपत्ति उठाई गई और सहकारी संस्थाओं के 800 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ियां बताई तथा 80 से ज्यादा ऐसी शाखाएं बताई गई जिनमें राशि जमा करने और निकालने के दस्तावेज ही गायब मिलें? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी हैं? प्रश्न दिनांक तक दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? बैंकवार एवं समितिवार जानकारी देवें।

सहकारिता मंत्री : [**(क)** जी नहीं, प्रदेश की कुछ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में छठवें वेतनमान का निर्धारण स्वीकृति दिनांक से न कर पूर्व दिनांक से करने के कारण पुन: वेतन निर्धारण कर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के निर्देश दिये गये थे परन्तु उनमें से कुछ बैकों के कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय में प्रकरण लगाये जाकर स्थगन प्राप्त करने से आयुक्त सहकारिता कार्यालय द्वारा बैंकों को सातवें वेतनमान की स्वीकृति के समय उक्त प्रकरणों में माननीय न्यायालय में होने वाले निर्णय के पालन के संबंध में कर्मचारियों से वचन पत्र लेकर आगामी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते।] **(ख)** विभाग स्तर से ऐसी कोई जांच आदेशित नहीं की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते है।

सेवा सहकारी समितियों में हुई अनियमितताओं की जाँच
[सहकारिता]

153. परि.अता.प्र.सं. 69 (क्र. 3796) श्री अर्जुन सिंह काकोड़िया : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछली सरकार के समय किसानों के कर्ज माफी के दौरान सेवा सहकारी समितियों में बड़े पैमाने में किसानों के ऋण के सम्बंध में अनियमिततायें पायी गयी थी जिसकी जांच में कौन-कौन सी सेवा सहकारी समितियों में नियम विरुद्ध काम हुए और जांच में कौन-कौन लोग दोषी पाए गए और उन

पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** किसानों के ऋण खातों में हेराफेरी कर शासन को और किसानों को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी भरपाई कहाँ से और कैसे की गई?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रदेश की 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में से 17 जिला बैंकों की 87 समितियों में अनियमितता पाई गई, शेष 21 जिला बैंकों में प्रश्नांश (क) की जानकारी निरंक है। 17 जिला बैंकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** प्रदेश के 17 जिला बैंकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। शेष 21 जिला बैंकों में जानकारी निरंक है।

विशिष्ट सेवा पदक
[जेल]

154. अता.प्र.सं.84 (क्र. 3801) श्री बाबू जन्डेल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विशेष सेवा राष्ट्रपति पदक के अधिकारी कर्मचारियों को मेडल भत्ता दिया जाता है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** विशिष्ट सेवा पदक अन्य वीरता पदक के समान असाधारण कार्य की श्रेणी में आता है या नहीं? **(ग)** 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) एवं 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के मुख्य समारोह में राष्ट्रपति पदक प्राप्त अधिकारी कर्मचारियों को दीर्घा में बैठने का स्थान दिया जाता है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [**(क)** जी नहीं। जेल विभाग में प्रावधान नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(ख)** 18 वर्ष की सेवाकाल तथा अच्छे सेवा अभिलेख एवं अच्छी छवि होने पर सराहनीय सेवा पदक की पात्रता होती है। सराहनीय सेवा पदक प्राप्त होने के पश्चात् एवं 25 वर्ष की सेवा काल पूर्ण होने पर विशिष्ट सेवा पदक की पात्रता होती है। जबकि वीरता पदक अत्यधिक साहस के साथ एवं जान जोखिम में डालकर उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिये दिया जाता है। **(ग)** जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों को बीमा राशि का भुगतान
[सहकारिता]

155. परि.अता.प्र.सं. 79 (क्र. 3894) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मण्डला जिले में दिनांक 12 फरवरी 22 को कितने किसानों को कितनी बीमा राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया? उपरोक्त में से कितने किसानों को बैंक खाते में दी गई कितनी बीमे की राशि को बाद में उनके द्वारा लिए गये बकाया कर्ज के बदले में वापस जमा कर ली गई? **(ख)** उपरोक्त किसानों द्वारा लिये गए कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथि क्या थी? क्या अंतिम तिथि के पहले ही किसानों के खातों से राशि का भुगतान कराया गया? यदि कराया गया है तो उसके क्या कारण थे और किसके आदेश से कराए गए? आदेश की प्रति देवें। **(ग)** क्या बैंक द्वारा किसानों की सहमति के बगैर डेबिट वाउचर के बगैर राशि को उनके खातों से निकाल दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या आर.बी.आई. के नियमानुसार किसी खाता धारक की सहमति के बगैर, बैंक अधिकारी खातों से राशि वापस ले सकता है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें। **(घ)** यदि नहीं, तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जिनके द्वारा जबरदस्ती किसानों के खातों से भुगतान की अंतिम अवधि पूर्ण होने के पहले ही राशि को डेबिट कर लिया गया है? यदि हाँ, तो कब तक?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** 46 कृषकों की राशि रू. 18,74,919.88 बीमा राशि का भुगतान कृषकों से सेविंग खाते में जमा किया गया। 03 कालातीत किसानों की राशि रू. 1,01,270.74 उनके द्वारा लिये गये बकाया कर्ज के बदले में वापस जमा कर ली गई। **(ख)** उत्तरांश (क) में

उल्लेखित तीन कालातीत किसानों द्वारा लिये गये कर्ज के भुगतान की अंतिम तिथियां क्रमश: 31 मार्च 2019, 31 अगस्त 2020 तथा 30 जून 2021 थी। जी नहीं। अंतिम तिथि के पूर्व कृषकों के खातो में समायोजन नहीं कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** किसी भी अकालातीत कृषकों की प्राप्त बीमा दावा राशि का ऋण खाते में समायोजन नहीं किया गया। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान
[सहकारिता]

156. अता.प्र.सं.100 (क्र. 3898) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2016 से भूमि विकास बैंक के बंद होने पर वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को वेतन एवं ग्रेच्युटी का 6 वर्ष बाद भी भुगतान नहीं किया गया? यदि हाँ, तो बतावें कि भुगतान क्यों नहीं किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) की बैंक बंद कर परिसमापक के अंतर्गत कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? उन्हें वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक कुल कितने वेतन का भुगतान किस राशि से किया गया तथा इस अवधि में कुल कितनी ऋण वसुली की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार जिन कर्मचारियों का वेतन एवं ग्रेच्युटी शेष है, शेष वेतन, देय ग्रेच्युटी राशि देवें तथा बतावें कि शासन का यह कारण/तर्क कि ऋण वसूली से भुगतान किया जाएगा, श्रम कानून तथा सुशासन के विरूद्ध नहीं है? **(घ)** प्रश्नांश (क) तथा (ग) अनुसार बतावें कि क्या ऋण की वसूली नहीं होगी तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा? **(ड.)** बतावें कि भूमि विकास बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के शेष वेतन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** जी हाँ। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैकों के सदस्य कृषकों से एवं कर्मचारियों द्वारा समय पर कृषि ऋणों की वसूली न हो पाने से एवं कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण वेतन ग्रेच्यूटी भुगतान कतिपय बैकों में शेष है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)** सेवानिवृत्त सेवायुक्तों एवं संविलियत कर्मचारियों के वेतन एवं ग्रेच्यूटी का भुगतान जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के परिसमापकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लेनदारी देनदारी का निपटान तय कर प्राथमिकता क्रम से वित्तीय सक्षमता के आधार पर किया जाना संभव है। **(ड.)** उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] **(ख)** राज्य शासन द्वारा राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कालातीत ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई थी, ऋण वसूली योजना में योजना अन्तर्गत की गई वसूली में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिये निर्धारित एक तिहाई भाग एवं तत्पश्चात संस्था की लेनदारियों की वसूली से प्राप्त राशि से वेतन का भुगतान किया गया है, कर्मचारियों की संख्या, भुगतान किया गया वेतन एवं ऋण वसूली की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(ग)** कर्मचारियों के शेष वेतन एवं ग्रेच्यूटी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। जी नहीं, संस्था परिसमापन में है तथा संस्था में परिसमापक नियुक्त है, परिसमापक को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, जिनके द्वारा संस्था की देयताओं का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान
[सहकारिता]

157. परि.अता.प्र.सं. 80 (क्र. 3899) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजेन्द्रसूरी साख सहकारी समिति राजगढ़ में 30 जनवरी, 2022 की स्थिति में जमाकर्ताओं की संख्या तथा कुल राशि तथा बकायादारों की संख्या तथा कुल ऋण राशि कितनी है? **(ख)** मई 2018 से 20 फरवरी 2022 तक कितने जमाकर्ताओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितने बकायादारों से कितनी राशि वसूली गई तथा बतावें कि जिन जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान किया गया उनका चयन किस आधार पर किया गया? **(ग)** 30 जनवरी 2022 तक प्रश्नाधीन साख समिति की चल सम्पत्ति कितनी है, अचल संपत्ति क्या-क्या है तथा उसका संभावित बाजार मूल्य क्या है? क्या अचल संपत्ति का विक्रय कर जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नाधीन साख समिति में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत हैं? उनका मासिक वेतन-भत्ता कुल मिलाकर कितना है तथा उसका भुगतान किस प्रकार किया जा रहा है? किस माह तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है? **(ड.)** प्रश्नाधीन साख समिति में यदि बकायादारों से वसूली नहीं हो पाई तो जमाकर्ताओं को भुगतान कैसे किया जाएगा? **(च)** जिला सहकारी बैंक में राजेन्द्रसूरी साख सहकारी संस्था का बचत खाता किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? उक्त खाते का स्टेटमेन्ट भी दिया जावे।

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** संस्था में 30 जनवरी, 2022 की स्थिति में जमाकर्ताओं की संख्या 28,229 तथा कुल राशि रू. 49,21,76,043.00 तथा बकायादारों की संख्या 1368 तथा कुल ऋण राशि रू. 51,22,91,848.13 है। **(ख)** मई 2018 से 20 फरवरी 2022 तक 21,705 जमाकर्ताओं को राशि रू. 34,23,17,307.70 का भुगतान किया गया तथा 390 बकायादारों से राशि रू. 39,83,45,977.62 वसूली की गई। छोटी जमा राशि व अतिजरूरतमंद जमाकर्ताओं को उनके आवेदन अनुसार एवं संस्था में उपलब्ध राशि अनुसार आंशिक भुगतान किया गया। **(ग)** 30 जनवरी, 2022 तक प्रश्नाधीन साख समिति की चल-अचल संपत्ति की जानकारी व संभावित बाजार मूल्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 अनुसार** है। ऋणियों से न्यायालयीन एवं वैधानिक प्रक्रिया अनुसार राशि वसूल कर जमाकर्ताओं को भुगतान किया जा रहा है। अचल संपत्ति का विक्रय कर जमाकर्ताओं का भुगतान करने का कोई नीतिगत निर्णय वर्तमान में संस्था द्वारा नहीं लिया गया है। **(घ)** प्रश्नाधीन साख समिति में प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में संस्था स्तर के 17 कर्मचारी कार्यरत् हैं। उनका मासिक वेतन-भत्ते कुल मिलाकर राशि रू. 1,39,000/- प्रतिमाह है। वेतन भुगतान संस्था की वसूली की राशि में से किया जा रहा है। फरवरी 2022 माह तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। **(ड.)** वर्तमान स्थिति में जमाकर्ताओं को देय राशि रू. 49,15,77,832.00 है एवं बकायादारों से वसूली योग्य राशि रू. 51,10,32,340.13 है, जिसकी वसूली के प्रयास किये जा रहें हैं। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(च)** संस्था का जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित धार मुख्यालय शाखा में बचत खाता क्रमांक 155007859661 वसूली अधिकारी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं संस्था प्रबंधक के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त खाते का स्टेटमेंट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 02 अनुसार** है।

नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता में अनियमितता
[चिकित्सा शिक्षा]

158. ता.प्र.सं. 22 (क्र. 3922) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में नवीन व पूर्व से संचालित नर्सिंग कॉलेजों के कराये गये निरीक्षण की रिपोर्ट दें। **(ख)** सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में नर्सिंग कॉलेजों के निरीक्षण किन-किन के द्वारा किये गये? **(ग)** सत्र 2020-21 में मान्यता प्राप्त करने वाली किन-किन संस्थाओं के मान्यता

आवेदन में स्वयं के अकादमिक भवन होने का उल्लेख था? सूची, उपलब्ध करावें। **(घ)** क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं को निर्देश जारी कर उनके स्वयं के अकादमिक भवन होने के दस्तावेजों को कौंसिल में जमा कर, सत्यापन कराने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त के पालन में किस-किस संस्था द्वारा कौन-कौन से दस्तावेज कौंसिल में जमा किये गये? समस्त दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें। **(ड.)** क्या यह सही है कि सत्र 2020-21 में मान्यता प्राप्त करने वाली कतिपय संस्थाओं द्वारा स्वयं के अकादमिक भवन होने की गलत जानकारी भरकर आवेदन किया गया था? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध की गयी समस्त कार्यवाही के अभिलेख पटल पर रखें?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** सत्र 2020-21 में नवीन व पूर्व से संचालित 329 नर्सिंग कॉलेजों की निरीक्षण रिपोर्ट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। सत्र 2021-22 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** सत्र 2020-21 में निरीक्षण दलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। सत्र 2021-22 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** अकादमिक भवन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। शेष दस्तावेजों की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.)** जी हाँ। की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है।] **(घ)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार।**

किसानों को अमानक स्तर का उर्वरक प्रदाय
[सहकारिता]

159. अता.प्र.सं.123 (क्र. 3968) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रोम, माइक्रो न्यूट्रेट एवं अन्य उर्वरक यथा बोरोन एवं जिंक किसानों को विक्रय किये गये थे? उर्वरक की मात्रा, मूल्य एवं कंपनी का नाम सहित जानकारी दें। **(ख)** उक्त उर्वरकों को कितने नमूने कब-कब लिए गए तथा उन नमूनों की जांच उपरांत क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई? कंपनी का नाम, उर्वरक एवं नमूनेवार जानकारी दें। **(ग)** माइक्रो न्यूट्रेट उर्वरकों प्रोम एवं जिंक के लिए गुणवत्ता के क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं? **(घ)** क्या उक्त उर्वरक जांच में घटिया/अमानक स्तर के पाये गये हैं? यदि हाँ, तो उक्त कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(ख)** विपणन संघ स्तर से जांच हेतु नमूने नहीं लिये गये, कृषि विभाग द्वारा विपणन संघ के भंडारण केन्द्र भितरवार में एग्रोफास इंडिया मेघनगर के खाते में भंडारित प्रोम उर्वरक का एक नमूना दिनांक 04.12.2021 को लिया गया जो जांच उपरांत अमानक पाया गया जिसे विक्रय से प्रतिबंधित किया गया, अन्य कहीं से इन उर्वरकों के घटिया पाये जाने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** माइक्रो न्यूट्रेंट उर्वरकों प्रोम एवं जिंक के लिये गुणवत्ता के मापदण्ड उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) 1985 द्वारा निर्धारित किये जाते है, मापदण्डों की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। **(घ)** उत्तरांश (ख) अनुसार।

नियम विरूद्ध एक्सग्रेशिया की राशि का भुगतान
[सहकारिता]

160. अता.प्र.सं.124 (क्र. 3969) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में किन-किन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को एक्सग्रेशिया का भुगतान कराने की अनुमति पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दी गई, तथा किन-किन बैंकों ने एक्सग्रेशिया की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? बैंकवार विवरण दें। **(ख)** एक्सग्रेशिया की अनुमति किन मानदण्डों

के आधार पर दी जाती है एवं उक्तावधि में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के लिये गये अंकेक्षण-ऑडिट एवं लाभ हानि की स्थिति क्या थी? **(ग)** क्या एक्सग्रेशिया की राशि का भुगतान नियमानुसार किया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "पच्चीस"</u>

मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्ति
[सहकारिता]

161. परि.अता.प्र.सं. 95 (क्र. 3970) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. विदिशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा 24 दिसम्बर, 2021 को विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1462 द्वारा नियुक्ति हेतु दैनिक समाचार पत्रों के विज्ञापन की छायाप्रति उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुरोध किया था? उक्त छायाप्रति कब तक उपलब्ध कराई जायेगी? **(ख)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1462 दिनांक 24.12.2021 के प्रश्नांश (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा आगामी व्यवस्था होने तक अस्थाई रूप से वर्तमान पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. विदिशा की नियुक्ति/प्रभार दिनांक 23.11.2021 तक सौंपे जाने का हवाला दिया है? क्या उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात पूर्ण केडर के अधिकारी की नियुक्ति अभी तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक विदिशा में नहीं किए जाने के संबंध में कारण सहित जानकारी दें।

सहकारिता मंत्री : [**(क)** एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जानकारी प्रश्न क्रमांक 1462 दिनांक 24.12.2021 के उत्तरांश (ख) में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** जानकारी तत्समय उपलब्ध करा दिया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं, अपेक्स बैंक के आदेश दिनांक 23.11.2021 से अस्थायी रूप से आगामी व्यवस्था होने तक। अपेक्स बैंक में केडर अधिकारियों की कमी होने के कारण।

कार्यरत न्यायालय से संबंधित जानकारी
[विधि एवं विधायी कार्य]

162. अता.प्र.सं.127 (क्र. 3975) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नर्मदापुरम जिला में कितनी प्रथम श्रेणी न्यायालय कार्यरत (संचालित) है? शहर के नाम सहित बताएं। **(ख)** नर्मदापुरम जिला में कितनी A.D.J. कोर्ट कहां-कहां संचालित हैं? **(ग)** इन A.D.J. कोर्ट की D.J. कोर्ट से क्या दूरी है? **(घ)** नर्मदापुरम जिला में और कितनी A.D.J. कोर्ट खोलने की योजना कब तक है तथा सिवनी मालवा में एडीजे कोर्ट कब तक खोली जावेगी?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** नर्मदापुरम जिले में कार्यरत (संचालित) प्रथम श्रेणी न्यायालयों/अधिकारियों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार। (ख)** नर्मदापुरम जिले में वर्तमान में संचालित ए.डी.जे. न्यायालयों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार। (ग)** नर्मदापुरम ए.डी.जे. कोर्ट की डी.जे. कोर्ट से दूरी निम्नानुसार:- (1) नर्मदापुरम ए.डी.जे. कोर्ट-0 कि.मी. (2) इटारसी ए.जी.डे. कोर्ट-20 कि.मी. (3) पिपरिया ए.डी.जे. कोर्ट-75 कि.मी. (4) सोहागपुर ए.डी.जे. कोर्ट-50 कि.मी.। **(घ)** नर्मदापुरम जिले की तहसील मुख्यालय सिवनी मालवा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय (ए.डी.जे. न्यायालय) की स्थापना संबंधी कार्यवाही रजिस्ट्री में विचाराधीन है।

सिवनी मालवा में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय (ए.डी.जे. न्यायालय) की स्थापना संबंधी उक्त मामला नवीन न्यायालयों की स्थापना हेतु गठित स्पेशल कमेटी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

अपेक्स बैंक से निकाले गये कर्मचारियों की बहाली
[सहकारिता]

163. अता.प्र.सं.138 (क्र. 4000) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अपेक्स बैंक भोपाल द्वारा 1995 में कनिष्ठ लिपिक सह-गोडाउन कीपर के पद पर नियुक्तियां की थी? यदि हाँ, तो कितने लोगों की नियुक्ति की गई? नाम सहित जानकारी प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में क्या नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया था? यदि हाँ, तो क्यों? किस आदेशानुसार? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में सेवा से निकाले गए कितने कर्मचारियों को पुनः सेवा में रखा गया? किस आदेशानुसार ऐसा किया गया? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में 02 कर्मचारियों को किस कारण सेवा में प्रश्न दिनांक तक पुनः नहीं लिया गया? सेवा में लिए गए सभी कर्मचारियों को समान वेतनमान का लाभ किस कारण प्रदाय नहीं किया जा रहा है?

सहकारिता मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** जी हाँ। 25 गोडाउन कीपर सह-कनिष्ठ लिपिक। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। गोडाउन कीपर सह-कनिष्ठ लिपिक को अवैध एवं अनियमित मानी जाने से अपेक्स बैंक सेवानियम क्रमांक 61, 62 तथा 63 के अंतर्गत सेवा समाप्त की गई। अपेक्स बैंक के आदेश दिनांक 27.10.1997 से। **(ग)** 24 गोडाउन कीपर सह-कनिष्ठ लिपिक को पुन: सेवा में रखा गया है तथा 01 कर्मचारी द्वारा त्याग पत्र दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 1893, 1898/2005 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2005, माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 5096/2007 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2008, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत अपील प्रकरण क्रमांक 358/2008, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत एसएलपी क्रमांक 14639/2009 तथा माननीय न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 55 (2) -19/000153 में आदेश दिनांक 30.01.2020 में दिये गये निर्णय अनुसार। **(घ)** अपेक्स बैंक के आदेश दिनांक 06.05.2022 से दोनों कर्मचारियों को सशर्त सेवा में ले लिया गया है। सेवा में लिये गये कनिष्ठ लिपिकों का प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में सतत रूप से विचाराधीन होने एवं अंतिम रूप से निराकृत नहीं होने से उन्हें तत्समय प्रदान किया जा रहा वेतन ही प्राप्त हो रहा है।

<u>परिशिष्ट - "छब्बीस"</u>

मध्यप्रदेश में विधान परिषद का गठन
[संसदीय कार्य]

164. अता.प्र.सं.145 (क्र. 4020) श्री सुनील उईके : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में विगत कई वर्षों से अन्य राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार बड़े राज्यों की तर्ज पर विधान परिषद की गठन की मांग की जा रही है? इस हेतु नवनिर्मित विधानसभा भवन में विधान परिषद भवन का निर्माण भी किया जा चुका है? क्या माननीय मंत्री जी विधान परिषद के गठन पर विचार करेगें? यदि हाँ, तो कब तक? **(ख)** क्या मध्यप्रदेश में विधान परिषद के गठन से

आरक्षित वर्ग की सीटों पर एवं सामान्य वर्ग की सीटों पर प्रबुद्व (बुद्विजीवी) नागरिकों को चुनकर आने का अवसर प्राप्त होगा? **(ग)** क्या विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में सहकारिता, पंचायतीराज, विधायकों एवं शिक्षित स्नातकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा? यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** क्या इस व्यवस्था से अनेकों प्रदेश के बुद्विजीवियों को एवं अन्य प्रतिभाओं को मध्यप्रदेश में कानून बनाने का अवसर प्राप्त होगा? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।**] **(क)** यह सही है कि मध्यप्रदेश में विधान परिषद् के गठन की मांग समय-समय पर की जाती रही है। पृथक से विधान परिषद् भवन निर्माण नहीं हुआ है तथापि विधान सभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी अनुसार नवनिर्मित विधान सभा भवन में मानचित्र अनुसार पूर्व से ही विधान परिषद् हेतु एक हॉल का निर्माण किया गया था। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतएव शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** से **(घ)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नवीन न्यायालय भवन हेतु भूमि का आवंटन
[विधि एवं विधायी कार्य]

165. परि.अता.प्र.सं. 111 (क्र. 4021) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा प्रश्न क्र. 1551, दिनांक 24 दिसम्बर 2021 नागदा में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण के प्रश्न (क) से (ग) तक के उत्तर में बताया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है? **(ख)** नागदा में नवीन न्यायालय भवन निर्मित करने हेतु ग्राम पाडल्या भूमि सर्वे नं. 1401 रकबा 2.300 हेक्टेयर महादेव चबूतरा व्यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन हेतु शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा भूमि किन-किन शर्तों पर उपलब्ध कराई जा रही है?

गृह मंत्री : [(क) जी हाँ। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। (1.) भवन निर्माण हेतु भूमि चयन एवं आवंटन प्रक्रियाधीन है। (2.) ग्राम पाडल्याकला, तहसील नागदा, जिला उज्जैन की भूमि सर्वे क्रमांक 1400/01 में स्थित 2.300 हेक्टेयर भूमि में से 1.47 हेक्टेयर भूमि तथा सर्वे क्रमांक 1401 में स्थित 1.254 हेक्टेयर स्थान महादेव चबूतरा। (3.) भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन होने से आज दिनांक तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। **(ख)** (1.) तहसील न्यायालय में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु शासकीय भूमि महादेव का चबूतरा, ग्राम पाडल्याकला, भूमि सर्वे नं. 1400/1 रकबा हेक्टेयर की भूमि न्याय विभाग को आवंटित कराये जाने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन ने कलेक्टर, उज्जैन को ज्ञापन प्रेषित किया गया था। (2.) उक्त भूमि न्याय विभाग को आवंटित कराये जाने हेतु कलेक्टर, उज्जैन ने उनके कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1131, दिनांक 30.11.2019 द्वारा प्रमुख सचिव, धर्मस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को उक्त देव स्थान की भूमि को नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु अनुमति/मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। (3.) तहसील नागदा में नवीन न्यायालय भवन के निर्माण हेतु शासकीय भूमि महादेव का चबूतरा, ग्राम पाडल्याकला, भूमि सर्वे नं.1400/1 रकबा 2.224 हेक्टेयर में से 1.840 है, भूमि उपलब्ध होने से उक्त भूमि की मुआवजा राशि रू. 2.6166272 करोड़ की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को कलेक्टर, उज्जैन के द्वारा प्रदान की गई है। (4.) रजिस्ट्री के ज्ञापन क्रमांक डी/3061-ए दिनांक 18.08.2021 के द्वारा नागदा में नवीन न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा चयनित भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। (5.) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 15.05.2020 के द्वारा उपरोक्त भूमि अधिग्रहण की राशि निर्माण कार्य के विस्तृत प्राक्कलन में शामिल किये जाने की जानकारी

कलेक्टर, उज्जैन को प्रदान की गई है। (6.) शासन के द्वारा उक्त भूमि किन-किन शर्तों पर उपलब्ध करायी जा रही है, यह जानकारी कलेक्टर, उज्जैन से विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 17.03.2022 के द्वारा चाही गई है।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही

[सहकारिता]

166. अता.प्र.सं.156 (क्र. 4037) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर जिले में वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक कितने अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई? उपरोक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिन्होंने शासन की राशि का अपव्यय किया तथा जाँच अभिमतानुसार दोषी पाए गए? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुक्रम में क्या सभी दोषियों पर कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या-क्या? यदि नहीं, तो किन-किन पर कार्यवाही किन कारणों से नहीं की गई? सभी की विस्तृत जानकारी प्रदाय करें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के अनुक्रम में किन-किन पर FIR दर्ज की गई? FIR की प्रति प्रदाय करें।

सहकारिता मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रारूप "एक" अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश "क" में उल्लेखित शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्नांश जांच के निष्कर्षाधीन। **(ग)** जांच प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्नांश जांच के निष्कर्षाधीन। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रारूप "दो" अनुसार** है।

प्रशासक पर लगे आरोपों के संबंध में

[सहकारिता]

167. अता.प्र.सं.157 (क्र. 4038) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रबंधक/विक्रेता जटाशंकर प्राथ. उप सहकारी भण्डार मर्या. बक्स्वाहा जिला छतरपुर द्वारा दिनांक 04/03/2020 को संस्था के प्रशासक बदलने के लिए पत्र उपायुक्त सहकारिता छतरपुर को दिया था? यदि हाँ, तो प्रति प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उपरोक्त पत्र में संस्था के प्रशासक पर क्या आरोप लगाए गये थे? उक्त आरोपों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रतियां प्रदाय करें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुक्रम में क्या उक्त पत्र पर लगाए गए आरोपों की जाँच अधिकारियों द्वारा नहीं की गई? यदि नहीं, तो किस कारण एवं किस नियम के अंतर्गत जाँच नहीं की गई? उक्त कार्य में लापरवाही करने में कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

सहकारिता मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) के अनुक्रम में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'एक' अनुसार** प्रशासक पर आरोप लगाए गए थे। उपायुक्त सहकारिता छतरपुर के द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार शिकायत प्रमाणित नहीं पाई गई। जांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'दो' अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

[सहकारिता]

168. परि.अता.प्र.सं. 124 (क्र. 4089) श्री जितु पटवारी : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में 38 सहकारी बैंक हैं तथा 40 सोसायटी के माध्यम से किसानों को ऋण दिया गया है? यदि हाँ, तो बतावें कि 31 जनवरी 2022 को सहकारी बैंकों में कितने कृषकों का ऋण शेष है तथा कुल ऋण राशि क्या है तथा कितने कृषक ओवरड्यू की श्रेणी में हैं? **(ख)** बतावें कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा

योजना के तहत कितने ऋणधारी कृषकों के खाते में राशि प्राप्त हुई? कितने ओवरड्यू कृषकों को बीमा राशि निकालने पर खाते में रोक लगा दी गई है? **(ग)** क्या वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार द्वारा कर्जमाफी की घोषणा से लाभान्वित सहकारी बैंक के खातेदार 28 लाख कृषकों के खाते को ओवरड्यू श्रेणी में रखा है? यदि हाँ, तो उसका कारण बतावें तथा इस संदर्भ में प्राप्त आदेश की प्रति देवें। **(घ)** क्या शासन सभी कृषकों को जिनके खाते सहकारी बैंक ने ओवरड्यू माने हैं, फसल बीमा की राशि निकालने की छूट देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध 4527 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को फसल ऋण वितरण किया जा रहा है। 31 जनवरी, 2022 की स्थिति पर सहकारी बैंकों में नहीं अपितु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 32,68,465 कृषकों की ऋण राशि रू. 21,09,113.06 लाख का ऋण शेष है तथा 14,52,911 कृषक ओव्हरड्यू की श्रेणी में हैं। **(ख)** हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 में 12,55,210 ऋणधारी कृषकों के खाते में राशि रू. 2,39,910.62 लाख प्राप्त हुई है। किसी भी कृषक के खाते में रोक नहीं लगायी गई है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** उत्तरांश 'ख' एवं 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

लोकायुक्त में जांच प्रचलित होने के बाद भी पदस्थ किया जाना
[सहकारिता]

169. अता.प्र.सं.181 (क्र. 4133) श्री मेवाराम जाटव : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के विरूद्ध लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में कितने प्रकरण कब-कब से पंजीकृत हैं? अधिकारियों के नाम सहित विवरण दें। **(ख)** क्या लोकायुक्त के ट्रेप प्रकरण के एक अधिकारी को राजगढ़ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जबलपुर में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध जबलपुर बैंक से संबंधित प्रकरण भी लोकायुक्त में दर्ज है? **(ग)** यदि हाँ, तो इन पदस्थापनाओं के लिए कौन उत्तरदायी है एवं क्या उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी?

सहकारिता मंत्री : [(क) ई.ओ.डब्ल्यू. कार्यालय एवं अपेक्स बैंक से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है,** लोकायुक्त संगठन की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** जी हाँ। **(ग)** पदस्थापना नियमानुसार होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (क)** ई.ओ.डब्ल्यू. कार्यालय से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1** एवं लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "सत्ताईस"</u>

जनजातीय कार्य विभाग के स्कूल
[जनजातीय कार्य]

170. अता.प्र.सं.190 (क्र. 4267) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट, गुरुकुलम, एकलव्य, MPSARAS स्कूलों के हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? स्टूडेंट्स से परिजनों को मिलने के लिए गेस्टरूम की क्या व्यवस्था है? भोजन का साप्ताहिक-मेन्यू क्या है? पृथक-पृथक उपलब्ध कराएं। **(ख)** एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल में स्टूडेंट्स के लिए प्रति-माह प्रति-स्टूडेंट कितनी राशि आवंटित की जाती है? स्टूडेंट्स से परिजनों को मिलने के लिए गेस्टरूम की व्यवस्था क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स को वर्तमान में दिए जाने वाले

भोजन की साप्ताहिक-मेन्यू एवं अन्य सामग्रियों का ब्यौरा देवें। **(ग)** जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 89 ट्राईबल ब्लाकों में संचालित प्राईमरी, मिडिल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में क्या खेल सामग्री, खेल-ग्राऊंड एवं अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? ब्यौरा देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में धार जिला अंतर्गत मनावर, उमरबन, निसरपुर विकासखण्ड अंतर्गत जनजातीय विभाग के किन-किन स्कूलों में कितने क्षेत्रफल का खेल-ग्राऊंड है, किन-किन स्कूलों में नहीं है, कब तक खेल-ग्राऊंड बनाए जाएंगे? पृथक-पृथक प्रति-सहित बताएं। **(ड.)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में धार जिला अंतर्गत मनावर, उमरबन, निसरपुर विकासखण्ड अंतर्गत जनजातीय विभाग के किन-किन स्कूलों में 01/04/2016 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या खेल सामग्री दी गई? क्रय खेल सामग्री की रसीद, ब्रांड, एजेंसी, दिनांक, सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, वर्तमान नियुक्ति की पृथक-पृथक प्रतिसहित वर्षवार जानकारी देवें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। विद्यार्थियों के पालकों के विद्यालय या छात्रावास में उपस्थित होने पर उनको छात्रावास भवन में स्थित सभा कक्ष/अधीक्षक कक्ष में संस्था प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा बैठक व्यवस्था की जाती है। जिसमें विद्यार्थियों से पालकों कि मीटिंग की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। विद्यार्थियों के पालकों के विद्यालय या छात्रावास में उपस्थित होने पर उनको छात्रावास भवन में स्थित सभा कक्ष/अधीक्षक द्वारा बैठक व्यवस्था की जाती है। जिसमें विद्यार्थियों से पालकों की मीटिंग की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।] (ग)** हाँ। 1. विकास खण्ड उमरबन अन्तर्गत 214 प्राथमिक विद्यायल में से 150 एवं 61 माध्यमिक विद्यालय में से 55 में खेल मैदान उपलब्ध हैं एवं सभी हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. में खेल मैदान उपलब्ध हैं। 2. विकास खण्ड मनावर अन्तर्गत 200 प्राथमिक विद्यालय में 20 एवं माध्यमिक विद्यालय में से 35 में खेल मैदान उपलब्ध हैं, इसी प्रकार 08 हायर सेकेण्डरी में से 07 हायर सेकेण्डरी एवं 17 हाईस्कूल में से 13 हाईस्कूल में खेल मैदान उपलब्ध हैं। 3 विकास खण्ड निसरपूर अन्तर्गत 121 प्राथमिक विद्यायल में से 15 एवं 37 माध्यमिक विद्यालय में से 19 एवं 08 हायर सेकेण्डरी में से 07 एवं 07 हाईस्कूल में से 05 में खेल मैदान उपलब्ध हैं। **(ड.)** धार जिले के विकास खण्ड मनावर, उमरबन, निसरपुर के लिए प्रश्नांकित अवधि में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल एवं उ.मा.वि. हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की खेल सामग्री का क्रय नहीं किया गया है।

दिनांक 24 मार्च, 2022

संबल योजना में अनियमितता
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

171. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 952) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 201 दिनांक 20.12.2021 अनुसार श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी रामसेवक कुशवाह निजामपुर का श्रमिक पंजीयन 1-6-2018 में पंजीकृत हुआ था, मृत्यु दिनांक 08-05-2020 को हुई, उस समय तक पंजीयन था तो फिर भौतिक सत्यापन में अपात्र कैसे बताया? स्पष्ट करें। **(ख)** बतायें भौतिक सत्यापन

किन-बिन्दुओं के आधार पर किया गया? सचिव की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट पेश करें। **(ग)** नरवर जनपद पंचायत में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें मृत्यु के समय श्रमिक पंजीयन थे लेकिन भौतिक सत्यापन का बहाना बताकर अपात्र बताया गया? किस-किस ग्राम पंचायत के प्रकरण हैं? जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी कर्मचारी का नाम पद सहित बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के संदर्भ में अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से नरवर जनपद पंचायत में सम्बल योजना के प्रकरण में रिश्वत लेकर भारी तादात में लोगों का शोषण किया है, तो क्या जिला कमेटी बनाकर प्रश्नकर्ता के समक्ष जांच की जायेगी? हाँ तो कब तक?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जी हाँ, श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी रामसेवक कुशवाह, निजामपुर का श्रमिक पंजीयन 01.06.2018 में हुआ था, श्रमिक की मृत्यु दिनांक 08.05.2019 को हुई थी, जिसका प्रकरण संबंधित तत्कालीन सचिव, श्री हनुमत सिंह रावत द्वारा जनपद पंचायत नरवर को दिनांक 26.06.2019 को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसका विधिवत परीक्षण हेतु पंचायत समन्वय अधिकारी निजामपुर को सौंपा गया था, शासन निर्देशानुसार 15 जून, 2019 से संबल श्रमिक पंजीयनों का भौतिक सत्यापन किये जाने के निर्देश थे, सचिव ग्राम पंचायत निजामपुर द्वारा अन्य नियोजन में नियोजित होने से संबंधित पंजीबद्ध श्रमिक श्रीमती मुन्नीबाई को अपात्र किया गया। **(ख)** पोर्टल की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** ग्राम पंचायत सचिवों से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद पंचायत नरवर में ऐसे कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं हैं, संबल योजना में भौतिक सत्यापन का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। **(घ)** जनपद पंचायत नरवर में संबल योजना में इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

<u>परिशिष्ट - "अट्ठाईस"</u>

सम्बल योजनाओं का लाभ दिलाये जाने के संबंध में
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

172. अता.प्र.सं.11 (क्र. 955) श्री प्रागीलाल जाटव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 201 दिनांक 20.12.2021 में मुन्नीबाई पत्नी, रामसेवक जिसकी मृत्यु दिनांक तक पंजीयन केन्द्र था तो मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 756/595/2019/A-16 का हवाला देकर जनपद नरवर के सचिव ने भौतिक सत्यापन को अपात्र किया? **(ख)** मुन्नीबाई का श्रमिक पंजीयन 1-6-2018 को हुआ उस समय तक अचल सम्पत्ति थी तो किस अधिकारी कर्मचारी ने पंजीयन किया? उसकी मृत्यु 8-5-19 को हुई 25-6-2019 को आवेदन आना 26-6-2019 सचिव द्वारा भौतिक सत्यापन में अपात्र बताया? **(ग)** यदि प्रश्नांश (क) एवं (ख) सही है तो क्या सचिव द्वारा गलत भौतिक सत्यापन करके अधिकारियों को गुमराह किया? **(घ)** यदि प्रश्नांश (क), (ख) से (ग) के संदर्भ में सचिव द्वारा गलत जानकारी दी गई है, हाँ तो क्या सचिव को दण्डित किया जायेगा? हाँ तो कब तक? क्या उसके विरूद्ध कारवाई की जायेगी?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जिला शिवपुरी की जनपद पंचायत नरवर की ग्राम पंचायत निजामपुर में संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक मुन्नीबाई पत्नी रामसेवक कुशवाह का पंजीयन वैध था, जिसकी मृत्यु 08.05.2019 को हो गई थी, तत्कालीन सचिव, श्री हनुमंत सिंह रावत द्वारा दिनांक 26.06.2019 को प्रकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की जांच श्री उत्तम सिंह राजे, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत नरवर से जांच करायी गई, इस बीच प्रकरण की स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित थी, तत्कालीन सचिव द्वारा प्रकरण को भौतिक सत्यापन के दौरान अन्य योजना में नियोजित होने से दिनांक 12.09.2019 को अपात्र कर दिया गया। **(ख)** मुन्नीबाई का श्रमिक पंजीयन 01.06.2018 को तत्कालीन

सचिव, ग्राम पंचायत निजामपुर द्वारा किया गया, श्रीमती मुन्नीबाई की मृत्यु दिनांक 08.05.2019 को हुई। दिनांक 26.06.2019 को प्रकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, प्रकरण प्रचलन में होने के मध्य दिनांक 12.09.2019 को संबंधित सचिव द्वारा अन्य नियोजन से नियोजित होने से संबंधित श्रमिक मुन्नीबाई को अपात्र किया गया। **(ग)** सचिव द्वारा त्रुटिवश प्रकरण की स्वीकृति की कार्यवाही के मध्य श्रमिक मुन्नीबाई को अन्य नियोजन में नियोजित होने से अपात्र किया गया है। **(घ)** प्रकरण में तत्कालीन सचिव, श्री हनुमंत सिंह रावत द्वारा त्रुटिवश स्वीकृति की कार्यवाही के मध्य श्रमिक मुन्नीबाई को अन्य नियोजन में नियोजित होने से अपात्र किया गया है। अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समूहों को राशन दुकानों का संचालन दिया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

173. अता.प्र.सं.19 (क्र. 1773) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिला में महिला स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिलेवार संख्या बतावें? यदि समूह गठित है तो उक्त समूहों को क्या लाभ दिया जा रहा हैं? **(ख)** क्या शासन द्वारा 50 प्रतिशत महिला स्व-सहायता समूहों को राशन दुकान संचालित कराये जाने की घोषणा की है इस हेतु क्या प्रावधान हैं? सिवनी जिले में कितने समूहों द्वारा आवेदन किया हैं? यदि हाँ, तो अभी तक सिवनी जिले में कितने समूहों को राशन दुकान का संचालन दिया गया हैं? आवेदित समूहों को दुकान आवंटन नहीं किये जाने के लिये विभागीय स्तर से विलंब के लिए जवाबदार अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या महिला स्व-सहायता समूहों से किसानों की फसलों के उपार्जन का कार्य भी कराया जा रहा हैं। यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत समूहों से और नहीं तो क्यों नहीं? लखनादौन विधानसभा सिवनी जिला के संबंध में जानकारी प्रदान करें?

पंचायत मंत्री : [(क) सिवनी जिले में 9141 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। उक्त समूहों को मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार चक्रीय निधि, आजीविका निवेश निधि आदि प्रदाय किये जाते हैं। **(ख)** जी हाँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कण्डिका 9 के प्रचलित प्रावधान अनुसार रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में यथा संभव 1/3 महिला संस्थाओं को दुकान आवंटित किये जाने का प्रावधान है। जिले में 2107 समूहों द्वारा आवेदन किया गया है। दुकान आवंटन प्राधिकारी द्वारा अनुविभाग स्तरीय गठित समिति के परीक्षण उपरांत 178 पात्र समूहों को दुकान आवंटन की कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में 4577 स्व-सहायता समूह है, जिनमें से कुल 09 स्व-सहायता समूह से कार्य कराया जा रहा है, जो कि 0.19% है। शेष **जानकारी संकलित की जा रही है।] (ग)** जी हाँ। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में 4577 स्व-सहायता समूह है, जिनमें से कुल 09 स्व-सहायता समूह को कार्य मिला है, जिसका प्रतिशत 0.19 है। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में 25 उपार्जन केन्द्र बनाये गये थे, जिनमें से कुल 09 स्व-सहायता समूह को कार्य मिला है, जिसका प्रतिशत 36 है।

ग्रामीण विकास परियोजनाएं
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

174. परि.अता.प्र.सं. 24 (क्र. 2548) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 के दौरान 89 ट्राइबल-ब्लाकों अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं की ब्लॉकवार स्थिति क्या है? परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

परियोजनाओं की निगरानी के लिए कौन-सी समितियां कार्यरत हैं, समितियों ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की? प्रति सहित बताएं। **(ख)** वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में 89 ट्राइबल ब्लाकों अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए आदिवासी-उपयोजना (टीएसपी) एवं विभिन्न स्रोतों से कुल आवंटित राशि में कितनी राशि किन-किन योजनाओं में कब-कब खर्च की गई? ब्लॉकवार वर्षवार प्रति सहित ब्यौरा देवें। **(ग)** वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कुक्षी एवं मनावर विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए टीएसपी एवं अन्य स्रोतों से आवंटित राशि एवं खर्च का ब्यौरा प्रति सहित बताएं। **(घ)** वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में मनावर विधानसभा सहित समस्त धार जिले में मनरेगा के तहत किन-किन कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई, कितने लोगों को कितने राशि का काम दिया गया? लोगों के नाम सहित ब्लॉकवार, ग्रामपंचायतवार, कार्यवार ब्यौरा देवें। **(ड.)** वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 में कुक्षी एवं मनावर विधानसभा अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए कितने आवेदन सरपंचों, जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं विभाग के जिम्मेदारों को प्राप्त हुआ? उक्त आवेदनों पर कितने सड़क बनाए गए? कितने सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाए गए? सड़कवार, वर्षवार ब्यौरा देवें।

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** वांछित जानकारी विभाग के पंचायत दर्पण पोर्टल www.prd.mp.gov.in पर उपलब्ध अनुसार है। परियोजनाओं के वर्तमान प्रचलित प्रावधान अनुसार संचालन, निगरानी व शिकायत निराकरण शिकायत प्राप्त होने पर की जाती है। **(ख)** आदिवासी उपयोजना विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं हेतु राशि स्वीकृत/प्राप्त न होने के कारण कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत जानकरी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार** है।

प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

175. परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 2556) श्री मनोज चावला : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 4329 दिनांक 18/3/2021 के प्रश्नांश (क) अंतर्गत बताएं कि वर्ष 2020-21 में रतलाम जिले में 66 गौशालाओं का लक्ष्य था जिसमें 19 गौशाला ही प्रगतिरत है शेष बची गौशालाओं की स्वीकृति क्यों नहीं हो पाई है? **(ख)** क्या शासन ने ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण की योजना बंद कर दी है? प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कितनी गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इनमें से कितनी गौशालाओं का निर्माण हुआ है और कितनी शेष हैं? **(ग)** मध्यप्रदेश में गौ-माता के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? उनकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। **(घ)** गौशाला संचालन हेतु राशि की क्या व्यवस्था हैं? क्या गौशाला संचालन हेतु राशि की उपलब्धता समय पर नहीं हो पा रही है? **(ड.)** प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्मित गौशालाओं में वर्ष 2019 से प्रश्न दिनाक तक कितनी गायों की मृत्यु हुई है? जिलेवार संख्या उपलब्ध कराए और बतायें कि इनकी मृत्यु के क्या कारण रहे हैं? **(च)** रतलाम जिले अंतर्गत संचालित गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच हेतु कब-कब शिविर आयोजित किये गए?

पंचायत मंत्री : [(क) जी हाँ, शेष बची गौशालाओं की स्वीकृति न होने के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 06/11/2020 को पशुपालन विभाग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा के दौरान कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक 12 मुख्यमंत्री गौसेवा योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत गौशालाओं का सफल संचालन सुनिश्चित किया जावे तथा दिवतीय चरण (2020-21) में जो कार्य स्वीकृत हो चुके है, उन्हें पूर्ण कराया जावे तथा नवीन स्वीकृतियां जारी न करें। पूर्व से स्वीकृत एवं संचालित गौशालाओं के विस्तार के कार्यों (जहां बिजली पानी की व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध हो) को ही परियोजना अनुसार स्वीकृत एवं पूर्ण किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्था गौशाला प्रारंभ करना चाहती है, तो भूमि की उपलब्धता होने पर संस्था के साथ अनुबंध कर उसे मनरेगा योजनांतर्गत गौशाला अधोसंरचना निर्माण का लाभ दिया जावे, किन्तु संबंधित संस्था चयनित स्थल पर स्वयं के स्त्रोतों से बिजली व पानी की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित करें। **(ख)** जी नहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों का वर्ष 2019-20 का गौशाला लक्ष्य 1005 एवं 2020-21 का गौशाला लक्ष्य 4000 रखा गया है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में गौशाला का कोई लक्ष्य जिलों को नहीं दिया गया। जिलों द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार वर्ष 2019-20 से अभी तक दोनों वर्षों के लक्ष्य के विरूद्ध कुल स्वीकृति 3297 जिसमें से 1337 पूर्ण, 1790 प्रगतिरत, 09 निरस्त एवं 161 गौशालाएं अप्रारंभ हैं। उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में लक्ष्य के विरूद्ध शेष स्वीकृति जारी नहीं की गई है। **(ग)** विभाग के पत्र क्रमांक 124/348/2019/पं.-1/2022 भोपाल दिनांक 06.02.2019 के अनुसार गौशाला परियोजना के निर्देश जारी किये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार** है। **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.)** जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार** है। **(च)** गौशाला के निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था के पशु चिकित्सकों द्वारा गौशालाओं में गौवंश के नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। **] (घ)** म.प्र. गौसंवर्धन बोर्ड में पंजीकृत एवं क्रियाशील गौशालाओं में उपलब्ध गौवंश संख्या के आधार पर राशि रू. 20/- प्रतिदिवस प्रतिगौवंश के मान से म.प्र. गौसंवर्धन बोर्ड द्वारा जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समितियों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है। पशुपालन विभाग के बजट में प्रावधानित राशि प्राप्त होने पर जिला समितियों के माध्यम से गौशालाओं को राशि समय पर उपलब्ध करायी जाती है।

एम.आई.डी.एच. योजना में भ्रष्टाचार
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

176. परि.अता.प्र.सं. 32 (क्र. 2688) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में एम.आई.डी.एच. योजना के अंतर्गत मसाला विस्तार योजना बीजीय मसाला एवं प्रकंदी फसलों का कृषकों को लाभ देने की योजना बनाई गई थी। यदि हाँ, तो उक्त योजना में शंकर मिर्च बीज शामिल नहीं है। फिर प्रदेश के सभी जिलों में कृषकों के शंकर मिर्च के बीज के पंजीयन कमीशन की लालच में नियम विरूद्ध कराये गये? क्या शंकर मिर्च बीज में लगभग 35000=00 से 40,000=00 प्रति किलों की दर से क्रय किया गया। उक्त योजना में कौन-कौन सी मसाला फसलें मान्य की गई हैं उनके नाम बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत शंकर मिर्च विगत 3 वर्षों में कहां-कहां, कितनी मात्रा में कितनी कीमत का क्रय किया गया है। पृथक-पृथक विवरण दें तथा उक्त वर्षों में कितनी राशि शेष बची है? **(ग)** प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, कृषि उत्पादन, आयुक्त, संचालक, उद्यानिकी तथा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को दिनांक 30.10.2021 को शिकायत की जाकर, संबधितों के कार्यालय से दिनांक 03.11.2021 को समक्ष में पावती प्राप्त की गई थी, किन्तु उक्त शिकायतों पर किसी स्तर से प्रश्न दिनांक तक की गई कार्यवाही की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है? **(घ)** क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बीजीय मसाला एवं प्रकंदी फसलों के लक्ष्य वर्ष 2021-22 हेतु लगभग

4000 हेक्टर के रखे गये थे। यदि हाँ, तो फिर विभाग द्वारा उक्त फसलों के बीजों की व्यवस्था हेतु NSC, NAFED जैसी भारत सकार की एजेंसियों से दरों का अनुमोदन क्यों नहीं कराया इसके लिये कौन उत्तरदायी हैं? **(ड.)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) एवं (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न दिनांक जो भी कार्यवाही पत्राचार किया गया उसकी प्रतियां उपलब्ध कराते हुये उक्त घोटाले की जांच किस अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यदि नहीं, तो कब तक दिये जायेंगे?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण : [(क) से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 01 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** जी हाँ। बीजों की व्यवस्था हेतु विभाग की नोडल एजेन्सी एम.पी. एग्रो द्वारा टेण्डर के माध्यम से रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) आमंत्रित कर दरें अनुमोदित की जाती है, जिसमें NSC, NAFED भी रेट कॉन्ट्रेक्ट ऑफर में शामिल हो सकते हैं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 02 अनुसार** है।

स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए ली गई जमीन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

177. परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 2813) श्री विजय रेवनाथ चौरे : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छिन्दवाड़ा जिले की सौसर तहसील में स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए किस तारीख को किस-किस किसान की कितनी-कितनी जमीन ली गई? **(ख)** उपरोक्त में कौन-कौन से किसान ऐसे है जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? **(ग)** क्या राज्य सरकार ने इसके लिये किसी कम्पनी से एम.ओ.यू. किया था? यदि हाँ, तो कम्पनी का नाम और एम.ओ.यू. की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें? **(घ)** क्या प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त स्पेशल इकोनोमिक जोन में कोई उद्योग लगा है और जमीन देने वाले किस किसान के परिजन को नौकरी मिली है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** कलेक्टर छिंदवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर में पंजीबद्ध प्रकरण अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** कलेक्टर छिंदवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर में पंजीबद्ध प्रकरण अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** विभाग अंतर्गत एम.पी.आय.डी.सी. (पूर्व नाम एम.पी. ट्रायफेक) द्वारा छिंदवाड़ा जिले की सौंसर तहसील में स्पेशल इकोनोमिक जोन की स्थापना हेतु मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स प्रा.लि. के साथ दिनांक 27.10.2007 को एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया था। छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं, एस.ई.जेड. (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) में अभी तक किसी प्रकार के उद्योग स्थापित नहीं हो पाये हैं, क्योंकि उद्योग स्थापित करने हेतु जमीन का एक चक (Contiguous) होना आवश्यक है। वन विभाग के अधीन आने वाली राजस्व-वन एवं वनभूमि का स्टेज-2 क्लीयरेंस भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली विभाग से आना अपेक्षित है। स्टेज-2 क्लीयरेंस की कार्यवाही हेतु कंपनी द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2022 को संबंधित विभाग के खाते में राशि जमा की जा चुकी है। उपरोक्त विभाग द्वारा स्टेज-2 क्लीयरेंस एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA) से संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण होने पर ले-आऊट प्लान की स्वीकृति लिये जाने के पश्चात ही कंपनी द्वारा लैण्ड डेव्हलपमेंट की कार्यवाही की जा सकती है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रेडक्रॉस सोसायटी समिति का गठन एवं संचालन
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

178. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 2916) श्री निलय विनोद डागा : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में जिला स्तरीय रेडक्रॉस सोसायटी समिति का गठन किस आधार पर किया जाता है? समिति में पदों एवं सदस्यता के लिए क्या-क्या अर्हताएं निर्धारित हैं? गठित समिति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता हैं? नियमावली उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या वर्तमान में बैतूल जिले में जिला स्तरीय रेडक्रॉस सोसायटी की प्रबंध समिति गठित है? यदि हाँ, तो समिति का निर्वाचन अंतिम समय कब किया गया? तत्समय निर्वाचन प्रक्रिया में कौन-कौन अधिकारी व मतदाता शामिल था? उनके नाम व चुनाव प्रक्रिया के समस्त दस्तावेज उपलब्ध करावें। **(ग)** जिला रेडक्रॉस सोसायटी बैतूल को विगत 5 वर्षों में किन-किन दानदाताओं एवं अन्य मदों से आय प्राप्ति हुई है एवं इनका व्यय किन-किन कार्यों में किया? आय-व्यय का ब्यौरा, ऑडिट रिर्पोट, दानदाताओं की प्राप्ति रसीद, बिल व्हाउचर एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सहित सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें। **(घ)** वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के कोविड काल अवधि में नगरीय क्षेत्र में गरीब बेसहारा लोगों के भोजन व्यवस्था में कितना व्यय किया गया?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** रेडक्रॉस सोसायटी मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत नहीं है एवं यह सोसायटी भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी एक्ट, 1920 के अधीन पंजीकृत होती है, जो भारत सरकार से प्रशासित है। तथापि कलेक्टर, बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय रेडक्रॉस सोसायटी समिति का गठन समिति के आजीवन सदस्यों की साधारण सभा की बैठक आयोजित कर किया जाता है। समिति में पदों एवं सदस्यता के लिए रेडक्रॉस सोसायटी का आजीवन सदस्य होना आवश्यक है। गठित समिति का कार्यकाल 03 वर्षों के लिए होता है। नियमावली **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, म.प्र. राज्य शाखा भोपाल की ओर से प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी शाखा समिति नियम, 2017 के अंतर्गत नियमावली-अनुसूची 4 (नियम-13) के अनुसार किसी जिला शाखा का गठन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा :- (i) सामान्यतया, साधारण बैठक शाखा के प्रस्तावित मुख्यालयों पर होगी, जिसकी सूचना संपूर्ण जिले में व्यापक रूप से दी जाएगी। (ii) इस बैठक में कम से कम दस सदस्यों की एक जिला शाखा प्रबंध समिति का निर्वाचन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अवैतनिक कोषाध्यक्ष भी है। सभी सोसायटी के सदस्य होना अनिवार्य है। गठित समिति का कार्यकाल 03 वर्ष के लिये होता है। **(ख)** कलेक्टर बैतूल से प्राप्त जानकारी अनुसार जी हाँ। समिति का निर्वाचन दिनांक 14.01.2022 को किया गया है। समिति के गठन में कलेक्टर की ओर से अधिकृत अपर कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी रेडक्रॉस सोसायटी एवं रेडक्रॉस सोसायटी के आजीवन सदस्य उपस्थित थे। चुनाव प्रक्रिया के दस्तावेज **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग)** कलेक्टर, बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला रेडक्रॉस सोसायटी को विगत 05 वर्षों में दानदाताओं एवं अन्य मदों से प्राप्त आय एवं व्यय के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"अनुसार** है। प्राप्त राशि का उपयोग पीड़ितों की सहायता के लिये किया जाता है। रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अवगत कराया गया है कि दानदाताओं की प्राप्ति की रसीद बुक एवं बिल व्हाउचर की प्रति (लगभग 1200 प्रति) अधिक होने एवं रेडक्रॉस सोसायटी में फोटो कॉपी किए जाने हेतु पृथक से आवंटन उपलब्ध नहीं होने के दृष्टिगत फोटो कॉपी किया जाना संभव नहीं है। रेडक्रॉस सोसायटी शाखा में बिल व्हाउचर एवं रसीद कट्टे की नस्ती एवं रसीद बुक संधारित है, जिसका अवलोकन रेडक्रॉस सोसायटी समिति, बैतूल के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। **(घ)** कलेक्टर, बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-2021 के कोविड काल में नगरीय क्षेत्र में गरीब

बेसहारा लोगों के भोजन व्यवस्था में 2,89,500/- रूपये का व्यय किया गया है। वर्ष 2021-2022 में जानकारी निरंक है।

गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों की मूल विभाग में वापसी
[स्कूल शिक्षा]

179. अता.प्र.सं.63 (क्र. 3494) श्री राकेश मावई : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** यह सही है कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने पत्र क्र. स्था/3/04/2020/1900, भोपाल दिनांक 18.12.2020 के द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों का संलग्नीकरण/आसंजन समाप्त कर मूल संस्था में पदस्थ करने बावत् समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया और उसकी प्रतिलिपि समस्त कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संस्थान म.प्र. की ओर भेज कर कार्यवाही सुनिश्चित कराने भेजी गई थी? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न कितने शिक्षकों को प्रश्न दिनांक तक मूल संस्था में वापिस लाया गया? जिलेवार जानकारी देवें। **(ख)** वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न हैं गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों को कब तक कार्यमुक्त कर मूल संस्था में भेजा जायेगा? जिलेवार जानकारी देवें। **(ग)** शासन के किस आदेश के तहत् शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न किया गया हैं? नियम की प्रति सहित जानकारी देवें। गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नियम विरूद्ध संलग्न करने का कौन दोषी हैं? क्या दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [(क) जी हाँ। **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** उत्तरांश "क" अनुसार शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश "क" एवं "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "उनतीस"</u>

बाडी किचन योजना को प्रारम्भ करना
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

180. परि.अता.प्र.सं. 76 (क्र. 3607) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि विगत वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु तथा सीमान्त किसानों के लिये बाडी किचन गार्डन की योजना संचालित थी। यदि हाँ, तो वर्ष 2015-16 के पश्चात उक्त योजना में विभाग द्वारा उदासीनता बरतते हुए एवं निरन्तर बजट कटौती करते हुए क्या वर्ष 2021-22 में योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों एवं यदि नहीं, तो उक्त योजना में बजट प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है। **(ख)** प्रश्नांश (क) की योजना में विभाग द्वारा देशी किस्म के प्रमाणित सब्जी बीज वितरित किये जाते रहे है जिनमें रोग-प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है तथा रासायनिक एवं कीटनाशक औषधियों का उपयोग नहीं किया जाता है जिस कारण उक्त सब्जियां जैविक होती है एवं कुपोषण को दूर करने में सहायक होती है। शासन द्वारा उक्त योजना में वर्ष 2019-20 में संशोधन करते हुये राशि रूपये 125/- में बढ़ाकर 240 प्रति हितग्राही के मान से लाभ दिये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे? **(ग)** उद्यानिकी विभाग द्वारा गरीबों के लिये चलाई जाने वाली उक्त योजना जब इतनी महत्वपूर्ण थी तो विभाग द्वारा योजना को क्यों बंद कर दिया गया है। क्या शासन द्वारा उक्त योजना को पुन: प्रांरभ कराया जाएगा यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जी हाँ। वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक आवंटन एवं व्यय संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। वर्ष 2021-22 के लिये राशि रूपये 19.21 लाख का बजट प्रावधान कराने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। वित्त विभाग की सचिव स्तर की बजट चर्चा के दौरान योजना बंद कर दी गई है तथा बजट प्रावधान शून्य कर दिया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(ख)** उक्त योजना के अंतर्गत प्रमाणित सब्जी बीज जैसे भिण्डी, लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला, बरबटी एवं पालक के बीजों का एक किट तैयार कर वितरित किया जाता था, जिसे हितग्राही अपने घर के आसपास बाड़ी में लगाते थे, जिससे गरीब परिवारों को ताजी एवं जैविक सब्जियां प्राप्त होती थी। मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 2002/2149/2019/58, दिनांक 20.12.2019 के द्वारा मध्यप्रदेश में बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम के मार्गदर्शी निर्देश में संशोधन किया गया है, जिसमें रूपये 75/- के स्थान पर रूपये 250/- प्रति हितग्राही किया गया है, आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(ग)** वित्त विभाग की सचिव स्तर की बजट चर्चा के दौरान योजना बंद कर दी गई है तथा बजट प्रावधान शून्य कर दिया गया है। योजना पुन: प्रारंभ किये जाने के बारे में बताया जाना संभव नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

नवीन फूल मण्डी में कृषकों का शोषण
[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

181. अता.प्र.सं.70 (क्र. 3622) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या फूल उत्पादक कृषक संघ रतलाम द्वारा तत्कालिन किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री को पत्र दिनांक 10.12.2015 भेजा गया था उस पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** क्या कृषकों ने पत्र में बताया था कि कृषकों से 10 प्रतिशत कमीशन काटा जा रहा है। क्या मण्डी एक्ट के तहत कृषकों से किसी प्रकार का कमीशन नहीं काटा जा सकता है। यदि हाँ, तो किसानों का शोषण से बचाने के लिये व्यापारियों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक सर्तकता/103-24/रतलाम 2573 दिनांक 18.11.2016 द्वारा उप सचिव जन शिकायत निराकरण विभाग मंत्रालय भोपाल को कार्यवाही करने तथा मंडी रतलाम को फूल व्यवसाय के लिये अधिकृत करने का आश्वासन दिया यदि हाँ, तो आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। **(घ)** रतलाम में फूल उत्पादक किसानों का शोषण रोकने के लिये यथोचित क्या-क्या कदम उठाये जायेगे। फूल मंडी को महु रोड मंडी प्रागण में प्रारम्भ किया जायेगा। **(ड.)** रतलाम जिले में कितने हेक्टेयर भूमि पर फूल की खेती होती है तथा प्रतिवर्ष किस मात्रा में किस प्रकार के फूल का उत्पादन हो रहा है? रतलाम की फूल मंडी का प्रदेश में क्या स्थान है? वर्ष 2015 से 2021 तक स्थिति में बतावें?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ, रतलाम में अनाज मण्डी प्रांगण से लगी हुई 4.710 हेक्टेयर भूमि को अधिगृहित कर विकास कार्य प्रगतिरत है, जिसके पूर्ण होने पर वहां सब्जी मण्डी स्थानांतरित की जाएगी, तदोपरांत सब्जी मण्डी के रिक्त स्थान पर नियम अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए फूल व्यापारियों से चर्चा कर फूल का व्यवसाय मण्डी प्रांगण में प्रारंभ कराया जाएगा। **(ख)** म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 के प्रावधान एवं मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि सन 2000 में कृषकों से किसी भी प्रकार का कमीशन काटे जाने का प्रावधान नहीं है। म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 49 के अंतर्गत इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधि में किसी नियम या उपविधि का उल्लंघन करने पर दंडित

करने का प्रावधान मौजद है। फूल का क्रय-विक्रय मण्डी प्रांगण में प्रारंभ होने के बाद ही किसानों का हित-संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। **(ग)** जी हाँ, जिसके अनुक्रम में रतलाम में अनाज मण्डी प्रांगण से लगी हुई 4.710 हेक्टेयर भूमि को अधिगृहित कर विकास कार्य प्रगतिरत है, जिसके पूर्ण होने पर वहां सब्जी मण्डी स्थानांतरित की जाएगी, तदोपरांत सब्जी मण्डी के रिक्त स्थान पर नियम अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए फूल व्यापारियों से चर्चा कर फूल का व्यवसाय मण्डी प्रांगण में प्रारंभ कराया जाएगा। **(घ)** उत्तरांश (ग) अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने जाने के उपरांत रतलाम मण्डी में फूल का विनियमित व्यापार प्रारंभ होने पर फूल उत्पादक किसानों को उचित प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने हेतु समुचित प्रयास किये जाएंगे। इसके लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ड.)** उप संचालक उद्यान जिला रतलाम से प्राप्त प्रश्नागत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वर्तमान में रतलाम मण्डी प्रांगण में फूल का व्यवसाय संचालित नहीं होने से प्रश्नागत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट - "तीस"

मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

182. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 3730) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजना का नाम ही मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी संबल योजना है? **(ख)** मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी नया सवेरा योजनान्तर्गत माह जून 2019 से माह सितम्बर तक मृतक के परिवारों को अनुग्रह सहायता योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया जबकि मृतकों के प्रकरण योजना के पोर्टल पर स्वीकृत हैं? **(ग)** माह जून 2019 से माह सितम्बर तक के परिवारों कब तक मृतक के परिवारों को सहायता दी जायेगी?

पंचायत मंत्री : [पंचायत मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया) : (क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जी नहीं। **(ख)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता **(ग)** श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत पात्र समस्त प्रकरणों में राशि संबंधित निकायों को जारी की जा चुकी है। माह जून 2019 से माह सितम्बर तक कुल 7465 मृत्यु के प्रकरणों में हितग्राही के परिजनों को राशि रूपये 166 करोड़ 99 लाख की अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है।

नियम विरूद्ध जॉब कार्ड निरस्त किया जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

183. अता.प्र.सं.83 (क्र. 3809) श्री पाँचीलाल मेड़ा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार जिले की धरमपुरी नालछा जनपद पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितने जॉब कार्ड निरस्त किन कारण से किये गये एवं कितने नवीन जॉब कार्ड जारी किये गये? कृपया जॉब कार्ड धारकों के नाम, पता सहित सूची दें? **(ख)** क्या यह सही है कि उक्त जॉब कार्ड शासन के दिशा-निर्देश के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन लिये जाने के पश्चात निरस्त किये गये थे? यदि नहीं, तो उक्त नियम विरूद्ध जॉब कार्ड निरस्त करने वाले उत्तरदायियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी एवं निरस्त किये गये जॉब कार्ड का पुन: परीक्षण कर नवीन जॉब कार्ड जारी किये जायेगें? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री : [(क) धार जिले की धरमपुरी नालछा जनपद पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7877 एवं 2021-22 में 15492 जॉबकार्ड निरस्त किये गये, जिसका कारण सहित विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3817 एवं 2021-22 में 1588 नवीन जॉबकार्ड जारी किये गये। जॉबकार्डधारकों के नाम एवं पता की **जानकारी संकलित की जा रही है। (ख)** जनपद पंचायत धरमपुरी में 1147 एवं जनपद पंचायत नालछा में 752 जॉबकार्ड जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन पश्चात् निरस्त किये गये हैं। शेष जॉबकार्ड जिन्हें जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन के बिना निरस्त किया गया है, इसके संबंध में उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु जाँच दल गठित किया गया है। जाँच प्रचलन में होने के कारण उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। **] (क)** धार जिले की धरमपुरी नालछा जनपद पंचायत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7877 एवं 2021-22 में 15492 जॉबकार्ड निरस्त किये गये, जिसका कारण सहित विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3817 एवं 2021-22 में 1588 नवीन जॉबकार्ड जारी किये गये। जॉबकार्डधारकों के नाम एवं पता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

सरपंच विहीन ग्राम पंचायत का दायित्व
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

184. अता.प्र.सं.104 (क्र. 4084) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खाचरौद विकासखण्ड अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतें सरपंच की मृत्यु व अन्य कारणों से सरपंच विहीन है और कब से है? इन ग्राम पंचायतों के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण दें। **(ख)** सरपंच की मृत्यु या अन्य कारणों से सरपंच विहीन ग्राम पंचायतों का दायित्व पीसीओ/सचिव को किन नियमों के तहत सौंपा गया हैं? नियमों की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए विवरण दें। **(ग)** शासन के नियमानुसार सरपंच विहीन ग्राम पंचायत में जिस वर्ग का सरपंच निर्वाचित था क्या उसी वर्ग के पंच को या उपसरपंच को सरपंच का दायित्व सौंपने का प्रावधान हैं? यदि हाँ, तो प्रावधान अनुसार अन्य जिलों में तो इस नियम को पालन किया गया है परंतु उज्जैन जिले सहित खाचरौद क्षैत्र में क्यों नहीं किया गया हैं? नियमानुसार व्यवस्था कब तक कर उसी वर्ग के व्यक्ति को चार्ज दिया जाएगा? **(घ)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा क्षेत्र की सरपंच विहीन ग्राम पंचायत के उपसरपंच, पंच को दायित्व सौंपने के लिए कब-कब कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत उज्जैन तथा आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास को पत्र प्रेषित किए थें? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता पत्रों का उत्तर दिया गया है? यदि हाँ, तो कब?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** खाचरौद विकासखण्ड अंतर्गत 130 ग्राम पंचायतें हैं। उक्त ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015 से 2020 तक निर्वाचित सरपंच पदस्थ थे। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधान अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में दैनिक कार्यकलाप संपन्न करने हेतु समितियों का गठन किया गया है, जिसमें समिति का प्रधान भी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में किसी भी ग्राम पंचायत में सरपंच पदस्थ नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 87 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में वर्णित प्रावधान अनुसार व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति को ग्राम पंचायत के कार्यकलापों के संपादन हेतु नियुक्त किया गया। छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश "ख" अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अत: प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जानकारी निरंक, **संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार।**

<u>परिशिष्ट - "इकतीस"</u>

निर्माण कार्यों का भुगतान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

185. परि.अता.प्र.सं. 116 (क्र. 4148) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में 01 अप्रैल 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक 15वें वित्त एवं मनरेगा योजना से कौन-कौन से सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, राशि स्वीकृतकर्ता का नाम, तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक, निरीक्षणकर्ता व सी.सी. जारीकर्ता अधिकारी का नाम सहित ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार एवं वर्षवार बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में स्वीकृत कार्यों की सामग्री एवं मजदूरी की राशि कितनी फर्म/वेण्डरों एवं कितने मजदूरों के खातों में भुगतान किया गया है? वर्षवार भुगतान की जानकारी उपलब्ध करावें। कितने कार्यों का भुगतान शेष है तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) योजना अंतर्गत किन-किन कार्यों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है? शिकायतवार जानकारी उपलब्ध करावें। जांच में कौन-कौन से अधिकारी, जनप्रतिनिधि दोषी पाये गये हैं? प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं। यदि जांच नहीं की गई तो जांचे कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री : [पंचायत मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया) : (क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** सिवनी जिले में 01 अप्रैल, 2020 से प्रश्नांकित दिनांक तक 15वें वित्त एवं मनरेगा योजना के अभिसरण से कुल 1186 कार्य एवं मनरेगा योजना से 9551 कार्य स्वीकृत किये गये कार्यों की ग्राम पंचायतवार, विकासखण्डवार एवं वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश 'क' के संदर्भ में 15वें वित्त एवं मनरेगा योजना के अभिसरण से सामग्री का भुगतान 49 वेंडरों के खातों में एवं मजदूरी का भुगतान 1,17,622 खातों में किया गया है व 327 खाते में भुगतान होना शेष है। मनरेगा योजना से सामग्री का भुगतान 1,411 वेन्डरों के खातों में एवं मजदूरी का भुगतान 11,64,578 खातों में भुगतान किया गया व 883 खातों में भुगतान होना शेष है। वर्षवार भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' एवं 'द' अनुसार** है। मजदूरी एवं सामग्री मद में राशि की उपलब्धता होने पर मूल्यांकन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया के तहत की जाना है, निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'इ' अनुसार** है।

संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्ते
[स्कूल शिक्षा]

186. अता.प्र.सं.113 (क्र. 4176) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सर्व शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी में पारित नियमानुसार यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्ते की हर वर्ष दिनांक 1 अप्रैल की स्थिति में राज्य शासन के कर्मचारियों के समान वृद्धि की जावेगी? **(ख)** क्या वर्ष, 2016 से लागू सातवां वेतनमान इन संविदा कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है? यदि नहीं, तो यह कार्यकारिणी के द्वारा तय नियमों की अवहेलना नहीं है? क्या वेतन वृद्धि की नस्ती वित्त विभाग में लंबित है? यदि हाँ, तो कब से? **(ग)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग की 05 जून 2018 की संविदा नीति की कंडिका 1.15 में स्पष्ट प्रावधान है कि पूर्व से मिल रही सुविधाएं यथावत रखी जा सकेगी? यदि हाँ, तो क्या दिनांक 10 अगस्त 2021 विधानसभा प्रश्न क्रमांक 896 के सवाल पर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिए गये जवाब से स्पष्ट है कि सर्व-शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों को पूर्व अनुसार न्यूनतम वेतन एवं वेतन भत्ता दिया जावेगा तो फिर वित्त विभाग राज्य शिक्षा केन्द्र के

कर्मचारियों की नस्ती पर अनुमोदन देने में इतना विलंब क्यों कर रहा है? सम्पूर्ण स्पष्ट जानकारी बिन्दुवार प्रदान करें। **(घ)** प्रश्नांश के वित्त विभाग में लंबित है सर्व शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों की शत् प्रतिशत वेतन प्रदान करने की सांतवे वेतनमान की फाईल कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [(क) जी हाँ। संविदा कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर प्रचलित मंहगाई भत्ता जोड़कर एकजाई परिलब्धियां दी जाती है। **(ख)** राज्य कार्यकारिणी के निर्देश पर नस्ती अंतिमवार दिनांक 08.11.2021 को प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित की गयी। **(ग)** एवं **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ग)** एवं **(घ)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

प्याज बीज का क्रय
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

187. परि.अता.प्र.सं. 123 (क्र. 4207) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन ने उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित नर्सरियों पर उत्पादित प्रमाणित प्याज बीजों की बिक्री के लिये विक्रय दर निर्धारित की है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित उपरोक्त प्याज बीज किसानों के उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा कितना प्याज बीज किस दर पर, किस संस्था से खरीदा गया? **(ग)** क्या प्याज बीज बिना टेंडर के मंहगी दरों पर क्रय किया गया है? **(घ)** यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है एवं इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जवाबदेह हैं एवं इनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। **(ख)** वर्ष 2021 खरीफ मौसम हेतु किसानों को सत्यरूप श्रेणी का प्याज बीज रूपये 2300.00 प्रति किलोग्राम की दर से कुल 79.60 क्विंटल राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHRDF) से क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराया गया है। **(ग)** प्याज बीज की खरीदी बिना टेण्डर के राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHRDF) से उनके द्वारा निर्धारित विक्रय दरों पर की गई है। **(घ)** कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कन्या दान सहायता राशि योजना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

188. अता.प्र.सं.119 (क्र. 4210) श्री बैजनाथ कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनपद पंचायत सबलगढ़, पहाडगढ़ जिला मुरैना में अप्रैल 2019 से फरवरी 2022 तक कन्यादान सहायत राशि योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में प्राप्त आवेदनों में कितने हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदाय की गई? सूचीमय संलग्न दस्तावेजों सहित उपलब्ध करावें एवं कितने आवेदकों को अभी तक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचीमय दस्तावेज उपलब्ध करावें एवं कारण सहित जानकारी देवें। **(ग)** प्राप्त आवेदनों पर सहायता राशि उपलब्ध न कराने हेतु कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? नाम मय पद सहित बताते हुए इनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कन्यादान सहायता राशि योजना संचालित नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पंचायत निर्वाचन में जमा कराई प्रतिभूति राशि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

189. अता.प्र.सं.123 (क्र. 4226) श्री लाखन सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिसम्बर 2021 में पंचायत निर्वाचन हेतु पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश के किस-किस जिले में कितनी-कितनी प्रतिभूति राशि आवेदन दिनांक तथा निर्वाचन निरस्त दिनांक तक जमा कराई गई थी? जमा राशि में से कितनी-कितनी राशि आवेदकों को 28 फरवरी 2022 तक वापिस की जा चुकी है? कितनी-कितनी राशि वापिस किया जाना शेष है? प्रत्येक जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** ग्वालियर जिले की जनपद भितरवार, घाटीगॉव (बरई), डबरा एवं मुरार में कितनी-कितनी राशि जमा हुई थी? कितनी-कितनी 28 फरवरी 2022 तक वापिस की जा चुकी है तथा कितनी-कितनी वापिस किया जाना शेष है? अलग-अलग जनपदवार बतावें। **(ग)** पंच, सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु नो ड्यूज प्राप्त करने के शासन के क्या नियम हैं? नियमों की प्रतियॉ दें। भितरवार विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों में किन-किन व्यक्तियों द्वारा दिसम्बर, 2021 में पंचायत से नो ड्यूज प्राप्त करने के लिये कितनी-कितनी राशि जमा कराई गई? प्रत्येक पंचायतवार, प्रत्येक नो ड्यूज प्रदाय कराये गये व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत एवं नो ड्यूज के लिये कितनी राशि जमा कराई गई? जमा कराई गई राशि का पूर्ण विवरण दें।

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

पंचायतों में अनियमितता की शिकायतें
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

190. परि.अता.प्र.सं. 137 (क्र. 4264) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र मनावर के विकासखण्ड अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा मद से किये सामुदायिक कार्यों की संख्या कार्य करने वाले एजेंसियों के नाम और मजदूरों की संख्या भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी के पदनाम सहित पंचायतवार, संख्यात्मक जानकारी देवें। **(ख)** दिनांक 01.1.2019 से प्रश्न दिनांक तक जनपद स्तर व जिला स्तर पर विधानसभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत कितनी ग्राम पंचायतों में अनियमितता की शिकायत किसके द्वारा प्राप्त हुई? उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। **(ग)** मनावर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंचा में मनरेगा योजना के कार्यों में अनियमितता के संबंध में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही प्रचलित है? ब्यौरा देवें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो कारण बताएं। **(घ)** विधानसभा प्रश्न-क्र.137 (घ) (ड.) दिनांक 20/12/2021 के संबंध में प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही नहीं करने का विधिसम्मत कारण बताएं।

(ड.) निसरपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भैंसलाई में मनरेगा से संबंधित प्रश्न दिनांक तक जनपद स्तर व जिला स्तर पर कितने पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित किए गए? पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? **(च)** निसरपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसलाई और मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंचा तथा डोंगरगांव में 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा मद से किए कार्यों पर मजदूरी व सामग्री मद में व्यय की गयी राशि कार्य करने वाले एजेंसियों के नाम और भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी के पदनाम की जानकारी देवें। **(छ)** पत्र-सं.1836/2021 दिनांक 26/07/2021 प्रश्नकर्ता द्वारा CEO धार को प्रेषित ई-मेल पत्र की जानकारी प्रश्न दिनांक तक नहीं देने का विधिसम्मत कारण बताएं। कब तक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी?

पंचायत मंत्री : [(क) दिनांक 01.01.2019 से प्रश्न दिनांक तक विधानसभा क्षेत्र मनावर के विकासखण्ड अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा मद से 3148 सामुदायिक कार्य स्वीकृत किये गये हैं। उक्त निर्माण कार्यों में कार्य करने वाली एजेंसी, मजदूरों की संख्या एवं भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों के पदनाम सहित पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** दिनांक 01.01.2019 से प्रश्न दिनांक तक जनपद/जिला स्तर पर विधानसभा क्षेत्र मनावर अन्तर्गत कुल 32 ग्राम-पंचायतों में अनियमितता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतकर्ता का नाम व की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर धर्मपुरी के पत्र क्र. 863 दि. 15.03.2022 से प्रतिवेदित किया गया है कि मूल्यांकन से अधिक राशि रू. 445311/- सरपंच/सचिव द्वारा अनियमित रूप से आहरित किये जाने से वसूली प्रस्तावित की गई है। उक्त प्रकरण न्यायालय जिला पंचायत में पंजीबद्ध किया जाकर संबंधितों से उक्त राशि वसूल की जाकर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही किये जाने की स्थिति होने से शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (ड.)** निसरपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भैंसलाई में मनरेगा से संबंधित प्रश्न दिनांक तक जनपद स्तर व जिला स्तर पर माननीय प्रश्नकर्ता से 05 पत्र प्राप्त हुये है। पत्रों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है। **(च)** निसरपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसलाई और मनावर अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंचा तथा डोंगरगांव में 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा मद से किए कार्यों पर मजदूरी व सामग्री मद में व्यय की गयी राशि कार्य करने वाले एजेंसियों के नाम और भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी के पदनाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ई' अनुसार** है। **(छ)** वांछित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निसरपुर के पत्र क्रमांक 576 दिनांक 11.03.2022 द्वारा माननीय विधायक महोदय को उपलब्ध करा दी गई है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **] (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।

छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी की जानकारी
[स्कूल शिक्षा]

191. अता.प्र.सं.136 (क्र. 4285) श्री जितु पटवारी : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छः विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार छात्रवृत्ति के नाम, बजट आवंटन व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या 2019-20 से 2021-22 तक की बताएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विभिन्न प्रकार की 27 छात्रवृत्ति के बारे में बतावें कि उल्लेखित वर्ष में किस-किस वर्ष की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है तथा किस-किस वर्ष की छात्रवृत्ति का भुगतान करना शेष है? राशि और हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी दें। **(ग)** क्या छात्रवृत्ति में 2020-21 से भुगतान शेष है? यदि हाँ, तो बतावें कि कुल कितनी राशि छात्रवृत्ति की देना शेष है तथा इसका कारण क्या है? **(घ)** क्या निजी विद्यालय और महाविद्यालयों ने शासन से छात्रवृत्ति न आने पर विद्यार्थियों पर दबाव डाल कर जबरन राशि जमा

करवाई है? क्या शासन विद्यार्थियों के हित का संरक्षण करने के लिये उचित कार्यवाही करेगा? **(ड.)** क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है तथा लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को पिछले दो वर्ष की 3 हजार से अधिक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करना है? क्या शासन छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान करेगा?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार** है। तत्समय पर्याप्त वंटन नहीं होने एवं विद्यार्थियों के खाते त्रुटिपूर्ण होने से असफल भुगतान के कारण छात्रवृत्ति लंबित रही। छात्रवृत्ति हेतु शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है। **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ड.)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार** है। छात्रवृत्ति हेतु शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही प्रचलन में है। **] (घ)** जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मानद मद व कार्यकारी पद पर नामांकन/मनोनयन के नियम
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

192. परि.अता.प्र.सं. 147 (क्र. 4302) श्री बाला बच्चन : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा मानद मद व कार्यकारी पद पर नामांकन या मनोनयन हेतु नियम की प्रमाणित प्रति देवें। क्या मानद पद पर नियुक्त संबंधित को वेतन व अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है? यदि हाँ, तो इसकी सीमा क्या है? इस संबंध में नियम की प्रमाणित प्रति देवें। **(ख)** संस्था क्रिस्प भोपाल जिनकी जनरल बॉडी (सामान्य निकाय) के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, के मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर सीधे नामांकन कर दिया गया? क्या यह मानद पद है या कार्यकारी पद है? **(ग)** क्या यह पद नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किये बिना नामांकित कर दिया गया है? इस नामांकन के समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देवें। **(घ)** यदि नियमों का पालन नहीं किया गया है तो ऐसा करने वालों पर शासन कब तक कार्यवाही करके यह नामांकन निरस्त करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (क)** मानद पद व कार्यकारी पद पर नामांकन या मनोनयन, वेतन व अन्य सुविधाओं संबंधी नियम उपलब्ध नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रम सिद्धि अभियान
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

193. अता.प्र.सं.144 (क्र. 4313) श्री सुनील सराफ : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिवस तक कोतमा विधानसभा क्षेत्र में कितने अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया? इसकी संख्या बतावें **(ख)** प्रश्नांकित पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक इनमें से कितने अकुशल श्रमिकों को कितने दिवस का रोजगार दिया गया? स्थान, कार्य का नाम, कार्य दिवस संख्या सहित देवें। **(ग)** उपरोक्त कार्यों में कितना भुगतान किया जा चुका है, कितना शेष है की जानकारी श्रमिकवार देवें। अपूर्ण भुगतान कब तक पूर्ण होगा?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से प्रश्न दिवस तक कोतमा विधानसभा क्षेत्र में 3138 अकुशल श्रमिकों का पंजीयन किया गया। **(ख)** प्रश्नांकित पंजीयन दिनांक से प्रश्न दिनांक तक 3138 अकुशल श्रमिकों को 131788 दिवस का रोजगार दिया गया। शेष वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश "क" अनुसार

उपरोक्त कार्यों में लगे अकुशल श्रमिकों को राशि रू. 2,23,49,170/- का भुगतान किया जा चुका है। प्रश्नांश अवधि के अकुशल श्रमिकों का मजदूरी भुगतान शेष नहीं है। श्रमिकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दोषी कर्मचारी एवं अधिकारियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

194. परि.अता.प्र.सं. 157 (क्र. 4353) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या छतरपुर जिले के समस्त जनपद पंचायतों में पदस्थ सहायक यंत्रियों द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत सामुदायिक निर्माण कार्यों का 100 % सत्यापन किया जाता है तथा पूरे जिले के समस्त जनपद पंचायतों के उपरोक्त 10 % निर्माण कार्यों का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर द्वारा किया जाता है? **(ख)** यदि हाँ, तो दोनों अधिकारियों की वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की सत्यापित टूर डायरी अनुसार निरीक्षण किये गये कार्यों कि संख्या वर्षवार बतावें। **(ग)** यदि नहीं, तो फर्जी निरीक्षण करने वाले कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर एवं जिले के सभी जनपद के सहायक यंत्रियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** क्या छतरपुर जिले में जनवरी 2020 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजना के तहत लगभग 60 करोड़ के चेकडेम निर्मित किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं? **(ड.)** क्या लगभग 90% चेकडेमों का स्टीमेट रूपये 1480000 से रूपये 1499000 बीच बनाए गए हैं? **(च)** क्या छतरपुर जिले में निर्मित समस्त नदी नाले एक ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हैं, विकासखण्ड, ग्रामपंचायतवार नदी नालों के समस्त प्राक्कलन राशि सहित सूची उपलब्ध कराएं। **(छ)** क्या उक्त प्रश्न से स्पष्ट होता है कि प्राक्कलन स्थल सत्यापन के अनुसार नहीं बनाए गए हैं तथा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हुए शासन की राशि का दुरुपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो क्या दोषी कर्मचारी एवं अधिकारियों पर कार्रवाई की जावेगी?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(छ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ, दोनों अधिकारियों की वर्ष 2020-21 में 1716 एवं 2021-22 में 1647, कुल 3363 कार्यों का सत्यापन टूर डायरी के अनुसार निरीक्षण किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी हाँ। राशि रू. 5951.62 लाख के चेकडेम स्वीकृत किये गये हैं। कार्य का नाम स्वीकृति भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ड.)** जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(च)** जी नहीं। विकासखण्डवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(छ)** जांच कार्यवाही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुख्यालय स्तर पर प्रचलन में है, जिसके निष्कर्षों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुपयोगी चेक डेमों की राशि वसूली
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

195. परि.अता.प्र.सं. 158 (क्र. 4355) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आपके पत्र क्रमांक 5033/मंत्री.पं.ग्रा.वि./20, दिनांक 29/09/2021 के अनुसार कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छतरपुर को जांच प्रतिवेदन में जो उपयंत्री एवं अन्य कर्मचारी दोषी पाए गए एवं जिन चेकडेमों की उपयोगिता सिद्ध नहीं होती तो उनकी राशि संबंधित दोषी उपयंत्रियों से वसूली की कार्यवाही करने, जांच पूरी होने तक इनका भुगतान रोकने एवं निलंबन के प्रस्ताव शासन को 15 दिवस के अंदर भेजने के निर्देश जारी किए गए थे? **(ख)** क्या कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी, सेवा संभाग छतरपुर ने प्रश्न दिनांक तक पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की है? यदि हाँ, तो संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग छतरपुर को निलंबित कर अनुपयोगी चेकडेमों की राशि उनसे वसूल की जाएगी? **(ग)** यदि हाँ, तो कब तक? **(घ)** यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

पंचायत मंत्री : [(क) जी हाँ। **(ख)** से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। **(ख)** पत्र पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अत: शेष प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। **(ग)** की गई कार्यवाही **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** छतरपुर जिले में निर्मित किये गये चैकडेमों के संबंध में मुख्यालय स्तर से भी जांच की कार्यवाही की जा रही है, जिनमें निष्कर्षों के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

चैक डेम निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

196. परि.अता.प्र.सं. 159 (क्र. 4362) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिलान्तर्गत मनरेगा योजनांतर्गत निर्मित कितने चैक डेम निर्माण में अनियमितताओं की जांच की गई? किन-किन बिन्दुओं पर जांच की गई? सभी के जांच प्रतिवेदन प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में जांच प्रतिवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उपरोक्त अवधि में निर्मित कितने चैक डेम की राशि 14 से 15 लाख के बीच थी? क्या उक्त सभी प्राकृतिक नदी नाले की लम्बाई-चौड़ाई जिनमें चैक डेम बनाया गया है, इतनी एकरूपता संभव है, नहीं तो सभी की प्राक्कलित राशि में समानता कैसे? **(घ)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में सभी चैक डेम के भुगतान की क्या स्थिति है? किसके आदेश से कितना-कितना भुगतान कब-कब किया गया?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** छतरपुर जिलान्तर्गत जानकारी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा योजनांतर्गत निर्मित किये गये 37 चैकडेमों की जांच की गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक छतरपुर जिलान्तर्गत मनरेगा योजनांतर्गत राशि रूपये 14 से 15 लाख की बीच की लागत के 266 चैकडेम निर्मित/निर्माणाधीन है। प्राकृतिक तौर पर नदी नाले की लंबाई-चौड़ाई एक समान नहीं है। इस कारण से प्राक्कलित राशि में भिन्नता है। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से प्रचलित जांच निष्कर्षों के आधार पर स्थिति स्पष्ट की जावेगी। **(घ)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत ऑनलाईन भुगतान परिषद से प्राप्त आवंटन के अनुसार किया गया है। जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।

C.S.R. मद से कराये गए कार्य
[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

197. अता.प्र.सं.163 (क्र. 4392) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़) : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या C.S.R. योजना मध्यप्रदेश में लागू है? यदि हाँ, तो योजना लागू दिनांक से प्रश्न दिनांक तक रीवा संभाग के जिलों में योजना अंतर्गत कितने कार्य कराये गए? कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20 - 8/2013/बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 10/2017 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार गठित राज्य स्तरीय कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति एवं मैदानी स्तर पर C.S.R. गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं? यदि हाँ, तो रीवा संभाग के जिलों में उपरोक्त समितियों द्वारा कितनी बैठकों का आयोजन किया गया एवं बैठकों में क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार C.S.R. मद से निर्मित अधोसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन का विवरण उपलब्ध करायें। **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार C.S.R. मद से कराये गए कार्यों हेतु

जारी तकनीकी स्वीकृतियों एवं कार्य पूर्णता सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध करायें एवं प्रश्नांश (क) अनुसारI.A.D. मद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कराये गए/प्रस्तावित कार्यों से संबंधित कार्यादेशों, तकनीकी स्वीकृति, निर्माण एजेंसी, कार्यों की उपयोगिता/पूर्णता एवं भुगतान की जानकारी उपलब्ध करायें।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [(क) सी.एस.आर. से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम में है। कंपनी अधिनियम भारत सरकार द्वारा प्रशासित है, जो मध्यप्रदेश में भी लागू है। भारत सरकार द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के निर्वहन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 दिनांक 01-04-2014 से लागू किये गये है, उक्त अधिनियम तथा उसके अंतर्गत जारी नियम भारत सरकार के कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिशासित है, उक्त अधिनियम/नियम अंतर्गत जानकारी राज्य शासन द्वारा संधारित नहीं की जाती है। उक्त जानकारी के संबंध में नेशनल सी.एस.आर. पोर्टल www.C.S.R. .gov.in से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। **(ख)** मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (तत्कालीन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग) द्वारा आदेश क्रमांक एफ 20-8/2013/बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 13-10-2017 के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यों के फेसिलिटेशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। आदेशानुसार प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की 03 बैठकें आयोजित की गई है। शेष **जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)** उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में सी.एस.आर. में निर्मित अधोसंरचनाओं/परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के विवरण की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। **(घ)** उत्तर (क) के परिप्रेक्ष्य में चाही गई जानकारियां विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती। **] (ख)** मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (तत्कालीन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग) द्वारा आदेश क्रमांक एफ 20-8/2013/बी-ग्यारह, भोपाल दिनांक 13-10-2017 के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यों के फेसिलिटेशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की 03 बैठकें आयोजित की गई है। रीवा संभाग अंतर्गत मैदानी स्तर पर सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिलास्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

जिला	बैठक	परिशिष्ट
रीवा	03	प्राप्त जानकारी अनुसार 03 आयोजित बैठकों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** के **प्रपत्र -'अ' अनुसार** है।
सतना	कुल 07	7 में से 4 बैठकों के कार्यवाही विवरण उपलब्ध है, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' अनुसार** है।
सिंगरौली	कुल 08	**पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'स' अनुसार** है।
सीधी	निरंक	निरंक

जिलों में लक्ष्यों का आवंटन
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

198. अता.प्र.सं.173 (क्र. 4434) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01 जनवरी 2019 से प्रश्नांकित अवधि तक राज्य एवं केन्द्रीय योजनांतर्गत यंत्रीकरण में विदिशा जिले को क्या लक्ष्य आवंटन किये गये? लक्ष्य आवंटन के क्या मापदंड थे? छायाप्रति

उपलब्ध करावे तथा किस आधार पर जिले को लक्ष्य आवंटन किये गये है? किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन सी योजनाओं के तहत लाभ दिया गया? हितग्राहीवार विकासखण्डवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन कंपनी/फर्म/संस्थाओं से पावरटिलर, पावरब्रीडर और स्प्रेपंप, पॉलि/नेट हाउस निर्माण, आदि अन्य उपकरण कृषकों द्वारा क्रय किये गये हैं? कंपनी/फर्म/संस्था का नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। क्या एक ही कंपनी/फर्म/संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए एक ही कंपनी से क्रय करवाये गये है? **(ग)** क्या एक ही कंपनी के यंत्र कृषकों ने क्रय किये हैं? यदि हाँ, तो कंपनी का नाम, जी.एस.टी. नंबर सहित जानकारी उपलब्ध करावें। इस कृत्य में विभाग का कौन सा अधिकारी दोषी है? विभाग द्वारा संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? संबंधित अधिकारी पर कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** विदिशा जिले में प्रश्नांश (क) के संदर्भ में किन-किन हितग्राहियों को कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ दिया गया? योजनावार हितग्राहीवार स्वीकृत राशि सहित जानकारी देवें।

राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** योजनांतर्गत लक्ष्य आवंटन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। जिले से प्राप्त कार्य योजना/योजना प्रावधान अनुसार लक्ष्य आवंटित किये जाते हैं। हितग्राहियों की योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। पावरटिलर, पावरब्रीडर और स्प्रेपंप, पॉली/नेट हाउस निर्माण आदि अन्य उपकरण कृषकों द्वारा क्रय किये गये हैं, कंपनी/फर्म/संस्था की जानकारी, हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। कृषकों द्वारा एक ही कंपनी के पावर ट्रिलर कृषि यंत्र क्रय किये हैं। शासन के निर्देशानुसार डी.वी.टी. के माध्यम से कृषक स्वयं कृषि यंत्र क्रय करता है, विभाग के अभिलेख अनुसार विभागीय अधिकारी पर कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी.एस.टी. की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संबंध में जिले में केन्द्र और राज्य की योजना के अंतर्गत लाभान्वित किये गये कृषकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

199. परि.अता.प्र.सं. 193 (क्र. 4515) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, छतरपुर के पत्र क्र. 1973/शिकायत/2021, दिनांक 06.10.21, क्र.1768/ग्रायांसे/2021, दिनांक 13.09.2021, क्र. 750/शिकायत/2021, दिनांक 18.03.2021, क्र. 969/शिकायत दिनांक 12.04.2021, क्र. 1207/शिकायत/2021, दिनांक 10.06.2021, क्र. 1001/शिकायत/2021, दिनांक 22.04.2021, क्र. 1282/शिकायत/2021, दिनांक 24.06.2021, क्र. 710/ज.प./2021, दिनांक 24.09.2021, क्र. 569/ज.प./मनरेगा/2021, दिनांक 06.09.2021 के पत्रों पर कार्यवाही की गई है? **(ख)** क्या संबंधित पत्रों के अनुसार अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मनरेगा अंतर्गत निर्माण किये गये चेक डेमों के स्वीकृत प्राक्कलन, स्वीकृत ड्राइंग, डिजाइन एवं प्रशासकीय स्वीकृत, माप पुस्तिका के अनुसार गठित टीम द्वारा चेक डेमों की जांच की गई? यदि हाँ, तो चेक किये गये समस्त चेक डेमों की सूची उपरोक्त रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छतरपुर एवं समस्त विकासखण्डों के सहायत यंत्रियों द्वारा संबंधित उपयंत्रियों, सरपंचों, सचिवों, सहायक सचिवों को पत्र बताकर करोड़ों रूपये का गबन करके शासन को चूना लगाया गया है? यदि हाँ, तो संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग छतरपुर एवं सहायक यंत्री, समस्त जनपद पंचायत, जिला छतरपुर एवं उपयंत्रियों को

निलंबित एवं संविदा समाप्त कर कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो समय-सीमा बतायें? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

पंचायत मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** छतरपुर जिले में निर्मित किये गये चैकडेमों के संबंध में मुख्यालय स्तर से भी जांच की कार्यवाही की जा रही है, जिनमें निष्कर्षों के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "बत्तीस"

विभागीय जांच प्रचलित रहने पर भी पदोन्नति दी जाना
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

200. अता.प्र.सं.189 (क्र. 4518) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन. पी.) : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सन् 2012 में श्री वी.के. आरख कार्यपालन यंत्री की विभागीय जांच प्रचलित थी तथा विभागीय जांच प्रचलित होते हुए भी उनकी अधीक्षण यंत्री पद पर नियम विरूद्ध पदोन्नति की गयी? **(ख)** क्या आरख की विभागीय जांच के उपरांत दण्ड अधिरोपित किया गया? यदि हाँ, तो क्या? क्या दण्ड के विरूद्ध श्री आरख द्वारा की गयी अपील पर विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया? यदि हाँ, तो प्रकरण समाप्त किये जाने का क्या आधार था? **(ग)** क्या दण्ड अवधि में 2019 में भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दी गयी? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत यह पदोन्नति दी गयी? **(घ)** क्या राज्य शासन पूर्व वर्षों में गठित विभागीय पदोन्नति समिति की समय वृद्धि किये बिना पूर्व समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन अनिश्चित काल तक कर सकता है? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत?

पंचायत मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)** लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री वी.के. आरख, अधीक्षण यंत्री, वर्तमान में अतिरिक्त परियोजना संचालक, लो.नि.वि. पी.आई.यू. ग्वालियर के पद पर पदस्थ हैं। अत: प्रश्न पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित नहीं। **(ख)** उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 25 मार्च, 2022

मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से सहायता राशि
[सामान्य प्रशासन]

201. अता.प्र.सं.5 (क्र. 475) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता द्वारा विगत 1 अप्रैल, 2021 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से सहायता योग्य प्रयोजनों के लिए अनुदान दिए जाने हेतु कितनी अनुशंसाएं अग्रेषित की गई थी? **(ख)** उपरोक्त में से किस-किस अनुशंसा के लिए कितना-कितना अनुदान दिया गया प्रकरणवार बतावें? **(ग)** यदि कोई अनुदान नहीं दिया गया तो इसका क्या कारण है।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** प्रश्नाधीन अवधि में संधारित अभिलेख अनुसार माननीय प्रश्नकर्ता द्वारा अनुशंसित 101 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। **(ग)** प्रत्येक प्रकरण का नियमों एवं प्रक्रियाओं के आलोक में परिशीलन कर समग्र विचारोपरांत नियमानुसार तथा पात्रतानुसार मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान सहायता स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाता है।

परिशिष्ट - "तैंतीस"

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

202. अता.प्र.सं.14 (क्र. 1538) श्री लखन घनघोरिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में स्वीकृत रिक्त पदों पर कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी संविदा पर पदस्थ हैं? इनके नियमितीकरण की क्या योजना हैं? शासन ने स्वीकृत रिक्त पदों की भर्ती करने हेतु विगत तीन वर्षों में कब क्या निर्देश जारी किये हैं? **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन ने विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों पर संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों का स्वीकृत नियमित वेतनमान का 90 प्रतिशत वेतन देने बावत कब क्या निर्देश जारी किये हैं तथा क्या इसका पालन विभाग ने किया है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के तहत संचालित किन-किन योजनाओ/कार्यक्रमों में संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों के संविदा मानदेय में कब से वृद्धि नहीं की गई है एवं क्यों? किन-किन योजनाओं/कार्यक्रमों में संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों के स्वीकृत वेतनमान का 90 प्रतिशत वेतन कब स्वीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों के नियमितीकरण करने की क्या योजना है। इस संबंध में केन्द्रीय शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]** **(क)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एच.आर.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर के अनुसार वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संख्या 28,338 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत चयनित एजेंसी के माध्यम से संविदा पर रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है। **(ख)** प्रश्नांश "ख" की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 90 प्रतिशत के संबंध में फाईल वित्त विभाग, म.प्र. शासन को प्रेषित की गई थी। दिनांक 25.11.2020 द्वारा वित्त विभाग का परामर्श-कोविड-19 कर परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय प्रस्ताव पर विचार आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने का परामर्श हेतु लेख किया गया है। वित्त विभाग द्वारा दिया गया अभिमत- कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में एन.एच.एम. द्वारा संभवतः स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कुछ इंसेटिव दिये जाने का विचार किया जा रहा है, अतः फिलहाल प्रतीक्षा का परामर्श है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 महामारी के दौरान संविदा कर्मचारियों (तकनीकि एवं प्रबंधकीय) की सेवाओं को संज्ञान में लेते हुए संविदा कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मासिक मानदेय/पारिश्रमिक में अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता (स्वास्थ्य) प्रदान करते हुए मासिक मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि करते हुये उनके कैडर के हिसाब से न्यूनतम रू. 1000/- से अधिकतम रू. 4000/- तक का विशेष प्रोत्साहन भत्ता माह जून-2021 पेड जुलाई-2021 से प्रतिमाह अतिरिक्त दिया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को संविदा मानव संसाधन मैनुअल अंतर्गत प्रावधान अनुसार प्रतिवर्ष नियमानुसार मानदेय वृद्धि की जाती है। प्रश्नांश "ख" में दिये गये उत्तर अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

महाकाल मंदिर को दान में मिली जमीन को विकास कार्य के बहाने बेचने के षड़यंत्र
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

203. परि.अता.प्र.सं. 19 (क्र. 1972) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्व में प्रश्नकर्ता द्वारा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2739 बैठक दिनांक 10/03/2021 को मंदिर की ज़मीनों पर कब्जों को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाया था? क्या इसमे हिंदू मंदिरों की जमीन हड़पने का षडयंत्र की शंका जाहिर की थी? क्या उसमें इंदौर टेक्सटाइल से लेकर हीरामील ताकायमी जमीन, शासकीय जमीन पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों की जमीन बेचे जाने पर आपत्ति ली गयी थी? यदि हाँ, तो क्या कारण है कि सरकार महाकाल मंदिर को दान में मिली ज़मीनों पर बेचने के प्रस्ताव ला रही है? **(ख)** क्या सरकार के पास महाकाल मंदिर के विकास कार्यों के लिए राशि नहीं है? जबकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत महाकाल मंदिर के विकास के लिए भी राशि प्राप्त होती है? **(ग)** क्या पूर्व की कमलनाथ सरकार ने महाकाल विस्तार के प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ कि राशि स्वीकृत की थी? यदि हाँ, तो वर्तमान सरकार में ऐसे क्या कारण रहे कि मंदिरों कि शासकीय भूमि को बेचकर मंदिर का विकास कार्य कराना पड़ रहा है?

पर्यटन मंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। महाकाल मंदिर को दान में मिली जमीनों को बेचने का कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। **(ख)** महाकाल मंदिर के विस्तार के लिए शासन द्वारा परियोजना स्वीकृत है। राशि की कोई कमी नहीं है। **(ग)** जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मंदसौर, रतलाम नीमच जिलों में अमानक दवाइयों की बिक्री
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

204. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 3082) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य में नकली, सब-स्टेण्डर्ड व अमानक दवाइयों के कुल कितने नमूने जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक लिये गये एवं कितने नमूने जांच के लिए विभिन्न लैब में भेजे गये? भेजे गए नमूनों में कितनों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है कितनों की किन कारणों से लंबित है? क्या रतलाम, मंदसौर जिले में ज्यादातर मामलों में नमूने लेबोरेटरी तक भेजे ही नहीं जा रहे हैं और अधिकारियों द्वारा दुकानदारों से अनियमितता कर प्रकरण का निदान किया जा रहा है, ऐसी कितनी शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई? समस्त प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराए? **(ख)** वर्तमान में नकली, अमानक व सब स्टेण्डर्ड दवाइयों की जांचों हेतु कितनी लेबोरेटरी कहाँ-कहाँ सचांलित हैं? **(ग)** प्रदेश में उक्त अवधि में नकली व अमानक दवाइयों के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में कुल कितने चालान उक्त अवधि तक प्रस्तुत किये गये? उनमें कितनों का निराकरण क्या हुआ जानकारी देवें? **(घ)** क्या रतलाम, मंदसौर, नीमच जिलों में अधिकारियों की लापरवाही के चलते नकली, सब स्टेण्डर्ड, अमानक दवाईयां लगातार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बेची जा रही हैं जिसमें मुख्य रुप से शहर में ही बन रही नकली गर्भ-निरोधक गोलियां शामिल हैं? यदि नहीं, तो कब-कब 1 जनवरी 2018 के पश्चात किस-किस सक्षम अधिकारी ने इन जिलों का अकस्मात निरीक्षण किया? दिनांकवार निरीक्षण की जांच रिपोर्ट की जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** मध्यप्रदेश राज्य में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक दवाइयों के कुल 12572 नमूने लिये जाकर जांच हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजे गये हैं एवं कुल 9462 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त है। राज्य स्थित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में क्षमता से अधिक कार्य होने एवं कोविड-19 महामारी होने के कारण कई दिनों तक कार्य बाधित होने के कारण 3093 नमूनों की जांच लंबित है एवं केन्द्रीय/रीजनल औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में कुल 18 औषधियों के नमूनों की जांच लंबित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। रतलाम, मंदसौर जिले में लिये गये औषधियों के सभी

नमूने लेबोरेटरी को भेजे गये हैं। नकली, सब-स्टेण्डर्ड व अमानक दवाइयों के संबंध में अधिकारियों द्वारा दुकानदारों से अनियमितता कर प्रकरण के निदान करने संबंधी कोई शिकायत इस प्रशासन में प्राप्त नहीं है। अत: शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** प्रदेश में जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में नकली/अमानक दवाइयों के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में 06 चालान प्रस्तुत किये गये जो कि वर्तमान में माननीय न्यायालयों में प्रचलन में हैं। प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं, अमानक के संबंध में रतलाम में किये गये निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। मंदसौर में किये गये निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ई"** एवं नीमच में किये गये निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "फ" अनुसार** है।

लैंगिक उत्पीड़न समिति का गठन
[महिला एवं बाल विकास]

205. अता.प्र.सं.41 (क्र. 3202) श्री राम दांगोरे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत कितने शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में आंतरिक परिवार समिति का गठन किया गया है? यदि शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में समिति का गठन नहीं किया गया है तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? **(ख)** खण्डवा जिले में शासकीय/अशासकीय क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? दर्ज प्रकरणों पर कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

मुख्यमंत्री : [(क) लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत 2378 शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में आंतरिक समिति का गठन किया गया है। शेष कार्यालयों में समिति गठन की **जानकारी एकत्रित की जा रही** है। यदि शासकीय/अशासकीय क्षेत्रों में समिति का गठन नहीं किया गया है तो अधिनियम की धारा 26 (1) अनुसार रूपये 50000/- जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। **(ख)** खण्डवा जिले में शासकीय/अशासकीय क्षेत्रों में अधिनियम के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में 01 प्रकरण दर्ज किया। दर्ज प्रकरण में 01 व्यक्ति दोषी पाया गया, जिसकी वार्षिक वेतनवृद्धि रोकी गयी, दूरस्थ स्थान पर पदस्थ किया गया एवं प्रतिकर के रूप में शिकायतकर्ता को भुगतान करने हेतु दण्डादेश जारी किया गया।] **(क)** लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत विभाग अंतर्गत उपलब्ध जानकारी अनुसार 5199 शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में आंतरिक समिति का गठन किया गया है। यदि शासकीय/अशासकीय क्षेत्रों में समिति का गठन नहीं किया गया है तो अधिनियम की धारा 26 (1) अनुसार रूपये 50000/- जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।

प्रमुख अधीक्षक अग्निशमन इन्दौर के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध
[सामान्य प्रशासन]

206. अता.प्र.सं.44 (क्र. 3397) श्री आरिफ मसूद : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों इन्दौर में राम सिंह निंगवाल वर्तमान प्रमुख अधीक्षक, अग्निशमन सेवा के विरूद्ध पूर्व में एवं वर्तमान में कौन-कौन से अपराध दर्ज है तथा अपराधों की वर्तमान स्थिति क्या है एवं इनके विरूद्ध वर्तमान में और कौन-कौन सी शिकायतें लंबित है शिकायतकर्ता एवं शिकायत नम्बर सहित बतावे? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या राम सिंह निंगवाल स्वयं के विरूद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरण में लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे एवं निलंबित रहे? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या राम सिंह निंगवाल वर्तमान प्रमुख अधीक्षक अग्निशमन सेवा ने निरीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति के दौरान अवैध

वसूली कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में जेल गये थे यदि हाँ, तो क्या वह वर्तमान में पुन: उसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर वरिष्ठ पद पर पदस्थ हैं, प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम व दस्तावेज उपलब्ध कराएं? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या राम सिंह निंगवाल विशेष सशस्त्र बल में प्लाटून कमांडर पद से भर्ती हुए है तथा इन्होंने अग्निशमन से संबंधित कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। यदि हाँ, तो राम सिंह निंगवाल को मूल विभाग (विशेष सशस्त्र बल) में वापस किया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [(क) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई इंदौर में श्री राम सिंह निंगवाल, तत्का. निरीक्षक पुलिस फायर बिग्रेड इंदौर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 14/2000 पंजीबद्ध हुआ था, शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। वर्तमान में श्री राम सिंह निंगवाल तत्का. निरीक्षक पुलिस फायर बिग्रेड, इंदौर के विरूद्ध कोई भी अपराध/शिकायत लंबित नहीं है। **(ख)** श्री रामसिंह निंगवाल, तत्का. निरीक्षक पुलिस फायर बिग्रेड, इंदौर दिनांक 27.12.2003 से 07.02.2004 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे तथा दिनांक 24.08.2004 से 19.12.2012 तक निंलबित रहे। **(ग)** श्री राम सिंह निंगवाल तत्का. निरीक्षक पुलिस फायर बिग्रेड, इंदौर के पद पर प्रतिनियुक्ति के दौरान गबन करके शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर गिरफ्तार किया गया। जिस पर माननीय न्यायलय द्वारा उन्हें जेल भेजा गया था। शेष प्रश्नांश की **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ग)** श्री राम सिंह निंगवाल, तत्का. निरीक्षक पुलिस फायर बिग्रेड, इंदौर के पद पर प्रतिनियुक्ति के दौरान गबन करके शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के आरोप में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर गिरफतार किया गया, जिस पर माननीय न्यायलय द्वारा उन्हें जेल भेजा गया था। अवैध वसूली के संबंध में दिनांक 09.11.1999 को प्रमुख अधीक्षक अनिल गुप्ते के द्वारा पुलिस महानिदेशक महोदय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2012 में पारित निर्णय में पंजीबद्ध अपराध में दोषमुक्त किया गया है। श्री निंगवाल वर्तमान में पुलिस अग्निशमन सेवा इंदौर में पदस्थ हैं। पुलिस महानिदेशक म.प्र. पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 09.06.1998 अनुसार श्री आर.एस. निंगवाल, कंपनी कमाण्डर 15वीं वाहिनी, विसबल, इंदौर को निरीक्षक अग्निशमन सेवा के रूप में फायर बिग्रेड इंदौर में पदस्थ किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। गृह विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2020 अनुसार श्री रामसिंह निंगवाल आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर को प्रमुख अधीक्षक पुलिस अग्निशमन सेंवायें इंदौर के पद पर पदस्थ किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ, दिनांक 09.06.1998 को पुलिस फायर बिग्रेड में कंपनी कमांडर 15वीं वाहिनी, विसबल, इंदौर से निरीक्षक, अग्निशमन सेवा में संविलियन किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख अधीक्षक के पद हेतु विशेष प्रशिक्षण एवं योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। गृह विभाग के आदेश दिनांक 31.01.2020 अनुसार श्री रामसिंह निंगवाल को प्रमुख अधीक्षक अग्निशमन सेवा, इंदौर के पद पर शासन द्वारा स्थानांतरित किया गया है। इस संबंध में मूल विभाग (विसबल) में वापस किये जाने के संबंध में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

गौशाला कमेटी के सदस्यों द्वारा शासकीय जमीन को खुर्द-बुर्द करना
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

207. अता.प्र.सं.47 (क्र. 3445) श्री संजीव सिंह : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिले के अंतर्गत श्री गौशाला कटनी का पंजीयन कब हुआ था पंजीयन की प्रति उपलब्ध करावे प्रश्न दिनांक की स्थिति में उक्त कमेटी में कितने सदस्य हैं उनके नाम, पते, सहित विवरण दें? वर्तमान समिति का चुनाव कब हुआ था? पूर्ण जानकारी सहित विवरण उपलब्ध करावें? उक्त कमेटी का पंजीयन ट्रस्ट या समिति के रूप में हुआ था? यह भी बताएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) की समिति में कुल कितनी भूमि कहाँ-कहाँ

स्थित थी, खसरा नं. सहित विवरण दें? उक्त भूमि में से कितनी-कितनी भूमि किस-किस को विक्रय किया, क्यों और प्रयोजन से किया इसके लिये कौन अधिकृत था? **(ग)** प्रश्नांश (क) की समिति द्वारा कितनी भूमि लीज पर किस-किसको प्रदाय की गई? नाम पता, खसरा न. सहित पूर्ण विवरण दें? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में श्री गौशाला कमेटी द्वारा नियमों के प्रावधानों के विपरीत जमीनों के खुर्द-बुर्द करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी कब तक दर्ज करा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों कारण बताए? **(ड.)** श्री गौशाला कटनी के बायलाज (नियमावली) की प्रति उपलब्ध करावें तथा विगत 5 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति दें।

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** श्रीगौशाला, कटनी का पंजीयन गौशाला समिति के रूप में म.प्र. गौसेवा आयोग भोपाल में क्रमांक 316, दिनांक 26.03.2003 पर किया गया था। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।** जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समिति, जिला कटनी की अनुशंसा पर श्रीगौशाला कटनी का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वर्तमान में म.प्र. गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा गौशाला का पंजीयन निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान स्थाई संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश "क" एवं "ख" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** एवं **(ड.)** प्रश्नांश "ग" अनुसार।

<u>परिशिष्ट - "चौंतीस"</u>

शराब के दामों में विसंगति रोकने हेतु शासन की कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]

208. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 3630) श्री कमलेश जाटव : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सम्पूर्ण जिले में एक ही ब्रान्ड की शराब अलग-अलग दामों पर शासन की अनुबंधित अंग्रेजी/देशी शराब की दुकानों से क्यों बेची जा रही है? क्या जिले में शराब के दामों की विसंगति, रोकने हेतु शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** क्या जिले में शराब बिक्री के लिये अनुबंधित ठेकेदारों द्वारा उनको प्रदत्त दुकानों के अतिरिक्त कमीशन-बेस पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजी/देशी शराब को स्टॉक कर बेचने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम/निर्देश उपलब्ध करावें एवं यदि नहीं, तो जिले के समस्त ग्रामीण-क्षेत्रों में कमीशन-बेस पर अवैध रुप से ठेकेदारों द्वारा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से शराब की बिक्री क्यों की जा रहीं है? क्या शासन कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ग)** प्रदेश की किस-किस स्टलरी फैक्ट्री द्वारा शराब के उत्पादन में उपयोग होने वाले किन-किन आवश्यक सामग्री को किस-किस एजेन्सियों/कम्पनियों से किस-किस दाम में प्रतिमाह खरीदा जाता है? किस-किस नाम से शराब का उत्पादन किया जाता है? जिसमें से किन-किन नामों की शराब को किस-किस दामों में प्रदेश की शासकीय दुकानों पर बिकने हेतु प्रदाय किया जाता है तथा कौन-कौन से नामों की शराब को केवल एक्सपोर्ट ही किया जाता है? सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77, दिनांक 25.02.2020 की कंडिका क्रमांक 25 के अनुसार मदिरा दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु शासन द्वारा न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) निर्धारित की गई है। अत: जिले की फुटकर विक्रय के दुकानों के लायसेंसियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय (MSP) एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) पर या इसके मध्य बिक्री दर पर मदिरा का फुटकर विक्रय कर सकता है। फुटकर मदिरा दुकान से निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) से कम राशि पर एवं अधिकतम विक्रय मूल्य (MRP) से अधिक राशि पर मदिरा विक्रय किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की जाती है। **(ख)** जी नहीं। जिले में शराब बिक्री

के लिये अनुबंधित ठेकेदारों द्वारा उनको प्रदत्त दुकानों के अतिरिक्त कमीशन-बेस पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अंग्रेजी/देशी शराब को स्टॉक कर बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश के किसी भी जिले में कमीशन-बेस पर अवैध रूप से ठेकेदारों द्वारा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से शराब की बिक्री कराये जाने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। जिलों में अन्य व्यक्तियों द्वारा मदिरा के अवैध संग्रहण विक्रय की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाती है। **(ग)** प्रदेश की किस-किस डिस्टलरी फैक्ट्री (डी-1) लायसेंसी द्वारा शराब के उत्पादन में उपयोग होने वाले किन-किन आवश्यक सामग्री को किस-किस एजेन्सियों/कम्पनियों से किस-किस दाम में प्रतिमाह खरीदा जाता है, संबंधी बिन्दु आबकारी विभाग के पर्यवेक्षण अधीन नहीं है। अतएव वांछित जानकारी निरंक है। प्रदेश की (डी-1) आसवनियों द्वारा शराब का उत्पादन न किया जाकर मात्र परिशोधित स्पिरिट RS/ENA का उत्पादन किया जाता है, जो कि शराब बनाने के लिये प्रयोग की जाती है। प्रदेश की कतिपय आसवनी परिसर में अवस्थित एफ.एल.09 एवं एफ.एल.9-क अनुज्ञप्तियों द्वारा विनिर्मित शराब के संबंध में वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

शराब की दुकानों एवं अहातों का निरीक्षण
[वाणिज्यिक कर]

209. अता.प्र.सं.58 (क्र. 3631) श्री कमलेश जाटव : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा अनुबंधित अंग्रेजी/देशी शराब की दुकानों आहतों को विभाग के किन-किन अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन शराब के स्टॉक एवं बिक्री तथा अहातों को चलाए जाने की शर्तों का निरीक्षण किये जाने का कोई प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम निर्देश उपलब्ध कराते हुऐ, शहर मुरैना एवं मेरी सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र में किस-किस दुकानों पर किस-किस दिनांकों में किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस स्थान पर निरीक्षण किया गया? अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक किये गए निरीक्षणों की रिपोर्टों की छायाप्रति के साथ जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या शासकीय अनुबंधित अंग्रेजी/देशी शराब की दुकानों द्वारा शराब की बिक्री के साथ में शराब को पिलाने हेतु शासन के नियमानुसार किसी प्रकार के अहाते (एफ.एल.-2) खोलने का कोई नियम एवं प्रावधान है? यदि हाँ, तो नियम/निर्देश के साथ उक्त अहातों की शर्तें, अहातों द्वारा नियमानुसार दी जाने वाली सुविधाओं तथा अहाते हेतु कुल नियमानुसार कितनी जगह (स्क्वायर फिट में) होना आवश्यक है? सभी जानकारियां उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार विभाग द्वारा निरीक्षण किये जाने पर कोई अनियमितता एवं शिकायत पाई गई? यदि हाँ, तो संबंधित शराब विक्रेता के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? उक्त कार्यवाही की समस्त छायाप्रतियों के साथ जानकारी उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 51 विनिर्माण एवं विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति से सशक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण के प्रावधान हैं। अहातों के नाम से कोई श्रेणी नहीं है। नियम निर्देश की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। माह अप्रैल 2021 से प्रश्न दिनांक तक कार्यालय संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं निरीक्षण टीप की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। शहर मुरैना की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में किये गये निरीक्षणों एवं अम्बाह विधानसभा क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के किये गये निरीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है। **(ख)** अंग्रेजी/देशी शराब दुकानों में अहाता नाम से कोई श्रेणी नहीं है। अंग्रेजी मदिरा दुकानों को शॉपबार तथा देशी मदिरा दुकानों की ऑन लायसेंस पीने की सुविधा प्रदान करने संबंधी जानकारी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77, दिनांक 25.02.2020 की कंडिका 2 अनुसार प्रावधान है। नियम एवं शर्तों हेतु राजपत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है। एफ.एल.-2 (रेस्तरां बार) अनुज्ञप्ति के लिये कांक्रीट

कवर्ड स्ट्रक्चर की 1500 स्क्वेयर फीट की जगह होना आवश्यक है, नियम निर्देश विधानसभा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-चार अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुसार विभाग द्वारा निरीक्षण किये जाने पर पायी गई अनियमितताओं एवं शिकायतों की जांच पर लायसेंसी के विरूद्ध प्रकरण कायम कर उनके विरूद्ध नियमानुसार की गई कार्यवाही की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-पांच अनुसार** है।

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 1500 की रसीद से दर्शन
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

210. अता.प्र.सं.65 (क्र. 3859) श्री महेश परमार : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01 जुलाई 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन के लिए 1500 रुपए की रसीद जारी की गयी? उनके नाम, पते, मोबाइल, दर्शन दिनांक और आधार नंबर की पूर्ण जानकारी देवें। **(ख)** महाकाल मंदिर प्रशासन ने 1500 रुपए की रसीद के माध्यम से श्रद्धालुओं से प्राप्त राशि का उपयोग किन कार्यों के लिए किस अवधि में किन प्रयोजनों के लिए किया? खर्च का हिसाब और खर्च से पहले अनुमोदन और भुगतान किनके द्वारा किया गया प्रमाण सहित जानकारी देवें। **(ग)** उक्त राशि को खर्च करने से पूर्व कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यदि किया है तो अनुमोदन की प्रति देवें। **(घ)** क्या त्रैमासिक ऑडिट प्रशासन द्वारा कराई जाती है? यदि हाँ, तो उक्त अवधि की त्रैमासिक ऑडिट रिपोर्ट एवं आपत्तियाँ उपलब्ध कराएं। **(ड.)** वित्तीय नियम महाकाल मंदिर में खर्च और आय को लेकर क्या बनाए गए हैं? उनकी नियम पुस्तिका उपलब्ध कराएं।

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत निर्मित उपविधि 2000 की धारा 9 (9) अनुसार मंदिर को होने वाली समस्त आय (1500 रूपये की रसीद से प्राप्त आय) का उपयोग विभिन्न मदों में मंदिर के विकास कार्य, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई मंदिर कर्मचारियों के पारिश्रमिक, श्रद्धालुओं की सुविधा, पेयजल, नि:शुल्क संचालित अन्नक्षैत्र, गौशाला, वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जूता स्टेण्ड, क्लॉक रूम इत्यादि के संचालन में किया गया है। बजट का अनुमोदन सर्वप्रथम श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कराया जाकर कलेक्टर एवं अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन से कराया जाता है। **(ग)** श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के कोष से खर्च की जाने वाली युक्त राशि का अनुमोदन प्रतिवर्ष बजट में आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन से कराया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 17.6.2021 के ठहराव क्रमांक 14 में पारित निर्णय अनुसार प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर को 10 लाख रूपये तक के भुगतान हेतु अधिकार प्रदत्त है। 10 लाख से अधिक की राशि के भुगतान कलेक्टर एवं अध्यक्ष श्री महाकालेश्वर मंदिर के अनुमोदन उपरांत ही किए जाते हैं। **(घ)** जी हाँ। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अन्तर्गत होने वाले समस्त आय-व्यय हेतु प्री-ऑडिट आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा जारी आदेश दिनांक 07/9/2013 से लागू किया गया है, जिसके परिपालन में प्रतिदिन होने वाली समस्त आय का परीक्षण स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर व समस्त देयकों के भुगतान स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पूर्व परीक्षण कर देयक पारित किये जाने के उपरांत किये जाते हैं। स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एवं आपत्तियों का संधारण किया जाता है। त्रैमासिक ऑडिट रिपोर्ट एवं आपत्तियों का संधारण नहीं किये जाने के कारण उक्त अवधि की ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। **(ड.)** श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अपने समस्त कार्य मंदिर ने अधिनियम 1982 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित उपविधि 2000 के तहत अथवा शासकीय नियम अनुसार संचालित संधारित किए जाते हैं। मंदिर अधिनियम 1982 की धारा

21, 22, 23 व 24 एवं उपविधि 2000 की धारा 9 व 10 अनुसार पूर्व लेखा परीक्षा उपरांत मंदिर में खर्च और आय हेतु वित्तीय कार्य किया जाता है।

नई आबकारी नीति बनाने हेतु प्राप्त सुझाव
[वाणिज्यिक कर]

211. परि.अता.प्र.सं. 69 (क्र. 3866) श्री कुणाल चौधरी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग को पिछले पांच वर्षों में आबकारी नीति बनाने के लिये जनता से सुझाव प्राप्त हुये हैं? यदि हाँ, तो सुझाव देने वाले का नाम बतावें तथा उनकी प्रति देवें। इस संबंध में विभाग द्वारा सुझावकर्ता को भेजे गये पत्र की प्रति देवें। **(ख)** शराब की तस्करी के अवैध शराब के परिवहन, नकली होलोग्राम की शराब के, अन्य विभिन्न प्रकार के वर्ष 2016 से 2021 तक कितने-कितने प्रकरण पाये गये और उसमें किस-किस डिस्टलरी की भागीदारी पायी गयी? **(ग)** दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत डिस्टलरी के नाम, मालिक भागीदार के नाम तथा वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक उत्पादन का नाम तथा मात्रा बतावें तथा बतावें कि प्रश्नाधीन अवधि में उक्त डिस्टलरी में से किस-किस डिस्टलरी में क्या-क्या अनियमितता पायी गयी तथा क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या राजस्थान और असम सरकार ने सागर और भिण्ड की दो डिस्टलरी के संचालकों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर शराब तस्कारी करने के आदेश दिये हैं? यदि हाँ, तो डिस्टलरी के नाम तथा की गई कार्यवाही से अवगत करायें। **(ड.)** क्या अधिकारियों एवं डिस्टलरी के गठजोड़ से परेशान होकर शराब व्यापारी ने दुकानों के ठेके लेने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं? यदि हाँ, तो बतावें कि व्यापारियों के बिन्दु क्या हैं तथा उसका समाधान कैसे किया जावेगा?

वित्त मंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** आबकारी नीति बनाने के लिये जनता से सुझाव प्राप्त किये जाने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं होने से प्रश्नांश (क) की जानकारी निरंक है। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वर्ष 2016 से 2021 तक शराब की तस्करी, अवैध शराब के परिवहन, नकली होलोग्राम की शराब एवं अन्य विभिन्न प्रकार के कायम किये गये प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–1 अनुसार** है। **पुस्तकालय परिशिष्ट अनुसार** दर्ज प्रकरणों में डिस्टलरी की कोई भागीदारी होने संबंधी प्रकरण प्रकाश में नहीं आने से जानकारी निरंक है। **(ग)** दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत डिस्टलरी के नाम, मालिक भागीदार के नाम तथा वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक उत्पादन का नाम तथा मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 एवं 3 अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में मेसर्स सोम डिस्टलरी सेहतगंज जिला रायसेन में निरीक्षण किये जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 4 (26) का उल्लंघन करते हुये इकाई परिसर में स्पिरिट रिसीवर टैंक (क्रमांक आर-1 से लेकर आर-11 तक) एवं स्पिरिट स्टोरेज टैंक (क्रमांक एस.व्ही. 12 से एस.व्ही. 19 तक) कुल 19 टैंकों का बिना अनुमति निर्माण किये जाने की अनियमितता पाई गई थी। उक्त प्रकरण में पूर्ण विचारोपरान्त आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक/2022/170, दिनांक 17.03.2022 के माध्यम से मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत प्रति टैंक 50,000/- रूपये के मान से शास्ति अधिरोपित की जाकर प्रकरण का यथेष्ठ निराकरण किया जा चुका है। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। असम आबकारी आयुक्त ने आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रेषित पत्र क्रमांक III-21/2018-19/462, दिनांक 02.07.2021 द्वारा किसी संदिग्ध द्वारा जाली अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार कर अन्य राज्यों से उनके राज्य में ई.एन.ए. आयात किया जाना सूचित किया गया है। इस पत्र के तारतम्य में आबकारी आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक/5 (2)/2022-23/3704, दिनांक 27.06.2022 से समस्त प्रभारी अधिकारी विनिर्माणी इकाइयों यथा डी-1, एफ.एल.9, एफ.एल.9-ए, बी-3, बी-3 ऑफ 9-ए को असम राज्य में ई.एन.ए./मदिरा के निर्यात हेतु आयात परमिटों का असम राज्य के पत्र वर्णित

ई-मेल के माध्यम से सत्यापन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्यात करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार** है। **(ड.)** जी नहीं। मदिरा व्यवसाय के इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वर्ष 2022-23 के ठेकों में भाग लिया गया है और प्रदेश की सम्पूर्ण मदिरा दुकानों का निष्पादन वर्ष 2022-23 हेतु पूर्ण हो चुका है।

शालात्यागी बालिकाओं को राशन वितरण
[महिला एवं बाल विकास]

212. अता.प्र.सं.66 (क्र. 3869) श्री कुणाल चौधरी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शाजापुर तथा रतलाम जिले में विधानसभावार शालात्यागी बालिकाओं को दिये गये टेक होम राशन के हितग्राहियों की संख्या वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2021-2022 तक की बतावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हितग्राहियों को किस दर से प्रति हितग्राही प्रति दिवस टेक होम राशन दिया गया? **(ग)** क्या प्रश्न क्रमांक 2776 दिनांक 03.03.2021 के अनुसार जिले में मार्च 2018 में हितग्राहियों की संख्या मार्च 2019 में 75 प्रतिशत घटकर 1088 तथा फरवरी, 2020 में 70 प्रतिशत घटकर 347 हो गयी? **(घ)** क्या शाजापुर जिले में शालात्यागी बालिकाओं को वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 तथा इन पर व्यय क्रमश: 34.39 लाख 16.19 लाख हुआ तथा 5.34 लाख हुआ, यदि हाँ, तो बतावें कि 300 दिवस के T H R की गणना प्रश्नाधीन वर्ष की किस प्रकार की गई? **(ड.)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विषय पर पारदर्शिता हेतु क्या प्रक्रिया की गई तथा उल्लेखित विषय के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी किन पोर्टल पर कैसे प्राप्त की जा सकती है?

मुख्यमंत्री : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्ष 2015-16 में सबला योजनान्तर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु राशि रू.5.00 तथा वर्ष 2018-19 से किशोरी बालिका योजनान्तर्गत 11 से 14 वर्ष तक की शालात्यागी बालिकाओं को राशि रू.9.50 प्रति बालिका पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** शालात्यागी बालिकाओं की संख्या निर्धारण के संबंध में विभाग निर्देशानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने सर्वेक्षण के दौरान 11 से 14 वर्ष की ऐसी किशोरी बालिकाओं की जानकारी एकत्रित की जाती है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, शाला में प्रवेश नहीं लिया है। एक बार शाला में प्रवेश तो ले लिया है परन्तु शाला नहीं जा रही है या कुछ समय जाकर शाला जाना बन्द कर दिया है। यह नामजद संख्या पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त कर विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल में दर्ज करती है। वर्तमान में किशोरी बालिकाओं के आधार पंजीयन के आधार पर विभागीय एम.आई.एस. में जानकारी दर्ज की जा रही है। उल्लेखित विषय के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल पर उपलब्ध रहती है। **] (क)** प्रदेश में किशोरी बालिका योजना वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ हुई थी। शाजापुर तथा रतलाम जिले में विधानसभावार शालात्यागी बालिकाओं की वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "पैंतीस"</u>

शराब के ठेकों का नवीनीकरण
[वाणिज्यिक कर]

213. परि.अता.प्र.सं. 71 (क्र. 3889) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आबकारी एक्ट धारा 34/2 में आरोपितों को शराब ठेका दिए जाने के सम्बंध में विभाग के क्या नियम हैं? वर्तमान में प्रदेश में ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनके विरुद्ध 34/2 के प्रकरण कायम हुए हैं? क्या वर्ष 2022-23 के लिए इनके ठेकों का नवीनीकरण किया जाएगा? यदि हाँ, तो कारण बताएं। यदि नहीं, तो ऐसे समूहों की जिलेवार सूची उपलब्ध कराएं, जिनके लायसेंस इस वजह से नवीनीकरण नहीं किये जायेंगे?

(ख) क्या यह सही है कि मण्डला जिला अंतर्गत अंजनियाँ समूह के वर्तमान लाइसेंसी ठेकेदार के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34/2 का मामला होने के बाद भी वर्ष 2017-18 में इन्हें ठेका दिया गया एवं तब से लेकर वर्ष 2021-22 तक इसका नवीनीकरण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो इसमें कौन-कौन दोषी है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या उक्त ठेकेदार के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण कोतवाली थाना मण्डला पुलिस के द्वारा ठेकेदार का लायसेंस निरस्त करने हेतु जिला आबकारी अधिकारी मण्डला को पत्र को लिखा गया है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा इसमें क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या उक्त ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त करने व वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण नहीं करने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मंत्री जी प्रमुख सचिव व मण्डला कलेक्टर को पत्र दिया गया है? यदि हाँ, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है?

वित्त मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25.02.2020 की कण्डिका क्रमांक 16.6 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कस अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो, ऐसे लायसेंसी नवीनीकरण/ई-टेण्डर की प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित होंगे। वर्तमान में प्रदेश में ऐसे ठेकेदार जिनके विरुद्ध 34/2 के प्रकरण कायम हुए हैं एवं वर्ष 2022-23 के लिए इनके ठेकों का नवीनीकरण किये जाने संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** श्री संदीप सिंह के विरुद्ध उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला मण्डला के निर्णय दिनांक 01.12.2021 से श्री संदीप सिंह को दण्डनीय आरोप में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया गया है। इस तरह मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रवाधान के अंतर्गत अंजनिया समूह का नवीनीकरण किये जाने से किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। थाना प्रभारी थाना कोतवाली जिला मण्डला के पत्र क्रमांक/कोतवाली/थाना/मण्डला/1812/2021, दिनांक 14.12.2021 से जिला आबकारी कार्यालय, मण्डला को पत्र लिखा गया है, जिसमें संदीप सिंह के विरूद्ध अपराध धारा 294, 506, 34 भा.द.वि. का कृत्य कारित करना पाये जाने से थाना मण्डला में अपराध क्रमांक 581/2021 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है तथा आरोपी संदीप सिंह की आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता होने के कारण शराब ठेका लायसेंस निरस्त करने हेतु लिखा गया है। म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य प्रयोग के नियम-3 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-77, दिनांक 25 फरवरी, 2020 की कडिका 16 (6) के अनुसार श्री संदीप सिंह को किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया है। यदि किसी दांडिक न्यायालय द्वारा संदीप सिंह को दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो संदीप सिंह को आवंटित अंजनिया समूह का ठेका नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डला के पत्र क्रमांक/आब./शिका./2021/941, दिनांक 24.12.2021 से थाना प्रभारी, थाना कोतवाली जिला मण्डला को सूचित किया गया है। **(ग)** माननीय विधायक श्री नारायण सिंह पटटा, 105 विधानसभा विछिया जिला मण्डला द्वारा प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन को पत्र के माध्यम से अंजनिया समूह का लायसेंस निरस्त किये जाने हेतु लिखा गया है, जिसका परीक्षण किया गया। दोष सिद्ध नहीं होने से लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी है।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

आवंटन एवं व्यय की जानकारी
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

214. अता.प्र.सं.70 (क्र. 3905) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में विभिन्न प्रयोजनों हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधान निहित किया गया तथा प्रावधानित राशि के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि का व्यय किन-किन परियोजनाओं में किस-किस प्रयोजनों हेतु किया गया है। व्यय राशि का योजनावार घटकवार ब्यौरा दें। **(ख)** क्या विभाग अंतर्गत संचालित परियोजनाएं किसी निजी एजेंसी/एन.जी.ओ. के माध्यम से संचालित हो रही है? यदि हाँ, तो प्रश्नाधीन अवधि में इन निजी एजेंसी/एन.जी.ओ. को परियोजनाओं के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया। भुगतान की गई राशि का विस्तृत ब्यौरा दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में क्रियान्वित निजी एजेंसी/एन.जी.ओ. के द्वारा किन-किन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा किन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण होना शेष है?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ख)** जी नहीं। विभाग अंतर्गत संचालित योजनाएं म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से संचालित की जाती हैं। प्रश्नाधीन अवधि में म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से संचालित योजना अंतर्गत निजी संस्थाओं को प्रदाय सहायता राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

धार्मिक पर्यटन स्थलों का उन्नयन
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

215. अता.प्र.सं.75 (क्र. 3957) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन/विभाग की धार्मिक स्थलों के उन्नयन हेतु वर्तमान में क्या योजना चल रही है? **(ख)** म.प्र. के ऐसे कौन-कौन से धार्मिक स्थल है जिन्हें पर्यटन स्थल घोषित किया जावेगा? उनके नाम बतावें। **(ग)** प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ों के बीच सतनगरी जामवंत गुफा जो कि लोगों, पर्यटकों की आस्था के केन्द्र है क्या जामवंत गुफा को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने संबंधी शासन की कोई योजना है?

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** धर्मस्थलों के उन्नयन हेतु शासन संधारित मंदिरों के लिये कलेक्टर एवं आयुक्त से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जीर्णोद्धार किया जाता है। **(ख)** विभाग अंतर्गत धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समयमान वेतनमान दिए जाने के संबंध में
[वित्त]

216. अता.प्र.सं.78 (क्र. 3998) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वित्त विभाग के आदेश अनुसार समयमान वेतनमान की पात्रता शासन के समस्त विभागों के शासकीय सेवकों को है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या वन विभाग के तृतीय वर्ग (लिपकीय संवर्ग) को 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है? हाँ या नहीं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो छतरपुर वन वृत्त के कितने लिपिकों को द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। सूची उपलब्ध कराएं। **(घ)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार

यदि नहीं, तो क्या वन विभाग ने कार्यरत लिपिकों को समयमान वेतनमान का लाभ न दिए जाने का पृथक से आदेश जारी किया गया है? हाँ या नहीं। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के अनुसार यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। **(च)** प्रश्नांश (घ) के अनुसार यदि नहीं, तो क्या वन विभाग के लिपिकों को उक्त वेतनमान का लाभ दिया जावेगा? हाँ या नहीं। **(छ)** प्रश्नांश (च) के अनुसार यदि हाँ, तो कब तक? **(ज)** प्रश्नांश (च) के अनुसार यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री : [(क) जी हाँ। **(ख)** से **(ज) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008 अनुसार जिन संवर्गों में सीधी भर्ती होती है, वहां समयमान वेतनमान की पात्रता है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी दिनांक 17.03.2022 अनुसार वन वृत्त छतरपुर अंतर्गत पदस्थ पात्र लिपिकों को द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है। सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(ड.)** प्रश्नांश "घ" के अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(च)** जी हाँ। विभाग में कार्यरत तृतीय वर्ग (लिपिकीय संवर्ग) को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008, दिनांक 30.09.2014 एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन में 20/30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पात्रतानुसार क्रमश: द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जा रहा है। **(छ)** प्रश्नांश "च" के अनुसार पात्रता होने पर संबंधित लिपिकों को द्वितीय/तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया। **(ज)** प्रश्नांश "च" के अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "सैंतीस"</u>

लोक सुविधा प्रदत्त करने वाली संस्थाओं पर करारोपण
[वाणिज्यिक कर]

217. अता.प्र.सं.80 (क्र. 4061) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 571, दिनांक 19/03/2020 के प्रश्नांश (क) के उत्तरानुसार लोक सुविधाओं के लिए शुल्क प्राप्त करने वाली संस्थाओं से जी.एस.टी. न लिए जाने का क्या कारण हैं? जबकि इनके द्वारा सभी सेवायें, उपयोगकर्ताओं से शुल्क प्राप्त कर प्रदाय की जाती हैं और नगरीय निकायों द्वारा निर्मित प्रसाधन ग्रहों, शौचालयों के संचालन का कार्य, निविदा में भागीदारी कर प्राप्त किया गया हैं और इसके एवज में प्रतिमाह बड़ी राशि प्राप्त की जा रही है? **(ख)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 571 दिनांक 19/03/2020 के प्रश्नांश (ख) के उत्तरानुसार सुलभ इंटरनेशनल पर सर्विस टैक्स से संबंधित कार्यवाही संस्था पर कब एवं क्यों की गई तथा अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराये? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक 571 दिनांक 19/03/2020 के प्रश्नांश (घ) का उत्तर वर्ष 1983 से अनुबंध के आधार पर सुलभ इंटरनेशनल के सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया जिसमें जल एवं विद्युत देने का उद्देश्य संचालन एवं संधारण लागत कम करना था? **(घ)** प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो उल्लेखितानुसार वर्ष 1983 में किए गए अनुबंध का विवरण बताइये और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराइए और बताइये कि क्या वर्तमान में भी यही अनुबंध लागू हैं? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो वर्तमान में लागू अनुबंध बताइये और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराइए? **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में क्या लोक सुविधाओं के परिसरों के उपयोग का नागरिकों से शुल्क प्राप्त करने वाली और नगरीय निकायों के परिसरों को निविदा प्रक्रिया से प्राप्त करने और संचालन के एवज में राशि प्राप्त करने वाली संस्थाओं के कारोबार और आय का आंकलन कर समुचित कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री : [(क) से **(ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अध्याधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42/2017/1/पांच (53), दिनांक 30.06.2017 (यथा संशोधित) के तहत

लोक सुविधाओं हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं जैसे कि स्नानागार, वॉश रूम, शौच घर, मूत्रालय या शौचालयों का उपबंध को जी.एस.टी. से मुक्त रखा गया है। जी.एस.टी. से संबंधित समस्त निर्णय जी.एस.टी. काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। **(ख)** सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भोपाल संभाग-1 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार सुलभ इंटरनेशनल पर संस्थापित कार्यवाही सर्विस टैक्स से संबंधित है, जो दिनांक 30.06.2017 के पूर्व की है, जिसकी जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। प्रश्नांश के शेष भाग का संबंध भारत सरकार से है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जी नहीं। वर्तमान में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-50/12/18-2, भोपाल दिनांक 20.03.2013 द्वारा खुली निविदा के माध्यम से कार्यवाही करने के निर्देश हैं, जिसके अंतर्गत अनुबंध का प्रारूप नियत नहीं किया गया है, अपितु निकाय स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकती है। **(ड.)** जी नहीं। इस प्रकार की संस्थायें अशासकीय स्वयं सेवी संगठन होने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नियम विरूद्ध पोषण आहार का प्रदाय
[महिला एवं बाल विकास]

218. परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 4136) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में 03 से 06 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदान किए जाने हेतु विभाग द्वारा पूर्व के निर्देशों को संशोधित कर दिनांक 05 मई 2021 को नवीन निर्देश जारी किए थे? **(ख)** यदि हाँ, तो गीता स्व-सहायता समूह को लाभ पहुंचाने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने दिनांक 24 मई 2021 को जारी विज्ञप्ति में संशोधित निर्देशों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्या अक्रियाशील गीता स्व-सहायता समूह का खाता पुन: 02.09.2021 को केनरा बैंक में खुलवाया गया है? **(ग)** क्या नगर परिषद् अकोड़ा जिला भिण्ड द्वारा नगरीय क्षेत्र अकोड़ा में पंजीबद्ध स्व-सहायता समूहों की उपेक्षा कर नियम विपरीत भिण्ड नगर पालिका क्षेत्र के स्व-सहायता समूह गीता स्व-सहायता समूह को नगरीय क्षेत्र अकोड़ा के 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों का पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति दें। **(घ)** क्या दिनांक 29.07.2021, 24.08.2021 एवं 12.11.2021 को अध्यक्ष, महाकाल आजीविका स्व-सहायता समूह नगर परिषद् अकोड़ा जिला भिण्ड ने कलेक्टर जिला भिण्ड को नियम विपरीत गीता स्व-सहायता समूह भिण्ड से पोषण आहार प्रदाय कराने के संबंध में शिकायतें की थी? यदि हाँ, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कब कराई गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति दें एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [(क) जी हाँ। **(ख)** से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी हाँ। **(ख)** भिण्ड जिले में जब नवीन संशोधित निर्देश दिनांक 05.05.2021 प्राप्त हुये, उससे पूर्व दिनांक 03.05.2021 से नस्ती प्रचलन में होने के कारण विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु कलेक्टर, जिला भिण्ड का अनुमोदन (06.05.2021 को) प्राप्त हो चुका था। इसलिये 24 मई 2021 को जारी विज्ञप्ति में संशोधित निर्देशों का उल्लेख नहीं किया गया। जी नहीं। **(ग)** जी नहीं। द्वितीय विज्ञप्ति आमंत्रण में नगर परिषद अकोड़ा हेतु प्राप्त सभी 03 आवेदन नियमानुसार अपात्र पाये जाने के कारण जिला स्तरीय पोषण आहार क्रय समिति की बैठक दिनांक 06.07.2021 के निर्णय एवं अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर जिला भिण्ड का आदेश क्रमांक/एबाविसे/पो.आ./2021/4926, दिनांक 20.07.2021 के परिपालन में परियोजना अधिकारी भिण्ड ग्रामीण के कार्यालयीन आदेश क्र. 418, दिनांक 01.09.2021 के द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। आदेश की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। शिकायत की जांच जिला कार्यक्रम अधिकारी, भिण्ड द्वारा दिनांक 23.09.2021 को की गई है, जिसका परीक्षण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड द्वारा किया गया। जांच प्रतिवेदन की प्रति

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। कार्य आदेश नियमानुसार होने से शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है।

जन औषधि अनुज्ञप्ति धारी के विरूद्ध कार्यवाही
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

219. अता.प्र.सं.86 (क्र. 4139) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा सत्र मार्च, 2021 में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2638 दिनांक 19 मार्च 2021 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में कार्यालय थाना प्रभारी, थाना शाहजहानाबाद भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपराधिक दायित्व के निर्धारण हेतु दस्तावेजों एवं कथनों का संकलन किया जा रहा हैं एवं प्रकरण की जांच वर्तमान में प्रचलन में हैं की जानकारी दी गई है? **(ख)** यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या दस्तावेजों का संकलन कर लिया गया है? **(ग)** क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अपने आदेश क्रमांक 2020/137 दिनांक 01.10.2020 के जरिये कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव्ह जन औषधि मार्केटिंग फेडरेशन लिमि. शॉप/प्लाट नं. ए-7 सुरेन्द्र विहार होशंगाबाद रोड भोपाल को स्वीकृत औषधि अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया था? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की गई एवं कब तक एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी? **(घ)** क्या कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दो अनुज्ञप्तियां निरस्त की गई थी? यदि हाँ, तो निरस्ती आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराएं? **(ड.)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में किस आधार पर एक अनुज्ञप्ति को निरस्त करने के बाद दूसरी अनुज्ञप्ति को कुछ समय बाद निरस्त किया गया? स्पष्ट करें।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : [(क) जी हाँ। **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** प्रश्नाधीन संस्था द्वारा औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु प्रस्तुत आवेदन में सक्षम व्यक्ति के अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाली संस्था के अस्तित्व विहीन एवं औषधि लायसेंस विहीन पाये जाने के कारण, सक्षम व्यक्ति के अनुभव प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये गये, जिस कारण सक्षम व्यक्ति की अर्हता के अपालन होने के कारण प्रश्नाधीन संस्था को स्वीकृत औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आदेश क्रमांक भोपाल/2020/137 भोपाल दिनांक 01.10.2020 के द्वारा नहीं अपितु आदेश क्रमांक भोपाल/2020/317 भोपाल दिनांक 01.10.2020 के द्वारा निरस्त किया गया था। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में पृथक से एफ.आई.आर. दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त आदेश की सूचना थाना शाहजहाँनाबाद, भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन फर्म द्वारा लासयेंस निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसके अपास्त किये जाने पर प्रश्नाधीन फर्म द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 08532/2021 प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण में इस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही शेष नहीं है। **(घ)** औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश दिनांक 01.10.2020 द्वारा एक फर्म मेसर्स म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव्ह जन औषधि मार्केटिंग फेडरेशन लिमि. पता-शॉप/प्लाट नं. ए-7 सुरेन्द्र विहार, ऑशिमा मॉल के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल को स्वीकृत दो औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियाँ क्रमांक 20बी/2224/27/2019 एवं 21बी/2225/27/2019 निरस्त की गई थीं। निरस्तीकरण आदेश **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) में दिये गये उत्तर के अनुसार दो अनुज्ञप्तियाँ जो कि फार्म 20बी एवं 21बी में प्रदत्त थीं एक साथ निरस्त की गई थीं। अतः शेष प्रश्नांश ही उपस्थित नहीं होता। **] (ख)** गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच पूर्ण की गई है।

फ्लोरोसिस परियोजनांतर्गत वित्तीय अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

220. परि.अता.प्र.सं. 94 (क्र. 4199) श्री आरिफ अक़ील : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अलीराजपुर जिले में फ्लोरोसिस परियोजना में जिले के कलेक्टर व पी.एच.ई. के कार्यपालन यंत्री सहित अन्य की मिलीभगत के चलते धरातल की अपेक्षा कागजों में करोड़ों रूपये का घोटाला किए जाने का मामला उजागर हुआ है? **(ख)** यदि हाँ, तो किस-किस की शिकायत के आधार पर किन-किन लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. हुई? उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उनके विरूद्ध निलम्बन या अन्यत्र स्थानांतरित करने जैसी कार्यवाही करने की अपेक्षा उन्हें घोटला स्थल पर ही पदस्थ रखा गया है? यदि हाँ, तो इससे साक्ष्य नष्ट या प्रभावित नहीं होंगे? बतावें।

मुख्यमंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जी नहीं। अपितु समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, अलीराजपुर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी संज्ञान में आयी है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। अपितु समाचार पत्र के माध्यम से विभागीय अधिकारी श्री सुधीर सक्सेना, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता, श्री जी.एस. डामोर, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता एवं श्री डी.एल. सूर्यवंशी, अधीक्षण यंत्री, खरगौन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने की जानकारी के संदर्भ में लेख है कि श्री सुधीर सक्सेना एवं श्री जी.एस. डामोर, प्रमुख अभियंता द्वय क्रमशः दिनांक 30.09.2010 एवं 30.04.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। प्रकरण दर्ज होने के विरूद्ध श्री डी.एल. सूर्यवंशी द्वारा सूचित किया गया है कि श्री धर्मेन्द्र शुक्ला द्वारा न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर में आपराधिक प्रकरण 2280/2021 में प्रस्तुत परिवाद पत्र में पारित आदेश दिनांक 04.12.2021 से असंतुष्ट होकर जिला एवं सत्र न्यायालय अलीराजपुर में प्रकरण दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2022 को पारित अंतरिम निर्णय में आगामी तिथि तक स्थगन प्रदान किया गया है। साथ ही सेवानिवृत्त तत्कालीन प्रमुख अभियंता श्री जी.एस. डामोर के संबंध में जानकारी ज्ञात हुई है कि श्री डामोर द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर में आपराधिक प्रकरण 2280/2021 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में एम.सी.आर.सी. क्रमांक 1551/2022 लगाई गयी है, जिसमें माननीय न्यायालय ने निम्न न्यायालय के आदेश पर स्थगन प्रदान किया है। साथ ही तत्कालीन कलेक्टर अलीराजपुर, श्री गणेश शंकर मिश्रा (भा.प्र.से.) (कार्यकाल नबम्बर 2016 से 2018 तक) के विरूद्ध माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अलीराजपुर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने की जानकारी भी समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आयी। मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा याचिका क्र. 8766/2015 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 में कलेक्टर अलीराजपुर को याचिकाकर्ता श्री धर्मेन्द्र, पिता हरेराम शुक्ला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की सुनवाई दो माह के समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टर अलीराजपुर द्वारा न्यायालय के निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता की सुनवाई की गई तथा दिनांक 24.07.2017 को आदेश पारित किया गया, जिससे झुब्ध होकर श्री धर्मेन्द पिता हरेराम शुक्ला द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में अवमानना याचिका क्र. 429/2017 दायर की, जिसमें मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 द्वारा याचिका खारिज करते हुए आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ता अपना अभ्यावेदन उचित फोरम पर प्रस्तुत करें। श्री धर्मेन्द्र पिता हरेराम शुक्ला द्वारा तत्कालीन कलेक्टर अलीराजपुर तथा अन्य के विरूद्ध मान. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अलीराजपुर के न्यायालय में निजी परिवाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त निजी परिवाद में मान. न्यायालय द्वारा प्रतिवादी क्र.1 श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा.प्र.से. को नोटिस जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा.प्र.से (2010) द्वारा मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्र. 45/2022 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 से अधीनस्थ न्यायालय (न्यायिक

दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अलीराजपुर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2021 को स्थगित किया गया है। प्रकरण अभी सबज्यूडिश है। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की स्थिति नहीं पायी गयी। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जनसंपर्क निधि वर्ष 2021-22 के लंबित प्रस्ताव
[सामान्य प्रशासन]

221. अता.प्र.सं.111 (क्र. 4263) श्री राज्यवर्धन सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग द्वारा भजन/सत्संग मंडलियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु बाद्य यंत्र क्रय किये जाने हेतु जनसम्पर्क निधि वर्ष 2021-22 का वित्तीय आवंटन राजगढ़ जिले को प्रदान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ के अंतर्गत जनसम्पर्क निधि वर्ष 2021-22 से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अपने पत्र दिनांक 24.11.2021 से कलेक्टर जिला राजगढ़ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित किये जा चुके हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रश्न दिनांक तक उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर संबंधितों के खातों में राशि प्रदान कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या जनसम्पर्क निधि वर्ष 2021-22 का जिले को प्रदाय किया गया आवंटन 31 मार्च 2022 के पूर्व उपयोग न करने की स्थिति में लेप्स हो जाएगा? यदि हाँ, तो प्राप्त आवंटन का पूर्ण उपयोग समय-सीमा में हो सके, इस हेतु कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? **(ग)** उपरोक्तानुसार क्या शासन जनसम्पर्क निधि वर्ष 2021-22 के वित्तीय आवंटन का समय-सीमा में पूर्ण उपयोग करने सहित प्रश्नकर्ता के लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने तक कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो क्या और कब तक?

मुख्यमंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जी हाँ। जी हाँ। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार एवं विकास
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

222. अता.प्र.सं.114 (क्र. 4279) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत दो वर्षों में कसरावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं? स्थानवार जानकारी दें। **(ख)** विगत दो वर्षों में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई? कितने लंबित हैं और क्यों एवं इनकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जाएगी? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नों के संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा किन-किन धार्मिक स्थलों के मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु पत्र लिखे गए एवं उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में दर्शित धार्मिक स्थलों का निरीक्षण कर प्रश्न दिनांक की स्थिति में जानकारी दें कि धार्मिक स्थलों के मंदिरों के जीर्णोद्धार के निर्माण कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे और उनकी स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी?

पर्यटन मंत्री : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र कसरावद अंतर्गत धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिये 3 मंदिरों के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। माता मंदिर सगूर तहसील भीकनगांव शासन संधारित नहीं होने से स्वीकृति जारी किया जाना संभव नहीं है। शासन संधारित मंदिर के जीर्णोद्धार प्रस्तावों की बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।

स्वीकृति की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश "क" अनुसार। **(घ)** प्रस्ताव प्राप्त। प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' अनुसार।

प्रदेश में शा.विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या।
[महिला एवं बाल विकास]

223. परि.अता.प्र.सं. 106 (क्र. 4281) श्री जितु पटवारी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शाला त्यागी बालिकाओं उम्र 11 से 14 साल की वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक दिये गये टेक होम राशन के हितग्राही की संख्या जिलेवार देवें तथा वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक दर प्रति हितग्राही प्रति दिवस तथा कुल भुगतान वर्षवार बतावें। **(ख)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 2776 दिनांक 03.03.2021 के उत्तर (ग) के संदर्भ में बतावें कि क्या विभाग के पास शाला त्यागी बालिकाओं के नाम, पता, माता/पिता का नाम, उम्र इत्यादि की जानकारी रहती है या नहीं? क्या इनके टेक होम राशन दिया गया है? उन बालिकाओं या अभिभावकों से कोई सत्यापन कराया जाता है या नहीं? टेक होम राशन प्राप्त करने के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के संदर्भ में जारी समस्त परिपत्र, पत्र की प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2776 दिनांक 03.03.2021 के प्रश्नांश (ग) तथा (घ) के उत्तर में उल्लेखित समस्त प्रकार के दस्तावेज की प्रति इंदौर और रतलाम जिले के वर्ष 2016-17 की उपलब्ध करावें। आंगनवाड़ी/जिला कार्यक्रम अधिकारी का सत्यापन, राजस्व अधिकारी द्वारा बनाया गया पंचनामा, परियोजना से प्राप्त चालान, टेक होम राशन की सत्यापित जानकारी दें।

मुख्यमंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "01" अनुसार है। भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास के नार्मस अनुसार 11 से 14 वर्ष की शाला त्यागी बालिकाओं हेतु पूरक पोषण आहार की दर राशि रू. 9.50 प्रति बालिका प्रति दिवस निर्धारित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "02" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "03" अनुसार** है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "04" अनुसार** है।

पदोन्नति में मनमानी पर कार्यवाही
[वाणिज्यिक कर]

224. अता.प्र.सं.121 (क्र. 4311) श्री सुनील सराफ : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किसी शासकीय सेवक को पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तय किए गए गोपनीय चरित्रावली में अंकों को उसी वर्ष उच्च स्तरीय वेतनमान देने के लिए उपयुक्त माना जाता है या नहीं? यदि किसी अधिकारी की किसी वर्ष की गोपनीय चरित्रावली उपलब्ध नहीं तो इसकी गणना के क्या नियम हैं? क्या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तय गोपनीय चरित्रावली के अंकों को विभागीय उप सचिव द्वारा अमान्य किया जा सकता है तो इस संबंध में नियम की प्रति देवें। **(ख)** क्या कारण है कि वाणिज्यिक कर विभाग में श्री आर.के. तिवारी जिन्हें पदोन्नति समिति द्वारा 05 वर्षों के 16 अंक प्रदान किए थे लेकिन तत्कालीन उप सचिव रत्नाकर झा द्वारा आदेश क्रमांक 2184/1600/2020/1/पांच, दिनांक 22-12-2020 परित कर 05 वर्षों के स्थान पर 03 वर्ष के 9 अंक ही प्रदान कर तृतीय क्रमोन्नति से वंचित कर दिया गया? ऐसा क्यों? कारण व नियम बतावें कि वर्ष 2012 व 2013 के अंक क्यों छोड़े गए? **(ग)** क्या कारण है कि श्री आर.के. तिवारी द्वारा दीर्घावधि से प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण उप सचिव वाणिज्यिक कर विभाग कैलाश वानखेड़े द्वारा अभी तक नहीं किया गया? जबकि सहायक आयुक्त श्री एस.के. सोमटके के अभ्यावेदन का तत्काल निराकरण कर दिया गया? इनके संबंध में गोपनीय चरित्रावली के कमेंट की जानकारी भी देवें। क्या इसके निराकरण की समय-सीमा 4 सप्ताह है? **(घ)** यदि हाँ, तो कब तक इस प्रकरण का निराकरण कर

दिया जाएगा एवं नियम की अवहेलना करने वाले व प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुचित कार्य करने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** जी नहीं। पात्रता दिनांक से विगत 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने या उनकी पदोन्नति हेतु पर्याप्त अंक नहीं होने पर पर उसके पूर्व वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर अंक गणना की जाती है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा गोपनीय चरित्रावली के अंकों का उपयोग विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ही किया जाता है। गोपनीय चरित्रावली के अंकों के निर्धारण के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में उप सचिव द्वारा स्वयं निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** शासन के आदेश क्रमांक 2184/1600/2020/1/पांच, दिनांक 22.12.2020 में श्री आर.के. तिवारी के गोपनीय चरित्रावली के उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर 09 अंक माने गये थे। वर्ष 2013 के गोपनीय प्रतिवेदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी, जबकि वर्ष 2012 के गोपनीय प्रतिवेदन में तत्कालीन स्वीकारकर्ता अधिकारी प्रमुख सचिव द्वारा अंकित "No Comments" को गणना में शामिल नहीं किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 29.09.2004 की कंडिका-2 (VI) के अनुसार "विचाराधीन अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन के मूल्यांकन के आधार पर अंकों का निर्धारण स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा।" निर्देश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। श्री आर.के. तिवारी को तृतीय समयमान वेतनमान न मिलने पर उनके द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की गई थी, उक्त याचिका के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री तिवारी के अभ्यावेदन पर विचार कर शासनादेश दिनांक 22.12.2020 द्वारा अभ्यावेदन को अमान्य किया गया। श्री तिवारी द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका दायर की गई है। वर्तमान में न्यायालयीन प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **(ग)** श्री आर.के. तिवारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर दिनांक 22.12.2020 को निर्णय लिया जाकर आदेश पारित किया जा चुका है। जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "अड़तीस"</u>

EWS के तहत बने मकानों की रजिस्ट्री
[वाणिज्यिक कर]

225. अता.प्र.सं.127 (क्र. 4337) कुमारी हिना लिखीराम कावरे : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा निजी कॉलोनियों तथा मल्टी भवनों में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए मकान तथा प्लाट रखने की अनिवार्यता के बाद EWS के प्लाट तथा मकानों की रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी जिले अनुसार तथा वित्तीय वर्ष अनुसार विस्तृत देने की कृपा करें। **(ख)** क्या प्रदेश में EWS के प्लाट तथा मकानों की रजिस्ट्री तो कम हुई है, साथ ही साथ EWS की अनिवार्यता के बाद कॉलोनियों के सामान्य मकानों तथा प्लाटों की बिक्री में भी कमी आयी है तथा इससे शासन के राजस्व में कमी आयी है? **(ग)** क्या विभाग राजस्व बढ़ाने के लिए तथा यह देखते हुए की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए पर्याप्त मात्रा में मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय म.प्र.शासन को पत्र लिखकर EWS की बाध्यता समाप्त करने पत्र लिखेगा?

वित्त मंत्री : [(क) दस्तावेजों के ई-पंजीयन की प्रणाली 'संपदा' लागू होने की दिनांक 01/07/2015 से वित्तीय वर्ष 2021-22 (08 मार्च 2022) तक की वर्षवार व जिलेवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** EWS के प्लाट तथा मकानों की रजिस्ट्री में वर्ष 2015-16 से अब तक वर्षवार कमी तथा वृद्धि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। EWS की अनिवार्यता के बाद कॉलोनियों के सामान्य मकानों तथा

प्लाटों की बिक्री में वित्तीय वर्ष 2015-16 से निरंतर वृद्धि हो रही है तथा शासन के राजस्व में भी वृद्धि परिलक्षित हो रही है। **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (ग)** जी नहीं। विकास अनुमति प्राप्त करके विकसित की जा रही निजी कॉलोनियों में EWS वर्ग के लिए भूखण्ड/आवासीय इकाइयां आरक्षित रखने की बाध्यता को समाप्त करने के लिए वर्तमान में कोई विभागीय प्रस्ताव नहीं है।

नियम विरूद्ध अवैध कब्जे को हटाया जाना
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

226. परि.अता.प्र.सं. 126 (क्र. 4390) श्री अजय कुमार टंडन : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिला शारदा मंदिर समिति यात्री निवास क्रमांक 1 के बाजू से दुकान क्र. 14 व 15 अवैध रूप टीन शेड का अतिक्रमण क्र. 1004/16, दिनांक 03/9/2016 नियम विरुद्ध अतिक्रमण आवंटन निरस्त कर क्र. 1520, दिनांक 11/03/2020 दुकान क्र. 14 एवं 15 की सरकारी दीवार तोड़ कर 1000 X 3000 वर्गफुट अवैध अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जाकर आवंटन निरस्त कर दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे, बतायें? यदि हाँ, तो समयावधि बतायें। **(ख)** सतना जिला शारदा मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा यात्री निवास क्रमांक 1 के बाजू से दुकान क्र. 14 एवं 15 आयुक्त रीवा पत्र क्र. 5805, दिनांक 02/11/2016 दुकान क्र. 14 एवं 15 श्री गोविन्द चौरसिया एवं गंगा चौरसिया को, समिति प्रीमियम राशि से, 551000=00 से कम से 3,51,000 कम में दे दी गई? क्या आयुक्त रीवा के पत्र क्रमांक 5815] दिनांक 02/11/2016 जनसुनवाई पत्र क्रमांक 5805, दिनांक 02/11/2016 जिलाध्यक्ष दिनांक 05/09/2016 एवं दिनांक 20/09/2016 के बाद शिकायत के बाद ₹ 2,00,000 जमा कर समिति की क्षतिपूर्ति की गई, जिसके बाद भी दुकान क्र. 14 ₹ 17,000, दुकान क्र. 15 ₹ 57,000 का राजस्व का नुकसान हुआ? दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे, बतायें।

पर्यटन मंत्री : [(क) एवं **(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अत: शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ख)** मंदिर प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित प्रीमीयम राशि के क्रम में दो किश्तों में 3,51,000/- 2,00,000/- कुल 5,51,000/- जमा किया गया है। इससे राजस्व की क्षति नहीं हुई।

बोगस कंपनियों की आड़ में जी.एस.टी. चोरी
[वाणिज्यिक कर]

227. अता.प्र.सं.143 (क्र. 4425) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग में स्टेट जी.एस.टी. की एंटी इवेजन टीम कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो उसके क्या उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य हैं? इसका कार्यालय कहां-कहां पर है? इसमें कितने अधिकारी, कर्मचारी तकनीकी एवं गैर तकनीकी स्टाफ, आउटसोर्स, अनुबंधित स्टाफ कार्यरत हैं? इस टीम ने वर्ष 20 मार्च 2020 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित कर उनके विरूद्ध कितने लक्ष्य प्राप्त किये हैं? कितने लक्ष्य किस कारण से अधूरे हैं? कब तक लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायेंगे? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस फर्म एजेंसी से कितनी-कितनी जी.एस.टी. फर्जीवाड़े में कितनी-कितनी राशि, कब-कब वसूल की गई है? फर्म/एजेंसी का नाम, मालिक का नाम, पता, जी.एस.टी. की वसूली राशि सहित पृथक-पृथक कार्यालयवार संपूर्ण जानकारी दें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** उपरोक्त के संबंध में जी.एस.टी. के अतिरिक्त और कौन-कौन सी श्रेणी के अपराध में लिप्त पाये गये हैं? क्या अपराधवार पृथक-पृथक एजेंसियों को भी इसमें सम्मिलित कर कार्यवाही संपादित कराई गई है? यदि हाँ, तो किस-किस के विरूद्ध और क्या-क्या? स्पष्ट करें। यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** उपरोक्त के संबंध में बोगस कंपनियों के नाम पर जी.एस.टी. चोरी का काम कैसे और कब से संचालित हो रहा है? इसे कंपनियां किस तरह से अंजाम दे रही हैं? कंपनीवार, घटनावार कार्यालयवार पृथक-पृथक बतायें।

वित्त मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** वाणिज्यिक कर विभाग में कर अपवंचन की रोकथाम हेतु एन्टी इवेजन ब्यूरो की 6 इकाइयां कार्यरत हैं। इनके कार्यालय एन्टी इवेजन ब्यूरो, इन्दौर-ए, एन्टी इवेजन ब्यूरो, इन्दौर-बी, एन्टी इवेजन ब्यूरो भोपाल, एन्टी इवेजन ब्यूरो ग्वालियर, एन्टी इवेजन ब्यूरो जबलपुर एवं एन्टी इवेजन ब्यूरो सतना में स्थित हैं। एंटी इवेजन ब्यूरो की 6 इकाइयों में 4 उपायुक्त, 6 सहायक आयुक्त, 25 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 30 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, 27 वाणिज्यिक कर निरीक्षक, 14 कराधान सहायक, 3 आई.टी. ऑपरेटर, 11 गैर तकनीकी स्टाफ कार्यरत हैं। अनुबंध पर कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की एजेंसी सेडमेप से प्राईवेट सुरक्षा कर्मी आउससोर्स के तहत लिए गए हैं। एन्टी इवेजन ब्यूरो की स्थापना का उददेश्य कर अपवंचन की रोकथाम हेतु विभिन्न स्रोतों से जानकारियाँ/सूचनाएँ एकत्रित करना तथा विश्लेषण पश्चात कर अपवंचन की संभावना का पता लगाना एवं कर अपंवचन के तथ्यों के संज्ञान में आने पर वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। एंटी इवेजन ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही लक्ष्य आधारित न होकर सूचनाओं के संग्रहण एवं उनके विश्लेषण के परिणामों पर आधारित होती है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** विभाग द्वारा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कर अपवंचन से संबंधित तथ्यों की जांच की जाती है। अन्य अपराधों के संबंध में जांच जी.एस.टी. के दायरे में नहीं है। प्रश्नाधीन अवधि में किसी अन्य एजेंसी को सम्मिलित कर जांच की कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। **(घ)** जी.एस.टी. के अन्तर्गत PAN आधारित ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था है। पूर्व में सभी पंजीयन आवेदनों के संबंध में व्यवसाय स्थल के भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता नहीं होने के कारण बोगस कम्पनियों द्वारा पंजीयन प्राप्त किया जाना संभावित रहा है। ऐसी कंपनियों के संबंध में पता लगाया जाकर विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जी.एस.टी. के अन्तर्गत बोगस पंजीयन की रोकथाम के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड आधार अथेंटीकेशन का प्रावधान भी किया गया है। आधार अथेंटीकेशन नहीं कराए जाने की स्थिति में व्यवसाय स्थल के भौतिक सत्यापन का प्रावधान भी जी.एस.टी. अधिनियम में किया गया है। बोगस कंपनियों के नाम पर कर अपवंचन से संबंधित प्रकरणों में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

जी.एस.टी. राशि का भुगतान
[वाणिज्यिक कर]

228. परि.अता.प्र.सं. 134 (क्र. 4432) श्री उमाकांत शर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले की ग्राम पंचायत उनारसीकलां, कालादेव, सेमरा मेघनाथ, झुकरजोगी, चौड़ीखेड़ी भौरिया, पामाखेड़ी पगरानी द्वारा निर्माण कार्यों के किन-किन फर्म, व्यक्ति एवं संस्था के बिलों का भुगतान किया गया एवं कितना-कितना जी.एस.टी. विभाग को प्राप्त हुआ? यदि विभाग द्वारा जी.एस.टी. नहीं वसूला तो इसके लिये दोषी कौन-कौन से अधिकारी हैं? अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम सहित बतावें तथा इन अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी? **(ख)** क्या जी.एस.टी. पंजीयन दिनांक से GSTIN-23AXCPB1843P1ZL यादव ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन सिरोंज एवं GST NO. 23CTPPR1172N1Z4 संस्कार ट्रेडर्स छोटी राघोगढ़ तहसील लटेरी द्वारा जी.एस.टी. कर कब-कब और कितना-कितना जमा किया? यदि जमा नहीं किया गया तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? जी.एस.टी. कर कब तक जमा करवा लिया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त फर्मों द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर कितने बिलों का भुगतान हुआ एवं कितना-कितना जी.एस.टी. कर जमा होना था? कितना शेष है? शेष कर कब तक जमा करवा लिया जावेगा?

वित्त मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। जी.एस.टी. अधिनियम के तहत पंजीयत सप्लायर द्वारा जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर विवरण पत्रों के माध्यम से सप्लाय की समेकित जानकारी ऑनलाईन प्रस्तुत की जाती है। अत: किस ग्राम पंचायत को कितनी सप्लाय की गई है तथा कितना जी.एस.टी. वसूल किया गया है, यह जानकारी जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध नहीं होती है। अत: किसी अधिकारी के दोषी होने की स्थिति नहीं है। **(ख)** यादव ट्रेडर्स कंस्ट्रक्शन सिरोंज GSTIN-23AXCPB1843P1ZL द्वारा पंजीयन दिनांक 01.07.2017 से दिसम्बर 2021 तक सप्लाय निरंक दर्शायी गई है। मे. संस्कार ट्रेडर्स छोटी राघोगढ़ तहसील लटेरी GSTIN. 23CTPPR1172N1Z4 केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र गुना से पंजीयत थी, किन्तु इनका पंजीयन दिनांक 02.12.2019 से निरस्त कर दिया गया है। व्यवसायी द्वारा वर्ष 2017-18 में अपने जी.एस.टी.आर.1 में कुल कर देयता रूपए 564042 बतायी गई है, जिसे जी.एस.टी.आर.3बी विवरणी अनुसार उपलब्ध आई.टी.सी. रूपए 569152 से समायोजित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है।

मठ, मंदिर एवं धर्म स्थलों के निर्माण कार्य
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

229. अता.प्र.सं.145 (क्र. 4435) श्री उमाकांत शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भोपाल संभाग के अंतर्गत शासन द्वारा संधारित मठ, मंदिर एवं धर्म स्थल कौन-कौन से हैं? जिले के अनुसार ग्राम/नगरवार सूची उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या विभाग शासन द्वारा संधारित मठ, मंदिरों एवं धर्म स्थलों के जीर्णोद्धार, निर्माण या विकास के लिए आर्थिक राशि स्वीकृत करता है? यदि हाँ, तो संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में मठ, मंदिरों एवं धर्मस्थलों के लिए 1 जनवरी 2018 से प्रश्नांकित अवधि तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है? वर्षवार तहसील एवं जिलावार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में क्या विभाग के पास विदिशा जिले के कार्य स्वीकृत करने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? कितने शेष है? शेष कार्य कब तक स्वीकृत किये जावेंगे?

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ", "ब", "स", "द" एवं "इ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ई" अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में विदिशा जिले के कुल 02 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 02 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जी.एस.टी. की कटौती
[वाणिज्यिक कर]

230. अता.प्र.सं.154 (क्र. 4461) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत को जी.एस.टी. पंजीयन करवाया जाना एवं जी.एस.टी. कटौती करने के संबंध में क्या-क्या प्रावधान किस दिनांक से लागू हुये हैं? उनका पालन नहीं किये जाने पर क्या-क्या प्रावधान लागू हैं? **(ख)** जबलपुर संभाग की किस जिला पंचायत एवं किस-किस जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत ने जी.एस.टी. का पंजीयन किस दिनांक को करवाया? पंजीयन समय पर नहीं करवाये जाने पर विभाग ने किस-किस के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की? जिला, जनपद व ग्राम पंचायतवार जानकारी देवें। **(ग)** जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत द्वारा जी.एस.टी. की कटौती कर जमा नहीं करवाये जाने पर विभाग ने किस-किस दिनांक को किस-किस के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, की हो तो कारण बतावें। कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

वित्त मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 सहपठित नियम 12 में स्रोत पर कटौती के प्रावधान 1 अक्टूबर, 2018 से लागू हैं। इन प्रावधानों के अध्यधीन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा किसी अनुबंध के अन्तर्गत रूपये 2.50 लाख से अधिक के कर योग्य माल और सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति यदि जी.एस.टी. के तहत पंजीयत सप्लायर से प्राप्त की जाती है तो इन्हें जी.एस.टी. टैक्स डिडेक्टर के रूप में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। जी.एस.टी. के तहत टी.डी.एस. डिडक्टर के रूप में पंजीयन नहीं कराने तथा जी.एस.टी. स्त्रोत पर कटौती से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने पर शास्ति/ब्याज के प्रावधान हैं। **(ख)** जबलपुर राजस्व संभाग अंतर्गत स्थित जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के पंजीयन संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को दिनांक 27.12.2021 को आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पत्र प्रेषित कर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को स्रोत पर जी.एस.टी. कटौती हेतु टी.डी.एस. डिडेक्टर के रूप में पंजीयन प्राप्त किए जाने तथा टी.डी.एस. की राशि विहित समयावधि में शासकीय कोष में जमा कराने के संबंध में अवगत कराया गया है। विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों को टी.डी.एस. डिडेक्टर के रूप में पंजीयन प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान के रूप में कार्यवाही की जाती है। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं एवं पंचायतों के टी.डी.एस. डिडक्टर के रूप में पंजीयन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाती है। **(ग)** विभाग स्तर पर जी.एस.टी. कटौती कर जमा नहीं करने संबंधी तथ्य विभाग के संज्ञान में नहीं हैं। संज्ञान में आने पर जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जाती है।

आई.टी. कम्पनियों को सब्सिडी
[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

231. अता.प्र.सं.156 (क्र. 4467) श्री मनोज चावला : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक तक प्रदेश में कितनी आई.टी. कम्पनियां ऐसी हैं जिन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2014- 15 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक उपरोक्त में से किस किस कम्पनी को कितनी-कितनी सब्सिडी दी गई? वर्षवार जानकारी दें। **(ग)** उपरोक्त में से किस किस कम्पनी को सरकार द्वारा कितनी-कितनी जमीन रियायती दरों पर दी गई है? किस दर पर दी गई? **(घ)** उपरोक्त वित्तीय वर्षों में अलग-अलग किस-किस कम्पनी द्वारा कितने मध्यप्रदेश के मूल निवासी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [(क) प्रश्न दिनांक तक कुल 184 आई.टी. कंपनियों को विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आई.टी. निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2016 के अंतर्गत सब्सिडी दी गयी है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।] (घ)** आई.टी.आई.टी.ई.एस.,ई.एस.डी.एम. निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 के प्रावधानों अनुसार आई.टी. पार्क में रियायती दरों पर भूखण्ड प्राप्त करने वाली इकाई पर आई.टी. नीति के तहत रोजगार के सृजन की शर्त लागू होती है। आई.टी. पार्क के बाहर प्रदेश के अन्यत्र स्थलों में स्थापित/क्रियाशील आई.टी. कंपनियों में आई.टी. नीति के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के लिये रोजगार सृजन की शर्त लागू नहीं है। वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक आई.टी. नीति के अंतर्गत रोजगार की शर्त के अधीन 03 इकाइयों द्वारा एवं सबसिडी प्राप्त 184 इकाइयों में से मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित आई.टी. पार्क में स्थापित 8 इकाइयों द्वारा रोजगार सृजन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "उनचालीस"</u>

सार्वजनिक न्यासों द्वारा नियम विरूद्ध सम्पत्ति विक्रय
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

232. अता.प्र.सं.157 (क्र. 4470) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिला में जौरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत किस-किस नाम से पंजीबद्ध सार्वजनिक न्यास हैं? उनके कार्यकारिणी के नामों सहित अवगत करावें। **(ख)** क्या प्रत्येक अचल सम्पत्ति विक्रय से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है? किस-किस न्यास ने विगत दो वर्षों में अचल का विक्रय किया है? कब-कब और कितना? सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया अभिमतों से अवगत करावें। **(ग)** विधानसभा क्षेत्र जौरा अन्तर्गत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक न्यासों द्वारा विक्रय अचल सम्पत्ति की धनराशि एवं क्रेताओं के नाम सहित जानकारी देवे एवं यह भी अवगत करावें कि न्यासों द्वारा प्रस्तावित प्रयोजनों में धनराशि का उपयोग किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के नियम विरूद्ध विक्रीत अचल सम्पत्ति से प्राप्त राशि को प्रस्तावित प्रयोजन के पृथक जगह उपयोग करने वाले न्यासों पर कार्यवाही की जावेगी? कितने न्यासों द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किये गये हैं और कौन कौन कार्यवाही के दायरे में आते हैं?

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। शेष भाग की जानकारी निरंक है। **(ग)** एवं **(घ)** प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

औकाफ एवं वक्फ बोर्ड के देवस्थल तथा इनके स्वामित्य की कृषि भूमि
[धार्मिक न्यास और धर्मस्व]

233. अता.प्र.सं.160 (क्र. 4474) श्री सुरेश राजे : क्या पर्यटन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला ग्वालियर में औकाफ एवं वक्फ बोर्ड अंतर्गत मंदिर (देवस्थल) तथा मुस्लिम धर्म स्थान कहाँ-कहाँ हैं? प्रत्येक धर्मस्थल के आधिपत्य में कुल कितनी-कितनी भूमि है? धर्म स्थल का नाम/तहसील/ग्राम/शहर का नाम/पटवारी हल्का क्रमांक/खसरा नंबर/रकबा सहित बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार औकाफ एवं वक्फ बोर्ड की भूमि वर्तमान में किस-किस व्यक्ति को कब से कब तक लिए किस प्रयोजन हेतु प्रतिवर्ष कुल कितनी-कितनी राशि में दी गई है? वर्तमान स्थिति सहित बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार ग्वालियर जिला के किस-किस स्थान की भूमि का प्रकरण माननीय न्यायलय में विचाराधीन है? धर्मस्थल का नाम/व्यक्ति व फर्म का नाम/ग्राम या शहर का नाम/भूमि का खसरा क्रमांक एवं रकबा क्रमांक सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

पर्यटन मंत्री : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** शासन संधारित मंदिरों से संलग्न भूमियों के उपयोग पुजारियों के द्वारा किये जाने के संबंध में दिनांक 04/10/2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है।